

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2015 सत्र

गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत युक्तियुक्तकरण के तहत बंद स्कूलों की जानकारी

1. (*क्र. 791) **राजमहंत सांवलाराम डाहरे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित हैं ? दर्ज संख्या सहित स्कूलवार जानकारी दें। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 (ख) युक्तियुक्तकरण के तहत कम दर्ज संख्या वाले कितने स्कूलों को बंद कर कहा-कहां समायोजित किया गया है ? स्कूलवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) अहिवारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 121 प्राथमिक शाला, 71 पूर्व माध्य. शाला, 07 हाई स्कूल एवं 28 हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित हैं। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की दर्ज संख्या सहित शालावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है। (ख) युक्तियुक्तकरण के तहत दुर्ग जिले में कम दर्ज संख्या को आधार बनाकर शाला बन्द नहीं किये गये हैं। अतः प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश के उ.प्रा. शाला/मा. शाला में विद्युतीकरण

2. (*क्र. 267) **श्री मोहन मरकाम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने उ.प्रा. शाला/मा. शाला संचालित हैं ? कितनी शालाएं विद्युतविहीन हैं ? विभागवार, जिलेवार जानकारी दी जाए। (ख) कंडिका “क” के अनुसार माध्यमिक शालाओं में विद्युतीकरण कब तक कर लिया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रदेश में कुल 13864 उ.प्रा.शाला एवं 1893 मा. शाला संचालित हैं। 3816 उ.प्रा.शाला एवं 117 मा. शाला विद्युतविहीन हैं। जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है। (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विकासखण्ड आरंग के समोदा बांध के जल का उपयोग

3. (*क्र. 338) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि समोदा बांध विकासखण्ड आरंग का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था ? वर्तमान में समोदा बांध में एकत्र पानी का उपयोग कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस कार्य हेतु किसके द्वारा किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : जिला रायपुर के विकासखण्ड आरंग में समोदा बांध के नाम से किसी भी संरचना का निर्माण नहीं किया गया है, अपितु आरंग के अंतर्गत महानदी पर 2 संरचनाओं का निर्माण किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :—

1. राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना का निर्माण ग्राम निसदा के निकट भू-जल संवर्धन, निस्तारी, पेयजल एवं सिंचाई हेतु किया गया है। इस योजना से वर्तमान में लगभग 2500 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है एवं महासमुंद नगर पालिका द्वारा 0.84 मि.घ.मी. जल का आहरण पेयजल हेतु किया जा रहा है।
2. ग्राम समोदा के निकट समोदा बैराज निर्माणाधीन है, इसके निर्माण का उद्देश्य भू-जल संवर्धन, पेयजल, निस्तारी तथा मेसर्स जी.एम.आर. एनर्जी लिमिटेड, बेंगलुरु के प्रस्तावित 1370 मे.वा. ताप विद्युत गृह के लिये जल प्रदाय करना है, वर्तमान में समोदा बैराज से जल का उपयोग ग्रामवासियों द्वारा निस्तार हेतु किया जा रहा है।

जिला बिलासपुर एवं मुंगेली की शालाओं में फर्नीचर क्रय हेतु आवंटित राशि

4. (*क्र. 125) **श्री सियाराम कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बिलासपुर एवं मुंगेली में स्कूलों में फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 2013-14 में 31 मार्च, 2015 तक कुल कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ? वर्षवार जानकारी दें. (ख) सप्लायर संस्था/फर्म द्वारा कितनी-कितनी मात्रा एवं दर पर दी गई है ? (ग) सप्लायर की गई फर्नीचर की गुणवत्ता की जांच तथा आपूर्ति की जांच/भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) स्कूलों में फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 2013-14 में बिलासपुर जिले में रुपये 2,84,92,524 व मुंगेली जिले में 1,60,25,260 एवं वर्ष 2014-15 में बिलासपुर जिले को 2,76,21,740 व मुंगेली जिले में 2,01,37,310 राशि आवंटित की गई है. (ख) सप्लायर † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) सप्लायर की गई फर्नीचर की गुणवत्ता की जांच दोनों जिले में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अधिकृत इण्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग, भोपाल द्वारा कराया गया है. आपूर्ति की जांच/भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन जिला बिलासपुर में सहायक संचालक, संबंधित शाला के प्राचार्य व प्रधान पाठकों द्वारा तथा जिला मुंगेली में जिला स्तरीय समिति एवं संबंधित संस्था के प्रमुखों द्वारा की गई.

प्रदेश में आउटसोर्सिंग से शिक्षकों की पूर्ति

5. (*क्र. 903) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल, मिडिल स्कूल तथा प्राथमरी स्कूल हैं ? इन स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी दें. (ख) क्या प्रदेश के स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों की पूर्ति आउट सोर्सिंग के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां तो, कब ? अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या युक्तियुक्तकरण के तहत संचालित स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां तो, कितने स्कूलों को बंद किया जा रहा है ? जिलेवार जानकारी दें.

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रदेश में संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल, मिडिल स्कूल तथा प्राथमरी स्कूलों की संख्या एवं उक्त स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) लगातार प्रयासों के बावजूद भी कतिपय विषयों के शिक्षक, उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण, अंतरिम व्यवस्था के तहत, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से आउटसोर्सिंग के माध्यम से पद पूर्ति का निर्णय लिया गया है. यह पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था है. कार्यवाही प्रचलन में है. (ग) जी हां. कुल 2918 स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के तहत बंद किया गया है. बंद किए गए, स्कूलों की जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

बोड़ला विकासखण्ड में बस्तर विकास प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्य

6. (*क्र. 851) **श्री अशोक साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 से 31 मई, 2015 तक कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड में बस्तर विकास प्राधिकरण मद से कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? (ख) प्रश्नांश “क” में कितने कार्य अपूर्ण हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कुल 152 कार्य स्वीकृत किये गये. (ख) कुल 33 कार्य अपूर्ण हैं.

प्रदेश में मुख्य नदियों पर एनीकट के मास्टर प्लान बनाने हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति

7. (*क्र. 962) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में विभिन्न मुख्य नदियों पर सिंचाई विभाग द्वारा एनीकट निर्माण हेतु मास्टरप्लान बनाने हेतु कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था ? (ख) यदि हां तो, किसे नियुक्त किया गया ? उसे कितना भुगतान विभाग द्वारा किया गया ? (ग) क्या इनकी सेवाएं अभी ली जा रही है एवं उन्हीं कंसल्टेंट के निर्देशानुसार एनीकट के निर्माण किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जी नहीं. (ख) एवं (ग) उपरोक्त “क” के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

मरवाही विधान सभा क्षेत्र में छात्रों की कमी के कारण बंद किये गये प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं

8. (*क्र. 208) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मरवाही में कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला को वर्ष 2015 में छात्रों की कम दर्ज संख्या के कारण बंद किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : विधान सभा क्षेत्र मरवाही में किसी भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला को वर्ष 2015 में छात्रों की कम दर्ज संख्या होने के कारण बंद नहीं किया गया है.

महासमुन्द जिले के हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में गणित/विज्ञान के रिक्त पद

9. (*क्र. 955) **श्री चुन्नीलाल साहू** (खल्लारी) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कितने पद विज्ञान एवं गणित के रिक्त हैं ? (ख) क्या उक्त रिक्त पदों को इस सत्र में भर्ती करने की कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) महासमुन्द जिले में संचालित शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विज्ञान एवं गणित विषय के व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत) के रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :—

हाई स्कूल		हायर सेकेण्डरी स्कूल			
विज्ञान	गणित	रसायन	भौतिकी	जीवविज्ञान	गणित
32	25	55	69	74	77

(ख) जी नहीं.

प्रदेश में व्याख्याता के स्वीकृत एवं रिक्त पद

10. (*क्र. 814) **श्री उमेश पटेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं ? विषयवार जिलेवार जानकारी दें. (ख) रिक्त पदों पर पदोन्नति/नियुक्ति की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की विषयवार, जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर संलग्न है. (ख) पदोन्नति/नियुक्ति की कार्यवाही हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

प्रदेश में रासायनिक खाद/बीज की खरीदी एवं गुणवत्ता की जांच

11. (*क्र. 93) **श्री संतोष बाफना** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 2014-15 एवं 2015-16 में कौन-कौन सी रासायनिक खाद एवं बीज किस-किस कंपनी से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की खरीदी गई ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित रासायनिक खादों की गुणवत्ता की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई ? (ग) क्या किसानों को वितरित किये जाने वाले खाद व बीज की कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो, क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रदेश में 2014-15 एवं 2015-16 (दिनांक 30-06-2015 की स्थिति में) में छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा क्रय किये गये रासायनिक उर्वरक एवं बीजों के संबंध में वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 पर है. विभागीय योजनाओं के अंतर्गत उप संचालक कृषि द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम, महाराष्ट्र राज्य बीज निगम (महाबीज) एवं नाफेड से क्रय किये गये बीज के संबंध में वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-8 एवं

9 पर है. (ख) छ.ग. शासन द्वारा अधिकृत उर्वरक निरीक्षकों द्वारा विपणन संघ के माध्यम से वितरित उर्वरकों के रेण्डम विधि से नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में उर्वरकों के गुणवत्ता की जांच निम्नांकित अवधि में करायी गई :—

अवधि	विश्लेषित नमूने
01 अप्रैल 2014 से 30 मार्च 2015 तक	2085
01 अप्रैल 2015 से 30-06-2015 तक	686

(ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित अवधि में बीज एवं उर्वरक की कालाबाजारी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

मदनवाड़ा में एनीकट निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा

12. (*क्र. 875) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव में मदनवाड़ा में एनीकट निर्माण हेतु कब निविदा आमंत्रित की गई है ? (ख) कार्यादेश कब जारी किया गया और कार्य पूर्णता की अवधि क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जिला राजनांदगांव के मदनवाड़ा में एनीकट (रपटा कम स्टापडेम) के निर्माण हेतु प्रथम निविदा दिनांक 19-09-2013 को तथा द्वितीय निविदा दिनांक 13-01-2014 को आमंत्रित की गई. (ख) कार्यादेश दिनांक 04-03-2014 को जारी किया गया एवं कार्य की पूर्णता अवधि 6 माह अर्थात् दिनांक 03-09-2014 थी. कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ठेकेदार को अनुबंध की कंडिका 4.3.5.3 के अंतर्गत प्रथम समयावृद्धि दिनांक 03-01-2015, द्वितीय समयावृद्धि दिनांक 03-04-2015 तथा तृतीय समयावृद्धि दिनांक 30-06-2015 तक प्रदान की गई, परन्तु ठेकेदार द्वारा दिनांक 30-06-2015 तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है.

महासमुंद विकासखंड के केशवा नाला में पुल का निर्माण

13. (*क्र. 291) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द विकासखण्ड के कनेकेरा भलेसर मार्ग पर केशवा नाला में निर्मित पुल का निर्माण कब व कितनी लागत में किया गया ? (ख) क्या उक्त पुल के जर्जर होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो, की गई कार्यवाही से अवगत कराएं.

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) महासमुन्द विकासखण्ड के कनेकेरा भलेसर मार्ग पर केशवा नाला में निर्मित पुल का निर्माण वर्ष 2008-09 में दिनांक 15-07-2008 को रु. 56.89 लाख लागत से किया गया. (ख) उक्त पुल के जर्जर होने के संबंध में सचिव कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भलेसर से सूचनापत्र प्राप्त हुई है. जर्जर पुल के संबंध में भारी वाहन के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए तथा संबंधित विभाग को मरम्मत कराने के लिए निर्देश दिये जाने हेतु कलेक्टर जिला महासमुंद को दिनांक 30-05-15 को पत्र लिखा गया.

जिला राजनांदगांव में शासकीय पूर्व माध्यमिक एवं हाई स्कूलों का उन्नयन

14. (*क्र. 914) **श्री भोलाराम साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2014-15 में दिनांक 23-06-2015 की स्थिति में कितने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त शालाओं के उन्नयन की स्वीकृति, कब-कब जारी की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2014-15 में दिनांक 23-06-2015 की स्थिति में कोई भी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में एवं कोई भी हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन नहीं किया गया है. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश “क” के संबंध में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में अतिशेष शिक्षकों की संख्या

15. (*क्र. 152) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा सत्र 2014-15 में प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में आर.टी.ई. के मापदंड के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता थी ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) शिक्षा सत्र 2014-15 में प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में संकायवार एवं शिक्षक संवर्गवार अतिशेष शिक्षकों की संख्या कितनी थी ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें.

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत अध्ययनरत निःशक्त छात्र/छात्राएं

16. (*क्र. 958) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से जून 2015 तक कितने निःशक्तजन छात्र/छात्राएं कक्षा 1 से 8 तक कहां-कहां अध्ययनरत है ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें. (ख) कंडिका "क" में उल्लेखित बच्चों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करायी गयी है ? (ग) क्या उपरोक्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं प्रमाण पत्र एवं उपकरण वितरित किया गया है ? यदि हां तो, ग्रामवार/स्कूलवार बच्चों के नाम पते सहित जानकारी उपलब्ध करावें. (घ) प्रश्नांश "ग" के संबंध में कितनी शिकायत प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 626 तथा वर्ष 2014-15 में जून 2015 तक कुल निःशक्तजन 532 छात्र/छात्राएं कक्षा 1 से 8 तक शालाओं में अध्ययनरत हैं. अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शालावार/विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में अंकित है. (ख) सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशक्तजन बच्चों को परिवहन भत्ता व मार्गरक्षण भत्ता, ट्राईसायकल, व्हील चेयर, वैशाखी, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र आदि सुविधाएं मुहैया करायी गयी है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में अंकित है. (ग) जी हां. शेषांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में अंकित है. (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

कोरिया जिले में संचालित गौशाला

17. (*क्र. 610) **श्री श्याम बिहारी जायसवाल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले में कहां-कहां गौशाला संचालित हैं ? (ख) कोरिया जिले में कहां-कहां नवीन गौशाला प्रस्तावित है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) कोरिया जिले में गौशाला संचालित नहीं है. (ख) कोरिया जिले में विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम-मुरमा, विकास खंड, -मनेन्द्रगढ़ के ग्राम-नारायणपुर एवं विकासखण्ड भरतपुर के ग्राम-जनुवा में नवीन गौशाला खोला जाना विचाराधीन है.

जिला कांकेर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सामग्री क्रय

18. (*क्र. 982) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में वर्ष 2013-14 से 25 जून, 2015 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन-कौन सी सामग्री के क्रय हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब किस-किस मद में स्वीकृत की गई ? (ख) क्या सामग्रियों के क्रय में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला कांकेर में वर्ष 2013-14 से 25 जून 2015 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सामग्रियों हेतु स्वीकृति आवंटन की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार है. (ख) जी नहीं. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

डौण्डी लोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कच्ची एवं पक्की नाली का निर्माण

19. (*क्र. 183) **श्रीमती अनिला भेंड़िया** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डौण्डी लोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कहां-कहां कच्ची एवं पक्की नहर नाली निर्माण एवं मरम्मत कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) कितना निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? कितनी राशि व्यय की गई व कितना निर्माण कार्य अपूर्ण है ?

† परिशिष्ट "छः"

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में डौण्डी लोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग (भूमि संरक्षण) द्वारा कच्चा एवं पक्का नहर नाली निर्माण एवं मरम्मत कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है. (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में एनीकट एवं स्टापडेम निर्माण की स्थिति

20. (*क्र. 658) **डॉ. सनम जांगड़े** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कहां-कहां एनीकट एवं स्टापडेम निर्माण किये गये हैं ? (ख) जून 2015 की स्थिति में कितने एनीकट, स्टापडेम निर्माणाधीन हैं व कितने अपूर्ण है ? (ग) वर्ष 2015-16 में कहां-कहां एनीकट एवं स्टापडेम बनाया जाना प्रस्तावित है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निर्माण कराये गये एनीकट तथा स्टापडेम के स्थान संबंधी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जून 2015 की स्थिति में 02 एनीकट निर्माणाधीन हैं तथा कोई भी स्टापडेम निर्माणाधीन नहीं है. (ग) वर्ष 2015-16 में कोई भी एनीकट एवं स्टापडेम बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है.

जिला सुकमा के स्कूलों में शौचालय एवं विद्युत व्यवस्था

21. (*क्र. 759) **श्री कवासी लखमा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सुकमा में कितने आश्रम, छात्रावास तथा पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शालायें संचालित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) इनमें से कितने संस्थानों में शौचालय एवं विद्युत व्यवस्था है ? पृथक-पृथक बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	संस्था का विवरण	विकासखण्ड	संचालित संस्थाओं की संख्या
1.	आश्रम शाला	सुकमा	30
		छिंदगढ़	26
		कोंटा	34
		योग	90
2.	छात्रावास	सुकमा	11
		छिंदगढ़	11
		कोंटा	12
		योग	34
3.	पूर्व माध्यमिक शाला	सुकमा	59
		छिंदगढ़	66
		कोंटा	51
		योग	176
4.	प्राथमिक शाला	सुकमा	155
		छिंदगढ़	213
		कोंटा	261
		योग	629

(ख) जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	संस्था का विवरण	शौचालय युक्त	विद्युत युक्त
1.	आश्रम शाला	90	87
2.	छात्रावास	34	32
3.	पूर्व माध्यमिक शाला	176	34
4.	प्राथमिक शाला	629	41
योग		929	194

छ.ग. शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य में वृद्धि संबंधी

22. (*क्र. 523) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. शासन द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने हेतु वर्ष 2013 से 26-06-15 तक, कब-कब, क्या-क्या पहल की गई ? (ख) क्या समर्थन मूल्य में वृद्धि हेतु केन्द्र शासन को पत्र लिखा गया है ? यदि हां तो, कब-कब एवं क्या लिखा गया ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला जांजगीर-चांपा के स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद

23. (*क्र. 883) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पद के विरुद्ध पदस्थ शिक्षक एवं रिक्त पदों की जानकारी वर्गवार देवें ? (ख) कितने स्कूल शिक्षकविहीन एवं एकल शिक्षकीय है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला जांजगीर-चांपा के स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, स्वीकृत पद के विरुद्ध पदस्थ शिक्षक एवं वर्गवार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :—

स. क्र.	स्कूल का स्तर	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	प्राथमिक शाला	प्रधान पाठक	1628	597	1031
		सहा. शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)	6868	6836	32
2.	पूर्व माध्यमिक शाला	प्रधान पाठक	793	513	280
		शिक्षक/शिक्षक (पंचायत)	5367	4832	535
3.	हाई स्कूल	व्याख्याता/व्याख्याता पंचायत	768	598	170
		सहायक शिक्षक विज्ञान	19	19	00
4.	हायर सेकेण्डरी	व्याख्याता/व्याख्याता पंचायत	2059	1485	574
		सहायक शिक्षक विज्ञान	461	226	235
योग			17963	15106	2857

(ख) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत शिक्षक विहीन स्कूलों एवं एकल शिक्षकीय स्कूलों की जानकारी निम्नानुसार है :—

स. क्र.	स्कूल का स्तर	शिक्षक विहीन स्कूल की संख्या	एकल शिक्षकीय स्कूल की संख्या
1.	प्राथमिक शाला	07	37
2.	पूर्व माध्यमिक शाला	00	04
3.	हाई स्कूल	00	00
4.	हायर सेकेण्डरी स्कूल	00	00
योग		07	41

राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं जामवंत योजना के अन्तर्गत कोटा एवं मरवाही विधान सभा क्षेत्र की नर्सरियों में तैयार किए गए पौधे

24. (*क्र. 831) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों में कोटा एवं मरवाही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा जामवंत योजना के तहत कौन-कौन सी नर्सरियों में कौन-कौन सी प्रजाति के कितने-कितने पौधे तैयार किये गये ? (ख) उक्त तैयार पौधों को क्षेत्र के किन-किन स्थानों में रोपण किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) विगत दो वर्षों 2013-14 एवं 2014-15 में कोटा एवं मरवाही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत नर्सरियों में पौधे तैयार नहीं किये गए. अपितु राज्य पोषित योजना के अंतर्गत कोटा एवं मरवाही विधान सभा क्षेत्र में स्थित नर्सरियों (लालपुर, पतगंवा, मरवाही एवं करगीकला) में तैयार किये गये पौधों की प्रजातिवार संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. कृषि विभाग के अंतर्गत जामवंत योजना के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं है. (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित नर्सरियों में तैयार किये गए पौधों के रोपण की कृषकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है.

रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मछली पालन हेतु तालाब निर्माण

25. (*क्र. 36) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किसानों के मछली पालन हेतु कितने तालाबों का निर्माण किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी दें. (ख) क्या निर्मित तालाब की सफाई हेतु उक्त अवधि में आवंटन जारी हुआ है ? यदि हां तो, कितनी राशि कहां-कहां के लिए ? विकासखण्डवार बतावें.

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) निरंक. (ख) प्रश्नांश “क” की जानकारी निरंक होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के मछुवारा समिति के आवास सुविधा का प्रावधान

1. (क्र. 4) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने मछुवारा समिति पंजीकृत है व समिति में कितने सदस्य है ? (ख) क्या मछुवारा समिति के सदस्यों के लिए शासकीय योजनांतर्गत आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रदेश में 1315 (एक हजार तीन सौ पंद्रह) मछुवारा समिति पंजीकृत है. जिनके सदस्यों की संख्या 43853 (तिरालिस हजार आठ सौ तिरेपन) है. (ख) जी हां.

बालोद जिले के शालाओं के बच्चों हेतु यूनीफार्म क्रय

2. (क्र. 5) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिले में वर्ष 2015-2016 में शासकीय शालाओं के कितने बच्चों हेतु यूनीफार्म क्रय किया जाना है ? शाला अनुसार संख्या देवें ? (ख) यूनीफार्म हेतु प्राप्त आवंटन कितना है ? यूनीफार्म क्रय करने हेतु किस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2015-2016 में बालोद जिले में 1336 शासकीय शालाओं के 95460 बच्चों हेतु यूनीफार्म क्रय किया जाना है. शाला अनुसार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) यूनीफार्म हेतु कुल राशि रुपये 4,00,16,354/- (रुपये चार करोड़ सोलह हजार तीन सौ चौवन मात्र) आवंटित है. यूनीफार्म क्रय प्रक्रिया अंतर्गत राज्य शासन के हितग्राहियों के लिए शासन द्वारा अधिकृत नोडल एजेन्सी छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के माध्यम से छात्र-छात्राओं के यूनीफार्म हेतु कपड़ा प्राप्त किया जाता है, जिसे महिला स्व सहायता समूह से सिलवाकर वितरण का कार्य कराया जाता है एवं सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत भारत शासन के निर्देश के क्रम में यूनीफार्म क्रय करने का अधिकार शाला प्रबंधन समिति को है.

जिला रायगढ़ में पशुपालन हेतु नाबार्ड से प्रदत्त अनुदान

3. (क्र. 37) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत पशुपालन हेतु कितने किसानों को वर्ष 2013 से 23-06-2015 तक नाबार्ड से अनुदान प्रदान किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें. (ख) क्या नाबार्ड योजना से दिये गये अनुदान में शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत पशुपालन हेतु वर्ष 2013 से 23-06-2015 तक नाबार्ड से 6 किसानों को अनुदान प्रदान किया गया है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखण्ड	लाभान्वित किसान संख्या
1.	रायगढ़	02
2.	पुसौर	04
योग		06

(ख) प्रश्नाधीन अवधि के प्रकरणों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता.

आदिम जाति विकास विभाग के विद्यालयों में शिक्षक, व्याख्याता एवं प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति

4. (क्र. 94) **श्री संतोष बाफना** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न जिलों में आजाक विभाग के विद्यालयों में कुल कितने-कितने शिक्षक, व्याख्याता, प्राचार्य के पद रिक्त है ? जिलेवार जानकारी दें। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्तमान में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है. अतः जानकारी निरंक है. (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

बिलासपुर एवं मुंगेली जिले में शैलो नलकूप निर्माण हेतु कृषकों को प्रदत्त अनुदान राशि

5. (क्र. 126) **श्री सियाराम कौशिक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा बिलासपुर एवं मुंगेली जिले हेतु वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नदी तट पर बनने वाले शैलो नलकूप निर्माण हेतु कितना-कितना आवंटन उपलब्ध कराया था ? (ख) किसानों को प्रदत्त अनुदान राशि की ग्रामवार जानकारी दी जावे. (ग) क्या अनुदान राशि किसानों को उनके बैंक खाते के माध्यम से दी गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रश्नाधीन जिलों को शैलोट्यूबवेल प्रतिस्थापन हेतु आवंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

जिला	वर्ष (राशि रु. लाख में)	
	2013-14	2014-15
बिलासपुर	40.40	37.40
मुंगेली	1.40	10.00

(ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में किसानों को प्रदाय अनुदान की जानकारी निम्नानुसार है :—

जिला	वर्ष			
	2013-14		2014-15	
	किसान संख्या	राशि (लाख में)	किसान संख्या	राशि (लाख में)
बिलासपुर	202	40.40	187	37.40
मुंगेली	7	1.40	50	10.00

ग्रामवार विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ग) जी हां, अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में अथवा कृषक द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर खननकर्ता/प्रदायक संस्था को किया गया.

निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक वितरण संबंधी

6. (क्र. 153) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा सत्र 2015-16 हेतु प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शाला के लिए प्रति छात्र 02 सेट के मान से कितने सेट गणवेश की मांग थी एवं दिनांक 25-06-2015 तक बच्चों को कुल कितने सेट गणवेश वितरित किया जा चुका है ? जिलेवार संख्या बतावें. (ख) प्रदेश के प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला में निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु कब तक की समय सीमा निर्धारित की गयी थी एवं क्या निर्धारित समय सीमा में निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक का वितरण किया जा चुका है ? यदि नहीं तो क्यों ? एवं इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है.

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) शिक्षा सत्र 2015-2016 हेतु प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शाला के लिए प्रति छात्र 02 सेट के मान से 74,99,329 सेट गणवेश की मांग थी एवं दिनांक 25-06-2015 तक बच्चों को कुल 7,83,345 सेट गणवेश वितरित किया जा चुका है. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शाए अनुसार है. (ख) प्रदेश के स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक एवं गणवेश वितरण हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं है. सामान्यतः शाला प्रारंभ होते ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है. शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर-चांपा में मध्याह्न भोजन हेतु आवंटित राशि

7. (क्र. 168) **श्री चुन्नीलाल साहू** (अकलतरा) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 में जांजगीर-चांपा जिले को मध्याह्न भोजन के लिये शासन द्वारा कितनी राशि जारी की गई है ? (ख) प्रश्नांक “क” में दर्शित वित्तीय वर्ष में जिला कार्यालय द्वारा विकासखंडों को जारी राशि की मदवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 में जांजगीर-चांपा जिले को मध्याह्न भोजन के लिये शासन द्वारा राशि रुपये 25,75,12,000.00 (रुपये पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख बारह हजार मात्र) जारी की गई है. जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) प्रश्नांक “क” में दर्शित वित्तीय वर्ष में जिला कार्यालय द्वारा विकासखण्डों को जारी राशि की मदवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

जिला जांजगीर-चांपा क्षेत्र में निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के प्रवेश हेतु प्रदायित राशि

8. (क्र. 169) **श्री चुन्नीलाल साहू** (अकलतरा) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में आर.टी.आई. के तहत गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु राज्य शासन द्वारा जांजगीर-चांपा जिला को कितनी राशि आवंटित की गई. (ख) प्रश्नांश “क” में आवंटित राशि को जांजगीर-चांपा जिले में आर.टी.आई. के तहत निजी विद्यालयों को कितनी-कितनी राशि जारी की गई.

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2014-15 में आर.टी.ई. के तहत गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु राज्य शासन द्वारा जांजगीर-चांपा जिला को कुल राशि रु. 3,25,72,919 (तीन करोड़ पच्चीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ उन्नीस) आवंटित की गई. (ख) जांजगीर-चांपा जिले में आर.टी.ई. के तहत 170 विद्यालयों को राशि रु. 3,23,84,580 (तीन करोड़ तेइस लाख चौरासी हजार पांच सौ अस्सी) जारी की गई है. विद्यालयवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

बालोद जिला में संचालित छात्रावास/आश्रमों में सामग्री पूर्ति हेतु आवंटित एवं व्यय राशि

9. (क्र. 186) **श्रीमती अनिला भेंडिया** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला अंतर्गत संचालित छात्रावास/आश्रमों में सामग्री पूर्ति हेतु वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किन-किन मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) छात्रावास/आश्रमों के लिए उक्त वर्षों में क्या-क्या सामग्री क्रय की गई तथा कितनी मात्रा में क्रय की गई ? (ग) किन-किन छात्रावास/आश्रमों में कौन-कौन सामग्री का वितरण कितनी मात्रा में किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” पर है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” पर है.

मरवाही विधान सभा क्षेत्र में संचालित आश्रम/छात्रावास

10. (क्र. 209) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मरवाही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गौरैला, पेण्ड्रा एवं मरवाही विकासखंड में कितने आश्रम एवं छात्रावास संचालित हैं ? कितने आश्रम एवं छात्रावास निजी भवन में संचालित हैं ? कब तक भवन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी. (ख) विधान सभा क्षेत्र मरवाही में बैगा विकास परियोजना मद के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने बैगा परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	विकासखण्ड का नाम	संचालित आश्रम की संख्या	संचालित छात्रावास की संख्या	योग
1.	गौरैला	05	08	13
2.	पेण्ड्रा	—	04	04
3.	मरवाही	02	30	32
योग		07	42	49

कुल 10 छात्रावास निजी भवन में संचालित है. भवन की स्वीकृति के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) वर्ष 2013-14 में 1452 बैगा परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है तथा वर्ष 2014-15 में योजना का लाभ नहीं दिया गया है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र के हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

11. (क्र. 237) **श्री संतराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कुल कितने-कितने गणित, विज्ञान व अंग्रेजी विषय के शिक्षकों व व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं ? (ख) यदि हां तो रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में गणित विषय के 71, विज्ञान विषय के 85 एवं अंग्रेजी विषय के 59 व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत) के पद रिक्त है. हाई तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उच्च वर्ग शिक्षकों के पद स्वीकृत नहीं होने से शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है. (ख) रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में वनाधिकार पट्टे हेतु प्राप्त आवेदन

12. (क्र. 238) **श्री संतराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 में 20 जून, 2015 तक वनाधिकार पट्टे प्रदाय किये जाने हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ? उनमें से कितने को पट्टे प्रदाय किये गये एवं कितनों को नहीं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) कितने को वनाधिकार पट्टे दिए जाने के उपरांत निरस्त किया गया तथा किस-किस कारण से ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 में 20 जून 2015 तक की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	वितरित वन अधिकार पत्र	अपात्र होने से अधिकार पत्र वितरित नहीं/निरस्त प्रकरण
1.	फरसगांव	845	769	76
2.	केशकाल	636	309	327
3.	बड़े राजपुर	1262	474	788
योग		2743	1552	1191

(ख) 06 हितग्राहियों को प्रदत्त वन अधिकार पट्टा 13 दिसम्बर 2005 की स्थिति में कब्जा प्रमाणित नहीं होने के कारण, जिला वन अधिकार समिति द्वारा निरस्त किया गया.

प्रदेश में रासायनिक खाद, उर्वरक कीटनाशक की कालाबाजारी के प्रकरणों की जांच/कार्यवाही

13. (क्र. 268) **श्री मोहन मरकाम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिलेवार कितने रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता हैं ? विगत दो वर्षों में अमानक खाद, उर्वरक आदि के कालाबाजारी के संबंध में कितने प्रकरण विभाग/शासन के संज्ञान में आए ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) कंडिका “क” के अनुसार विभाग के अधिकारियों द्वारा इन विक्रेताओं की कब-कब जांच की गई तथा कब-कब कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रदेश में अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रेताओं की कुल संख्या क्रमशः 4912 एवं 4183 है, जिलेवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. विगत दो वर्षों में 207 उर्वरक नमूने अमानक पाये गये, जिलेवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. प्रश्नाधीन अवधि में उर्वरक की कालाबाजारी का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक एवं कीटनाशक औषधि विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों के किये गये निरीक्षण का विवरण फसल मौसमवार निम्नानुसार है :—

वर्ष	फसल मौसम	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों की निरीक्षण संख्या	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठानों की निरीक्षण संख्या
2013-14	खरीफ	946	907
	रबी	512	490
2014-15	खरीफ	1057	857
	रबी	518	413
2015-16 (30 जून 2015 तक)	खरीफ	443	260

अमानक उर्वरक प्रकरणों पर की गई कार्यवाही का विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा कराये जा रहे कार्य हेतु जिलों को आवंटित राशि

14. (क्र. 292) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा कराए गए विभिन्न कार्यों के भुगतान के लिए वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कितनी राशि विभिन्न जिलों को जारी की गई ? (ख) वर्ष 2013-14, 2014-15 के दौरान विभिन्न जिलों के द्वारा कितनी राशि सरेंडर की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा कराए गए विभिन्न कार्यों के भुगतान के लिए वर्ष 2013-14 व 2014-15 में विभिन्न जिलों को जारी राशि का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राशि सरेंडर करने का प्रावधान नहीं है.

रविशंकर जलाशय परियोजना की सुरक्षा संबंधी

15. (क्र. 480) **श्री गुरुमुख सिंह होरा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी स्थित रविशंकर जलाशय (गंगरेल बांध) में सुरक्षा संबंधी क्या-क्या व्यवस्थाएं शासन स्तर पर की गई हैं ? (ख) वर्तमान में उक्त जलाशय में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दी गई है तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु कितने पुलिसकर्मी तैनात किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) रविशंकर सागर बांध गंगरेल की सुरक्षा हेतु विभाग के 9 उप अभियंता, 53 अन्य विभागीय कर्मचारियों के साथ बांध की दिन-रात 8-8 घण्टे की पाली में सतत् निगरानी कर रहे हैं. रात्रि के समय बांध की सुरक्षा हेतु पूरे बांध पर स्ट्रीट लाईट लगाई गई है. बांध की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 9 स्थानों पर हाईमास्ट लाईट्स भी लगाई गई है. बांध के दोनों फ्लैक्स पर लोहे के गेट एवं बैरियर लगाये गये हैं. बांध से पानी छोड़ने के समय आसपास के क्षेत्रों में चेतावनी देने हेतु एक सायरन की भी व्यवस्था है. (ख) वर्तमान में गंगरेल बांध की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध विभागीय अमले के द्वारा की जा रही है. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा 1 x 4 नगर सैनिकों की तैनाती भी की जाती है. सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग से स्थायी कोई पुलिस बल नियोजित नहीं है. थाना रूद्री के पुलिस बल द्वारा नियमित गश्त/पेट्रोलिंग कर जलाशय की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में खरीफ फसल हेतु रासायनिक खाद का भण्डारण/वितरण

16. (क्र. 512) **श्री भोलाराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 2015 खरीफ फसल हेतु 30-06-2015 की स्थिति में किस-किस रासायनिक खाद की कितनी-कितनी मात्रा में भंडारण/वितरण किया जा चुका है ? सोसायटीवार जानकारी देवें ? (ख) लक्ष्य के विरुद्ध कितना भंडारण/वितरण शेष है ? लक्ष्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? सोसायटीवार जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 2015 खरीफ फसल हेतु दिनांक 30-06-2015 तक भंडारित/वितरित खाद की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) रासायनिक खाद के कुल लक्ष्य 1,1406 टन के विरुद्ध क्रमशः 11,060.675 एवं 9,436.190 टन रासायनिक खाद का भंडारण एवं वितरण किया जा चुका है. लक्ष्य के विरुद्ध भंडारण में कमी कुल 345.325 टन एवं वितरण में कमी कुल 1969.810 टन की पूर्ति दिनांक 30-09-2015 तक कर ली जावेगी. सोसायटीवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

राज्य में स्कूलों का संविलियन हेतु मापदण्ड

17. (क्र. 568) **श्री अमरजीत भगत** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूलों के संविलियन में कौन-कौन सा मापदण्ड अपनाया गया है ? (ख) 20 जून, 2015 की स्थिति में सरगुजा जिले के कितने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है ? (ग) 20 जून, 2015 की स्थिति में सरगुजा जिले में कितने स्कूलों में शिक्षक की कमी की स्थिति बनी हुई है ? इसे कब तक दूर किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) स्कूलों का संविलियन नहीं किया गया है वरन स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया है. युक्तियुक्तकरण हेतु निर्धारित मापदण्ड †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) दि. 20-06-2015 की स्थिति में सरगुजा जिले के 120 विद्यालयों को बन्द करने का निर्णय लिया गया. (ग) दि. 20-06-2015 की स्थिति में सरगुजा जिले में 57 स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. शिक्षकों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है इस हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

कोरिया जिले में हाईस्कूल एवं माध्यमिक स्कूलों में सेटअप के विरुद्ध रिक्त पद

18. (क्र. 609) **श्री श्याम बिहारी जायसवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले में हाईस्कूल एवं माध्यमिक स्कूल का स्कूलवार सेटअप व सेटअप के विरुद्ध भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति क्या है ? (ख) रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कोरिया जिले में हाईस्कूल एवं पूर्व माध्यमिक स्कूलों के स्कूलवार सेटअप एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) रिक्त पदों को भरने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में प्री/पोस्ट मैट्रिक/छात्रावास/आश्रम शालाओं में मेस की व्यवस्था

19. (क्र. 680) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी-कितनी क्षमता के प्री/पोस्ट मैट्रिक छात्रावास/आश्रमशाला कहां-कहां संचालित हैं ? उक्त में कितने-कितने बच्चे अध्ययनरत हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश “क” के छात्रावास/आश्रमशाला में मेस की व्यवस्था हेतु कितनी-कितनी राशि प्रति बच्चे के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है ? तथा वर्ष 2013 से 25 जून, 2015 तक उक्त हेतु कितनी राशि की स्वीकृति दी गई ? तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? (ग) प्रश्नांश “क” के छात्रावास/आश्रमशाला में दिये जा रहे मेस तथा छात्रावासों के मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा उसकी गुणवत्ता का निरीक्षण/पर्यवेक्षण कब-कब प्रश्नांश “ख” की अवधि में किसके-किसके द्वारा किया गया ? तथा उसमें क्या-क्या पाया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर है। (ख) प्री. मैट्रिक छात्रावास/आश्रम शाला में मेस की व्यवस्था हेतु राशि रु. 750/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावासी विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अतिरिक्त भोजन सहाय योजना अन्तर्गत रु. 400/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी दिये जाने का प्रावधान है। स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” पर है।

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों में जल आपूर्ति हेतु स्वीकृत राशि

20. (क्र. 681) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने छात्रावास एवं आश्रम कहां-कहां पर कितनी-कितनी क्षमता के संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत संचालित आश्रमों/छात्रावासों में वर्ष 2014 से 25 जून, 2015 की अवधि में जल/पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कुल 76 छात्रावास/आश्रम संचालित हैं। स्थान एवं क्षमता की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है। (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है।

आरंग विकासखंड अंतर्गत संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा

21. (क्र. 702) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विकासखंड अंतर्गत शासन द्वारा कुल कितने हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित हैं ? (ख) कंडिका “क” के संचालित विद्यालयों में से कितने विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान किये जाने की सुविधा उपलब्ध है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) आरंग विकासखंड अंतर्गत शासन द्वारा कुल 15 शासकीय हाई स्कूल एवं 28 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं। जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है। (ख) संचालित कुल 43 विद्यालयों में से 23 विद्यालयों में आई.सी.टी. योजनांतर्गत कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है।

कोन्टा परियोजना में विशेष केन्द्रीय सहायता मद से कराये गये विकास कार्य

22. (क्र. 760) **श्री कवासी लखमा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011 से मई 2015 तक कोन्टा परियोजना में विशेष केन्द्रीय सहायता मद से कौन-कौन से कार्य किये गये ? वर्षवार लागत सहित जानकारी दें ? (ख) परियोजना में कौन-कौन सदस्य हैं तथा परियोजना की बैठक कब-कब आयोजित की गई ? (ग) कितने कार्य पूर्ण हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” के कॉलम 1 से 5 में दर्शित है। (ख) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोन्टा हेतु गठित परियोजना सलाहकार मंडल के सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“दो” पर संलग्न है। आयोजित बैठक की तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	बैठक दिनांक
1.	14-07-2010
2.	07-06-2011
3.	22-09-2011
4.	10-12-2012

(ग) पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” के कॉलम 6 एवं 7 में दर्शित है।

आदिवासी विकास परियोजना के तहत महासमुंद जिले में स्वीकृत राशि

23. (क्र. 783) **श्री रामलाल चौहान** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी विकास परियोजना से महासमुंद जिले के लिए वर्ष 2012 से 31-5-2015 की अवधि में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) प्राप्त राशि को किस-किस कार्य हेतु व्यय किया गया ? 31-5-2015 तक कितने कार्य पूर्ण तथा अपूर्ण हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) आदिवासी विकास परियोजना महासमुंद जिले के लिए प्रश्नाधीन अवधि में निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है :-

क्र.	वर्ष	परियोजना/माडा	प्राप्त राशि (लाखों में)
1.	2011-12	माडा महासमुंद-01	184.95
		माडा महासमुंद-02	112.81
2.	2012-13	माडा महासमुंद-01	172.04
		माडा महासमुंद-02	118.81
3.	2013-14	माडा महासमुंद-01	172.44
		माडा महासमुंद-02	118.40
4.	2014-15	माडा महासमुंद-01	92.252
		माडा महासमुंद-02	66.02
5.	2015-16 (31-05-2015 तक)	माडा महासमुंद-01	0.00
		माडा महासमुंद-02	0.00

(ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

जिला महासमुंद में प्रो.पो. मैट्रिकोत्तर छात्रावास भवनों के निर्माण की स्थिति

24. (क्र. 784) **श्री रामलाल चौहान** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012, 2013, 2014 एवं 31-5-2015 तक की स्थिति में महासमुंद जिले में विभाग ने कहां-कहां प्रो. पोस्ट मैट्रिकोत्तर छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति दी ? लागत सहित ब्यौरा देवें ? (ख) कंडिका “क” के छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए कब-कब टेण्डर किये गये और किन-किन ठेकेदारों को कार्यादेश कब-कब जारी किया गया ? (ग) कंडिका “क” के भवन निर्माण के लिये क्या समय-सीमा निर्धारित थी ? क्या समय-सीमा में भवन निर्माण पूर्ण किया गया ? यदि नहीं तो अधुरे छात्रावास भवनों का ब्यौरा पृथक-पृथक देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2012, 2014 एवं वर्ष 2015 में 31-5-2015 तक कोई भी छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है. वर्ष 2013 में 16 प्री. मै. छात्रावास एवं 02 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है. छात्रावास का नाम एवं लागत सहित जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. (ग) जी हां, समय सीमा निर्धारित थी. जी नहीं. अधुरे छात्रावास भवनों का ब्यौरा †† संलग्न प्रपत्र “स” पर है.

रायगढ़ जिला में माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन

25. (क्र. 815) **श्री उमेश पटेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 से 29-06-2015 अवधि तक रायगढ़ जिले में कितनी माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया है ? विकासखण्डवार वर्षवार जानकारी देवें. (ख) क्या खरसिया विकासखण्ड में कोई हाई स्कूल बिना स्वीकृति के संचालित है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 29-06-2015 अवधि तक 25 माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन किया गया है. उन्नयन किये गये शालाओं की विकासखण्डवार व वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जी नहीं.

नगर पंचायत अंतागढ़ में वन अधिकार पट्टों का वितरण

26. (क्र. 832) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की अंतागढ़ नगर पंचायत के अन्तर्गत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग किन-किन लोगों को 75 वर्ष का बिज नहीं होने के बाद भी वन अधिकार पट्टा वितरण किया गया है ? (ख) क्या इन पट्टा धारण करने वालों में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं ? (ग) वन अधिकार पट्टा धारण करने वालों की पात्रता के लिये सरकार ने कौन-कौन से नियम बनाये हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला उत्तर बस्तर कांकेर में अंतागढ़ नगर पंचायत का गठन दिनांक 30-09-2008 को किया गया है. नगर पंचायत का गठन पश्चात् सामान्य/पिछड़ा वर्ग एवं अन्य किसी भी वर्ग के किसी भी हितग्राही को वनाधिकार पट्टा वितरण नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में जानकारी निरंक है. (ग) वन अधिकार पट्टा धारण करने वालों की पात्रता के लिये सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2007 तथा संशोधन नियम-2012 लागू किया गया है.

जिला कबीरधाम में ई.आर.एम. के तहत नहर निर्माण कार्य की स्वीकृति

27. (क्र. 852) **श्री अशोक साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले में ई.आर.एम. के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कहां-कहां कितनी लंबाई की कच्ची एवं पक्की नहर मरम्मत निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई ? (ख) प्रश्नांक “क” में कितना निर्माण कार्य पूर्ण है एवं कितने अपूर्ण हैं ? कृपया वर्षवार जानकारी देने की कृपा करें ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) कबीरधाम जिले में ई.आर.एम. के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कोई भी कच्ची एवं पक्की नहर मरम्मत तथा निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है. (ख) उपरोक्त “क” के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र से स्कूलों के उन्नयन के प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही

28. (क्र. 873) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन के प्रस्ताव विभाग द्वारा शासन को भेजे गये हैं ? यदि हां तो, कहां-कहां, कब और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ? कब तक उन्नयन कर दिया जायेगा ? (ख) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनविहीन हैं और कब तक भवन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? (ग) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने छात्र छात्राओं को गणवेश वितरित किया जाना था एवं इनके विरुद्ध कितनों को वितरित किया गया है स्कूलवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां. शाला उन्नयन के प्रस्ताव † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी भवन विहीन शालाएं † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. भवन विहीन शालाओं के भवन स्वीकृत होने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 32732 एवं वर्ष 2015-16 में 31406 छात्रों को गणवेश वितरण किया जाना है. इसके विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 32732 छात्रों को गणवेश वितरण किया गया. † संलग्न प्रपत्र “स” पर है. वर्ष 2015-16 में छात्रों को गणवेश वितरण नहीं किया गया है वर्तमान में गणवेश के सिलाई का कार्य प्रचलन में है. शालावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “द” पर है.

जिला राजनांदगांव को प्रधानपाठ बैराज निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

29. (क्र. 876) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव में प्रधानपाठ बैराज निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु कब-कब स्वीकृत की गई ? बैराज निर्माण हेतु निविदा कब आमंत्रित की गई ? (ख) कार्य प्रारंभ करने तथा समाप्ति की अवधि क्या-क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जिला राजनांदगांव विकासखंड खैरागढ़ के अंतर्गत प्रधानपाठ बैराज के शीर्ष कार्य एवं

नहर निर्माण हेतु दिनांक 29-09-2006 को रु. 1887.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा दिनांक 06-12-2009 को रु. 3561.28 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई. बैराज निर्माण हेतु विभिन्न निविदाओं के आमंत्रण की तिथि संबंधी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) कार्य प्रारंभ करने तथा समाप्ति की अवधि संबंधी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में नहर लाईनिंग कार्य हेतु व्यय राशि

30. (क्र. 882) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के नहर निर्माण में किस-किस नहर में लाईनिंग का निर्माण कार्य चल रहा है ? माईनर का नाम सहित जानकारी दें. (ख) प्रश्नांश “क” के अंतर्गत निर्मित नहर में दिनांक 29-06-2015 तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? कार्यवार जानकारी दें एवं कार्य पूर्ण करने का समय क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत नहरों में चल रहे लाईनिंग कार्य का विस्तृत विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांक “क” के अंतर्गत नहरों में दिनांक 29-06-2015 तक कुल राशि रु. 1984.96 लाख व्यय की जा चुकी है. कार्यवार व्यय तथा कार्य पूर्ण करने की समयावधि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, रायपुर में भर्ती में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच

31. (क्र. 895) **श्री भूपेश बघेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 में आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, रायपुर द्वारा किन-किन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन कब जारी किये गये थे ? अंतिम चयन सूची कब जारी की गई ? (ख) क्या उक्त नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होने पर कोई जांच समिति बनाई गई थी ? यदि हां तो जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई ? (ग) जांच प्रतिवेदन में किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी पाया गया ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2012-13 में आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, रायपुर द्वारा सहायक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, शीघ्रलेखक ग्रेड-03, स्टेनों टायपिस्ट, सहायक ग्रेड-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 02-02-2012 को जारी किया गया था, तत्पश्चात दिनांक 16-02-2012 तथा दिनांक 25-02-2012 को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया. अंतिम चयन सूची दिनांक 26-10-2012 को जारी की गई. (ख) जी हां, जांच समिति द्वारा दिनांक 05-03-2015 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. (ग) जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते हैं :-

- (1) श्री एम. एस. परस्ते, तत्कालीन आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़
- (2) श्रीमती शारदा वर्मा, तत्कालीन अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़
- (3) श्री आर. एस. सिंह, उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़
- (4) श्री एल. के. गुप्ता, तत्कालीन संचालक, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़.
- (5) श्री डी. एस. ध्रुव, तत्कालीन उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ (वर्तमान में दिवंगत)
- (6) श्रीमती दीप्ती बैनर्जी, उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़
- (7) श्री के. के. तिवारी, सहायक ग्रेड-1, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

बैराजों से उद्योगों को जल आपूर्ति

32. (क्र. 904) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्थापित उद्योगों को पानी देने के लिए किन-किन नदियों में बैराज बनाकर वर्तमान में कितना-कितना पानी दिया जा रहा है ? (ख) बैराज किन-किन नदियों में कहां-कहां पर कितनी-कितनी क्षमता का कब-कब बनाया गया है ? (ग) क्या बैराज बनाये जाने के पूर्व डूबान क्षेत्र का सर्वे किया गया है ? यदि हां तो कितने गांवों को कितनी भूमि डूबान क्षेत्र में आ रही है ? डूबान क्षेत्र में आने वाली भूमि का मुआवजा प्रभावितों को दिया गया है ? क्या प्रभावितों का पुनर्वास कराया जा चुका है ? यदि नहीं तो कब तक करा लिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रदेश में स्थापित उद्योगों को पानी देने के लिए जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ग्राम दर्री, जिला-कोरबा में हसदेव नदी पर हसदेव बैराज निर्मित है तथा कुदरी बैराज निर्माणाधीन है. महानदी में 6 बैराज क्रमशः समोदा बैराज, शिवरीनारायण बैराज, बंसतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, साराडीह बैराज एवं कलमा बैराज निर्माणाधीन है. वर्तमान में बैराजों से जल प्रदाय की मात्रा का संस्थानवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) हसदेव नदी एवं महानदी पर निर्मित एवं निर्माणाधीन बैराजों की जल संग्रहण क्षमता एवं निर्माण वर्ष की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ग) जी हां, बैराजों के निर्माण के पूर्व डूबान का सर्वे किया गया था. प्राप्त जानकारी अनुसार दर्री/कोरबा में हसदेव नदी पर निर्मित बैराज में 18 गांवों की 877.93 हेक्टेयर निजी भूमि, 744.85 हेक्टेयर शासकीय भूमि तथा 622.15 हेक्टेयर वनभूमि कुल 2244.93 हेक्टेयर भूमि डूबान क्षेत्र में आई है. बैराज के डूबान क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का मुआवजा प्रभावितों को दिया जा चुका है तथा प्रभावितों को तत्समय नियमानुसार पुनर्वास संबंधी कार्यवाही की जा चुकी है. निर्माणाधीन 07 बैराजों में डूबान से कोई भी विस्थापित नहीं हुआ है अतः पुनर्वास आवश्यक नहीं है. निर्माणाधीन 07 बैराजों के डूबान क्षेत्र में आने वाली भूमि का मुआवजा प्रक्रियाधीन है. निर्मित व निर्माणाधीन बैराजों में मुआवजा से संबंधित जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के तहत बंद की जाने वाली शालाएँ

33. (क्र. 909) **श्री दीपक बैज** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत बंद करने का निर्णय लिया गया है ? (जिलेवार जानकारी देवें). (ख) प्रश्नांश “क” में विभाग द्वारा स्कूलों को किस आधार पर बंद करने का निर्णय लिया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) छ.ग. प्रदेश स्तर पर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत कुल 2918 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है. जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ख) युक्तियुक्तकरण की नीति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है.

खरीफ वर्ष 2015-16 हेतु कृषकों को बीज का वितरण

34. (क्र. 913) **श्री भोलाराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में खरीफ वर्ष 2015-16 में दिनांक 30-06-2015 की स्थिति में कृषकों को वितरण हेतु शासन के पास कौन-कौन सी किस्म के हाईब्रिड बीज, कितनी-कितनी मात्रा में, कहां-कहां उपलब्ध है ? (ख) क्या इन बीजों की प्रमाणिकता की जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा कहां-कहां जांच की गई है एवं बीजों में कितने प्रतिशत उत्पादकता पाई गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले में खरीफ 2015-16 में दिनांक 30-06-2015 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा 423.88 क्विंटल संकर धान एवं 80 क्विंटल संकर मक्का बीज 9 विकासखंडों में भंडारित किया गया है, विकासखंडवार एवं किस्मवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित संकर धान बीज के नमूने जांच हेतु पादप आण्विक जीवविज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को प्रेषित किये गये हैं, जिनके परिणाम अपेक्षित हैं. बीज परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर में संकर मक्का के नमूने की जांच में अंकुरण 91 प्रतिशत पाया गया.

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नेट हाऊस निर्माण के मापदण्ड

35. (क्र. 921) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सब्जी की नर्सरी के लिए नेट हाऊस लगाए जाने के योजना के तहत प्रदेश में कुल कितने स्थानों पर नेट हाऊस लगाए गए हैं ? जिलेवार जानकारी देवें. (ख) नेट हाऊस बनाए जाने के पात्रता एवं मापदण्ड क्या-क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के घटक संरक्षित खेती के तहत प्रदेश के कुल 15 जिलों के आश्रित ग्रामों में नेट हाऊस लगाए गए हैं. जिलावार एवं स्थलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ख) वर्ष 2014-15 में नेट हाऊस बनाये जाने के पात्रता एवं मापदण्ड भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के द्वारा जारी एकीकृत बागवानी विकास मिशन संचालन संबंधी मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 45, 46, 47 एवं 48 में निहित प्रावधान अनुसार हैं. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है.

राजनांदगांव में नवीन शालाओं का प्रारंभ

36. (क्र. 922) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004 से दिनांक 30-06-2015 तक राजनांदगांव में कितनी नवीन शाला खोली गई ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें. (ख) प्रश्नांश “क” में से कितनी शालाओं को बंद करने के आदेश दिनांक 30-06-2015 तक दिए गए हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी देवें.

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2004 से दिनांक 30-06-2015 तक खोली गई नवीन शाला की विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) प्रश्नांश “क” में से दिनांक 30-06-2015 तक 02 प्राथमिक शालाएं एवं 06 पूर्व माध्यमिक शालाओं को युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत बन्द करने के आदेश दिये गये. विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं हेतु आवंटित राशि

37. (क्र. 959) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 से जून 2015 तक किन-किन सिंचाई योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? वर्षवार योजनावार ग्राम के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें. (ख) उक्त आवंटित राशि में से कितनी राशि किन-किन योजनाओं के रखरखाव/मरम्मत कार्य हेतु व्यय की गई ? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें. (ग) प्रश्नांश “क” एवं “ख” की योजनाओं एवं मरम्मत कार्यों में किसी अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 से जून 2015 तक निर्माणाधीन कार्य हेतु राशि रु. 2874.00 लाख, रखरखाव/मरम्मत कार्य हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत राशि रु. 161.24 लाख एवं जल उपभोक्ता संथाओं को राशि रु. 15.20 लाख आवंटित की गई है. वर्षवार, योजनावार, ग्रामवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब”, एवं “स” में है. (ख) निर्माणाधीन योजनाओं को आवंटित राशि में से कोई भी राशि योजनाओं के रखरखाव/मरम्मत कार्य पर व्यय नहीं किया गया है. मनरेगा हेतु आवंटित राशि में से रु. 156.10 लाख एवं जल उपभोक्ता संथाओं को आवंटित राशि में से राशि रु. 15.20 लाख व्यय किया गया है. ग्रामवार व्यय राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” एवं “स” में है. (ग) प्रश्नांश “क” एवं “ख” के अनुसार वर्णित योजनाओं एवं मरम्मत कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई.

महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण संभाग रायपुर द्वारा आमंत्रित निविदाओं के अधूरे छोड़े कार्यों की जानकारी

38. (क्र. 963) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण संभाग रायपुर द्वारा आमंत्रित कितनी निविदाओं में भू-अर्जन नहीं होने के कारण ठेकेदारों द्वारा आधी-अधूरी छोड़ दी गई एवं इन पर कितना व्यय हुआ है ? (ख) अधूरी छोड़ी गई निविदाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक भू-अर्जन विभाग द्वारा कब तक कर लिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर द्वारा आमंत्रित 05 निविदाओं में भू-अर्जन नहीं होने के कारण ठेकेदारों द्वारा आधी-अधूरी छोड़ दी गई एवं इन पर रु. 24.05 करोड़ व्यय हुआ है. निविदावार जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र. (1)	कार्य का नाम (2)	व्यय (राशि रु. करोड़ में) (3)
1.	राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य कि.मी. 12.25 से कि.मी. 31.33 तक.	4.95

(1)	(2)	(3)
2.	राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य कि.मी. 31.33 से कि.मी. 44.77 तक.	7.63
3.	राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य कि.मी. 44.77 से कि.मी. 49.99 तक.	4.29
4.	राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य कि.मी. 49.99 से कि.मी. 61.30 तक.	1.66
5.	राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य कि.मी. 61.30 से कि.मी. 69.28 तक.	5.52

(ख) राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण की मुख्य नहर से संबंधित सभी आवश्यक भू-अर्जन प्रकरण संबंधित भू-अर्जन अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिये गये हैं. जिनमें भू-अर्जन अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. भू-अर्जन प्रक्रियाओं की समय-सीमा निश्चित बतलाया जाना संभव नहीं है.

स्कूली बच्चों को गणवेश वितरण की समय सीमा हेतु जारी निर्देश

39. (क्र. 966) श्री देवजी भाई पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षणिक सत्र 2015-16 में स्कूली बच्चों को गणवेश वितरण स्कूल खुलने के कितने दिन के भीतर दिए जाने का निर्देश है ? (ख) कंडिका "क" के निर्देशों का परिपालन किन-किन जिलों में सुनिश्चित किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) कंडिका "क" के गणवेश के लिए राशि किनको किन शर्तों के आधार पर आवंटित की गयी है ? क्या इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लिए जाने की बाध्यता है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) गणवेश वितरण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, किन्तु शाला प्रारंभ होते ही गणवेश वितरण करने का प्रयास किया जाता है. (ख) कंडिका "क" के अनुक्रम में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को गणवेश के प्रदाय हेतु राज्य कार्यालय से जिलों की मांग के आधार पर छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा गणवेश वस्त्र की आपूर्ति की जाती है. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गणवेश हेतु शाला प्रबंध समिति को भारत शासन से गाइड लाईन के आधार पर राशि आवंटित की गई है. जी हां. केवल सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र लेने की बाध्यता है.

पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्टों की चल-अचल संपत्ति

40. (क्र. 967) श्री देवजी भाई पटेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर बलौदाबाजार व दुर्ग के अंतर्गत कितने-कितने सार्वजनिक ट्रस्ट कब से पंजीकृत है नाम व पता सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका "क" के ट्रस्ट के पक्ष में कितनी-कितनी चल-अचल संपत्ति 31 मार्च 2014 की स्थिति में कहां-कहां स्थित है ? क्या इन ट्रस्टों द्वारा नियमित ऑडिट (अंकेक्षण) कराया जा रहा है, यदि नहीं तो क्यों ? (ग) कंडिका "क" के किन-किन ट्रस्टों में आर्थिक अनियमितता किए जाने की शिकायतें मिली हैं, और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जिला रायपुर, बलौदाबाजार व दुर्ग के अंतर्गत कुल 491 सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीकृत हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 06 एवं कॉलम 07 पर अंकित है. जी हां. (ग) ट्रस्टों में आर्थिक अनियमितता के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

राजिम विधान सभा क्षेत्र में जलाशय/स्टॉपडेम एवं नहरों के मरम्मत के स्वीकृत कार्य

41. (क्र. 972) **श्री संतोष उपाध्याय** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजिम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 25 जून, 2015 की स्थिति कौन-कौन से जलाशय/स्टॉपडेम एवं अन्य सिंचाई योजना एवं नहरों के मरम्मत कार्य कुल कितनी-कितनी राशि के कब-कब स्वीकृत किये गये ? कार्य एजेन्सी कौन है ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य कहां-कहां के पूर्ण हुए तथा कितने कार्य कहां-कहां के अपूर्ण हैं तथा क्यों ? (ग) निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण संबंधित एजेंसी के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों एवं अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) राजिम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 25 जून 2015 की स्थिति में जलाशय, स्टॉपडेम/एनीकट, अन्य सिंचाई योजना एवं नहरों के मरम्मत कार्य की योजनावार एवं तिथिवार स्वीकृत राशि तथा कार्य एजेंसी की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” के अंतर्गत पूर्ण/अपूर्ण संबंधी योजनावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण संबंधित एजेंसी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. एक कार्य (परसदा डिस्ट्रीब्यूटरी का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य) अनुबंध के अनुसार दी गई समयावधि के अंतर्गत निर्माणाधीन है, अतः संबंधित एजेंसी के ऊपर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. इस कार्य को अनुबंध के अनुसार दिनांक 08-12-2016 तक पूर्ण कर लिया जावेगा.

अताराकित प्रश्नोत्तर

जिला बस्तर में आर. के. व्ही. वाय. योजनान्तर्गत तालाब निर्माण हेतु आवंटित राशि एवं हितग्राहियों का चयन

1. (क्र. 107) **श्री संतोष बाफना** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर को आर. के. व्ही. वाय. योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है ? (ख) आर. के. व्ही. वाय. योजना में हितग्राहियों के चयन का आधार क्या है ? (ग) कंडिका “क” के आवंटन में कितने हितग्राहियों का चयन किया गया ? (घ) कंडिका “क” के कार्यों की मॉनिटरिंग किनके द्वारा की गई ? क्या समय सीमा में तालाब निर्माण कार्य पूर्ण किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जिला बस्तर को आर. के. व्ही. वाय. योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण हेतु 32.68 लाख रुपये (बत्तीस लाख अड़सठ हजार रुपये) की राशि अनुदान के रूप में आवंटित की गई है. (ख) समाज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला और कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है. (ग) कंडिका “क” के आवंटन में आर.के. व्ही. वाय. योजनान्तर्गत स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण हेतु वर्ष 2011-12 में 8 हितग्राहियों, वर्ष 2012-13 में 7 हितग्राहियों, वर्ष 2013-14 में निरंक एवं वर्ष 2014-15 में 3 हितग्राहियों, कुल 18 हितग्राहियों का चयन किया गया. (घ) विकासखंड तथा जिले में पदस्थ मछली विभाग के अधिकारी द्वारा 15 तालाबों का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया गया, शेष 3 तालाबों का निर्माण कार्य अपूर्ण है, क्योंकि 2 कृषकों के ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् बैंक द्वारा ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया एवं एक कृषक की मृत्यु हो गयी है.

बस्तर जिले में राष्ट्रीय दलहन एवं तिलहन विकास योजनान्तर्गत व्यय राशि

2. (क्र. 108) **श्री संतोष बाफना** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में दलहन एवं तिलहन का रकबा कितना है ? विकासखण्डवार बताएँ. (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वर्ष में दिनांक 30 जून, 2015 तक बस्तर जिला में राष्ट्रीय दलहन एवं तिलहन विकास योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष किस-किस कार्य पर कितनी राशि खर्च हुई ? विकासखण्डवार बताएँ.

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) बस्तर जिले में दलहनी एवं तिलहनी फसलों का कुल रकबा 36,135 हेक्टेयर है. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन, आईसोपाम एवं नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एवं ऑयलपाम मिनिमिशन-1 के अंतर्गत कार्यवार व्यय का वर्षवार एवं विकासखंडवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब”, “स” एवं “द” पर है.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत शाला भवन निर्माण कार्य

3. (क्र. 144) **श्री सियाराम कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से 31 मई, 2015 तक कितने प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) शाला भवन निर्माण की ग्रामवार पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ रहने के संबंध में जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से 31 मई 2015 तक 02 उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं. प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूल के भवन स्वीकृत नहीं हुए हैं. (ख) शाला भवन निर्माण की ग्रामवार पूर्ण/अपूर्ण अप्रारंभ रहने के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :- 1. शासकीय उच्च. माध्य. शाला बावली-डोर लेंटर तक पूर्ण. 2. शासकीय उच्च. माध्य. शाला सिलतरा-निर्माण कार्य पूर्ण.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में कृषि यंत्र का प्रदाय

4. (क्र. 145) **श्री सियाराम कौशिक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2013-14 से 31 मई, 2015 तक कृषि विभाग द्वारा कितने किसानों को कृषि यंत्र एवं अन्य यंत्र प्रदान किये गये हैं ? (ख) उक्त यंत्र के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में बिल्हा विधान सभा क्षेत्र से संबंधित बिल्हा एवं पथरिया विकासखंडों में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनांतर्गत 396 किसानों द्वारा कृषि यंत्र क्रय करने पर अनुदान प्रदाय किया गया है. (ख) उक्त यंत्रों के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के दौरान किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही यंत्र क्रय करते समय प्रदायक द्वारा यंत्र के संचालन एवं रख-रखाव के संबंध में कृषक को जानकारी दी जाती है.

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गणवेश की खरीदी/आपूर्ति

5. (क्र. 161) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा सत्र 2015-16 के लिए बालोद जिले को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गणवेश खरीदी हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? विकासखंडवार जानकारी दें. (ख) भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में गणवेश क्रय किसके माध्यम से किया जाना है ? क्या सर्वशिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क वितरण हेतु गणवेश की खरीदी/आपूर्ति के लिए शासन द्वारा किसी फर्म को अधिकृत किया गया है ? यदि हां तो, किसे ? (ग) क्या बालोद जिले में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शासन द्वारा अधिकृत फर्म से ही गणवेश खरीदी की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) शिक्षा सत्र 2015-16 में बालोद जिले को कुल रुपये 2,79,79,200.00 (रुपये दो करोड़ उन्चासी लाख उन्चासी हजार दो सौ मात्र) स्वीकृत की गई है. विकासखण्डवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखंड का नाम	कुल राशि
1.	बालोद	4332800.00
2.	डौणडी	4202400.00
3.	डौणडी लोहारा	7037200.00
4.	गुण्डरदेही	6818400.00
5.	गुरुर	5588400.00
योग		2,79,79,200.00

उपरोक्त राशि शाला प्रबंधन समिति के खाते में अंतरित की गई है. (ख) भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में गणवेश क्रय शाला प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना है. सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शासन द्वारा किसी भी फर्म/संस्था को अधिकृत नहीं किया गया है. (ग) शासन द्वारा कोई फर्म अधिकृत नहीं की गई है.

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रधान पाठक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

6. (क्र. 165) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के प्राथमिक शाला एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रधानपाठक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद कितने-कितने हैं ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रदेश के प्राथमिक शाला एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रधान पाठक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) पदोन्नति के पदों में पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है. सीधी भर्ती के पदों को भरने पर शासन द्वारा प्रतिबंध है, इसलिए भर्ती नहीं की जा रही है. रिक्त पदों को भरने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत स्टाप डेम, एनीकट निर्माण की स्वीकृति

7. (क्र. 177) **श्री चुन्नीलाल साहू** (अकलतरा) : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 में जांजगीर-चांपा जिला के अंतर्गत कितने स्थान पर स्टापडेम, एनीकट का निर्माण करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) उक्त स्वीकृत कार्य का टेंडर कब किया गया तथा किन-किन एजेंसी को उक्त कार्यों का कार्यादेश कब प्रदान किया गया ? (ग) उक्त स्वीकृत कार्य में से कितने स्थान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जांजगीर-चांपा जिला के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में 02, वर्ष 2012-13 में 09 तथा वर्ष 2013-14 में 09 कुल 20 स्थानों पर एनीकट निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त अवधि में स्टापडेम के निर्माण करने हेतु कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रण, एजेन्सी का नाम तथा कार्यादेश संबंधी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ग) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 09 स्थानों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जिला बालोद अंतर्गत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना डौण्डीलोहारा में स्वीकृत एवं व्यय राशि

8. (क्र. 187) **श्रीमती अनिला भेड़िया** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला के अंतर्गत एकीकृत आदिवासी परियोजना डौण्डीलोहारा को वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कौन-कौन से मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) वर्षवार प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ? कितने कार्य पूर्ण कितने अपूर्ण हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता मद		संविधान के अनुच्छेद 275 (1) मद	
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	2012-13	275.03	256.73	170.50	164.70
2.	2013-14	269.425	252.825	161.39	124.817
3.	2014-15	128.29	20.15	63.861	0.000

(ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है।

कोरेटीटोला (करैगांव) बांध नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों को मुआवजा का भुगतान

9. (क्र. 195) **श्रीमती अनिला भेड़िया** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डौण्डीलौहारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कोरेटीटोला (करैगांव) बांध के नहर निर्माण में कितने कृषकों की कितनी जमीन डुबान में प्रभावित हुई हैं ? (ख) क्या प्रभावित कृषकों को जमीन के मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक भुगतान किया जाएगा ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोरेटीटोला (करैगांव) बांध एवं नहर निर्माण में वर्तमान में कुल 61 कृषकों की 35.45 हेक्टेयर निजी भूमि प्रभावित हुई है। (ख) योजना के डुबान से प्रभावित 33 कृषकों की कुल 31.90 हेक्टेयर निजी भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। ग्राम करैगांव के कुछ ग्रामवासियों द्वारा नहर के निर्धारित पूर्ण लम्बाई में निर्माण का विरोध किये जाने के फलस्वरूप नहर निर्माण से प्रभावित होने वाले 28 कृषकों की 3.55 हेक्टेयर निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण तैयार होना प्रगति पर है। मुआवजा भुगतान की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

मरवाही विधान सभा क्षेत्र में धान बीज एवं खाद्य का भण्डारण

10. (क्र. 212) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मरवाही विधान सभा क्षेत्र में धान बीज एवं खाद्य का भण्डारण क्षेत्र के किसानों के मांग के अनुरूप किया गया है ? (ख) यदि हां तो क्षेत्र में किस्मवार कितना धान एवं कितने खाद्यों का भण्डारण एवं वितरण किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जी हां, विभागीय अमले द्वारा कृषकों की आंकलित मांग के अनुसार बीज एवं उर्वरक का भण्डारण किया गया है. (ख) मरवाही विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समितियों में खरीफ 2015 हेतु किस्मवार धान बीज एवं उर्वरक के भण्डारण एवं वितरण की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” पर है.

जिला कोण्डगांव में कृषकों को ड्रिप इरीगेशन योजना हेतु वितरित अनुदान

11. (क्र. 257) **श्री संतराम नेताम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोण्डगांव जिले में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में 29-06-2015 कितने किसानों को ड्रिप इरीगेशन योजना का लाभ पहुंचाया गया व कितनी अनुदान राशि वितरित की गई ? जानकारी विकासखण्डवार दें.

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : कोण्डगांव जिले में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में 29-06-2015 तक ड्रिप इरीगेशन योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की वर्षवार/विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

कोण्डगांव जिला अन्तर्गत हितग्राही कृषकों को मिनिंकिट एवं खाद बीज का वितरण

12. (क्र. 258) **श्री संतराम नेताम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र पोषित योजना तथा राज्य पोषित योजना अंतर्गत कोण्डगांव जिले में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में (20 जून, 2015 की स्थिति में) कब-कब कितने हितग्राही किसानों को मिनिंकिट एवं खाद बीज का निःशुल्क वितरण किया गया तथा अनुदान के रूप में दिया गया ? विकासखण्डवार जानकारी दें.

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : कृषि विभाग द्वारा संचालित केन्द्र पोषित योजना तथा राज्य पोषित योजना अन्तर्गत कोण्डगांव जिले में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में (20 जून 2015 की स्थिति में) किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में निःशुल्क वितरित मिनिंकिट एवं उर्वरक का विकासखण्डवार विवरण निम्नानुसार है :-

योजना नाम	विकासखंड	हितग्राही संख्या		
		2013-14	2014-15	2015-16
केन्द्र पोषित योजना	कोण्डगांव	19509	13145	3256
	फरसगांव	16130	9305	650
	माकड़ी	14640	11633	2020
	केशकाल	10425	12400	2780
	बड़ेराजपुर	10228	7558	2510
	योग	70932	54041	11216
राज्य पोषित	कोण्डगांव	7056	4950	-
	फरसगांव	6350	6559	-
	माकड़ी	7440	7106	-
	केशकाल	7195	6615	-
	बड़ेराजपुर	7157	6754	-
	योग	35198	31984	-

कोण्डागांव जिले में निर्मित सिंचाई परियोजनाएं

13. (क्र. 277) **श्री मोहन मरकाम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में वर्ष 2010 से 2013 के मध्य कितनी वृहद, लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना किन-किन मदों से निर्मित की गई हैं एवं सिंचाई परियोजनाओं/बांधों से कितने हेक्टेयर, गांव तथा कृषकों को लाभ मिल रहा है ? वर्षवार सिंचाई परियोजना अनुसार जानकारी दी जाए. (ख) क्या इन सिंचाई परियोजनाओं/बांधों के नहरों के पक्कीकरण/मरम्मत के कार्य हेतु राशि स्वीकृत हुई ? यदि हां तो किन सिंचाई परियोजनाओं/बांधों के लिए कितनी-कितनी ? (ग) कंडिका “ख” के अनुसार कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) कोण्डागांव जिले में वर्ष 2010 से 2013 के मध्य कोई भी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना निर्मित नहीं की गई. उक्त अवधि में मात्र एक लघु सिंचाई योजना “भण्डारसिवनी उद्वहन सिंचाई योजना” नाबार्ड मद के अंतर्गत मार्च 2013 में पूर्ण की गई है. इस योजना से यथा वर्ष 2012-13 में 100 हेक्टेयर खरीफ एवं 30 हेक्टेयर रबी कुल 130 हेक्टेयर में ग्राम भंडारसिवनी तथा मोहलई के 270 कृषकों ने सिंचाई लाभ प्राप्त किया. (ख) जी नहीं. (ग) अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

कोण्डागांव जिले में पशु चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर हेतु आवंटित राशि

14. (क्र. 278) **श्री मोहन मरकाम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में कितने पशु औषधालय कहां-कहां संचालित है ? औषधालयों को वर्ष 2012, 2013, 2014 में वर्षवार पशु चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर हेतु कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) कंडिका “क” के अनुसार संचालित पशु औषधालयों द्वारा 25-06-2015 अवधि में पशु चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर कब-कब, कहां-कहां आयोजित किये गये ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) कोण्डागांव जिले में 26 पशु औषधालय संचालित है. ग्राम वार सूची † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. औषधालयों को वर्ष 2012, 2013, 2014 में वर्षवार पशु चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर हेतु राशि आवंटित नहीं की गई है. (ख) कंडिका “क” के अनुसार संचालित पशु औषधालयों द्वारा 25-06-2015 की अवधि में आयोजित पशु चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है.

महासमुन्द जिले में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित मिनी शालाएं.

15. (क्र. 299) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में कितने निजी शालाएं संचालित है, इनमें से कितने को मान्यता प्राप्त है ? (ख) मान्यता अप्राप्त शालाओं पर शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) महासमुन्द जिले में 205 निजी शालाएं संचालित है. इनमें सभी शालाएं मान्यता प्राप्त हैं. (ख) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

महासमुन्द जिले को माडा पैकेट योजना के तहत आवंटित राशि

16. (क्र. 300) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले के उद्यानिकी विभाग में सन् 2006-07 में माडा पैकेट योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई. (ख) इस राशि के गबन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई.

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) महासमुन्द जिले के उद्यानिकी विभाग में सन् 2006-07 में माडा पैकेट योजना अंतर्गत राशि रु. 1,95,000 (रुपये एक लाख पंचानवे हजार मात्र) प्राप्त हुई है. (ख) इस राशि के गबन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार में संचालित बालक/बालिका छात्रावास

17. (क्र. 362) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार के अंतर्गत कुल कितने बालक एवं बालिका छात्रावास संचालित है ? कितने भवन शासकीय है और कितने भवन किराये पर संचालित हो रहे हैं ? (ख) वर्ष 2014-15 एवं चालू वित्त वर्ष में कितनी राशि किराये के रूप में भुगतान की गई ? कृपया छात्रावासवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 08 बालक एवं 05 बालिका कुल 13 छात्रावास संचालित है. 03 छात्रावास भवन शासकीय है और 10 छात्रावास किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं. (ख) वर्ष 2014-15 में रु. 11,14,083/- किराये के रूप में भुगतान किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं की गई है. छात्रावासवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	छात्रावास का नाम	भुगतान की गई किराये की राशि
1.	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बलौदाबाजार	रु. 1,35,377/-
2.	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बलौदाबाजार	रु. 2,40,624/-
3.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बलौदाबाजार	रु. 1,58,878/-
4.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बलौदाबाजार	रु. 3,56,400/-
5.	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बलौदाबाजार	रु. 1,30,612/-
6.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, अर्जुनी	रु. 92,192/-
7.	पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास, बलौदाबाजार	-
8.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, रसेड़ा	-
9.	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, हथबंद	-
10.	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक, छात्रावास, हथबंद	-
योग		रु. 11,14,083/-

विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार में मछली पालन हेतु लीज में प्रदत्त तालाब/जलाशय

18. (क्र. 363) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं चालू वित्त वर्ष में कौन-कौन से तालाब/जलाशय कितनी-कितनी अवधि के लिए किस-किस मछुआरा समिति एवं अन्य को लीज पर किस दर पर दिये गये हैं ? (ख) कंडिका "क" में कितनी-कितनी राशि कब से समितियों से वसूल किया जाना शेष है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रश्नावधि में किसी भी समिति को तालाब/जलाशय पट्टे पर आर्वाइंट नहीं किया गया है. अतः राशि वसूली का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

विधान सभा दंतेवाड़ा में फसल बीमा हेतु अधिकृत शासकीय व निजी कंपनियां

19. (क्र. 400) **श्रीमती देवती कर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र दंतेवाड़ा में कृषकों की फसलों के बीमा करने हेतु वर्ष 2013-14, 2014-15 में किन-किन सरकारी व निजी कंपनियों को अधिकृत किया गया था ? (ख) उनके द्वारा वर्षवार किन-किन फसलों का कितनी-कितनी राशि का बीमा किया ? (ग) क्या बीमित किसान की फसल का 'आपदा'/किन्हीं कारणों से 'नुकसान भरपाई' कंपनी के द्वारा बीमा राशि के एवज में किया गया है ? यदि हां तो किनका ? नाम पता बतावें ? (घ) किन-किन फसलों, बागवानी, उद्यानों, पौधों, रोपणियों का बीमा 'कृषि बीमा' होता है ? नाम विवरण सहित बीमा करने वाली कंपनी के नाम, पते बतावें ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला दंतेवाड़ा में फसल बीमा योजना क्रियान्वयन हेतु अधिकृत बीमा कंपनियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ख) वर्षवार, फसलवार, कंपनीवार फसल बीमा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ग) फसल बीमा कंपनी द्वारा दंतेवाड़ा जिले में खरीफ 2014 में कुल 631 कृषकों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है. (घ) खरीफ मौसम 2015 हेतु राज्य में "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" संचालित है.

जिसके अंतर्गत धान असिंचित, मक्का, मूंगफली, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन फसलें सम्मिलित हैं। इस योजना का क्रियान्वयन “एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड” जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, द्वितीय तल पंडरी, रायपुर द्वारा किया जा रहा है।

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में व्याख्याता (पंचायत) के रिक्त पदों की पूर्ति

20. (क्र. 408) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के व्याख्याता (पंचायत) के कितने पद रिक्त हैं ? शालावार एवं विकासखण्डवार सूची उपलब्ध कराएं ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 41 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 17 गणित, 40 विज्ञान एवं 12 अंग्रेजी विषय के व्याख्याता (पंचायत) के पद रिक्त हैं। विकासखण्डवार एवं शालावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) प्रदेश के जिला पंचायतों द्वारा व्याख्याता (पंचायत) के पदों में नियुक्तियां की जाती हैं। पदपूर्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला सरगुजा अंतर्गत स्कूल ट्रेस सिलाई का प्रदत्त कार्य

21. (क्र. 419) **श्री चिन्तामणी महाराज** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरगुजा जिलान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए स्कूल ट्रेस सिलाई का कार्य विभाग को दिया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 30-06-2015 तक कितनी ट्रेस सिलाई की जा चुकी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्कूलों के युक्तियुक्तकरण हेतु नीति

22. (क्र. 499) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के लिए क्या नीति अपनायी गई है ? युक्तियुक्तकरण के कारण बिलासपुर जिले में कितने स्कूल बंद होंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के लिए अपनाई गई नीति †† संलग्न परिशिष्ट पर है। युक्तियुक्तकरण के कारण बिलासपुर जिले में 187 शालाएँ बंद हुई हैं।

पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हेतु कागज की खरीदी

23. (क्र. 529) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शैक्षणिक वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के लिए छपाई, कागज की खरीदी एवं अन्य कार्यों की निविदा या आपूर्ति का आदेश किस-किस फर्मों को कितनी-कितनी राशि का एवं किस आधार पर दिया गया ? (ख) प्रश्नांश “क” के लिए क्या निविदा बुलायी गई है ? यदि नहीं तो कार्यादेश किन नियमों के तहत किया गया ? (ग) प्रश्नांश “क” में वर्णित पुस्तकों में किस मापदण्ड के कागज का प्रयोग किया गया ? कितनी-कितनी राशि का अग्रिम एवं भुगतान किस-किस फर्म को कब-कब किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) शैक्षणिक सत्र 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए छपाई, कागज की खरीदी एवं अन्य कार्यों की निविदा या आपूर्ति का आदेश का विवरण ‡ संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब”, “स” एवं “द” में है। (ख) जी हाँ, प्रश्नांश “क” के लिए निविदायें आमंत्रित की गई थीं। सत्र 2014-15 एवं 2015-16 में आंतरिक पृष्ठों का कागज डी. जी. एस. एण्ड डी दर पर क्रय किया गया। (ग) प्रश्नांश “द” में वर्णित पुस्तकों में उपयोग किये गये कागज का विवरण एवं भुगतान की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र “द” में दर्शित है।

बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खरीफ फसल बीमा का रकबा

24 (क्र. 664) **डॉ. सनम जांगड़े** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014-15 के खरीफ में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत कुल कितने किसानों की कुल कितने एकड़ फसल का बीमा कराया गया तथा कुल कितनी राशि प्रीमियम के रूप में किसानों से शासन द्वारा जमा कराई गई ? (ख) कुल कितने किसानों को कुल कितनी राशि का फसल बीमा योजना से मुआवजा दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) खरीफ वर्ष 2014 में मौसम आधारित फसल बीमा योजना की ईकाई तहसील थी. बिलाईगढ़ तहसील अंतर्गत वर्ष 2014-15 खरीफ में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 8,077 किसानों की कुल 12,505.25 हेक्टेयर फसल का बीमा कराया गया जिसके लिये बीमा कंपनी द्वारा किसानों से राशि रुपये 1,25,05,252 प्रीमियम के रूप में जमा कराई गई. (ख) योजना के प्रावधान में क्लेम न बनने के कारण से योजनान्तर्गत किसी भी कृषक को दावा भुगतान नहीं किया गया.

विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के अंतर्गत व्याख्याता (पंचायत) के रिक्त पद

25 (क्र. 669) **डॉ. सनम जांगड़े** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के व्याख्याता (पंचायत) के कितने पद रिक्त है ? शालावार एवं विकासखण्डवार सूची उपलब्ध कराये.

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 67 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 61 गणित, 116 विज्ञान एवं 29 अंग्रेजी विषय के व्याख्याता (पंचायत) के पद रिक्त हैं. विकासखण्ड एवं शालावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

छात्र-छात्राओं को निःशुल्क गणवेश का प्रदाय

26 (क्र. 690) **श्री मनोज सिंह मण्डावी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क गणवेश दो-दो सेट प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया था ? (ख) यदि हां तो, भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के किस-किस शाला में दो सेट का वितरण विगत शैक्षणिक सत्र में नहीं किया गया तथा क्यों ? (ग) क्या उक्त के वितरण किये जाने हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी गई थी ? यदि हां तो, दो सेट गणवेश नहीं किये जाने वालों पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हाँ. शासन द्वारा वर्ष 2007-08 से ही 2 सेट गणवेश वितरण किया जा रहा है, तदनुसार वर्ष 2014-15 में भी दो सेट गणवेश दिया गया है. (ख) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के पात्र विद्यार्थियों को दो-दो सेट गणवेश वितरण कर दिया गया है. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) जी हाँ. 2 सेट गणवेश वितरण दिये जाने के कारण शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में मरम्मत योग्य/जर्जर स्थिति के शाला भवन

27 (क्र. 691) **श्री मनोज सिंह मण्डावी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाएं कहां-कहां संचालित है ? विकासखंडवार जानकारी देवे ? (ख) कितनी शालाओं में भवन मरम्मत योग्य/जर्जर स्थिति में है ? तथा वर्ष 2014-15 से 25 जून 2015 की अवधि में भवनों के मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? तथा कितनी-कितनी व्यय की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 873 शालाएं संचालित है. संचालित शालाओं की विकासखंडवार एवं शालावार/स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 16 शाला भवन मरम्मत योग्य/ जर्जर स्थिति में है. वर्ष 2014-15 से 25 जून 2015 की अवधि में भवनों के मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

आयाकट विभाग द्वारा प्रदेश में कृषकों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण का लक्ष्य

28 (क्र. 749) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयाकट विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक कितने कृषकों के भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु किस-किस जिले हेतु कितना लक्ष्य रखा गया था ? लक्ष्य के अनुरूप कितने कृषकों को भ्रमण एवं प्रशिक्षण दिया गया ? भ्रमण हेतु कहां भेजा गया ? जिलेवार संख्या बतावें. (ख) प्रश्नांश “क” के भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु इस वित्तीय वर्ष में जिले के किस-किस विकासखंडों के कितने किसानों को भ्रमण एवं प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) आयाकट विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक कृषकों के भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु जिलेवार लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ति एवं कृषकों को भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु जहां-जहां भेजा गया, की जानकारी †संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) कृषकों के भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिलेवार लक्ष्य निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	कृषकों की संख्या
1.	रायपुर	400
2.	धमतरी	400
3.	बलौदाबाजार	500
4.	महासमुंद	250
5.	बेमेतरा	300
6.	बालोद	550
	योग	2400

आयाकट विभाग के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कृषि कार्य के (खरीफ) समाप्ति पर माह नवम्बर के पश्चात् विकासखंडों के लिए इच्छुक कृषकों के आधार पर लक्ष्य तय किया जावेगा.

जिला सुकमा के कोंटा विकासखंड में छात्रों को वितरित छात्रवृत्ति

29 (क्र. 773) **श्री कवासी लखमा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुकमा के कोंटा विकासखंड में वर्ष 2012 से कितने छात्रों को छात्रवृत्ति किस माध्यम से प्रदान की गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : वर्ष 2012 से 2014-15 तक कुल 22,714 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की गई है. छात्रवृत्ति वितरण के माध्यम की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

जिला सुकमा में संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण

30 (क्र. 774) **श्री कवासी लखमा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सुकमा में संचालित कौन-कौन से शिक्षा संस्थानों, आश्रमों और छात्रावासों में विगत 5 वर्षों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण किया गया है ? तिथिवार बतावें ? इनमें से कितने स्थानों पर कब से बंद है ? (ख) बंद सौर सिस्टम को पुनः कब तक प्रारंभ किया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) यथा संभव शीघ्र, निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत जलाशय, एनीकट एवं स्टाप डेम निर्माण कार्य

31 (क्र. 785) **श्री रामलाल चौहान** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012 से 31-05-2015 तक कितने जलाशय, एनीकट एवं स्टापडेम के निर्माण कार्य कहां-कहां स्वीकृत किये गये हैं ? लागत सहित कार्यवार जानकारी दी जाए. (ख) उक्त स्वीकृत कार्य में से कितने पूर्ण/अपूर्ण हैं ? यदि अपूर्ण है तो कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012 से दिनांक 31-05-2015 तक की अवधि में 01 जलाशय, 03 एनीकट के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है. उक्त अवधि में स्टापडेम निर्माण हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गई है. स्वीकृत कार्यों के स्थान तथा लागत की कार्यवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” के स्वीकृत 04 कार्यों में से 02 कार्य पूर्ण तथा 02 अपूर्ण हैं. अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में लघु सिंचाई नहरों का पक्कीकरण

32. (क्र. 786) **श्री रामलाल चौहान** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजना संचालित है ? (ख) इन सिंचाई योजनाओं/परियोजनाओं/बांधों के नहर के पक्कीकरण कार्य वर्ष 2013 से 31-05-2015 की अवधि में कहां-कहां स्वीकृत है ? (ग) किन-किन ग्रामों के नहरों का पक्कीकरण पूर्ण हो चुका है ? कहां-कहां प्रगति पर है ? किन-किन ग्रामों में नहरों की पक्कीकरण की स्वीकृति होना शेष है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में 22 निर्मित तथा 7 निर्माणाधीन इस तरह कुल 29 लघु सिंचाई परियोजनाएं संचालित है तथा कोई भी मध्यम सिंचाई परियोजना संचालित नहीं है. संचालित योजनाओं के स्थल की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उपरोक्त 29 योजनाओं में से केवल घोरघाटी जलाशय के अंतर्गत ग्राम कोदोपाली में कोदोपाली माईनर के चैन क्र. 0 से 35 तक नहर का पक्कीकरण कार्य वर्ष 2013 से दिनांक 31-05-2015 की अवधि में मनरेगा मद के अंतर्गत स्वीकृत है. (ग) उपरोक्त नहर का पक्कीकरण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है. ग्राम कोदोपाली में कार्य प्रगति पर है. नहरों के पक्कीकरण की स्वीकृति हेतु कोई कार्य शेष नहीं है.

दुर्ग जिला में गणवेश सिलाई हेतु वस्त्र की आपूर्ति एवं गणवेश वितरण

33. (क्र. 803) **राजमहंत सांवलाराम डाहरे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 में गणवेश हेतु कपड़ा किस-किस स्व सहायता समूह में सिलाई हेतु कितना-कितना, कब-कब प्रदान किया गया है ? (ख) क्या गणवेश प्रदान करने के पूर्व गणवेश की गुणवत्ता की जांच की जा रही है ? यदि हां तो, जांच करने वाली समिति/संस्था की जानकारी दें.

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला दुर्ग में वर्ष 2015-16 में गणवेश हेतु कपड़ों की आपूर्ति माह जुलाई 2015 में प्रारम्भ हुआ है, इसलिए अभी स्व-सहायता समूह को सिलाई हेतु कपड़े का वितरण नहीं किया गया है. अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) जी नहीं. कपड़े की आपूर्ति शासन द्वारा अधिकृत नोडल एजेंसी छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा किया जाता है. अतः गणवेश प्रदाय करने के पूर्व पुनः गणवेश की गुणवत्ता की जांच नहीं की जाती है. अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला दुर्ग को बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटित राशि

34. (क्र. 804) **राजमहंत सांवलाराम डाहरे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2014-15 में बालिका प्रोत्साहन के तहत दुर्ग जिले में किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी है ? (ख) क्या बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि हां तो उक्त मद में कितना खर्च हुआ है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2014-15 में बालिका प्रोत्साहन के तहत दुर्ग जिले में किसी भी मद में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

रायगढ़ जिला के अजाक एवं नगरीय निकाय के विद्यालयों का शिक्षा विभाग में संविलियन

35. (क्र. 818) **श्री उमेश पटेल**: क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के रायगढ़ जिलान्तर्गत अजाक एवं नगरीय निकाय के कितने-कितने विद्यालयों को शिक्षा विभाग में मर्ज किया गया है ? अथवा मर्ज किये जाने की प्रक्रिया जारी है ? (ख) विद्यालयों को शिक्षा विभाग में मर्ज किये जाने के बाद कितने-कितने कर्मचारी अजाक विभाग व नगरीय निकाय विभाग से शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला रायगढ़ अन्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग के 1748 विद्यालय एवं नगरीय निकाय के 03 विद्यालयों को शिक्षा विभाग में मर्ज किया गया है. अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) विद्यालयों को मर्ज किये जाने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के 3873 एवं नगरीय निकाय के 18 कर्मचारी शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत है.

जिला रायगढ़ में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत दावा आपत्ति के प्राप्त आवेदनों का निराकरण

36. (क्र. 819) **श्री उमेश पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पिछले खरीफ सत्र 2014-15 में कुल कितने किसानों द्वारा दावा आपत्ति संबंधी आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) कितने किसानों की बीमा दावा आपत्ति का निराकरण कर बीमा राशि प्रदान की गई ? तहसीलवार किसानों के नाम व बीमा राशि की जानकारी दें।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) खरीफ 2014 में मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले के लिए अधिकृत फसल बीमा कंपनी बजाज एलायन्ज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किसी भी कृषक से बीमा दावा आपत्ति संबंधी आवेदन प्राप्त नहीं होने की जानकारी दी गई है। (ख) प्रश्नांक "क" के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

जिला कबीरधाम में संचालित आश्रम, छात्रावास तथा शिक्षा संस्थानों हेतु क्रय सामग्री

37. (क्र. 865) **श्री अशोक साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले में वर्ष 2012-13 से 30 अप्रैल 2015 तक विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, आश्रम तथा शिक्षा संस्थानों के लिये सामग्री एवं आपूर्ति मद में वर्षवार कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ है ? खंड शिक्षा अधिकारियों को मदवार सामग्री क्रय करने हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुरूप खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा वर्षवार कौन-कौन सी सामग्री किन-किन फर्म/एजेंसी से क्रय की गई ? उक्त फर्म/एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान किया गया ? कृपया वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी देने की कृपा करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्षवार प्राप्त आवंटन की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	प्राप्त आवंटन (लाखों में)
1.	2012-13	41.88
2.	2013-14	81.85
3.	2014-15	98.04
4.	2015-16	58.14

जिला स्तर से खंड शिक्षा अधिकारियों को सामग्री क्रय करने हेतु राशि प्रदान नहीं की गई है। (ख) उत्तर "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला कबीरधाम में स्टापडेम /एनीकट निर्माण

38. (क्र. 866) **श्री अशोक साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले में 2012-13 से 2014-15 तथा मई 2015 तक कुल कितने एनीकट/स्टापडेम का निर्माण कार्य किया गया ? (ख) प्रश्नांक "क" इन एनीकट/स्टापडेम की कुल लागत कितनी थी ? कृपया विकासखंडवार एवं नामवार ब्यौरा दें ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) कबीरधाम जिले में वर्ष 2012-13 से 2014-15 तथा मई 2015 तक कुल 07 एनीकट/स्टापडेम का निर्माण कार्य किया गया है। (ख) प्रश्नांक "क" के एनीकट/स्टापडेम की कुल लागत की जानकारी विकासखंडवार एवं नामवार † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

जिला जांजगीर-चांपा में नहर निर्माण एवं काडा नाली निर्माण की स्वीकृति

39. (क्र. 874) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में जिला जांजगीर-चांपा में नहर निर्माण हेतु कहां-कहां, कब-कब, कितनी-कितनी राशि की, कितनी-कितनी लंबाई के लिये स्वीकृति दी गई तथा किस-किस को निर्माण कार्य का ठेका दिया गया एवं इसकी पूर्णता अवधि क्या थी ? (ख) उक्त अवधि में नहरों के

रखरखाव हेतु कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) उक्त अवधि में कहां-कहां काडा नाली निर्माण किया गया ? निर्माण में क्या शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में जिला जांजगीर-चांपा में नहर निर्माण हेतु कोई भी स्वीकृति नहीं दी गई है. (ख) प्रश्नोत्तर (क) के संदर्भ में उक्त अवधि में नहरों के रखरखाव पर कोई व्यय नहीं किया गया है. (ग) उक्त अवधि में किए गए काडा नाली निर्माण से संबंधित जानकारी तथा निर्माण में प्राप्त शिकायत एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ में दर्शित है.

जिला राजनांदगांव में स्कूल एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति

40. (क्र. 881) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड चौकी, मोहला एवं मानपुर में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में दिनांक 20 जून, 2015 तक कितने स्कूल भवनों, छात्रावास भवनों, आश्रम भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत की गई ? (ख) कितने भवनों के कार्य पूर्ण/अपूर्ण है ? अपूर्ण भवनों के कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जावेंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में दिनांक 20 जून 2015 तक केवल 64 स्कूल भवनों की स्वीकृति दी गई है. छात्रावास एवं आश्रम भवनों की स्वीकृति नहीं दी गई है. (ख) 25 स्कूल भवन पूर्ण तथा 39 स्कूल भवन अपूर्ण हैं. यथा संभव शीघ्र, निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित शालाओं स्वीकृत/रिक्त पद

41. (क्र. 887) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन एवं सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाईस्कूल तथा हॉयर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या कितनी है ? जिलेवार बतावें. (ख) इन शालाओं में स्वीकृत पदों की संख्या पदवार कितनी-कितनी है ? कितने पद रिक्त हैं ? जिलेवार जानकारी दें. (ग) रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी शालायें नहीं हैं. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत हाई स्कूल की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हायर सेकेण्डरी शालायें नहीं हैं. (ख) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है. (ग) नियुक्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में सिंचित-असिंचित रकबे की जानकारी

42. (क्र. 899) **श्री भूपेश बघेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2008 से 2015 तक सिंचित एवं असिंचित रकबा कितना था ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) प्रदेश में वर्ष 2008 से 2015 तक कितनी असिंचित भूमि को सिंचित किया गया है ? वर्षवार रकबे की जानकारी दें. (ग) प्रदेश में वर्ष 2008 से 2015 तक कितने एकड़ भूमि में रबी एवं खरीफ की फसल ली गई ? वर्षवार जानकारी दें.

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रदेश में वर्ष 2008 से 2015 तक सिंचित एवं असिंचित रकबे की वर्षवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रदेश में वर्ष 2008 से 2015 तक असिंचित भूमि को सिंचित करने के संबंध में वर्षवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) प्रदेश में वर्ष 2008 से 2015 तक रबी एवं खरीफ की फसल के आच्छादान की वर्षवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

आ.जा.क. विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम तथा विशेष विद्यालयों की जानकारी

43. (क्र. 905) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कितने आश्रम, छात्रावास तथा विशेष विद्यालय वर्तमान में संचालित है ? उनमें कितनी सीटें हैं एवं सीटों के विरुद्ध कितने बच्चे अध्ययनरत हैं ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावासों/आश्रमों के लिए जरूरी समान खरीदी हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान था ? इसमें से दिनांक 29-06-2015 तक कितना बजट खर्च हुआ है ? (ग) प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावासों/आश्रमों को वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2014-15 में कितनी राशि दवाईयां उपलब्ध कराई गई ? जिलेवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्रावधानिक राशि (लाखों में)	व्यय (खर्च) राशि (लाखों में)
2014-15	3667.00	2922.33
2015-16	3661.00	-

(ग) जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

औपचारिकेतर शिक्षा अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों का नियमितीकरण

44. (क्र. 906) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में औपचारिकेतर शिक्षा अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की संख्या कितनी है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) क्या शालेय शिक्षा विभाग में संबंधित औपचारिकेतर शिक्षा में पूर्व में पदस्थ अनुदेशक पर्यवेक्षकों को अन्य विभागों में नियमित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां तो, किस पद पर ? (ग) क्या औपचारिकेतर शिक्षकों को पुनः सेवा में लिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां तो माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) औपचारिकेतर शिक्षा योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना थी जिसे भारत शासन द्वारा समाप्त कर दिये जाने के कारण राज्य के औपचारिकेतर शिक्षा के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की संख्या निरंक है. (ख) एवं (ग) जी नहीं. शोषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में संचालित भवन विहीन स्कूलों हेतु भवन व्यवस्था

45. (क्र. 912) **श्री दीपक बैज** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश “क” में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है ? कितने भवन निर्माणाधीन है ? (जिलेवार जानकारी देवें)

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में 31180 प्राथमिक शाला, 13156 पूर्व माध्यमिक शाला, 1800 हाई स्कूल एवं 2271 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है. जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) प्रश्नांश “क” में से 782 प्राथमिक शाला, 406 पूर्व माध्यमिक शाला, 646 हाईस्कूल एवं 366 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है. इनमें से 395 प्राथमिक शाला, 269 पूर्व माध्यमिक शाला, 448 हाईस्कूल एवं 189 हायर सेकेण्डरी स्कूल निर्माणाधीन है. जिलेवार संख्यात्मक जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

जिला राजनांदगांव में एनीकट, माइनर नहर मरम्मत, पिचिंग कार्यों की स्वीकृति

46. (क्र. 917) **श्री भोलाराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में किन-किन स्थानों पर एनीकट, माइनर नहर, नहर मरम्मत, पिचिंग कार्य स्वीकृत किये गये ? कार्य का नाम स्वीकृत लागत, सहित जानकारी देवें ? (ख) उक्त कार्यों की गुणवत्ता की जांच किन-किन अधिकारियों के द्वारा की गई है ? कृपया बतायें ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में एनीकट, माइनर नहर, नहर मरम्मत एवं पिचिंग कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र में दर्शित है. (ख) उक्त कार्यों की गुणवत्ता की जांच जिन अधिकारियों के द्वारा की गई है, पुस्तकालय में रखे प्रपत्र में दर्शित है.

निजी हैचरी को अनुदान का प्रावधान

47. (क्र. 929) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में शासकीय एवं निजी हैचरी कहां-कहां है ? (ख) निजी हैचरी के लिये किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि के अनुदान दिये जाने का प्रावधान है ? (ग) वर्ष 2014-2015 में किन-किन निजी हैचरी को कितना-कितना अनुदान दिया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्तमान में शासकीय हैचरी ग्राम कोकपुर विकासखंड डोंगरगांव में एवं निजी हैचरी तारापदों मत्स्य बीज प्रक्षेत्र ग्राम तुमड़ीबोड़ विकासखंड डोंगरगांव में है ? (ख) निजी क्षेत्र में 1 करोड़ मत्स्य बीज (फ्राय) उत्पादन की क्षमता वाली हैचरी निर्माण के लिए इकाई लागत 12 लाख रुपये का 10% अर्थात् 1,20,000/- रुपये (एक लाख बीस हजार रुपये) की अनुदान राशि का प्रावधान है. (ग) निरंक.

जिला राजनांदगांव में छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राएं

48. (क्र. 930) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 में कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिये पात्र पाया गया ? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या बताएं ? (ख) प्रश्नांश "क" में से कितनों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया ? विधान सभा क्षेत्रवार बतायें ? (ग) कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना लंबित है ? विलंब का कारण सहित बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) राजनांदगांव जिले में शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 में 2,08,274 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिये पात्र पाया गया. विधान सभा क्षेत्रवार संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ख) प्रश्नांश "क" में से 188101 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया. विधान सभा क्षेत्रवार छात्र-छात्राओं की संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ग) वर्ष 2014-15 में 20173 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान बजट राशि के अभाव में लंबित है.

तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित शालाओं में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं

49. (क्र. 942) **श्री राजूसिंह क्षत्री** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने शासकीय प्राथमिक, मिडिल, हाई, हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) इनमें से कितनी शालाओं में दिनांक 01-06-2015 तक बिजली शुद्ध पेयजल, शौचालय की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ? (ग) कितनी शालायें अहाताविहीन हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 241 प्राथमिक, 121 पूर्व माध्यमिक, 30 हाईस्कूल एवं 13 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है ? विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में संलग्न है. (ख) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 149 प्राथमिक, 35 पूर्व माध्यमिक शालाओं में बिजली तथा 06 प्राथमिक शाला में स्थाई शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है. शौचालय की सुविधा सभी शालाओं में उपलब्ध है. वि.खं. वार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" में संलग्न है. (ग) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 177 प्राथमिक, 67 पूर्व माध्यमिक, 29 हाई स्कूल एवं 09 हायर सेकेण्डरी स्कूल अहाता विहीन हैं. वि.खं. वार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "स" में संलग्न है.

राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रदत्त अनुदान

50. (क्र. 943) **श्री राजूसिंह क्षत्री** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता योजना अन्तर्गत तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में दिनांक 1-05-2015 तक की स्थिति में राज्य शासन के द्वारा किस-किस वर्ग के कितने हितग्राहियों को अनुदान प्रदान किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता योजना अन्तर्गत तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में दिनांक 1-05-2015 की स्थिति में अनुसूचित जाति वर्ग के 3 हितग्राहियों तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1 हितग्राही को अनुदान प्रदान किया गया है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में बीज एवं मिनीकट का वितरण

51. (क्र. 960) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में 30 जून, 2015 तक किन-किन फसलों के बीज/मिनीकट कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किये गये ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) कंडिका “क” में उल्लेखित बीज की खरीदी किस-किस संस्था/फर्म से की गई है ? (ग) कंडिका “क” के बीज/मिनीकट का वितरण कितने किसानों को किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें. (घ) क्या उक्त प्रदायित बीज के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) बीज/मिनीकट वितरण की जानकारी विधान सभा क्षेत्रवार संधारित नहीं की जाती. बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र से संबंधित बेमेतरा जिले के विकासखण्ड बेमेतरा एवं बेरला तथा दुर्ग जिले के विकासखण्ड धमधा में वितरण किये गये बीज/मिनीकट की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	बीज वितरण (क्वि.)	मिनीकट वितरण	
			(संख्या में)	(क्वि. में)
1.	2012-13	23394.68	3813	199.35
2.	2013-14	25026.90	5889	308.90
3.	2014-15	25735.53	5966	206.75
4.	2015-16 (30-06-15)	16902.46	4880	279.86

विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) कंडिका “क” में बीज वितरण के अंतर्गत दर्शित बीज छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित संस्था/फर्म से क्रय कर उपलब्ध कराया गया. बीज मिनीकट प्रदायक संस्था की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शाया गया है. (ग) कंडिका “क” के संदर्भ में 75252 किसानों को बीज एवं 20548 किसानों को बीज मिनीकट का वितरण किया गया. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (घ) प्रदायित बीज के संबंध में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 (दिनांक 30-06-2015 तक) में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई. खरीफ 2014 में सोयाबीन बीज में अंकुरण की शिकायत प्राप्त होने के परिपेक्ष्य में परीक्षण में अमानक पाये गये बीज बदलकर मानक स्तर के बीज कृषकों को प्रदाय किये गये.

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्यालय

52. (क्र. 964) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कुल कितने मंडल कार्यालय, संभागीय कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय कार्यरत है ? (ख) प्रदेश के जल संसाधन विभाग में कितने अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 11 मण्डल कार्यालय, 62 संभागीय कार्यालय एवं 291 अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय कार्यरत है. (ख) प्रदेश के जल संसाधन विभाग में 23 अधीक्षण अभियंता, 177 कार्यपालन अभियंता एवं 502 सहायक अभियंता कार्यरत है.

एनआरडीए को हस्तांतरित की गई सिंचाई योजनाएं

53. (क्र. 965) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नया रायपुर के निर्माण के लिये जल संसाधन विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं एनआरडीए को स्थानांतरित की गई ? (ख) स्थानांतरित की गई योजनाओं से कितनी अपासी होती थी ? (ग) स्थानांतरित की गई योजनाओं के अंतर्गत जिन ग्रामों की अपासी आती थी एवं उसकी भूमि एनआरडीए द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है, उसकी सिंचाई के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) नया रायपुर के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग की अभनपुर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के आर.डी. 1458 मी. से 19140 मी. तक एवं वितरक शाखा क्र. 4 से 17 तक, खण्डवा एवं उपरवारा लघु सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर तथा झांझ-नवागांव लघु सिंचाई योजना की दायीं तट नहर एवं बायीं तट नहर एन.आर.डी.ए. को स्थानांतरित की गई. (ख) स्थानांतरित की गई उक्त योजनाओं से 10488.30 हेक्टेयर रूपांकित क्षमता के विरुद्ध स्थानांतरण के पूर्व वर्ष 2011-12 में 3121.36 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई थी. (ग) अभनपुर उद्वहन सिंचाई योजना के सैंच्य क्षेत्र में एन.आर.डी.ए. द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई 2344.92 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा रही है. इसी तरह झांझनवागांव लघु सिंचाई योजना की बायीं तट नहर के अंतिम छोर में स्थित ग्राम तांदुल एवं कुहेरा में 59 हेक्टेयर में सिंचाई की जा रही है. शेष क्षेत्र में सिंचाई किया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है.

स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/गणवेश वितरण संबंधी

54. (क्र. 968) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए प्रदेश के स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/गणवेश वितरण कब तक किए जाने का निर्देश है ? (ख) कंडिका "क" के तहत 30 जून 2015 की स्थिति में कितने स्कूली बच्चों को पाठ्यपुस्तक/गणवेश वितरण किए गए ? क्या वितरण में विलंब हुआ है ? यदि हां तो क्यों ? (ग) कंडिका "क" के कार्य में विलंब की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रदेश के स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश शाला प्रारंभ होते ही उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाता है. शैक्षणिक सत्र 2015-16 में इस कार्य हेतु निश्चित तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है. (ख) 30 जून 2015 की स्थिति में कुल 56,99,628 स्कूली बच्चों को पाठ्यपुस्तक वितरित किये गये. पाठ्यपुस्तक वितरण में विलंब नहीं हुआ है. 30 जून 2015 की स्थिति में कुल 783345 सेट गणवेश स्कूली बच्चों को वितरित किये गये हैं. राज्य हाथकरघा एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा कपड़े की आपूर्ति सतत् रूप से की जा रही है. आपूर्ति अनुसार महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से गणवेश सिलाई कर वितरण का कार्य सतत् रूप से जारी है. (ग) कार्यवाही सतत् रूप से प्रक्रियाधीन होने के कारण विलंब जैसी स्थिति नहीं है.

किसान समृद्धि योजना के तहत कृषकों का पंजीयन

55. (क्र. 969) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद के अंतर्गत किसान समृद्धि योजना के तहत नलकूप बोर हेतु कितने किसानों का पंजीयन किया गया ? (ख) 30 जून, 2015 की स्थिति में कंडिका "क" के कितने किसानों को योजना का लाभ दिया गया ? (ग) कंडिका "क" के योजना के तहत निर्धारित अनुदान का भुगतान किए जाने हेतु समय-सीमा क्या है ? क्या इसका पालन सुनिश्चित किया गया, नहीं तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन हेतु प्रश्न में उल्लेखित जिलों में निम्नानुसार कृषकों का पंजीयन किया गया :-

क्र.	जिला	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	योग
1.	रायपुर	182	116	59	357
2.	बलौदाबाजार	343	268	74	685
3.	गरियाबंद	1622	1866	700	4188
	योग	2147	2250	833	5230

(ख) कंडिका “क” में अंकित पंजीकृत कृषकों को अनुदान भुगतान की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) योजना अंतर्गत अनुदान का भुगतान करने की समय-सीमा निर्धारित नहीं है कृषक द्वारा नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थापन संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने पर अनुदान का भुगतान किया जाता है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कांकेर विधान सभा क्षेत्र में पशुओं का टीकाकरण

56. (क्र. 984) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से 25 जून, 2015 तक कितने पशुओं का टीकाकरण (कौन-कौन से वैक्सिनेशन से) किया गया ? (ख) टीकाकरण में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय हुई ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) कांकेर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से 25 जून 2015 तक 4,43,234 पशुओं का टीकाकरण किया गया। विवरण †† संलग्न प्रपत्र “अ” में है। (ख) पशुओं के टीकाकरण में वर्ष 2013-14 से 25 जून, 2015 तक टीकाद्रव क्रय हेतु राशि रु. 35,97,394=00 एवं टीकाकरण मानदेय तथा मानिट्रिंग कार्य में राशि रु. 4,57,117=00 व्यय हुई। विवरण †† संलग्न प्रपत्र “ब” में है।

कांकेर विधान सभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सालय

57. (क्र. 985) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पशु चिकित्सालय/औषधालय/केन्द्र संचालित है ? (ख) संचालित केन्द्रों में कितने-कितने स्टाफ स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त है ? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) कांकेर विधान सभा क्षेत्र में (1) पशु चिकित्सालय-कांकेर, नरहरपुर एवं सरोना में (2) पशु औषधालय-पीढ़ापाल, धनेलीकन्हार, चंवड़, अमोड़ा, बुन्देली, मानिकपुर, अभनपुर, दुधावा, ठेमा, लारगांव-मरकाटोला एवं जामगांव (3) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र-कांकेर में तथा (4) कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र-खूनामाकड़ी, देवरी, आतुरगांव, बागोडार, अर्जुनी, कोदागांव, पटौद, डंवरखार एवं सरंगपाल में संचालित है। (ख) संचालित केन्द्रों में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त स्टाफ की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला सूरजपुर में मछली पालन विभाग द्वारा मछुआरा समूहों को प्रदत्त अनुदान

58. (क्र. 988) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर जिले में मछली पालन विभाग हेतु कितने जलाशय है, जिन्हें मछुआरा समूहों को पट्टों पर दिया गया है ? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किन-किन समूहों को अनुदान की राशि दी गई ? (ग) सूरजपुर जिले में मछली पालन हेतु कुल कितना राशि एवं सामान हितग्राहियों को दिया गया।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) सूरजपुर जिले में मछली पालन हेतु वर्तमान में 51 जलाशय 771.093 हेक्टेयर जलक्षेत्र के उपलब्ध है। जिनमें से 21 जलाशय 382.838 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 21 मछुआ समूहों को पट्टे पर दिये गये हैं। (ख) प्रश्नांक “ख” की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) सूरजपुर जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मछली पालन हेतु हितग्राहियों को नगद राशि का भुगतान नहीं किया गया है। हितग्राहियों को अनुदान के रूप में सामग्री प्रदाय की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

हितग्राहियों को प्रदाय की गई राशि	हितग्राहियों को प्रदाय किया गया सामान/सामग्री	प्रदाय सामान की मात्रा
निरंक	स्पॉन (मत्स्य बीज)	102.25 लाख
	मत्स्य बीज अंगुलिका	10.95 लाख
	जाल-औजार	516 नग
	आईस बाक्स	254 नग
	परिपूरक आहार	84562 कि.ग्रा.
	सिफेक्स	588 लीटर

उक्त सामग्री 1576 हितग्राहियों को प्रदाय की गई।

† परिशिष्ट “चौवन” †† परिशिष्ट “पचपन” †† परिशिष्ट “छप्पन” ††† परिशिष्ट “सनतावन”

जिला सूरजपुर में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों संचालित आवासीय विद्यालय

59. (क्र. 989) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत किन-किन विकासखण्डों में विकलांग बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है ? (ख) इन आवासीय विद्यालय हेतु वर्ष 2013-14 में कितनी राशि व्यय की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सूरजपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत किसी भी विकासखण्ड में कोई विकलांग बच्चों को आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है. अपितु वर्ष 2013-14 में विकासखण्ड सूरजपुर में एक आवासीय विकलांग सेतु केन्द्र संचालित था. (ख) वर्ष 2013-14 में उक्त सेतु केन्द्र हेतु 4.00 लाख रुपये व्यय की गई.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 791) के भाग (क) की जानकारी]

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं की जानकारी 2014-15, 2015-16

क्र.	संचालित विद्यालय का नाम	दर्ज संख्या		विशेष
		2014-15	2015-16	
1		4	5	8
1	शा.प्रा.शा. जामुल क01	190	479	
2	शा.प्रा.शा. जामुल क02	97	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
3	शा.प्रा.शा. शिवपुरी जामुल 01	28	240	
4	शा.प्रा.शा. शिवपुरी जामुल 02	82	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
5	शा.प्रा.शा. करंजाभिलाई	133	265	
6	शा.प्रा.शा. कन्या करंजाभिलाई	141	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
7	शा.प्रा.शा. ननकठ्ठी	115	238	
8	शा.प्रा.शा. कन्या ननकठ्ठी	122	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
9	शा.प्रा.शा. सिरसाखुर्द	205	380	
10	शा.प्रा.शा. कन्या सिरसाखुर्द	92	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
11	शा.प्रा.शा. रवेलीडीह	55	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
12	शा.प्रा.शा. कन्या रवेलीडीह	67	121	
13	शा.प्रा.शा.-बा. सेमरीया	10	295	
14	शा.प्रा.शा.-कन्या सेमरीया	96	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
15	शा.प्रा.शा.-बा.कोडिया	180	272	
16	शा.प्रा.शा.-कन्या कोडिया	79	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
17	शा.प्रा.शा.-बा. मेडेसरा	177	224	
18	शा.प्रा.शा.-कन्या मेडेसरा	145	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
19	शा.प्रा.शा.-बा. गोढी	38	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
20	शा.प्रा.शा.कन्या गोढी	61	90	
21	प्रा.शा.बा.भिलाई 3	27	56	
22	प्रा.शा.क.भिलाई 3	29	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
23	प्रा.शा.बा.चरौदा	78	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
24	प्रा.शा.क.चरौदा	74	159	
25	प्रा.शा.देवबलौदा बालक	52	121	
26	प्रा.शा.देवबलौदा कन्या	62	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
27	शा.प्रा.शा. लेबर केम्प 02 जामुल	60	67	
28	शा.प्रा.शा. खेदामारा	161	165	
29	शा.प्रा.शा. दौर	310	321	

30	शा.प्रा.शा. दासीन	154	159
31	शा.प्रा.शा. विजली-नगर खेदानारा	52	57
32	शा.प्रा.शा. हथखोज	52	175
33	शा.प्रा.शा. अकलोरडीह	64	161
34	शा.प्रा.शा. कचान्दूर	78	169
35	शा.प्रा.शा. जेवरा	226	231
36	शा.प्रा.शा. समोदा	204	216
37	शा.प्रा.शा. झंझरी	59	61
38	शा.प्रा.शा. भटगांव	230	234
39	शा.प्रा.शा. बोडेगांव	200	204
40	शा.प्रा.शा. अरसनारा	149	153
41	प्रो.शा.प्रा.शा. डौर	128	112
42	शा.प्रा.शा.-नारधा	134	121
43	शा.प्रा.शा.-मुडपार	163	167
44	शा.प्रा.शा.-डौर नं 2	310	135
45	शा.प्रा.शा.-मुरमुदा	149	150
46	शा.प्रा.शा.-मोहंदी	100	108
47	शा.प्रा.शा.-रिंगनी	46	97
48	शा.प्रा.शा.-खेरधा	34	203
49	शा.प्रा.शा.-ओखरा	76	86
50	शा.प्रा.शा.-चेतुवा	60	63
51	शा.प्रा.शा.-करहीडीह	42	41
52	शा.प्रा.शा.-कोकड़ी	46	132
53	शा.प्रा.शा.-घटियाखुर्द	75	59
54	शा.प्रा.शा.-गिरहोला	250	263
55	शा.प्रा.शा.-पेण्डीतराई	55	114
56	शा.प्रा.शा.-धाहरा	123	133
57	शा.प्रा.शा.-खूमर	72	68
58	शा.प्रा.शा.-नदौरी	57	92
59	शा.प्रा.शा.-परसदा	108	79
60	शा.प्रा.शा.-सहगांव	57	50
61	शा.प्रा.शा.-पोटिया / मे	212	213
62	शा.प्रा.शा.-सगनी	163	155
63	शा.प्रा.शा.-पथरिया / मे	259	235

64	शा.प्रा.शा.-लिमतरा	135	131
65	शा.प्रा.शा.-कण्डरका	165	154
66	शा.प्रा.शा.-सुरजीडीह	54	54
67	शा.प्रा.शा.-सांकरा	147	147
68	शा.प्रा.शा.-खपरी/कु	175	126
69	शा.प्रा.शा.-पंचदेवरी	120	122
70	शा.प्रा.शा.-ढाबा	133	135
71	शा.प्रा.शा.-मुरा	73	81
72	शा.प्रा.शा.अछोटी	127	127
73	कपसदा	209	209
74	अकोल.	50	86
75	ढौर/गो.	60	71
76	बोरसी	66	66
77	लंहगा	96	96
78	ओटेबंद	149	146
79	मलपुरीकला	46	151
80	नवीन अकोला	41	50
81	खरधी	45	45
82	सण्डी	58	45
83	मलपुरीखुर्द	90	89
84	अहंरी	250	287
85	नवीन सेमरिया	84	67
86	बिरेमाठ.(अ.)	202	190
87	बागडुभर	134	129
88	पिटौरा	144	166
89	नंदिनी खुदिनी	375	400
90	देवरआल	57	92
91	धिकुडिया	104	104
92	हिंंगनाडीह	61	62
93	नवीन प्राथ.शा.छोटे अगार	62	41
94	प्रा.शा. जरवाय	165	125
95	दादर	59	67
96	पथर्रा	60	60
97	सुरडूंग	112	106

98	वा. अहिदार.	90	202
99	कन्या अहिदार	137	58
100	खासाडीह	63	457
101	बानबरद	444	24
102	डोंगरिया / को	27	97
103	भाटापारा(गो.)	43	390
104	प्रा.शा.दुगदा	61	23
105	प्रा.शा.प.सदा	43	56
106	प्रा.शा.डबरा र.	186	185
107	प्रा.शा.उभदा	82	83
108	प्रा.शा.शक्ति ग.	115	105
109	प्रा.शा.सिरस.द.ल.	173	180
110	प्रा.शा.गांधीनगर	56	57
111	प्रा.शा.वसुन्धर.नगर	41	43
112	प्रा.शा.सोमनी	115	115
113	प्रा.शा.विजलीनगर	178	176
114	प्रा.शा.भोरिद	165	165
115	प्रा.शा.सिरसाभाठा	100	101
116	प्रा.शा.जी.के.चरोदा	131	130
117	प्रा.शा.इ.न.चरोदा	17	95
118	प्रा.शा.उरता	36	155
119	प्रा.शा.गनियासी	169	189
120	प्रा.शा.भेड़सर	126	116
121	प्रा.शा.गिखली	155	165

टीप :- सत्र 2015-16 में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है, दर्ज संख्या में

अहिलारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक शालाओं की जानकारी 2014-15, 2015-16

क्र.	संचालित विद्यालय का नाम	दर्ज संख्या		विशेष
		2014-15	2015-16	
1		4	5	8
1	पू.मा.शा.भेडेशरा	132	275	
2	पू.मा.शा.क.रेडेशरा	131	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
3	पू.मा.शा.कन्या तुगदा	134	261	
4	पू.मा.शा.कुगदा	132	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
5	मा.शा.क.चरोदा	85	152	
6	मा.शा.बा.चरोदा	67	बन्द	एक ही परिसर होने के कारण बन्द
7	शा.पू.मा.शा.दौर	265	277	
8	शा.पू.मा.शा.खेदानारा	164	171	
9	शा.पू.मा.शा.गोडी	288	275	
10	शा.पू.मा.शा.बासीन	142	154	
11	शा.पू.मा.शा.करजाभिलाई	280	277	
12	शा.पू.मा.शा.कचान्दू	141	141	
13	शा.पू.मा.शा.समोदा	154	149	
14	शा.पू.मा.शा.ननकट्टी	231	237	
15	शा.पू.मा.शा.बोडेगांव	148	151	
16	शा.पू.मा.शा.अरसनारा	137	141	
17	स.जं.न शा.पू.मा.शा.जामुल	250	248	
18	स.जं.न शा.पू.मा.शा.जेवरासिरसा	444	457	
19	शा.प्रो.पू.मा.शा.जेवरा	179	176	
20	शा.प्रो.पू.मा.शा.रवेलीडीह	101	109	
21	शा.प्रो.पू.मा.शा.जामुल क. 1	122	131	
22	शा.प्रो.पू.मा.शा.शिवपुरी जामुल	115	119	
23	पू.मा.शा.नारधा	223	230	
24	पू.मा.शा.मुरमुंदा	115	99	
25	पू.मा.शा.सेमरिया	148	168	
26	पू.मा.शा.गिरहोला	309	305	
27	पू.मा.शा.डूमर	210	212	

28	पू.मा.शा. नंदौरी	49	54
29	पू.मा.शा.कोडिया	167	162
30	पू.मा.शा.पथरिया में	264	255
31	पू.मा.शा. लिमतरा	113	125
32	पू.मा.शा. ढाबा धमधा	147	145
33	पू.मा.शा. ढाबा	90	94
34	पू.मा.शा.मलपुरीकला	229	225
35	पू.मा.शा.कपसदा	218	211
36	पू.मा.शा.अहेरी	170	147
37	पू.मा.शा. नंदनी खुंदनी	296	259
38	पू.मा.शा.ढौर	140	135
39	पू.मा.शा.पोटिया (मे)	101	123
40	पू.मा.शा.खेरधा	161	158
41	पू.मा.शा. कंडरका	132	136
42	पू.मा.शा. सांकरा	122	120
43	पू.मा.शा.पाहरा	150	161
44	पू.मा.शा.बिरेभाट	114	119
45	पू.मा.शा. सगनी	98	102
45	पू.मा.शा.पिटौरा	124	116
47	पू.मा.शा.खेरधी	29	27
48	पू.मा.शा. अकोला	159	155
49	पू.मा.शा.मुडपार	168	140
50	पू.मा.शा. बा.अहिवारा	280	250
51	पू.मा.शा.सुरडुंग	119	147
52	पू.मा.शा.जरवाय	287	294
53	पू.मा.शा.बानबरद	323	318
54	पू.मा.शा.क.अहिवारा	129	126
55	पू.मा.शा.इन्दिरा नगर चिखली	117	121
56	पू.मा.शा.भेंडसर	133	137
57	मा.शा.बिजलीनगर	199	196
58	मा.शा.कन्या भिलाई 3	127	129
59	मा.शा.सोमनी	97	98
60	मा.शा.सिरसाकला	287	286
61	मा.शा.डबरापारा	112	113
62	मा.शा.मोरिद	135	133
63	पू.मा.शा. अंजोरा ढाबा	163	171
64	मा.शा.देवबलौदा	117	115
65	मा.शा.उरला	162	163
66	मा.शा.गनियारी	208	206
67	मा.शा.डांडेसरा	87	93
68	पू.मा.शा. चिखली	123	129
69	पू.मा.शा. खपरी	167	153
70	पू.मा.शा. भेंडसर	143	140
71	पू.मा.शा. चिखली	113	128

अहिंवारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हाई स्कूलों की जानकारी 2014-15, 2015-16

क्र.	संगणित विद्यालय का नाम	दर्ज संख्या		बन्द होने वाले विद्यालय का नाम	उस विद्यालय का नाम जिसमें बन्द विद्यालय समायोजित हुए	विशेष
		2014-15	2015-16			
1	2	3	4	5	6	7
1	शास. हाई स्कूल भंडसरा	136	128	निरंक	निरंक	
2	शास. कीय हाई स्कूल अजोरा बाबा	365	365			
3	शास. हाई स्कूल मुरमूदा	94	84			
4	शास. हाई स्कूल डुगर	142	125			
5	शास. हाई स्कूल दौर कला	88	81			
6	शास. हाई स्कूल लोमड़ी	77	76			
7	शास. हाई स्कूल बारद	55	56			

अहिंवारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हायर सेकेंड्री स्कूलों की जानकारी 2014-15, 2015-16

क्र.	संगणित विद्यालय का नाम	दर्ज संख्या		बन्द होने वाले विद्यालय का नाम	उस विद्यालय का नाम जिसमें बन्द विद्यालय समायोजित हुए	विशेष
		2014-15	2015-16			
1	2	3	4	5	6	7
1	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- जामुन	953	978	निरंक	निरंक	
2	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- जेवणसिरसा	577	588			
3	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- कंजभिलाई	531	572			
4	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- दौर	535	513			
5	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- ननदटटी	566	588			
6	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- हथखोज	244	302			
7	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- चिखनी	231	244			
8	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- जरवाय	391	347			
9	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- अहिंवारा	609	609			
10	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- नास्था	437	388			
11	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- गोड़ी	558	468			
12	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- भंडेसरा	452	461			
13	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- लिमतरा	444	395			
14	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- नंदनीखुंदनी	328	505			
15	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- कुम्हारी	832	814			
16	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- सेमरिया	257	228			
17	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- सुरडुंग	304	270			
18	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- गिरहोला	225	199			
19	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- अहैरी	408	389			
20	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- कपसदा	483	429			
21	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- चरोदा	152	150			
22	शास. कन्या उच्च. माध्य. विद्यालय- भिलाई-3	476	478			
23	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- गनियारी	174	175			
24	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- शिरसाकला	202	200			
25	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- देवबलौदा	87	85			
26	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- उरला	150	148			
27	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- कुगदा	238	235			
28	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय- भिगाड़ 3		692			
				नगरीय निकाय से हस्तांतरित शाला		

टीप - सत्र 2015-16 में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है. दर्ज संख्या में परिवर्तन सम्भव है।

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 267) के भाग (क) की जानकारी]

स.क्र.	जिले का नाम	संचालित शाला संख्या		विद्युत बिछेन शाला	
		उ०प्रा०शाला	मा०शा०	उ०प्रा०शाला	मा०शा०
1	2	3	4	3	4
1	धमतरी	460	56	18	0
2	बीजापुर	178	17	137	0
3	बालोद	425	49	3	0
4	बस्तर	393	70	308	2
5	बेमेतरा	396	69	5	0
6	बलोदा बाजार	552	85	141	1
7	कबीरधाम	530	80	88	0
8	कांकेर	625	121	100	0
9	कोण्डागांव	648	74	317	1
10	कोरिया	549	78	93	3
11	कोरबा	544	91	211	0
12	महासमुन्द्र	510	55	16	0
13	मुगेली	282	74	67	0
14	बिलासपुर	782	144	137	15
15	रायपुर	483	52	16	3
16	रायगढ़	928	107	0	0
17	रामानुजगंज	581	62	470	0
18	राजनांदगांव	786	118	97	13
19	सुकमा	195	21	150	0
20	सूरजपुर	560	66	416	0
21	दुर्ग	355	35	0	0
22	दन्तेवाड़ा	255	18	138	0
23	जशपुर	485	75	162	2
24	जांजगीर-चापा	754	125	187	76
25	नारायणपुर	126	8	85	0
26	अम्बिकापुर	581	76	358	1
27	गरियाबन्द	471	67	96	0
योग—		13864	1893	3816	117

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 125) के भाग (ख) की जानकारी]

सप्लायर संस्था द्वारा प्रदाय की गई फर्नीचर की मात्रा एवं दर की जानकारी रुपये में वर्ष 2013-14

क्र०	फर्म का नाम	फर्नीचर का नाम	मात्रा	दर
जिला मुंगेली				
1	बालाजी स्टील इन्डस्ट्रीज रायपुर	स्टूडेण्ट टेबल	672	1943
2	मेसर्स खण्डेलवाल सेल्स कार्पोरेशन बिलासपुर	स्टूडेण्ट टेबल	1347	1943
3	बालाजी स्टील इन्डस्ट्रीज रायपुर		673	1943
4	तिरुमाला स्टील इन्डस्ट्रीज जशपुर		1346	1943
5	सिस्टम साल्यूशन बिलासपुर		114	3800
6	खण्डेलवाल सेल्स कार्पोरेशन बिलासपुर	ड्यूयल डेस्क विथ सेल्फ	115	3800
7	रानीसती उद्योग बिलासपुर		114	3800
8	खण्डेलवाल सेल्स कार्पोरेशन बिलासपुर	एकजीक्यूटीव टेबल	11	6149
		रिवाल्विंग चेयर	11	3016
		आफिस टेबल	234	2814
		कुशन चेयर	394	1100
9	तिरुमाला स्टील इन्डस्ट्रीज जशपुर	स्टील स्टूल	54	400
		केबिनेट पलेन	65	5889
		एकजीक्यूटीव टेबल	10	6149
		रिवाल्विंग चेयर	10	3016
10	बाताजी स्टील इन्डस्ट्रीज रायपुर	आफिस टेबल	190	2814
		कुशन चेयर	290	1100
		स्टील स्टूल	40	400
		केबिनेट पलेन	50	5889
11	सिस्टम साल्यूशन तिलक नगर बिलासपुर	आफिस टेबल	125	2814
		कुशन चेयर	405	1100
		स्टील स्टूल	41	400
		केबिनेट पलेन	56	5889
12	अशोक इन्डस्ट्रीज तिरुफरा बिलासपुर	ग्लास डोर केबिनेट	18	8680
		प्रीमियम टेबल	6	10660
		लाइब्रेरी रैक	18	7932
		प्लेन स्टील बेंच	15	886
		ग्लास डोर केबिनेट	12	8680
		प्रीमियम टेबल	4	10660
		लाइब्रेरी रैक	12	7932
		प्लेन स्टील बेंच	10	886
जिला - बिलासपुर				
1	मे.विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीज मुंगेलीरोड बिलासपुर	स्टूडेण्ट टेबल	672	997
		स्टूडेण्ट चेयर	672	946

2	मे.आनंद इंटरप्राइजेज,बिलासपुर	स्टूडेण्टटेबल	895	997
		स्टूडेण्टचेयर	895	946
3	मे.अशोक इंडस्ट्रीज गांडपारा बिलासपुर	स्टूडेण्टटेबल	673	997
		स्टूडेण्टचेयर	673	946
4	मे.डीलक्स इंडस्ट्रीज सिंगिट्टी बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेण्टटेबल	227	997
		स्टूडेण्टचेयर	227	946
5	मे.डीलक्स इंडस्ट्रीज सिंगिट्टी बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेण्टटेबल	445	997
		स्टूडेण्टचेयर	445	946
6	मे.खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेण्टटेबल	903	997
		स्टूडेण्टचेयर	903	946
7	मे.अजय इंडस्ट्रीज खपरगंज बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेण्टटेबल	220	997
		स्टूडेण्टचेयर	220	946
8	मे.शारदा फेब्रिकेटर्स बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेण्टटेबल	449	997
		स्टूडेण्टचेयर	449	946
9	मे.शारदा फेब्रिकेटर्स बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेण्टटेबल	234	997
		स्टूडेण्टचेयर	234	946
10	मे.सुनील स्टील इंडस्ट्रीज बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेण्टटेबल	668	997
		स्टूडेण्टचेयर	668	946
11	मे.रानीसती उद्योग तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेण्टटेबल	1120	997
		स्टूडेण्टचेयर	1120	946
12	मे.खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन तिफरा	इयूल डेस्क विथ सेल्फ	148	3800
13	मे.सिस्टम साल्यूशन तिलकनगर	इयूल डेस्क विथ सेल्फ	141	3800
14	मे.सिस्टम साल्यूशन तिलकनगर	इयूल डेस्क विथ सेल्फ	98	3800
15	मे.अशोक इंडस्ट्रीज गांडपारा बिलासपुर	इयूल डेस्क विथ सेल्फ	115	3800
16	मे.अजय इंडस्ट्रीज खपरगंज बिलासपुर,छ.ग.	इयूल डेस्क विथ सेल्फ	115	3800
17	मे.रानीसती उद्योग तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	इयूल डेस्क विथ सेल्फ	230	3800
18	मे.डीलक्स इंडस्ट्रीज सिंगिट्टी	इयूल डेस्क विथ सेल्फ	115	3800
19	मे.खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन तिफरा बिलासपुर, छ.ग.	ग्लास डोर कैबिनेट	18	8680
		प्रीमियम टेबल	6	10660
		लाईब्रेरी रेक	18	7932
		प्लेन स्टील बेंच	15	886
20	मे.सिस्टम साल्यूशन तिलकनगर बिलासपुर,छ.ग.	ग्लास डोर कैबिनेट	18	8680
		प्रीमियम टेबल	6	10660
		लाईब्रेरी रेक	18	7932
		प्लेन स्टील बेंच	15	886
21	मे.रानीसती उद्योग तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	ग्लास डोर कैबिनेट	18	8680
		प्रीमियम टेबल	6	10660
		लाईब्रेरी रेक	18	7932
		प्लेन स्टील बेंच	15	886

22	मे.डी.के.स्टील इंडस्ट्रीज नया सरकंडा बिलासपुर,छ.ग.	ग्लास डोर कैबिनेट	10	8680
		प्रीमियम टेबल	10	10660
		लाईब्रेरी रेक	20	7932
		प्लेन स्टील बेच	40	886
23	मे.सिस्टम साल्यूशन तिलकनगर बिलासपुर,छ.ग.	ग्लास डोर कैबिनेट	7	8680
		प्रीमियम टेबल	7	10660
		लाईब्रेरी रेक	21	7932
24	मे.आननंद इंटरप्राइजेज बिलासपुर,छ.ग.	इन्जीन्यूरिंग टेबल	5	6149
		रिवाल्विंग चेयर	5	3016
		ऑफिस टेबल	95	2814
		कुशन चेयर	145	1100
		स्टील स्टूल	20	400
		कैबिनेट प्लेन	25	5889
25	मे.आननंद इंटरप्राइजेज बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	40	2814
		कुशन चेयर	120	1100
		स्टील स्टूल	16	400
		कैबिनेट प्लेन	16	5889
26	मे.रानीसती उद्योग तिफरा, बिलासपुर,छ.ग.	इन्जीन्यूरिंग टेबल	8	6149
		रिवाल्विंग चेयर	8	3016
		ऑफिस टेबल	152	2814
		कुशन चेयर	232	1100
		स्टील स्टूल	32	400
		कैबिनेट प्लेन	40	5889
27	मे.खंडलवाल सेल्स कार्पोरेशन तिफरा, बिलासपुर,छ.ग.	इन्जीन्यूरिंग टेबल	8	6149
		रिवाल्विंग चेयर	8	3016
		ऑफिस टेबल	152	2814
		कुशन चेयर	232	1100
		स्टील स्टूल	32	400
		कैबिनेट प्लेन	40	5889
28	मे.डी.के.स्टील सरकंडा, बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	35	2814
		कुशन चेयर	105	1100
		स्टील स्टूल	14	400
		कैबिनेट प्लेन	14	5889
29	मे.डी.के.स्टील सरकंडा, बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	50	2814
		कुशन चेयर	150	1100
		स्टील स्टूल	20	400
		कैबिनेट प्लेन	20	5889
30	मे.डी.के.स्टील सरकंडा, बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	20	2814
		कुशन चेयर	70	1100
		स्टील स्टूल	5	400

31	मे डीलक्स स्टील इंडस्ट्रीज सिरगिट्टी, बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	20	2814
		कुशन चेयर	70	1100
		स्टील स्टूल	5	400
		कैबिनेट प्लेन	10	5889
32	मे डीलक्स स्टील इंडस्ट्रीज सिरगिट्टी, बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	88	2814
		कुशन चेयर	308	1100
		स्टील स्टूल	22	400
		कैबिनेट प्लेन	44	5889

वर्ष 2014-15

क्र०	फर्म का नाम	फर्नीचर का नाम	मात्रा	दर
------	-------------	----------------	--------	----

जिला - मुंगेली

1	गोयल फर्नीचर रायपुर	ड्यूल डेस्क विथ सेल्फ	424	3800
2	ओम इन्टरप्राइजेस रायपुर		410	3800
3	उषा लोहारी उद्योग रायपुर		424	3800
4	मिद्धी इन्टरप्राइजेस राजनांदगांव		459	3800
5	विनायक इन्टरप्राइजेस राजनांदगांव		459	3800
6	सिस्टम साल्यूशन बिलासपुर		232	3800
7	मेसर्स उषा लोहारी उद्योग रायपुर	स्टूडेण्ट टेबल	435	2001
8	गणपती इन्टरप्राइजेस रायपुर	स्टूडेण्ट टेबल	436	2001
9	अल्फा इंजीनियरिंग एण्ड फेब्रीकेशन रायपुर		655	2001
10	एस.के.एस.जे. इन्टरप्राइजेस रायपुर		208	2001
11	एस.एस. लोहारी उद्योग रायपुर		212	2001
12	अल्फा इंजीनियरिंग एण्ड फेब्रीकेशन वर्क्स रायपुर	इकजीक्यूटीव टेबल	12	6470
		ऑफिस टेबल	132	3830
		कुशन चेयर	216	1133
		स्टील स्टूल	204	360
		कैबिनेट प्लेन	92	6066
		रिवाल्विंग चेर	12	3106
13	गणपति इन्टरप्राइजेस रायपुर	इकजीक्यूटीव टेबल	5	6470
		ऑफिस टेबल	94	3830
		कुशन चेयर	146	1133
		स्टील स्टूल	158	360
		कैबिनेट प्लेन	78	6066
		रिवाल्विंग चेर	5	3106
14	उषा लोहारी उद्योग रायपुर	ऑफिस टेबल	81	3830
		कुशन चेयर	162	1133
		स्टील स्टूल	162	360
		कैबिनेट प्लेन	81	6066

15	एस.एस. लोहारी उद्योग सडडू रायपुर	इक्जीक्यूटिव टेबल	4	6470
		ऑफिस टेबल	28	3830
		कुशन चेयर	64	1133
		स्टील स्टूल	68	360
		कैबिनेट प्लेन	24	6066
		रिवाल्विंग चेयर	4	3106
		एंगल आयरन रेक	8	2601
16	एस.के.एस.जे. इन्टरप्राइजेस रायपुर	इक्जीक्यूटिव टेबल	6	6470
		ऑफिस टेबल	24	3830
		कुशन चेयर	60	1133
		स्टील स्टूल	66	360
		कैबिनेट प्लेन	24	6066
		रिवाल्विंग चेयर	6	3106
		एंगल आयरन रेक	12	2601

जिला - बिलासपुर

1	मे.बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लक्ष्मण नगर रायपुर,छ.ग.	स्टूडेन्ट डेस्क	408	1027
		स्टूडेन्ट बेंच	408	974
2	में.रानीसती उद्योग तिफरा बिलासपुर	स्टूडेन्ट डेस्क	145	1027
		स्टूडेन्ट बेंच	145	974
3	में.डी.के.स्टील इंडस्ट्रीज सरकड़ा बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेन्ट डेस्क	145	1027
		स्टूडेन्ट बेंच	145	974
4	मे.खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेन्ट डेस्क	564	1027
		स्टूडेन्ट बेंच	564	974
5	मे.बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लक्ष्मण नगर रायपुर,छ.ग.	स्टूडेन्ट डेस्क	545	1027
		स्टूडेन्ट बेंच	545	974
6	मे.बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लक्ष्मण नगर रायपुर,छ.ग.	स्टूडेन्ट डेस्क	457	1027
		स्टूडेन्ट बेंच	457	974
7	मे.खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेन्ट डेस्क	544	1027
		स्टूडेन्ट बेंच	544	974
8	मे.खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	स्टूडेन्ट डेस्क	457	1027
		स्टूडेन्ट बेंच	457	974
9	मे.रानीसती उद्योग तिफरा,बिलासपुर,छ.ग.	ड्यूल डेस्क विथ सेल्फ	248	3800
10	मे.खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	ड्यूल डेस्क विथ सेल्फ	450	3800
11	मे.सिस्टम साल्यूशन बिलासपुर	ड्यूल डेस्क विथ सेल्फ	501	3800
12	मे.बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लक्ष्मण नगर रायपुर,छ.ग.	ड्यूल डेस्क विथ सेल्फ	388	3800
13	मे.बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लक्ष्मण नगर रायपुर,छ.ग.	ड्यूल डेस्क विथ सेल्फ	57	3800
14	मे.दिनेश स्टील रायपुर,छ.ग.	ड्यूल डेस्क विथ सेल्फ	450	3800
15	मे.रानीसती उद्योग तिफरा,बिलासपुर,छ.ग.	ड्यूल डेस्क विथ सेल्फ	330	3800

16	मे.अजय इंडस्ट्रीज खपरगंज बिलासपुर,छ.ग.	इयूल डेस्क विथ सेल्फ	115	3800
17	मे.डीलक्स स्टील इंडस्ट्रीज सिरगिट्टी बिलासपुर,छ.ग.	इयूल डेस्क विथ सेल्फ	229	3800
18	मे.बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज,लक्ष्मण नगर रायपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	60	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	60	1133
		स्टील स्टूल	120	360
		कैबिनेट प्लेन	30	6066
19	मे.रानीसती उद्योग तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	44	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	44	1133
		स्टील स्टूल	110	360
		कैबिनेट प्लेन	22	6066
20	मे.रानीसती उद्योग तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	22	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	22	1133
		स्टील स्टूल	44	360
		कैबिनेट प्लेन	11	6066
21	मे.डी.के.स्टील इंडस्ट्रीज सरकंडा बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	22	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	22	1133
		स्टील स्टूल	44	360
		कैबिनेट प्लेन	11	6066
22	मे.डी.के.स्टील इंडस्ट्रीज सरकंडा बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	34	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	34	1133
		स्टील स्टूल	85	360
		कैबिनेट प्लेन	17	6066
23	मे.खंडेलवाल सेल्स व.ए.पोरेशन,बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	20	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	20	1133
		स्टील स्टूल	40	360
		कैबिनेट प्लेन	10	6066
24	मे.अशोक इंडस्ट्रीज गोंडपारा बिलासपुर	ऑफिस टेबल	8	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	12	1133
		स्टील स्टूल	16	360
		कैबिनेट प्लेन	6	6066
25	मे.अशोक इंडस्ट्रीज गोंडपारा बिलासपुर	ऑफिस टेबल	36	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	36	1133
		स्टील स्टूल	36	360
		कैबिनेट प्लेन	24	6066
26	मे.अजय इंडस्ट्रीज खपरगंज बिलासपुर	ऑफिस टेबल	21	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	56	1133
		स्टील स्टूल	42	360

27	मे.अजय इंडस्ट्रीज खपरगंज बिलासपुर	ऑफिस टेबल	16	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	24	1133
		स्टील स्टूल	32	360
		कैबिनेट प्लेन	12	6066
28	मे.डी.के.स्टील इंडस्ट्रीज सरकंडा बिलासपुर,छ.ग.	इक्जीक्यूटीव टेबल	13	6470
		ऑफिस टेबल	52	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	130	1133
		स्टील स्टूल	130	360
		कैबिनेट प्लेन	52	6066
		रिवाल्विंग चेयर	13	3106
29	मे.बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लक्ष्मण नगर रायपुर,छ.ग.	इक्जीक्यूटीव टेबल	12	6470
		ऑफिस टेबल	48	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	120	1133
		स्टील स्टूल	120	360
		कैबिनेट प्लेन	48	6066
		रिवाल्विंग चेयर	12	3106
		स्टील स्टूल	140	360
30	मे.खंडेलवाल सेल्स कार्पोरेशन तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	इक्जीक्यूटीव टेबल	14	6470
		ऑफिस टेबल	56	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	182	1133
		स्टील स्टूल	140	360
		कैबिनेट प्लेन	56	6066
		रिवाल्विंग चेयर	14	3106
31	मे.रानीसती उद्योग तिफरा बिलासपुर,छ.ग.	इक्जीक्यूटीव टेबल	13	6470
		ऑफिस टेबल	52	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	130	1133
		स्टील स्टूल	130	360
		कैबिनेट प्लेन	52	6066
		रिवाल्विंग चेयर	13	3106
32	मे.डीलक्स रटील इंडस्ट्रीज सिरगिट्टी बिलासपुर,छ.ग.	ऑफिस टेबल	90	3830
		कुशन चेयर विथ आर्म	90	1133
		स्टील स्टूल	90	360
		कैबिनेट प्लेन	60	6066

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 903) के भाग (क) एवं (ग) को जानकारी]

प्रपत्र "अ"
प्रदेश में संचालित स्कूलों की संख्या तथा स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त शिक्षकों की जानकारी

क्र.सं.	जिल.	स्तरवार शालाओं की संख्या				कुल	स्तरवार शिक्षकों की संख्या											
		प्रा.शा.	पू.भा.शा.	हाई स्कूल	हायर सेकण्डरी स्कूल		प्रा.शा.			पू.भा.शा.			हाई स्कूल			हायर से. स्कूल		
							स्वी.	भर	रिक्त	स्वी.	भर	रिक्त	स्वी.	भर	रिक्त	स्वी.	भर	रिक्त
1	बलीदाबाजार	1234	652	85	118	2009	6135	5064	1071	3573	2720	853	685	277	408	2087	1321	766
2	धमतरा	770	396	69	82	1317	3648	2956	692	2196	1686	510	471	316	155	1117	601	316
3	धमतरी	941	460	56	93	1550	3213	3196	18	2596	2101	494	338	297	41	1175	960	215
4	सरगुजा	1407	581	76	66	2130	3526	3719	193	2391	2103	285	660	472	188	1111	893	218
5	मुंगेली	724	282	74	45	1125	1616	1239	376	2544	2327	217	447	168	279	656	368	268
6	नारायणपुर	476	126	8	20	630	1021	905	116	571	456	115	37	27	15	254	119	135
7	बीजापुर	741	178	17	27	963	2223	1336	887	890	703	187	82	23	59	309	151	158
8	दतयाडा	719	255	18	27	1019	643	225	420	236	211	25	114	57	57	460	233	226
9	बरतार	1704	693	70	91	2558	4594	4114	480	2895	2781	114	467	232	235	1606	776	830
10	कांकर	1643	625	121	109	2498	4295	3586	709	2885	2193	492	689	441	243	1219	692	527
11	कोडागाव	1346	648	74	70	2138	4041	2978	1063	2531	1920	611	379	127	251	1234	568	666
12	दुर्ग	648	355	35	117	1155	2997	2782	216	2262	1987	275	210	184	26	1566	1405	161
13	गिरयाबद	1080	471	67	70	1688	2622	2484	138	1719	1327	392	537	135	402	785	439	346
14	महासमुद्र	1316	510	55	98	1979	3846	3704	142	2563	1995	568	358	249	119	1349	932	407
15	रायगढ़	2092	929	107	139	3266	4521	4521	0	3492	2894	598	631	342	289	1713	1118	595
16	कबीरधाम	1095	530	80	63	1768	3632	3010	622	2483	1902	581	430	347	83	803	615	188
17	बलरामपुर	1465	581	62	65	2173	4638	3717	921	2739	1597	1142	105	65	40	777	552	225
18	सुरजपुर	1423	560	66	85	2134	1424	535	889	2314	1588	726	412	248	164	1118	714	404
19	कोरवा	1595	544	91	70	2300	6152	4058	2094	3133	2711	422	596	374	222	905	720	185
20	मुकभा	587	195	21	12	815	1871	1012	859	892	697	19	143	38	105	180	83	97
21	जाजगीर-चाप	1612	764	125	153	2674	8496	7433	1063	6114	5395	815	767	617	170	2520	1711	809
22	राजनादगाव	1891	706	118	178	2973	7247	6372	975	4459	2734	1725	813	468	345	3058	2052	1006
23	रायपुर	833	483	52	120	1488	4772	4090	682	3046	2476	570	309	242	67	1666	1371	295
24	बिलौरपुर	1810	792	144	127	2873	6097	5650	447	3515	2967	548	334	598	236	1601	1404	197
25	बालौर	908	425	49	125	1508	2812	2690	122	2178	1905	242	289	254	38	1699	1451	245
26	कोरिया	1271	549	76	57	1955	3821	2952	869	2370	1792	678	467	205	262	1014	447	567
27	जिज्ञपुर	1794	465	75	68	2422	5539	4986	553	2487	2249	238	641	362	279	1456	912	544
	कुल	33126	13664	1893	289	51172	105442	89313	16230	69123	55420	13618	11330	7100	4783	33438	22808	10615

कुल संचालित शाला संख्या - 51172

कुल स्वीकृत पद - 219933

कुल भरे पद - 174701

कुल रिक्त पद - 45232

प्रपत्र "ब"

राज्य में संचालित शालाओं के युक्तियुक्तकरण के तहत बन्द किये गये शालाओं की सूची

क्र.सं.	जिला	जिला का नाम	प्राथमिक शाला	पू.मा. शाला	हाईस्कूल	हा.से.स्कूल	आश्रम शाला	योग
1	रायपुर	रायपुर	72	22	0	0	0	94
		बलामदा बाजार	47	19	0	0	0	66
		भरियामुन्द	101	19	0	0	0	120
		गामतरी	61	20	2	1	0	84
		महासमुन्द	58	22	0	0	0	80
2	हुन	हुन	63	15	0	0	0	78
		बेमतरा	28	7	0	0	0	35
		बालोद	92	16	2	1	0	111
		कबीरधाम	126	42	3	3	0	174
		राजनादगाव	62	11	0	0	0	73
3	दिलासपुर	दिलासपुर	150	37	0	2	0	189
		मुगेली	69	11	0	0	0	80
		कोरवा	119	21	0	0	0	140
		जांजगीर-धनबा	97	18	2	1	0	118
		शरावद	130	21	3	3	0	157
4	सरगुजा	जशपुर	144	18	3	2	0	167
		सुरजपुर	47	8	2	2	0	59
		सर्गुजा	93	23	3	1	0	120
		बलरामपुर	115	33	2	3	0	153
		कोरिया	63	13	3	5	0	84
5	बस्तर	कांकर	52	12	1	1	0	66
		मुक्ता	38	22	0	0	0	60
		बीजापुर	74	10	3	0	5	92
		बस्तर	137	47	1	3	0	188
		लोण्डागांव	120	47	3	0	0	170
6	नारायणपुर	दत्तेगढ़ा	125	21	0	0	0	146
		नारायणपुर	14	0	0	0	0	14
योग			2297	555	33	28	5	2918

परिशिष्ट "पांच"

[ताम्रकित पत्र संख्या 10 (क्र. 814) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय) के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	हिन्दी		अंग्रेजी		संस्कृत		उर्दू		इतिहास/राजनीति		भूगोल/अर्थशास्त्र		गणित		गृह विज्ञान		कृषि		व्यावसायिक		गणित		भौतिक शास्त्र		रसायन शास्त्र		जीवविज्ञान		
		स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	
1	अजमेर	178	13	195	45	159	19	0	0	129	34	124	9	272	104	0	0	0	0	0	0	171	67	140	72	139	77	156	54	
2	बांसवाड़ा	96	13	117	26	90	23	0	0	85	75	81	23	164	32	0	0	3	2	27	26	103	22	86	35	86	25	97	7	
3	बांसवाड़ा	117	3	125	21	108	7	0	0	103	6	96	8	188	23	0	0	6	5	7	4	110	21	105	53	105	32	105	27	
4	बांसवाड़ा	111	11	118	14	92	12	2	0	86	16	82	4	133	19	2	-1	8	6	9	8	105	32	86	37	88	12	97	0	
5	बांसवाड़ा	133	55	120	53	85	46	0	0	111	42	103	50	79	27	0	0	0	0	4	3	115	62	91	65	78	57	80	36	
6	बांसवाड़ा	29	5	24	12	19	10	0	0	38	22	38	20	21	10	0	0	0	0	0	0	24	19	19	18	19	10	23	9	
7	बांसवाड़ा	41	5	41	20	39	22	0	0	34	8	34	15	54	43	0	0	8	8	0	0	41	27	27	23	27	20	41	24	
8	बांसवाड़ा	39	13	38	16	38	71	0	0	58	30	63	35	50	14	0	0	4	4	0	0	37	20	37	20	37	20	30	14	
9	बांसवाड़ा	141	8	140	70	138	50	0	0	177	64	175	86	181	125	0	0	0	0	0	0	139	77	135	117	132	94	158	70	
10	बांसवाड़ा	115	12	120	59	90	55	0	0	144	28	129	29	180	104	0	0	5	12	8	13	7	109	60	97	67	96	51	105	42
11	बांसवाड़ा	135	38	135	82	100	71	0	0	154	35	165	65	114	77	0	0	12	12	0	0	133	94	95	72	94	74	106	55	
12	बांसवाड़ा	161	3	203	6	144	4	0	0	127	24	127	25	234	34	6	0	2	0	0	0	148	1	142	36	134	22	138	6	
13	बांसवाड़ा	77	12	79	32	73	31	0	0	70	26	70	17	125	59	0	0	0	0	0	0	74	33	73	55	72	49	72	32	
14	बांसवाड़ा	207	40	241	58	183	35	0	0	155	27	121	13	194	75	1	1	1	1	0	0	191	77	112	69	107	55	187	74	
15	बांसवाड़ा	270	43	279	108	243	77	0	0	141	34	141	36	278	70	0	0	0	0	0	0	266	130	148	80	147	65	259	107	
16	बांसवाड़ा	77	11	94	18	75	13	0	0	66	13	72	17	115	19	0	0	0	0	6	6	83	18	74	36	69	26	72	11	
17	बांसवाड़ा	101	24	110	58	72	25	0	0	103	43	97	29	97	40	3	2	11	4	3	3	108	69	66	51	64	43	84	41	
18	बांसवाड़ा	128	15	142	63	95	34	0	0	104	18	92	14	158	63	4	1	0	0	0	0	119	60	92	56	91	50	93	30	
19	बांसवाड़ा	90	17	88	23	74	21	0	0	78	27	74	-7	140	40	0	0	1	-3	7	6	80	20	70	20	70	15	70	12	
20	बांसवाड़ा	16	4	17	10	13	7	0	0	20	3	23	7	20	13	0	0	0	0	0	0	18	15	13	11	12	8	15	8	
21	बांसवाड़ा	218	21	228	42	193	45	0	0	169	46	165	59	306	127	0	0	0	0	15	12	199	53	190	81	183	48	193	36	
22	बांसवाड़ा	183	11	205	46	156	26	0	0	113	32	142	26	270	105	1	-1	0	0	18	14	177	44	151	90	148	71	161	31	
23	बांसवाड़ा	175	37	178	6	151	0	5	0	139	22	135	26	243	53	3	0	2	0	33	19	151	13	153	65	148	44	149	10	
24	बांसवाड़ा	168	9	173	36	133	-6	2	1	159	-30	139	-11	229	53	2	0	12	9	0	0	161	35	140	54	137	37	146	10	
25	बांसवाड़ा	182	16	213	24	153	5	0	0	163	17	121	19	250	43	4	1	7	4	16	14	153	11	145	46	139	35	150	13	
26	बांसवाड़ा	90	30	106	68	71	41	0	0	76	20	72	28	115	72	0	0	0	0	15	14	94	61	91	59	71	46	81	51	
27	बांसवाड़ा	106	21	180	77	101	23	0	0	134	32	125	10	133	28	0	0	0	0	0	0	176	106	143	98	139	66	151	45	
	कुल	3384	461	3709	1093	2829	721	9	1	2966	624	2806	644	4303	1482	31	8	89	60	172	136	3283	1247	2721	1481	2632	1152	3019	850	

परिशिष्ट "छः"

[तारंकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 982) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में 25 जून 2015 तक विभिन्न सामग्रियों हेतु जारी सामग्री की जानकारी

क्र.	मद का नाम	सामग्री का नाम	क्रमोंक / दिनोंक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
2013-14				
1	कार्यालय फर्नीचर	हाई एवं उच्च.माध्य.शालाओं हेतु कार्या. फर्नीचर	1. 34 / 12-04-2013	720000
			2. 1254 / 25-01-2014	288000
		मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कार्यालय फर्नीचर	3. 867 / 30-09-2013	98400
			योग	1106400
2	भंडार तथा कच्चा माल	हाईस्कूल एवं उच्च.माध्य.शालाओं के लिये विज्ञान सामग्री उपकरण	1. 26 / 12-04-2013	1000000
			योग	1000000
3	गैर कार्यालयीन फर्नीचर	हाईस्कूल एवं उच्च.माध्य.शालाओं में विद्यार्थी फर्नीचर	1. 28 / 12-04-2013	1200000
		पूर्व माध्यमिक शाला के लिये विद्यार्थी फर्नीचर	2.30 / 12-04-2013	1300000
		हाईस्कूल एवं उच्च.माध्य.शालाओं में विद्यार्थी फर्नीचर	3. 1252 / 25-01-2014	1076794
			योग	3576794
4	मशीन तथा उपकरण अन्य व्यय	शालाओं में अग्निशामक	24 / 12-04-2013	240000
			योग	240000
5	अन्य अनुदान	हाईस्कूल की छात्राओं को सायकल	1. 20 / 12-04-2013	2230000
			2. 819 / 13-09-2013	591517
			योग	2821517
योग 2013-14				8744711
2014-15				
1	कार्यालय फर्नीचर	पूर्व माध्य.शालाओं के लिये कार्यालय फर्नीचर	1. 51 / 21-04-2014	30800
		हाईस्कूल एवं उच्च. माध्य.शालाओं के लिये कार्यालय फर्नीचर	2. 59 / 21-04-2014	754600
		जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिये कार्यालय फर्नीचर	3. 11 / 09-04-2014	200000
		मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कार्यालय फर्नीचर	4. 26 / 17-04-2014	80000
			योग	1065400
2	भंडार तथा कच्चा माल	हाईस्कूल एवं उच्च. माध्य.शालाओं के लिये विज्ञान सामग्री उपकरण हेतु	1. 55 / 21-04-2014	1253230
			2. 1468 / 27-01-2015	417600
		व्यायाम उपकरण के लिये	3. 741 / 09-02-2015	300000
			योग	1970830
3	गैर कार्यालयीन फर्नीचर	पूर्व माध्य.शालाओं के लिये विद्यार्थी फर्नीचर	1. 71 / 21-04-2014	123800
		हाईस्कूल एवं उच्च. माध्य.शालाओं के लिये विद्यार्थी फर्नीचर	2. 63 / 21-04-2015	1503890
			3. 1464 / 27-01-2015	250560
		पूर्व माध्य.शालाओं के लिये विद्यार्थी फर्नीचर	4. 1466 / 27-01-2015	59320
			योग	1937570
4	सामग्री और पूर्ति अन्य व्यय	मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत किचन डिवाइस रिफ्लेसमेंट हेतु	1790 / 24-02-2015	1532000
5	मशीन तथा उपकरण अन्य व्यय	शालाओं में अग्नि सुरक्षा हेतु	1. 61 / 21-04-2014	65000
			2.1622 / 07-02-2015	25080
			योग	90080
6	अन्य अनुदान	हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को सायकल	39 / 21 अप्रैल 2014	1100000
योग 2014-15				7695880

2015-16				
1	कार्यालय फर्नीचर	हाईस्कूल एवं उच्च. माध्य.शालाओं के लिये कार्यालय फर्नीचर	15/04-2015	1400000
		पूर्व माध्य.शालाओं के लिये कार्यालय फर्नीचर	2/07/13-04-2015	27480
		जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिये कार्यालय फर्नीचर	3/08/06-04-2015	148150
			योग	1575630
2	मंडल तथा कक्षा भवन	हाई एवं उच्च.मा.शालाओं हेतु विद्यार्थी सार्वजनिक हेतु	17/30-0-215	1372176
3	कार्यालयीन फर्नीचर	हाईस्कूल एवं उच्च.माध्य.शालाओं के लिये विद्यार्थी फर्नीचर हेतु	147/15-04-2015	1269932
		पूर्व माध्यमिक शाला के लिये विद्यार्थी फर्नीचर	2/36/13-04-015	112200
				योग
5	मशीन तथा उपकरण	शालाओं में अग्नि सुरक्षा हेतु	52/15-04-2013	69000
योग 2015-16				4389938

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 658) के भाग (क) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र वि. ईपट - एन. ए. का निर्माण संबंधी

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निर्मित एनीकट एवं स्टापडेम की जानकारी

वर्ष	स.क्र.	निर्मित एनीकट / स्टापडेम का नाम	नदी/नाला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	टीप
1	2	3		5	6	7
2013-14	1	राजादेवरी एनीकट	जोंक नदी	कसडोल	राजादेवरी	
योग 2013-14		1 एनीकट				
2014-15	1	माहुलडीह एनीकट	गोरखा नाला	विलाईगढ़	माहुलडीह	
	2	नवापारा स्टापडेम	विला नाला	विलाईगढ़	नवापारा	
	3	गोपालपुर स्टापडेम	विला नाला	विलाईगढ़	गोपालपुर	
	4	कछार नाला स्टापडेम	करमेल नाला	कसडोल	मानदीप	
योग 2011-15		01 एनीकट 03 स्टापडेम				

परिशिष्ट "आठ"

[तारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 523) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क.	वर्ष	विभाग द्वारा की गई पहल/कार्यवाही
1	2013-14	<p>1. विभाग के पत्र क्र. 187 दिनांक 10.01.2013 द्वारा डॉ. आनन्दी सुब्रमनियम, सदस्य सचिव, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को वर्ष 2013-14 हेतु धान (सामान्य) का समर्थन मूल्य रु. 2050/- प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड-ए) का समर्थन मूल्य रु. 2100/- प्रति क्विंटल निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।</p> <p>2. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पन्न आयुक्त, छ.ग. शासन के अर्ध शास. पत्र क्र. 1951 दिनांक 02.05.2013 द्वारा श्री आशीष बहुगुणा, सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली को धान (सामान्य) का समर्थन मूल्य रु. 2050/- प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड-ए) का समर्थन मूल्य रु. 2100/- प्रति क्विंटल निर्धारित किये जाने हेतु लिखा गया है।</p> <p>3. श्री चन्द्रशेखर राहू, माननीय कृषि मंत्री महोदय द्वारा अर्ध शास. पत्र क्र. 3732 दिनांक 30.08.2013 द्वारा श्री नमो नारायण मीणा, वित्त राज्य मंत्री (व्यय एवं वित्तीय सेवाएं), भारत सरकार, नई दिल्ली को धान (सामान्य) का समर्थन मूल्य रु. 2050/- प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड-ए) का समर्थन मूल्य रु. 2100/- प्रति क्विंटल निर्धारित किये जाने हेतु लिखा गया है।</p> <p>4. श्री चन्द्रशेखर राहू, माननीय कृषि मंत्री महोदय द्वारा अर्ध शास. पत्र क्र. 3733 दिनांक 30.08.2013 द्वारा श्री अशोक गुलाटी, अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को धान (सामान्य) का समर्थन मूल्य रु. 2050/- प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड-ए) का समर्थन मूल्य रु. 2100/- प्रति क्विंटल निर्धारित किये जाने हेतु लिखा गया है।</p>
2	2014-15	<p>1. विभाग के पत्र क्र. 5300 दिनांक 31.12.2013 द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु धान (सामान्य) का समर्थन मूल्य रु. 2100/- प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड-ए) का समर्थन मूल्य रु. 2150/- प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव डॉ. आनन्दी सुब्रमनियम, सदस्य सचिव, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है।</p> <p>2. विभाग के पत्र क्र. 1469 दिनांक 26.03.2014 द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु धान (सामान्य) का समर्थन मूल्य रु. 2100/- प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड-ए) का समर्थन मूल्य रु. 2150/- प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग को प्रेषित किया गया है।</p> <p>3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, माननीय कृषि मंत्री जी, के पत्र क्र. 40 दिनांक 10.06.2014 द्वारा धान (सामान्य) का समर्थन मूल्य रु. 2100/- प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड-ए) का समर्थन मूल्य रु. 2150/- प्रति क्विंटल करने हेतु श्री राधा मोहन सिंह, माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार को लिखा गया है।</p>
3	2015-16	<p>1. विभाग के पत्र क्र. 9083 दिनांक 03.01.2015 द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु धान (सामान्य) का समर्थन मूल्य रु. 2100/- प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड-ए) का समर्थन मूल्य रु. 2150/- प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव डॉ. शैलजा शर्मा, सदस्य सचिव, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है।</p> <p>2. विभाग के पत्र क्र. 473 दिनांक 28.04.2015 द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु धान (सामान्य) का समर्थन मूल्य रु. 2100/- प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड-ए) का समर्थन मूल्य रु. 2150/- प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग को किया गया है।</p>

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "नौ"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 153) के भाग (क) की जानकारी]

गणवेश की मांग एवं वितरण संबंधी जानकारी

क	जिला	गणवेश की मांग (सेट्स में)	गणवेश का वितरण (सेट्स में)
1	2	3	4
1	रायपुर	496110	76966
2	महासमुंद	277910	0
3	धमतरी	217202	43273
4	बलौदाबाजार	444590	0
5	गरियाबंद	212702	0
6	दुर्ग	307188	0
7	बैतार	309172	39206
8	बालोद	189672	18400
9	राजनांदगांव	425634	284312
10	कबीरघाम	279384	0
11	विलासपुर	592990	0
12	मुंगेली	229832	0
13	जांजीर	499848	0
14	गोरबा	382850	0
15	सरगुज.	272010	2219
16	बलरामपुर	245504	7404
17	सूरजपुर	233702	0
18	कोरिया	201116	12629
19	जशपुर	261284	44437
20	रायगढ़	347378	133138
21	कांकेर	240757	85330
22	जगदलपुर	249908	12550
23	कोण्डागांव	243096	0
24	नारायणपुर	59665	0
25	दंतेवाड़ा	91523	0
26	बीजापुर	98158	16911
27	सुकमा	90144	6570
	योग	7499329	783345

परिशिष्ट "दस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 168) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वित्तीय वर्ष 2014-15 में जांजगीर-चांगपा जिले को मध्याह्न भोजन के लिये शासन द्वारा जारी की गई राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

सं. क्र.	पत्र क्र/दिनांक	मद	प्राथमिक	अपर प्राथमिक	योग
1	26 / 17.04.2014	कु.का.एवं रसो.मान.	611.66	459.44	1071.10
2	26 / 17.04.2014	एम.एम.ई., चा.मू.परि.मू.	5.60	5.10	10.70
3	498 / 13.08.2014	कु.का.एवं रसो.मान	779.69	550.81	1330.50
4	500 / 13.08.2014	एम.एम.ई., चा.मू.परि.मू.	6.70	4.20	10.90
5	1462 / 14.11.2014	एम.एम.ई.क.आप.	6.00	1.80	7.80
6	1613 / 05.02.2015	कु.का.एवं रसो.मान	55.00	40.00	95.00
7	1750 / 19.02.2015	एम.एम.ई. क.आप.	3.15	3.15	6.30
8	1790 / 24.02.2015	किचन डिवाइस रिप्लेस.	20.43	20.43	40.87
9	1792 / 24.02.2015	एम.एम.ई.	00.80	00.15	00.95
10	1925 / 13.03.2015	किचन गार्डन	-	-	1.00
कुल योग			1489.03	1085.08	2575.12

(पच्चीस करोड़ पचहत्तर लाख बारह हजार रुपये मात्र)

जिला कार्यालय से विकासखण्ड को कम्प्यूटर आपरेटर मानदेय कि.डि. व कि रिप्ले हेतु जारी राशि का विवरण

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कम्प्यूटर आपरेटर मानदेय एवं अ.आक.व्य.किचन डिवाइस रिप्लेसमेंट तथा किचन गार्डन																
		दिनांक 07.04.2014 को जारी राशि (दूरसंचार)	दिनांक 08.05.2014 को जारी राशि (रसोइया प्रशिक्षण)	दिनांक 30.06.2014 को जारी राशि (मानदेय)	दिनांक 07.07.2014 को जारी राशि (मानदेय)	दिनांक 13.09.2014 को जारी राशि (मानदेय)	दिनांक 17.10.2014 को जारी राशि (मानदेय)	दिनांक 02.12.2014 को जारी राशि (मानदेय)	दिनांक 04.02.2015 को जारी राशि (दूरसंचार)	दिनांक 23.02.2015 को जारी राशि (मानदेय)	दिनांक 31.03.2015 को जारी राशि (सूचना प्रौद्योगिकी)	दिनांक 06.04.2015 को जारी राशि (दूरसंचार एवं फार्म छपाई)	दिनांक 16.04.2015 को जारी राशि (मानदेय)	दिनांक 24.04.2015 को किचन गार्डन हेतु जारी राशि	दिनांक 08.06.2015 को जारी राशि	दिनांक 23.06.2015 को जारी राशि	दिनांक 07.07.2015 को किचन डिवाइस रिप्लेसमेंट हेतु जारी राशि	कुल जारी राशि
1	अकलतरा	-	-	49536	-	24906	0	49500	-	54000	-	-	22188	-	36000	-	-	236130
2	बलौदा	-	-	66654	-	33906	18000	36000	-	54000	-	-	26376	-	36000	-	-	270936
3	बम्हनीडीह	-	-	66654	-	33906	18000	39000	-	54000	-	-	29376	-	39000	-	-	279936
4	डभरा	-	-	66654	-	33906	0	0	-	54000	-	-	13188	-	18000	54000	-	239748
5	जैजैपुर	-	-	66654	-	16953	22500	45000	-	45000	-	-	13188	-	18000	-	-	227295
6	मालखरीदा	-	-	66654	-	33906	18000	36000	-	54000	-	-	26376	-	36000	-	-	270936
7	नवागढ़	-	-	97254	-	33906	18000	36000	-	54000	-	-	26376	100000	36000	-	-	401536
8	पामगढ	-	-	66654	-	33906	18000	36000	-	54000	-	-	26376	-	36000	-	-	270936
9	सक्ती	-	-	66654	-	33906	18000	36000	-	54000	-	-	26376	-	36000	-	-	270936
10	जिला कार्यालय	500	5000	131868	10000	81624	18000	36000	19064	54000	15000	140000	26376	-	36000	-	4087000	4660432
	योग	500	5000	745236	10000	360825	148500	349500	19064	531000	15000	140000	236196	100000	327000	54000	4087000	7128921

जिला कार्यालय से विकासखण्ड को कुकिंग कास्ट एवं रसोइया मानदेय हेतु जारी राशि

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	कुकिंग कास्ट एवं रसोइया मानदेय						कुल जारी राशि
		दिनांक 10.07.2014	दिनांक 21.08.2014	दिनांक 02.12.2014	दिनांक 13.03.2015	दिनांक 31.03.2015	दिनांक 07.07.2015	
1	अकलतरा	12705663	-	12915000	5000000	-	3061694	30682357
2	बलौदा	11901699	-	3200000	5500000	-	3061686	23563385
3	बम्हनीडीह	11157186	-	5855000	-	5000000	3061686	25073872
4	डभरा	9453215	500000	7000000	5500000	-	3061686	25514901
5	जैजैपुर	11928686	-	5050000	-	5000000	3061686	25040372
6	मालखरौदा	11157388	-	6882000	-	5000000	3061686	26101074
7	नवागढ़	15425074	-	8000000	-	5000000	3061686	31486760
8	पामगढ़	12725494	-	3500000	5500000	-	3061686	24787180
9	सक्ती	10655595	-	7400000	-	5000000	3061686	26117281
	कुल योग	107110000	500000	59802000	21500000	25000000	27555182	241467182

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 169) के भाग (ख) की जानकारी]

वि.सं. - जाजगीर

शिक्षा के अधिकार तहत वर्ष 2014-15 में जारी राशि का विवरण

क्र	विकासखण्ड का	नोडल/संस्था का नाम	जारी राशि	विशेष
1	पामगढ़	शास.उ.मा.वि.भिलौनी	105000	
2	मालखरौदा	शास.उ.मा.वि.नरियरा (माल.)	346200	
3	बम्हनीडीह	शास.उ.मा.वि.बम्हनीडीह	565485	
4	जैजैपुर	शास.उ.मा.वि.अकलतरा	277335	
5	डभरा	शास.उ.मा.वि.कोटमी (ड)	375410	
6	पामगढ़	शास.उ.मा.वि.समहा	2453500	
7	पामगढ़	शास.उ.मा.वि.राहौद	116940	
8	मालखरौदा	शास.उ.मा.वि.मालखरौदा	268500	
9	बम्हनीडीह	शास.उ.मा.वि.झरना	216700	
10	सक्ती	शास.आदर्श उ.मा.वि.सक्ती	130490	
11	बम्हनीडीह	शास.बी.डी.एम.उ.मा.वि.सारागांव	333110	
12	नवागढ़	शास.कन्या उ.मा.वि.नवागढ़	190860	
13	बम्हनीडीह	शास.उ.मा.वि.झरना	329700	
14	डभरा	शास.उ.मा.वि.धुरकोट (ड)	94400	
15	जैजैपुर	शास.उ.मा.वि.सलनी	202500	
16	डभरा	शास.उ.मा.वि.देवरघटा	233375	
17	मालखरौदा	शास.उ.मा.वि.मालखरौदा	93500	
18	बलौदा	शास.उ.मा.वि.पहरिया	483500	
19	पामगढ़	शास.उ.मा.वि.राहौद	80675	
20	मालखरौदा	सर.पब्लिक स्कूल सपिया	70000	
21	अकलतरा	महा.ज्योतिराव फूले उ.मा.वि.मुरलीडीह	161000	
22	बलौदा	सिमगा उ.मा.वि.कण्डरा	550000	
23	अकलतरा	विद्युत ज्योति पू.मा.वि.पकरिया	138600	
24	पामगढ़	महा.ज्योतिराव फूले पू.मा.वि.केसला	180700	
25	पामगढ़	महा.ज्योतिराव फूले प्रा.शा.हिरी	450000	
26	पामगढ़	डा.बी.आर.अम्बेडकर उ.मा.वि.भिलौनी	175000	
27	अकलतरा	सूरज कान्वेंट स्कूल परसदा	205000	
28	पामगढ़	वन्दे मातरम उ.मा.वि.खरौद	169740	
29	बलौदा	यश कान्वेंट स्कूल लछनपुर	18800	
30	नवागढ़	विद्या भारती उ.मा.वि.सुकली	394350	
31	बम्हनीडीह	ज्ञान शारदा उ.मा.वि.बाराद्वार	78000	
32	पामगढ़	कमला देवी उ.मा.वि.केसला	180000	
33	बलौदा	जीवनदीप पब्लिक स्कूल बु.जीपोटा	59400	
34	नवागढ़	सर.शिशु मंदिर धुरकोट	338000	
35	अकलतरा	रेवाराम उ.मा.वि.पौना	198000	

क्र	विकासखण्ड का	मॉडल/संस्था का नाम	जारी राशि	विशेष
35	पामगढ़	बंगलादेवी उ.मा.वि.चण्डीपारा (पामगढ़)	99000	
37	पामगढ़	सर.शिशु मंदिर चण्डीपारा (पामगढ़)	204000	
38	पामगढ़	छ.ग.ज्ञान ज्योति उ.मा.वि.पामगढ़	217500	
39	पामगढ़	देहली मारथामा पब्लिक स्कूल पामगढ़	35000	
40	बलौदा	हर्षिता उ.मा.वि.लछनपुर	40500	
41	मालखरौदा	शिव पब्लिक स्कूल गोरदगापालो	170800	
42	बलौदा	सर.शिशु मंदिर खिसोरा	33600	
43	बलौदा	विद्या भारती उ.मा.वि.पहरिया	671616	
44	बलौदा	ब्राइट यूथर पू.मा.शा.बेलदुकरी	95200	
45	बलौदा	न्यू पब्लिक स्कूल कुरमा	74800	
46	बलौदा	गोल्डन पब्लिक स्कूल देवरी	88400	
47	बलौदा	वीणा वादिनी पू.मा.शा.खैजा	91000	
48	जैजैपुर	कल्याणी पू.मा.शा.बहेराडीह	88400	
49	जैजैपुर	इण्डियन पू.मा.शा.जर्वे	91000	
50	जैजैपुर	विद्या धाम पू.मा.शा.बेलादुला	95200	
51	पामगढ़	मुस्कान उ.मा.वि.जेवरा	544500	
52	पामगढ़	सूर्योदय उ.मा.वि.धनगांव	808500	
53	पामगढ़	आदर्श माडल कान्वेंट स्कूल खपरी	189000	
54	अकलतरा	सर.शिशु मंदिर हरदी	95400	
55	बलौदा	म्युरा कान्वेंट स्कूल बलौदा	364900	
56	बलौदा	स्व.गमेली बाई पू.मा.शा.बलौदा	435660	
57	मालखरौदा	अरुणोदय मॉडल कान्वेंट स्कूल दर्राभांता	299250	
58	अकलतरा	सर.स्वती शिशु मंदिर तिलई	185000	
59	अकलतरा	सरस्वती शिशु मंदिर तागा	152400	
60	बम्हनीडीह	गायत्री उ.मा.वि.सारागांव	123000	
61	बलौदा	जीवनदीप पब्लिक उ.मा.वि.कुलीपोटा	30800	
62	सक्ती	वसुन्धरा उ.मा.वि.जेठा	128000	
63	पामगढ़	सरस्वती शिशु मंदिर खरौद	112350	
64	बम्हनीडीह	पर्ल स्कूल सरहर (बाराद्वार)	280800	
65	पामगढ़	सरस्वती शिशु मंदिर लोहसी	55040	
66	पामगढ़	सरस्वती शिशु मंदिर ससहा	158400	
67	बम्हनीडीह	ग्रीन फील्ड स्कूल बाराद्वार	331560	
68	बम्हनीडीह	सरस्वती शिशु मंदिर बाराद्वार	47360	
69	बम्हनीडीह	सरस्वती शिशु मंदिर झरना	80200	
70	बम्हनीडीह	सरस्वती शिशु मंदिर कड़ारी	16430	
71	बम्हनीडीह	विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल सरहर	69650	
72	अकलतरा	सरस्वती शिशु मंदिर पिपरसत्ती	186500	

जिला-ज्वांजगीर-

शिक्षा के अधिकार तहत वर्ष 2014-15 में जारी राशि का विवरण-

क्र	विकासखण्ड का	नॉडल/संस्था का नाम	जारी राशि	विशेष
73	पामगढ़	गुरुकूल ज्ञान सागर वि.म.हरदी करी	432000	
74	पामगढ़	बाल विकास मंदिर डोंगाकोहरौद	430900	
75	पामगढ़	शारदा शिशु मंदिर डोंगाकोहरौद	378600	
76	पामगढ़	एकलव्य पू.मा.शा.कोसीर	294000	
77	पामगढ़	महात्मा ज्योतिबा राव फुले पू.मा.शा.केसला	264100	
78	पामगढ़	महामाया ज्ञान मंदिर डोंगाकोहरौद	130000	
79	नवागढ़	संस्कार भारती पू.मा.शा.भड़सर	98000	
80	बलौदा	बाला जयंती सह.उ.मा.वि.डोंगरी	394440	
81	नवागढ़	विद्या भारती उ.मा.वि.पचेड़ा (सुकली)	65950	
82	पामगढ़	सिद्धीविना उ.मा.वि.कोनारगढ़	108500	
83	बलौदा	बाला जयंती सह संस्कृत विद्यालय डोंगरी	457600	
84	बम्हनीडीह	सार कान्वेंट स्कूल बाराद्वार	161600	
85	बम्हनीडीह	सन राईज पब्लिक स्कूल बाराद्वार	240000	
86	बम्हनीडीह	सरस्वती शिशु मंदिर देवरी	110700	
87	नवागढ़	विद्या विनय विवेक बुड़ेना	330070	
88	अकलतरा	सरस्वती शिशु मंदिर सोनसरी	75000	
89	पामगढ़	विद्या निकेतन मॉडल कान्वेंट उ.मा.वि.पामगढ़	448800	
90	अकलतरा	सरस्वती शिशु मंदिर अमोरा	26000	
91	पामगढ़	सरस्वती शिशु मंदिर भैसों	29000	
92	पामगढ़	सरस्वती शिशु मंदिर सेनरिया	179735	
93	पामगढ़	सरस्वती शिशु मंदिर केसला	230100	
94	पामगढ़	सरस्वती शिशु मंदिर चोरभट्टी	127600	
95	नवागढ़	सरस्वती शिशु मंदिर केरा	95460	
96	नवागढ़	सरस्वती शिशु मंदिर कटौद	56400	
97	नवागढ़	सरस्वती शिशु मंदिर केर.जा (नवा)	36450	
98	पामगढ़	डॉ.बी.आर.अम्बेडकर हाईस्कूल बोरसी	216000	
99	नवागढ़	संस्कार भारती उ.मा.वि.केरा	77500	
100	पामगढ़	शारदा शिशु मंदिर डोंगाकोहरौद	200000	
101	बलौदा	अमरदीप पब्लिक स्कूल केराझरिया	210000	
102	पामगढ़	विद्या निकेतन मॉडल इ.मि.स्कूल पामगढ़	347900	
103	बम्हनीडीह	अमरदीप पब्लिक स्कूल चांपा	117500	
104	पामगढ़	राकेश कुमार उ.मा.वि.रसौटा	221000	
105	पामगढ़	शिराष पाठ पू.मा.वि.डोंगाकोहरौद	81500	
106	अकलतरा	सरस्वती शिशु मंदिर बरगांव	9100	
107	नवागढ़	सरस्वती शिशु मंदिर किरीत	5040	
108	बलौदा	सरस्वती शिशु मंदिर उदयभांठा	8320	
109	नवागढ़	न्यू लाईफ कान्वेंट स्कूल खोखरा	79000	

क्र	विकासखण्ड का	गोडल/संस्था का नाम	जारी राशि	विशेष
110	बलौदा	सरस्वती ज्ञान मंदिर जर्वे (ब)	52901	
111	पामगढ़	भारतीय विद्या मंदिर लगरा	286000	
112	पामगढ़	महात्मा ज्योतिबा राव पुले प्राथ.शा.भित्तीनी	205000	
113	सक्ती	अरुणोदय मॉडल कान्वेंट स्कूल सक्ती	159500	
114	जैजैपुर	सरस्वती शिशु मंदिर तुषार	195880	
115	जैजैपुर	जी.एस.सी.मॉडल कान्वेंट स्कूल जैजैपुर	294000	
116	नवागढ़	जिज्ञासा उ.मा.वि.महत	266500	
117	पामगढ़	एफ.अ.राहू उ.मा.वि.मेंऊ	197400	
118	जैजैपुर	विद्याधाम पू.मा.शाला बेलादुला	122400	
119	जैजैपुर	कल्याणी पू.मा.शा.बहेराडीह	108800	
120	जैजैपुर	इण्डियन पू.मा.शा.जर्वे	105000	
121	बलौदा	ब्राइट फ्यूचर पू.मा.शा.बेलटुकरी	108800	
122	बलौदा	गोल्डन पब्लिक स्कूल देवरी	115600	
123	बलौदा	वीणा वादिनी पू.मा.शा.खैजा	105000	
124	बलौदा	न्यू पब्लिक स्कूल कुरमा	122400	
125	पामगढ़	राजसी पब्लिक स्कूल तनौद	66000	
126	जैजैपुर	अरुणोदय कान्वेंट उ.मा.वि.सेन्दुरस	285500	
127	जैजैपुर	मणिका माता उ.मा.वि.भोथिया	235200	
128	नवागढ़	आर.के.आर.इंग्लिस मिडियम-स्कूल जाजगीर	76500	
129	जैजैपुर	गायत्री विद्या मंदिर स्कूल ओडेकेरा	196100	
130	जैजैपुर	साकेत विद्या निकेतन स्कूल काशीगढ़	196010	
131	पामगढ़	जय हिंगलाज माई उ.मा.वि.कोसा	204000	
132	जैजैपुर	चन्द्रा सरकार उ.मा.वि.दरभाठा	70400	
133	जैजैपुर	देवी चण्डी उ.मा.वि.सलनी	244800	
134	जैजैपुर	गायत्री पू.मा.वि.डोंगिया	51500	
135	अकलतरा	सरस्वती शिशु मंदिर नरियरा	108225	
136	जैजैपुर	आदर्श कान्वेंट स्कूल परसाडीह	187000	
137	जैजैपुर	संस्कार भारती उ.मा.वि.जैजैपुर	259900	
138	जैजैपुर	दीप ज्योति कान्वेंट स्कूल कुटाराबोड़	165000	
139	नवागढ़	ग्रीन रिक्टर वेली इंग्लिस स्कूल जाजगीर	217000	
140	जैजैपुर	मॉ खम्बेश्वरी कान्वेंट स्कूल कचदा	99000	
141	नवागढ़	ग्रीन रिक्टर वेली इंग्लिस स्कूल जाजगीर	205270	
142	जैजैपुर	आस्था पब्लिक स्कूल बोईरडीह	118800	
143	अकलतरा	ग्राम भा.सर.शि.मंदिर कापन	18500	
144	सक्ती	गुंजन एजुकेशन सेंटर सक्ती	131550	
145	सक्ती	एम.एल.जैन उ.मा.वि.सक्ती	127890	
146	अकलतरा	दिव्य शक्ति मॉडर्न स्कूल नरियरा	269440	

क्र.	विकासखण्ड का	नोडल/संस्था का नाम	जारी राशि	विशेष
147	जैजैपुर	सरस्वती शिशु मंदिर धिवरा	150500	
148	पामगढ़	डॉ.बी.आर.अम्बेडकर उ.मा.वि.भिलौनी	193500	
149	बलौदा	हर्षिता उ.मा.वि.लछनपुर	59500	
150	पामगढ़	महात्मा ज्योतिबाराव फूले पू.मा.वि.हिरी	318500	
151	जैजैपुर	शालोम पब्लिक स्कूल ठठारी	18800	
152	बलौदा	ग्राम भारतीय सरस्वती शिशु मंदिर पंतोरा	55440	
153	नवागढ़	कुलदीप गंगा शिक्षण समिति जांजगीर	1350	
154	जैजैपुर	संत अल्फोन्सा विद्यालय देवरघटा	116000	
155	नवागढ़	शारदा शिशु मंदिर खोखरा	24000	
156	अकलतरा	जय हिंगलाज माई शिशु मंदिर अर्जुंगा	10650	
157	बम्हनीडीह	लायंस इंग्लिस उ.मा.वि. चांपा	154000	
158	नवागढ़	सरस्वती शिशु मंदिर पाली	19800	
159	जैजैपुर	विवेक विद्या मंदिर जैजैपुर	187000	
160	जैजैपुर	सरस्वती शिशु मंदिर हसौद	105360	
161	जैजैपुर	हैप्पी पब्लिक स्कूल हसौद	165000	
162	नवागढ़	सरस्वती ज्ञान मंदिर कुथुर	60060	
163	नवागढ़	बालाजी विद्या मंदिर सेन्दरी	10053	
164	सक्ती	वसुन्धरा संस्कृत विद्यापीठ जेठा	80600	
165	मालखरौदा	सरस्वती शिशु मंदिर भांठा	159000	
166	नवागढ़	त्रिमुर्ती उ.मा.वि.मेंहदा	120000	
167	जैजैपुर	महारानी लक्ष्मीबाई उ.मा.वि.मल्दा	305500	
168	बम्हनीडीह	नव जागृति उ.मा.वि.चाम्पा	138450	
169	सक्ती	ज्ञानदीप पब्लिक पू.मा.शा.साँठी परसदाखुर्द	41400	
170	नवागढ़	डिवाइन पब्लिक स्कूल जांजगीर	83000	
TOTAL			32384580	

अक्षरांक - तीन करोड़ तेईस लाख चौरासी हजार पांच सौ अस्सी रुपये

परिशिष्ट "बाराह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 268) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

उर्वरक/कीटनाशक के अनुज्ञापिधारी विक्रेताओं की संख्या

क्र.	जिला	उर्वरक	कीटनाशक
1	2	3	4
1	रायपुर	457	490
2	बलीदाबाजार	288	215
3	गरियाबंद	143	189
4	महासमुन्द	191	271
5	धमतरी	522	534
6	दुर्ग	214	251
7	बालोद	174	271
8	बेमेतरा	292	310
9	राजनादगाव	352	275
10	कबीरधाम	100	67
11	बिलासपुर	347	206
12	मुंगेली	202	118
13	जाजगीर	301	346
14	कोरबा	103	67
15	रायगढ़	303	207
16	सरगुजा	142	36
17	सुरजपुर	136	50
18	बलरामपुर	135	63
19	जशपुर	33	23
20	कोरिया	66	5
21	जगदलपुर	92	33
22	कोडागाव	89	7
23	नारायणपुर	5	0
24	दतेवाड़ा	19	6
25	सुन्डम	16	4
26	बीजापुर	14	3
27	कांकेर	176	126
राज्य योग		4912	4183

पत्र "ब"

अमानक उर्वरक प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	जिला	अमानक प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15			वर्ष 2015-16 (30 जून 2015 तक)		
			अमानक पाये गये नमूनों पर कृत कार्यवाही विक्रय प्रतिबंध एवं कारण बताओ नोटिस	अमानक प्रकरणों की संख्या	अमानक पाये गये नमूनों पर कृत कार्यवाही विक्रय प्रतिबंध एवं कारण बताओ नोटिस	पंजीयन निरस्त	एफ जाई और दर्ज	अमानक प्रकरणों की संख्या	अमानक पाये गये नमूनों पर कृत कार्यवाही विक्रय प्रतिबंध एवं कारण बताओ नोटिस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	8	8	6	6	0	0	0	0
2	अजमेर	8	8	12	12	0	0	0	0
3	भारतखण्ड	4	4	10	10	0	0	1	1
4	महाराष्ट्र	8	8	6	6	0	0	11	11
5	गुजरात	3	3	11	11	0	0	0	0
6	गुजरात	7	7	8	8	0	0	0	0
7	बालासोर	6	6	2	2	0	0	1	1
8	बिहार	5	5	8	8	0	0	0	0
9	राजनादगाव	18	18	22	22	3	3	3	3
10	कमीराम	0	0	0	0	0	0	0	0
11	बिलासपुर	7	7	8	8	0	0	2	2
12	गुजरात	2	2	8	8	0	0	2	2
13	बीजापुर	1	1	2	2	0	0	0	0
14	कोरबा	4	4	1	1	0	0	0	0
15	भारतखण्ड	8	8	0	0	0	0	2	2
16	सरभुजा	1	1	4	4	0	0	1	1
17	शुरुजपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
18	बलारामपुर	1	1	1	1	0	0	0	0
19	जशपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
20	कोरिया	0	0	5	5	0	0	0	0
21	जगदलपुर	0	0	1	1	0	0	0	0
22	कोडागाव	0	0	0	0	0	0	0	0
23	नारस्यणपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
24	दतवाडा	0	0	0	0	0	0	0	0
25	रुकना	0	0	0	0	0	0	0	0
26	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0
27	काकर	0	0	1	1	0	0	0	0
	राज्य योग	91	91	116	116	3	3	23	23

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 292) के भाग (क) की जानकारी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2013-14 एवं 2014-15 में जारी की गई राशि पत्रक

(रुपये में)

S. No.	DISTRICT NAME	वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिले को अंतरित राशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिले को अंतरित राशि
1	बालोद	2252.16	2661.042
2	बानोदा बाजार	7912.20	10505.754
3	बलरामपुर	5002.41	6578.452
4	दस्तर	5588.53	7036.156
5	बेमेतरा	3019.80	3680.996
6	बीजापुर	4882.87	6779.322
7	बिलासपुर	5311.65	7578.102
8	दंतेवाड़ा	3757.83	5138.658
9	धमतरी	3303.93	5231.504
10	दुर्ग	2694.20	2433.327
11	गरियाबंद	4154.57	6618.134
12	जोंजगीर-चौपा	7798.41	11166.203
13	जशपुर	4500.13	6286.11
14	कांकेर	4170.97	5726.668
15	कवर्धा	4974.02	5641.686
16	कोडागांव	4826.58	5457.024
17	कोरबा	4878.11	6870.894
18	कोरिया	3054.44	4432.18
19	महासमुन्द	4071.80	6092.178
20	मुंगेली	2999.78	4289.514
21	नारायणपुर	1854.34	2015.466
22	रायगढ़	5024.56	6585.832
23	रायपुर	4261.11	7634.599
24	राजनांदगांव	3922.12	6519.4
25	सुकमा	3547.72	5055.03
26	सूरजपुर	5060.41	7032.157
27	सरगुजा	4830.62	6211.04
		117655.26	161257.43

नोट - उक्त राशि में राज्य परियोजना कार्यालय से सीधे स्कूलों के खातों के अंतर्गत की गई राशि भी सम्मिलित है।

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवारित अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 512) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.सं.	सोतागटी	खरीफ 2015 का लक्ष्य						प्रारम्भिक रकम एवं 01.04.2015 से 30.06.2015 तक भंडारण						01.04.2015 से 30.06.2015 तक वितरण					
		रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०	रु०/रु०
1	बीबी	75.000	260.000	140.000	100.000	40.000	615.000	85.000	135.000	153.000	0.000	52.000	425.000	57.000	135.000	122.000	0.000	27.000	341.000
2	आतरगांव	132.000	340.000	245.000	0.000	57.000	774.000	138.000	242.000	235.000	50.000	78.000	743.000	105.000	241.000	194.000	48.000	43.000	631.000
3	चिखोटी	55.000	250.000	185.000	50.000	50.000	590.000	155.000	229.000	295.000	13.000	46.000	738.000	93.000	222.000	212.000	13.000	28.000	568.000
4	दादोटी	125.000	420.000	285.000	5.000	75.000	910.000	163.000	215.000	291.000	27.000	84.000	780.000	131.000	214.000	216.000	25.000	50.000	636.000
5	रामनाट	45.000	200.000	95.000	0.000	38.000	378.000	43.800	202.500	112.000	0.000	32.300	390.600	26.950	136.550	87.700	0.000	28.600	274.850
6	उपरवाही	35.000	140.000	110.000	5.000	35.000	325.000	30.800	141.150	88.100	20.150	27.750	307.950	26.200	130.050	86.150	10.450	25.350	278.200
7	चिखोटी	75.000	260.000	125.000	10.000	50.000	530.000	56.550	176.400	131.950	25.000	34.850	424.750	44.000	176.400	110.050	4.500	30.350	375.700
8	चिखोटी	50.000	270.000	175.000	0.000	45.000	540.000	29.350	276.800	187.250	15.250	50.525	559.175	19.990	239.000	154.100	7.200	34.800	440.090
9	दादोटी	45.000	160.000	80.000	10.000	25.000	320.000	40.150	76.300	73.650	25.000	22.050	237.150	38.100	76.300	56.250	21.300	16.450	208.400
10	जोगीसवली	60.000	225.000	120.000	60.000	40.000	505.000	60.000	229.950	165.150	46.500	44.250	545.850	55.450	213.900	143.400	37.600	36.550	486.900
11	कुहीकला	95.000	180.000	185.000	30.000	55.000	545.000	90.000	250.000	232.000	30.000	61.650	663.650	85.500	250.000	172.150	30.000	53.300	390.950
12	मन्सूजवाही	60.000	220.000	125.000	20.000	30.000	455.000	58.950	168.550	130.600	25.000	29.700	412.800	50.500	167.800	99.200	17.450	20.100	355.050
13	साहेदोला	90.000	245.000	160.000	25.000	38.000	558.000	125.800	157.600	198.800	1.250	51.750	535.200	9.300	157.550	193.200	0.050	34.900	477.050
14	पुरिया	60.000	205.000	155.000	45.000	30.000	505.000	40.250	147.550	125.800	50.650	19.750	384.000	34.800	147.550	118.650	32.450	19.750	353.200
15	शिकारीपटका	125.000	460.000	335.000	25.000	60.000	1005.000	128.750	314.600	384.950	13.650	60.600	902.550	111.750	313.800	293.950	12.350	44.450	776.300
16	बहनी घरनाटा	30.000	170.000	135.000	0.000	20.000	355.000	58.000	200.000	201.300	25.150	30.000	514.450	37.050	187.000	147.650	25.000	26.250	422.950
17	खोभा	75.000	270.000	215.000	10.000	45.000	623.000	50.000	295.000	200.300	20.050	39.750	605.100	50.000	256.600	199.950	19.250	34.900	560.700
18	शुभरदा	48.000	300.000	195.000	45.000	55.000	643.000	75.000	253.000	167.300	62.000	45.000	602.600	69.500	237.900	139.800	56.000	39.500	542.700
19	खुशीरि कुल	65.000	255.000	150.000	45.000	55.000	570.000	74.950	259.000	149.700	85.100	49.500	618.250	69.500	233.600	121.500	63.300	41.400	529.300
20	भारतपुर	90.000	275.000	240.000	10.000	45.000	660.000	101.050	245.800	268.900	5.100	50.350	671.200	88.350	239.800	206.500	4.800	33.500	572.950
	योग	1435.000	5113.000	3475.000	495.000	888.000	11476.000	1604.400	4215.200	3791.450	539.850	509.775	11060.675	1295.340	3975.800	3069.200	427.700	668.150	9436.100

75

[23 जुलाई, 2015]

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ग्यादित, राजनांदगांव

विधानसभा प्रश्न क्रमांक-542 सासकित जी-जानकारी पृष्ठ "ब" (संशोधित)

विधान सभा का प्रश्न क्रमांक	सोसायटी	खरीफ 2015 का लक्ष्य						पारंपरिक स्वर्घ एवं 01.04.2015 30.06.2015 तक भंडारण						लक्ष्य से विरुद्ध भंडारण में कमी					
		सु0फ0	गुरिया	डीएपी	इफको	पोटास	योग	सु0फ0	गुरिया	डीएपी	इफको	पोटास	योग	सु0फ0	गुरिया	डीएपी	इफको	पोटास	योग
1	पौली	75	260	140	100	40	615	85.000	135.000	153.000	0.000	52.000	425.000	-10.000	125.000	-13.000	100.000	-12.000	190.000
2	आतरगांव	132	340	245	0	57	774	138.000	242.000	235.000	50.000	78.000	743.000	-6.000	98.000	10.000	-50.000	-21.000	31.000
3	चिन्हाटी	55	250	185	50	-50	590	155.000	229.000	295.000	13.000	46.000	738.000	-100.000	21.000	-110.000	37.000	4.000	-148.000
4	दादुटोला	125	420	285	5	75	910	163.000	215.000	291.000	27.000	84.000	780.000	-28.000	205.000	-6.000	-22.000	-9.000	130.000
5	राजमाट	45	200	95	0	38	378	43.800	202.500	112.000	0.000	32.300	390.600	1.200	-2.500	-17.000	0.000	5.700	-12.600
6	उपरवाटी	35	140	110	5	35	325	30.800	141.150	88.100	20.150	27.750	307.950	4.200	-1.150	21.900	-15.150	7.250	17.050
7	गिदरी	75	260	135	10	50	530	56.550	176.400	131.950	25.000	34.850	424.700	18.450	83.600	3.050	-15.000	15.150	105.250
8	भटिया	50	270	175	0	45	540	29.350	276.800	187.250	15.250	50.525	559.175	20.650	-6.800	-12.250	-15.250	-5.525	-19.175
9	गिदाटोला	45	160	80	10	25	320	40.150	76.300	73.650	25.000	22.050	237.150	4.850	83.700	6.350	-15.000	2.950	82.850
10	जोगीलवाली	60	225	120	60	40	505	60.000	229.950	165.150	46.500	44.250	545.850	0.000	-4.950	-45.150	-13.500	-4.250	-40.850
11	कुडीका	95	180	185	30	55	545	90.000	250.000	232.000	30.000	61.650	667.650	5.000	-70.000	-47.000	0.000	-6.650	-118.650
12	कन्सुंबंजारी	60	220	125	20	30	455	58.950	168.550	130.600	25.000	29.700	412.800	1.050	51.450	-5.600	-5.000	0.300	42.200
13	साहटोला	90	245	160	25	38	558	122.800	157.600	198.800	1.250	51.750	535.200	-35.800	87.400	-38.800	23.750	-13.750	22.800
14	गुरिया	60	205	165	45	30	505	40.250	147.550	125.800	50.650	19.750	384.000	19.750	57.450	39.200	-5.650	10.250	121.000
15	शिकारीमहका	125	460	335	25	60	1005	128.750	314.600	384.950	13.650	60.600	902.550	-3.750	145.400	-49.950	11.350	-0.600	102.450
16	बहनी चारमाटा	30	170	135	0	20	355	58.000	200.000	201.300	25.150	30.000	514.450	-28.000	-30.000	-66.300	-25.150	-10.000	-159.450
17	जोगा	75	278	215	10	45	623	50.000	295.000	200.300	20.050	39.750	605.100	25.000	-17.000	14.700	-10.050	5.250	17.900
18	सुमरदो	48	300	195	45	55	643	75.000	253.000	167.000	62.000	45.000	602.000	-27.000	47.000	28.000	-17.000	10.000	41.000
19	सुनीटिकुल	65	255	150	45	55	570	74.950	259.000	149.700	85.100	49.500	618.250	-9.950	-4.000	0.300	-40.100	5.500	-48.250
20	महराजपुर	90	275	240	10	45	660	101.050	245.800	268.900	5.100	50.350	671.200	-11.050	29.200	-28.900	4.900	-5.350	-11.200
	योग	1435	5113	3475	495	888	11406	1604.400	4215.200	3791.450	539.850	909.775	11060.675	-169.400	897.800	-316.450	-44.850	-21.775	345.325

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 512 सम्बन्धित की जानकारी प्रश्न 'ब' (संशोधित)

विकास ग्राम का नाम	क्रमांक	सोसायटी	खरीफ 2015 का लक्ष्य					01.04.2015 से 30.06.2015 तक वितरण					लक्ष्य के विरुद्ध वितरण में कमी						
			सु0फ0	यूरिया	डीएपी	इफको	पोटास	योग	सु0फ0	यूरिया	डीएपी	इफको	पोटास	योग	सु0फ0	यूरिया	डीएपी	इफको	पोटास
1	पीली	75	260	140	100	40	615	57.000	135.000	122.000	0.000	27.000	341.000	18.000	125.000	18.000	100.000	13.000	274.000
2	आलगांव	132	340	245	0	57	774	105.000	241.000	194.000	48.000	43.000	631.000	27.000	99.000	51.000	-48.000	14.000	143.000
3	दिल्हाटी	55	250	185	50	50	590	93.000	222.000	212.000	13.000	28.000	568.000	-38.000	28.000	-27.000	37.000	22.000	22.000
4	दादुटोला	125	420	285	5	75	910	131.000	214.000	216.000	25.000	50.000	636.000	-6.000	206.000	69.000	-20.000	25.000	274.000
5	रतनवाट	45	200	95	0	38	378	26.950	136.550	82.700	0.000	28.600	274.800	18.050	63.450	12.300	0.000	9.400	103.200
6	उमरवाही	35	140	110	5	35	325	26.200	130.050	86.150	10.450	25.350	278.200	8.800	9.950	23.850	-5.450	9.650	46.800
7	गिदरी	75	260	135	10	50	530	54.400	176.400	110.050	4.500	30.350	375.700	20.600	83.600	24.950	5.500	19.650	154.300
8	भटिया	50	270	175	0	45	540	19.990	239.000	154.100	7.200	34.800	455.090	30.010	31.000	20.900	-7.200	10.200	84.910
9	गैदाटोला	45	160	80	10	25	320	38.100	76.300	56.250	21.300	16.450	208.400	6.900	83.700	23.750	-11.300	8.550	111.600
10	जोशीतपती	60	225	120	60	40	505	55.450	213.900	143.400	37.600	36.550	486.900	4.550	11.100	-23.400	22.400	3.450	18.100
11	कृष्णकला	95	180	185	30	55	545	85.500	250.000	172.150	30.000	53.300	590.950	9.500	-70.000	12.850	0.000	1.700	-45.950
12	कल्लुहजारी	60	220	125	20	30	455	50.500	167.800	99.200	17.450	20.100	355.050	9.500	52.200	25.800	2.550	9.900	99.950
13	साहसेटोला	90	245	160	25	38	558	91.300	157.550	193.200	0.050	34.900	477.000	-1.300	87.450	-33.200	24.950	3.100	81.000
14	पुरिया	60	205	165	45	30	505	34.800	147.550	118.650	32.450	19.750	353.250	25.200	57.450	46.350	12.550	10.250	151.800
15	शिकारीमहका	125	460	335	25	60	1005	111.750	313.800	293.950	12.350	44.450	776.300	13.250	146.200	41.050	12.650	15.550	228.700
16	दहनी घारमटा	30	170	135	0	20	355	37.050	187.000	147.650	25.000	26.250	422.950	7.050	-17.000	-12.650	-25.000	-6.250	-67.950
17	खोभा	75	278	215	10	45	623	50.000	256.600	199.950	19.250	34.900	560.700	25.000	21.400	15.050	-9.250	10.100	62.300
18	कुमरवा	48	300	195	45	55	643	69.500	237.900	139.800	56.000	39.500	5-2.700	-21.500	62.100	55.200	-11.000	15.500	100.300
19	सुरीटिकस	65	255	150	45	55	570	69.500	233.600	121.500	63.300	41.400	529.300	-4.500	21.400	28.500	-18.300	13.600	40.700
20	भद्रराजपुर	90	275	240	10	45	660	88.350	239.800	206.500	4.800	33.500	572.950	1.650	35.200	33.500	5.200	11.500	87.050
	योग	1435	5113	3475	495	888	11406	1295.340	3975.800	3069.200	427.700	668.150	9436.190	139.660	1137.200	405.800	67.300	219.850	1969.810

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अवधारित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 568) के भाग (क) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर

मा.सं.सं. 274/2015/बी.स.सो-
अ.स.

रायपुर, दिनांक 17/03/2015

1. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़
3. समस्त सहायक आयुक्त,
छत्तीसगढ़

विषय :- राज्या में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला से उच्चतर माध्यमिक शाला का दर्ज संख्या एवं दर्ज के अन्तर्गत पुनर्विद्युतकरण।

प्रदेश में वर्तमान में 61454 विद्यालय संचालित है। शैक्षिक आंकड़ों के विश्लेषण से ये तथ्य समझ में आया है कि प्रदेश में अनेक स्थानों पर संचालित शालाओं में उपयुक्त दर्ज संख्या उपलब्ध नहीं है अथवा उत्यंत च्यून है साथ ही कई स्थानों पर एक स्तर की अधिक शालाएं आवश्यकता से अधिक संचालित है। राज्य में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के शासकीय एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित इन विद्यालयों के विनियमन हेतु कार्यवाही की जानी है जिससे कि समस्त छात्रों को उनकी पहुंच के भीतर शालाएं उपलब्ध हो। इस हेतु राज्य शासन विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण हेतु निम्न नार्मस प्रक्रिया एवं समय का निर्धारण करती है अतः निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अनुषांगिक कार्यवाही निर्देशों के क्रम में पूर्ण कर ली जावे।

1. युक्तियुक्तकरण के संबंध में विशेष शाला मापदण्ड, बाघाएं इत्यादि निम्नानुसार परिभाषित है :-
 - (क) शासन से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;
 - (ख) स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय;
 - (ग) समिति से अभिप्रेत है, प्रक्रिया अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति;
 - (घ) शाला से अभिप्रेत है, शासकीय एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल;
 - (ङ) युक्तियुक्तकरण से आशय है, मापदण्ड अन्तर्गत शाला का स्थानांतरण करना अथवा एक अनुपयुक्त शाला को उपयोगी स्थान पर ले जाना अथवा अनुपयुक्त शाला का बंद करना;
 - (च) विशेष शाला से अभिप्रेत है, विशेष प्रकार की शालाओं में विकलांग शिक्षा की शालाएं, उर्दू विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, संगीत विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल स्कूल, कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य विद्यालय, गुरुकुल विद्यालय आदि आते हैं। जो सामान्य शिक्षा के अलावा विशेष प्रकार की शिक्षा अथवा विशेष प्रकार के बच्चों हेतु अथवा एक विशेष प्रकार की उद्देश्य हेतु संचालित शालायें हैं;
 - (छ) मापदण्ड से अभिप्रेत है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पहुंच के 01 कि.मी. की परिधि में प्राथमिक शाला, 03 कि.मी. की परिधि में पूर्व माध्यमिक शाला एवं 05 से 07 कि.मी. की परिधि में हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का मापदण्ड माना जाये। किन्तु शहरी क्षेत्र में बच्चों के पहुंच के आधे कि.मी. की परिधि में प्राथमिक शाला, 01 कि.मी. की परिधि में पूर्व माध्यमिक शाला एवं 02 कि.मी. की परिधि में हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल होने का मापदण्ड माना गया है;
 - (ज) ऐतिहासिक शाला से अभिप्रेत है, ऐसी शाला जो किसी महापुरुष के जीवन से संबंधित है। महापुरुष के जन्म स्थान रहा हो, उस शाला में पढ़े हों, अथवा उसमें किसी दिवस में आगमन को लेकर नामकरण किया गया हो, ऐतिहासिक शाला मानी जायेगी;

(v) निर्धारित परिधि में संचालित विशेष शाला/शालाएँ उपयुक्त शाला मानी जायेगी।

(2.2) शहरी क्षेत्र:-

शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों जैसी ही एक मुख्य शाला होगी एवं बाधा होने पर दो या दो से अधिक शालाएँ मान्य शाला के रूप में संचालित हो सकती है। शहर में मुख्यतः प्राथमिक शाला आधे कि.मी. में, पूर्व माध्यमिक शाला 01 कि.मी. एवं हाई/हायर सेकेण्डरी 02 कि.मी. में मान्य होगी, इसी आधार पर शालाएँ मुख्य शाला एवं मान्य उपयुक्त शाला घोषित होगी।

उपयुक्त प्राथमिक शाला निम्न माने जायेंगे :-

- बच्चों के आधे कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र प्राथमिक शाला।
- बच्चों के आधे कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक प्राथमिक शाला संचालित होने पर वह प्राथमिक शाला उपयुक्त शाला मानी जायेगी जो अन्य शालाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- बच्चों के आधे कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाला उपयुक्त शाला होगी जिसे मुख्य शाला कहा जाएगा, इस मुख्य शाला को छोड़कर दूसरे शालाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाला के बच्चों को मुख्य शाला में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाला को यथावत रखना पड़ेगा इसे भी अन्य उपयुक्त शाला कहेंगे।
- वह प्राथमिक शाला जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाला घोषित किया गया हो।
- परिधि में संचालित विशेष शाला/शालाएँ उपयुक्त शाला मानी जायेगी।

पूर्व माध्यमिक शाला:-

उपयुक्त पूर्व माध्यमिक शाला निम्न माने जायेंगे :-

(2.3) ग्रामीण क्षेत्र

- बच्चों के 03 कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र पूर्व माध्यमिक शाला।
- बच्चों के 03 कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक पूर्व माध्यमिक शाला संचालित होने पर वह पूर्व माध्यमिक शाला उपयुक्त शाला मानी जायेगी जो अन्य शालाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- बच्चों के 03 कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाला उपयुक्त शाला होगी जिसे मुख्य शाला कहा जाएगा, इस मुख्य शाला को छोड़कर दूसरे शालाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाला के बच्चों को मुख्य शाला में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाला को यथावत रखना पड़ेगा इसे ही मान्य उपयुक्त शाला कहेंगे।
- वह पूर्व माध्यमिक शाला जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाला घोषित किया गया हो।
- परिधि में संचालित विशेष शाला/शालाएँ उपयुक्त शाला मानी जायेगी।

(2.4) शहरी क्षेत्र:-

शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों जैसी ही एक मुख्य शाला होगी एवं बाधा होने पर दो या दो से अधिक शालाएँ संचालित हो सकती है। शहर में मुख्यतः प्राथमिक शाला आधे कि.मी. में, पूर्व माध्यमिक शाला 01 कि.मी. एवं हाई/हायर सेकेण्डरी 02 कि.मी. में होना चाहिए। इसी आधार पर शालाएँ मुख्य शाला एवं मान्य उपयुक्त शाला घोषित होगी।

उपयुक्त पूर्व माध्यमिक शाला निम्न माने जायेंगे :-

- बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र पूर्व माध्यमिक शाला।
- बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक पूर्व माध्यमिक शाला संचालित होने पर वह पूर्व माध्यमिक शाला उपयुक्त शाला मानी जायेगी जो अन्य शालाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाला उपयुक्त शाला होगी जिसे मुख्य शाला कहा जाएगा, इस मुख्य शाला को छोड़कर दूसरे शालाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाला के बच्चों को मुख्य शाला में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाला को यथावत रखना पड़ेगा इसे भी मान्य उपयुक्त शाला कहेंगे।
- वह पूर्व माध्यमिक शाला जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाला घोषित किया गया हो।
- परिधि में संचालित विशेष शाला/शालाएँ उपयुक्त शाला मानी जायेगी।

- (अ) बाधा से अभिप्रेत है, बच्चों को मुख्य शाला जानने में बाधा पड़ने से अर्थात् बाधा बाधक रास्ता/रेल मार्ग/राष्ट्रीय मार्ग/राजकीय मार्ग या अन्यधिक व्यस्त रास्ता विद्यमान होने शाला नहीं जा पा रहे हों।
- (ब) न्यून दर्ज संख्या से आशय है, न्यून दर्ज संख्या का अर्थ 10 या 10 से कम छात्रों का शास्त्रा सं दर्ज होना है,
- (क) एक ही परिसर से आशय है, एक ही अहाता के अंदर अथवा एक ही शाला की अहाता दूसरी शाला की अहाता से लगा हो अथवा मुख्य शाला से अधिकतम 300 मीटर में या 300 मीटर से कम दूरी पर संचालित हो,
- (ख) सक्षम अधिकारी से आशय है, जिस कार्य को करने हेतु शासन द्वारा सक्षम बताया गया हो;
- (ग) मुख्य शाला से आशय है, जो निर्धारित मापदण्ड अनुसार (दूरी में) सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर संचालित हो अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा मुख्य शाला घोषित किया गया हो। मिश्रित शालाओं के प्रकरण में परिसर में स्थित कोई विद्यालय, आश्रम शाला एवं 26 जनवरी 1950 के पूर्व स्थापित शालाएँ मुख्य शाला होगी;
- (घ) मान्य उपयुक्त शाला से आशय है, जिसका संचालन बच्चों के मुख्य शाला में जाने में बाधा होने के कारण किया जा रहा हो। अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा बच्चों के हित में मान्य उपयुक्त शाला मान्य कर लिया गया है;

2. समिति का गठन-

- (1) राज्य सरकार, शासकीय एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण के प्रयोजन के लिए निम्नानुसार एक समिति गठित करती है।
- (2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् -
- | | | | |
|-----|--|---|---------------------|
| (क) | जिला कलेक्टर | - | अध्यक्ष |
| (ख) | अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर | - | पदेन सदस्य |
| (ग) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | - | पदेन सदस्य |
| (घ) | सहा.आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग | - | पदेन सदस्य |
| (च) | प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | - | पदेन सदस्य |
| (छ) | जिला पंचायत के शिक्षा समिति के सभापति | - | पदेन सदस्य |
| (ज) | शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले (दो सदस्य, कार्यकाल 01 वर्ष) | - | नामांकित सदस्य |
| (झ) | जिला शिक्षा अधिकारी | - | पदेन सदस्य एवं सचिव |

समिति, शासकीय एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यालयों के दर्ज संख्या के आधार पर (यू-डार्डस डाटा) युक्तियुक्तकरण के लिए सक्षम समिति होगी;

समिति, जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त द्वारा उपयुक्त शालाओं के चिन्हांकन उपरान्त प्रस्तुत सूची के आधार पर उपयुक्त शाला का चयन करेंगे एवं उसका आधार निम्नानुसार होगा -

(2.1) प्राथमिक ग्रामीण क्षेत्र

- (i) बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र प्राथमिक शाला।
- (ii) बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक प्राथमिक शाला संचालित होने पर वह प्राथमिक शाला उपयुक्त शाला मानी जायेगी जो अन्य शालाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- (iii) बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाला उपयुक्त शाला होगी जो मुख्य शाला होगी, इस मुख्य शाला को छोड़कर दूसरे शालाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाला के बच्चों को मुख्य शाला में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाला को यथावत रखना पड़ेगा इसे भी मान्य उपयुक्त शाला माना जाएगा।
- (iv) वह प्राथमिक शाला जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाला घोषित किया गया हो।

2/11/11 सी.के.ए.सी. सं. 11

उपयुक्त शाळा/हायर सेकेण्डरी स्कूल निर्माण मान्य शाळाएं

(2.5) ग्रामीण क्षेत्र

- बच्चों के 05 से 07 कि.मी. की पहुँच में संचालित एक से अधिक हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल।
- बच्चों के 05 से 07 कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होने पर वह हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल उपयुक्त शाळा मानी जायेगी जो अन्य शाळाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- बच्चों के 05 से 07 कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शाळाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाळा उपयुक्त शाळा होगी जिसे मुख्य शाळा कहा जाएगा, इस मुख्य शाळा को छोड़कर दूसरे शाळाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाळा के बच्चों को मुख्य शाळा में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाळा को यथावत रखना पड़ेगा इसे भी मान्य उपयुक्त शाळा कहेंगे।
- वह हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाळा घोषित किया गया हो।
- परिधि में संचालित विशेष शाळा/शाळाएँ उपयुक्त शाळा मानी जायेगी।

(2.6) शहरी क्षेत्र

शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों जैसी ही एक मुख्य शाळा होगी एवं बाधा होने पर दो या दो से अधिक शाळाएँ संचालित हो सकती हैं। शहर में मुख्यतः प्राथमिक शाळा आधे कि.मी. में, पूर्व माध्यमिक शाळा 01 कि.मी. एवं हाई/हायर सेकेण्डरी 02 कि.मी. में होना चाहिए। इसी आधार पर शाळाएँ मुख्य शाळा एवं मान्य उपयुक्त शाळा घोषित होगी। बच्चों के 02 कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल।

उपयुक्त हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल निम्न माने जायेंगे :-

- बच्चों के 02 कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होने पर वह हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल उपयुक्त शाळा मानी जायेगी जो अन्य शाळाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- बच्चों के 02 कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शाळाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाळा उपयुक्त शाळा होगी जिसे मुख्य शाळा कहा जाएगा, इस मुख्य शाळा को छोड़कर दूसरे शाळाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाळा के बच्चों को मुख्य शाळा में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाळा को यथावत रखना पड़ेगा इसे भी मान्य उपयुक्त शाळा कहेंगे।
- वह हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाळा घोषित किया गया हो।
- परिधि में संचालित विशेष शाळा/शाळाएँ उपयुक्त शाळा मानी जायेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त द्वारा घोषित उपयुक्त शाळा के चिन्हांकन के उपरांत शेष शाळाएँ स्थान विशेष के लिए अनुपयुक्त शाळाएं मान्य होंगी एवं इसके तत्काल बाद इन शाळाओं, शिक्षक एवं विद्यालयीन भण्डारों का युक्तियुक्तकरण सान्निध्य द्वारा किया जाएगा।

युक्तियुक्तकरण उपरांत समिति द्वारा विद्यालयों को बंद/स्थानांतरण किये जाने के संबंध में दावा आपत्ति समिति स्टेक होल्डर से आमंत्रित करेगी एवं दावा आपत्ति का निराकरण अंतिम सूची के प्रकाशन के पूर्व कर ली जावे।

युक्तियुक्तकरण के परिणामस्वरूप न तो नवीन पदों का सृजन किया जाएगा और न ही स्वीकृत पदों में कमी की जाएगी इस कार्य के लिए सम्पूर्ण जिला एक इकाई के रूप में मान्य होगा। भण्डार के युक्तियुक्तकरण हेतु विभाग द्वारा पृथक से मार्गदर्शन एवं निर्देश जारी किए जाएंगे।

3. शाळाओं के युक्तियुक्तकरण के मापदण्ड

शाळाओं के युक्तियुक्तकरण में दर्ज संख्या, पहुँच, उपयुक्त शाळा, मान्य उपयुक्त शाळा, विशेष शाळा एवं राज्य शासन द्वारा घोषित शाळाओं का ध्यान रखा जाएगा।

3.1 प्राथमरी - एक ही परिसर में दो या दो से अधिक प्राथमिक शाळाएँ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, तो मान्य शाळाओं को छोड़कर अन्य सभी शाळाएँ अनुपयुक्त मान्य कर इनका स्थानांतरण जिले/विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित उक्त

3.2 प्रस्ताव के आधार पर शालाएं अन्य स्थानों पर खोली जा सकती हैं, जो आवश्यकतानुसार अनुमोदित करने की घोषणा शासन द्वारा की जाएगी।

3.2 पूर्व माध्यमिक शाला — एक ही परिसर में दो या दो से अधिक पूर्व माध्यमिक शालाएं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, तो मान्य शालाओं को छोड़कर अन्य सभी शालाएं अनुपयुक्त मान्य कर इनका स्थानांतरण जिले/विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित उक्त सूची के प्रस्ताव के आधार पर शालाएं अन्य स्थानों पर खोली जाएगी, इससे अन्यथा स्थिति होने पर शालाओं को बंद करने की घोषणा शासन द्वारा की जाएगी।

3.3 हाईस्कूल — एक ही परिसर में दो या दो से अधिक हाईस्कूल शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, तो मान्य शालाओं को छोड़कर अन्य सभी शालाएं अनुपयुक्त मान्य कर इनका स्थानांतरण जिले/विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित उक्त सूची के प्रस्ताव के आधार पर शालाएं अन्य स्थानों पर खोली जाएगी, इससे अन्यथा स्थिति होने पर शालाओं को बंद करने की घोषणा शासन द्वारा की जाएगी।

3.4 हायर सेकेण्डरी — एक ही परिसर में दो या दो से अधिक हायर सेकेण्डरी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, तो मान्य शालाओं को छोड़कर अन्य सभी शालाएं अनुपयुक्त मान्य कर इनका स्थानांतरण जिले/विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित उक्त सूची के प्रस्ताव के आधार पर शालाएं अन्य स्थानों पर खोली जाएगी, इससे अन्यथा स्थिति होने पर शालाओं को बंद करने की घोषणा शासन द्वारा की जाएगी।

3.5 मिश्रित शाला — एक ही परिसर में दो या दो से अधिक प्राथमिक एवं हाईस्कूल, दो पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल, प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शाला शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, तो प्रथम स्थिति में एक प्राथमिक शाला एवं एक हाईस्कूल, द्वितीय स्थिति में एक पूर्व माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूल एवं तृतीय स्थिति में एक प्राथमिक शाला एवं एक हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित होंगे। परिसर में संचालित शालाओं में से एक शाला मुख्य शाला होगी।

परन्तु एक ही परिसर में दो या दो से अधिक शालाएं जो विभिन्न माध्यमों की हैं, की दशा में समान माध्यम की शालाओं का एक शाला में युक्तियुक्तकरण होगा एवं दो अलग-अलग माध्यम की शालाएं संचालित रहेंगी।

दर्ज संख्या के मान से अगर लिंग विशेष के लिए शाला स्थापित है, तो इन्हे सह-शिक्षा वाली शाला में परिवर्तित किया जाए। 26 जनवरी 1950 से पूर्व स्थापित शालाओं को अनिवार्यतः मुख्य शाला मानी जावे।

4. शिक्षकों का समायोजन एवं भण्डार का निष्पादन

4.1 शिक्षकीय पदों को स्थानांतरित करने के मापदण्ड — अनुपयुक्त एवं युक्तियुक्तकरण हेतु चयनित शालाओं में कार्यरत शिक्षकीय एवं कार्यालयीन कर्मचारियों के अमले को एक ही प्रबंधन अन्तर्गत संचालित अन्य शालाओं में आवश्यकता एवं स्टॉफ पैटर्न के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक शाला के अमले को प्राथमिक शाला में, पूर्व माध्यमिक शाला के अमले को माध्यमिक शाला में, हाईस्कूल के अमले को हाईस्कूल में तथा हायर सेकेण्डरी के अमले को हायर सेकेण्डरी शालाओं में विषय अनुसार पदस्थ किया जाएगा।

4.2 उक्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को समेकित शाला में अथवा अन्य पहुंच वाली शालाओं में प्रवेश की कार्यवाही जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी पृथक से निर्देश जारी करेंगे एवं इस संबंध में आवश्यक समस्त अभिलेखों को संधारित रखेंगे।

4.3 समेकित शालाओं में अतिशेष हो रहे शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी एवं सूची में कनिष्ठतम शिक्षक जो अतिशेष घोषित हो रहे हों, को अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाएगा। यदि वरिष्ठतम शिक्षक शाला छोड़ने के लिए उद्यत हों तो वरिष्ठतम शिक्षक को हटाया जाएगा।

4.4 शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के प्रकरण में रिक्तियों की सूची तैयार की जाएगी एवं काउंसिलिंग के माध्यम से शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी इस हेतु शिक्षक विहिन विद्यालय एवं वे शालाएं जहां पर विषयमान से शिक्षक उपलब्ध नहीं है सर्वप्रथम भरे जाएंगे एवं यह प्रक्रिया अतिशेष घोषित शिक्षकों की वरिष्ठता सूची से किया जाएगा।

नाम के अंतर्गत राज्य के प्रमुख एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के कार्यालय में प्रेषित किया गया। शिक्षा अधिकारी नार्थस के अनुष्णर अथवा भौतीय विकास पर स्थानांतरित किया जायेगा। नार्थस के कार्यालय एवं अभिवेखा का विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थानांतरित रखा जाएगा। नार्थस के कार्यालय एवं अभिवेखा का विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जारी द्वारा किया जाएगा।


5. नवीन शाला का खोला जाना


युक्तियुक्तकरण के प्रक्रिया के लागू होने के उपरांत खोले जाने वाली समस्त शासकीय नवीन शालाएं शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में खोली जा सकेंगी तथा शासकीय अनुदान प्राप्त निजी शालाएं भी प्रापदण्ड के अन्तर्गत रखी जाएगी, परन्तु इन शालाओं को बंद नहीं किया जाएगा।

6. समय सीमा :- युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित करती है समयावधि में समग्र कार्य पूर्ण किया जाना है जिससे कि नवीन सत्र प्रारंभ होते ही विद्यालयों का संचालन किया जा सके :-

- | | |
|---|-------------|
| (1) विद्यालय का चिन्हांकन - | मार्च 2015 |
| (2) समिति की बैठक एवं अनुगोदन संबंधी कार्यवाही - | अप्रैल 2015 |
| (3) युक्तियुक्तकरण किये गये विद्यालयों की सूची का प्रकाशन एवं दावा आपत्ति - | 15 मई 2015 |
| (4) अंतिम सूची का प्रकाशन - | 30 मई 2015 |
| (5) विद्यालयों की स्थपना एवं संचालन - | 16 जून 2015 |

राज्य शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के क्रम में समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे, एवं की गई कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जावे।


17/3/15
सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 17.3.2015

गृ.कमाक एफ 2-4/2015/20-दो
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
4. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
5. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
6. रॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
7. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
8. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
9. सचिव छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
10. सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
11. सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
12. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
13. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़।
15. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
16. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन, विभाग


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 2-4/2015/20-2

नया रायपुर, दिनांक 22/05/2015

संमस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़
संमस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

राज्य में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला से उच्चतर माध्यमिक शाला का दर्जा संख्या एवं दूरी के मान से युक्तियुक्तकरण।
संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 2-4/2015/20-2 नया रायपुर, दिनांक 17/03/2015

--00--

राज्य शासन के द्वारा शालाओं के युक्तियुक्तकरण के संबंध में पूर्व में किये गये निर्देश के अनुक्रम में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है-

1. ~~दायी~~ आपत्ति प्राप्त होने के पश्चात, निराकरण के उपरान्त अनुपयुक्त घोषित किये जाने वाले विद्यालयों का पुनः दर्जा संख्या के क्रम में सूक्ष्म परीक्षण समिति द्वारा किया जावे। इस हेतु संदर्भित पत्र के कंडिका 1(अ) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. एक ही परिसर अथवा लगे हुए परिसर में स्थित पृथक् शालाओं का युक्तियुक्तकरण संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार किया जाये। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगर युक्तियुक्त होने वाले शाला से मान्य शाला के मध्य सुविधाजनक दूरी हो (अधिकतम 300 मीटर), तो अनुपयुक्त शाला को बंद कर मान्य शाला के नाम से दोनों भवनों का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात् शाला एक ही होगी पर सुविधा की दृष्टि से स्थानीय तौर पर कक्षाओं के लगने के लिए बैठक व्यवस्था दोनों भवनों में किया जा सकता है।
 3. अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दूरी के पैमाने के आधार पर शाला बंद होनी चाहिए परंतु बंद होने वाली शाला में बच्चों की संख्या इतनी है कि मान्य शाला में उतने बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है, तो उक्त शाला को यथावत संचालित रखा जाये।
 4. दूरी की गणना, छात्रों के विद्यालय पहुंचने के न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से विद्यालय तक पहुंच के आधार पर की जाये।
 5. एक ही परिसर की शालाओं में युक्तियुक्तकरण, पूर्व जारी निर्देश के अनुसार ही कार्यवाही किया जावे।

आदेश के अन्तर्गत सूची को शासन के अनुमोदन हेतु विकसयच्छण्डित तय्यार किया जाये।

7. जिले स्तर पर आदेश प्रसारित न किया जावे एवं न ही विद्यालयों को शासन से स्थानांतरित किया जाये।

पूर्व में जारी निर्देश के अनुसार युक्तियुक्तकरण का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाये एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 22/05/2015

पृ० क्रमांक एफ. 2-4/2015/20-2
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
4. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
5. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
7. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
10. सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
11. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
12. महालक्ष्मीकार, छत्तीसगढ़।
13. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
14. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
15. प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, छ.ग. रायपुर।
16. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर।
17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महावती भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 15/06/2015

क्रमांक एफ 2-4/2015/20-दोः राज्य शासन एतद् द्वारा जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य करते हुए 2015 शालाओं के युवित्तयुक्तकरण करने का निर्णय लेता है।

2/ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(सुरेंद्र सिंह बाघे)


अवर सचिव

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 2-4/2015/20-दो
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 15/06/2015

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्रबंध संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर।
4. मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान, रायपुर।
5. समस्त कलेक्टर, (छत्तीसगढ़)
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़।
7. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छ.ग.
8. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अरोषित।
9. स्टॉक फाईल।



अवर सचिव

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारॉकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 681) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रम की क्षमता सहित जानकारी

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	स्वीकृत सीट्स (क्षमता)
1	2	3
1	पो.मे. बालक छात्रावास भानुप्रतापपुर	50
2	पो.मे. कन्या छात्रावास भानुप्रतापपुर	50
3	पो.मे.कन्या छात्रावास चारामा	50
4	पो.मे. बालक छात्रावास चारामा	50
5	पो.मे. कन्या छात्रावास दुर्गूकोन्दल	50
6	पो.मे.बालक छात्रावास दुर्गूकोन्दल	50
7	प्री.मे. बालक छात्रावास जेपरा	50
8	प्री.मे. बालक छात्रावास कसावाही	50
9	प्री.मे. बालक छात्रावास परसोदा	50
10	प्री.मे. बालक छात्रावास लखनापुरी	50
11	प्री.मे. बालक छात्रावास करिहा	50
12	प्री.मे. बालक छात्रावास शाहवाड़ा	50
13	प्री.मे. बालक छात्रावास कोटतरा	50
14	प्री.मे. बालक छात्रावास पुरी	50
15	प्री.मे. बालक छात्रावास लिलेझर	50
16	प्री.मे. बालक छात्रावास चारामा	60
17	प्री.मे. बालक छात्रावास कुरूटोला	50
18	प्री.मे. कन्या छात्रावास कुरूटोला	50
19	प्री.मे. बालक छात्रावास पण्डरीपानी	50
20	प्री.मे. कन्या छात्रावास चारामा	50
21	प्री.मे. बालक छात्रावास सम्बलपुर	50
22	प्री.मे. बालक छात्रावास भीरागांव	50
23	प्री.मे. बालक छात्रावास भानबेड़ा	50
24	प्री.मे. बालक छात्रावास बैजनपुरी	50
25	प्री.मे. बालक छात्रावास बरबसपुर	50
26	प्री.मे. बालक छात्रावास कोरर	50
27	प्री.मे. बालक छात्रावास हाटकरा	50
28	प्री.मे. बालक छात्रावास भानुप्रतापपुर	65
29	प्री.मे. कन्या छात्रावास भीरागांव	50
30	प्री.मे. बालक छात्रावास भेजा	50
31	प्री.मे. कन्या छात्रावास भानुप्रतापपुर	50
32	प्री.मे. बालक छात्रावास साल्हे	50
33	प्री.मे. बालक छात्रावास तुड़गे	50
34	प्री.मे. बालक छात्रावास लोहत्तर	50
35	प्री.मे. बालक छात्रावास तरहूल	50

प्रपत्र "ब"

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आश्रमों/छात्रावासों में वर्ष 2014 से जून 2015 की अवधि में नल/पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु मदवार स्वीकृत राशि की जानकारी

क	कार्य का नाम / स्थान	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	नलकूप / पाईप लाईन एवं टंकी निर्माण बालक छात्रावास साल्हे	आई.ए.पी./एल.डब्ल्यू.ई.	1.41
2	नलकूप / पाईप लाईन एवं टंकी निर्माण बालक छात्रावास दुर्गूकोदल	आई.ए.पी./एल.डब्ल्यू.ई.	1.41
3	पाईप लाईन एवं पी.व्ही.सी. टंकी स्थापना बालक छात्रावास भेजा	आई.ए.पी./एल.डब्ल्यू.ई.	0.62
4	पाईप लाईन एवं पी.व्ही.सी. टंकी स्थापना बालक छात्रावास भेजा	आई.ए.पी./एल.डब्ल्यू.ई.	0.62
5	नलकूप खनन / हेण्डपंप स्थापना बालक छात्रावास परसोदा	आई.ए.पी./एल.डब्ल्यू.ई.	0.925
6	नलकूप खनन / हेण्डपंप स्थापना बालक छात्रावास पुरी	आई.ए.पी./एल.डब्ल्यू.ई.	0.925
7	नलकूप खनन / हेण्डपंप स्थापना बालक छात्रावास जाड़ेकुर्से	बी.आर.जी.एफ.	1.25
योग			7.16

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 702) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

शासन द्वारा आरंग विकासखंड में संचालित शासकीय हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी

शासकीय हाईस्कूल

क्र.	जिला	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, धिखली
2	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, अमरी
3	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, चटौद
4	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, पचेड़ा
5	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, बडगांव
6	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, मोखला
7	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, गोईन्दा
8	रायपुर	आरंग	शास. बालक हाई स्कूल, गुठलू
9	रायपुर	आरंग	शास. बालक हाई स्कूल, फरफौद
10	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, छटेरा
11	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, रसनी
12	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, कोरसी
13	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, मंडारपुरी
14	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, सेमरिया (नरधा)
15	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, देवर टीला

शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल

1	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, समोदा
2	रायपुर	आरंग	शास. कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल, आरंग
3	रायपुर	आरंग	शास. अरुन्धती देवी हायर सेकेण्डरी स्कूल, आरंग
4	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, मैत्रेय, मंदिरहसौद
5	रायपुर	आरंग	शास. कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल, मंदिरहसौद
6	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, कोरसी
7	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, भा. सी
8	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, चटौद
9	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, गुठलू
10	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, लखली
11	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, परमोदा
12	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, अमरीना
13	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, कोरसी
14	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, भि. हाई

	जिला	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम
	2	3	4
15	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, निसदा
16	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, गुजरा
17	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, कुम्हारी
18	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, बनरसी
19	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, अनंतराम बरछीहा, चन्दखुरी
20	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, खौली
21	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, राखी
22	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, गोढी
23	रायपुर	आरंग	शास. महात्मा गांधी हायर सेकेण्डरी स्कूल, रीवा (ल.झौली)
24	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, टेकारी (कुन्दा)
25	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, कुरुद
26	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, गयन्तराम वर्मा, नरदहा
27	रायपुर	आरंग	शास. व.न्या हायर सेकेण्डरी स्कूल, नरदहा
28	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, सेमरिया (परसदा)

प्रपत्र "ब"

माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत आरंग विकासखंड में आई.सी.टी. योजनांतर्गत संचालित विद्यालयों की जानकारी

1	जिला	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, समोदा
2	रायपुर	आरंग	शास. कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल, मदिरहराद
3	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, कोसरागी
4	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, खोरसी
5	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, गनौद
6	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, लखौली
7	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, परसदा
8	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, अमसेना
9	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, भंडारपुरी
10	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, कोरसी
11	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, भिलाई
12	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, निस्ता
13	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, बनरसी
14	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, सेमरिया (नरधा)
15	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, खौली
16	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, राखी
17	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, गोढी
18	रायपुर	आरंग	शास. महात्मा गांधी हायर सेकेण्डरी स्कूल, रीवा (लखौली)
19	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, टेकारी (कुन्दा)
20	रायपुर	आरंग	शास. हाई स्कूल, कुरुद
21	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, गयन्तराम वर्मा, नरदहा
22	रायपुर	आरंग	शास. कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल, नरदहा
23	रायपुर	आरंग	शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल, सेमरिया (परसदा)

परिशिष्ट "अट्ठारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 783) के भाग (ख) की जानकारी]

आदिवासी विकास परियोजना (माडा) से महासमुन्द जिले में वर्षवार, कार्यवार व्यय राशि की जानकारी

वर्ष 2011-12 से 31.05.2015 तक

माडा महासमुन्द-01

(माह 31.05.2015 की स्थिति में) राशि लाख में

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	31.05.2015 तक कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
1	2011-12	नलकूप खनन बिजली पंप सहित हैण्ड पंप सहित विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	15.00	15.00	पूर्ण	-
2	2011-12	स्टाप डेम निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों में	24.00	24.00	पूर्ण	-
3	2011-12	स्टाप डेम निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों में	12.00	0.00	-	अप्रारंभ
4	2011-12	हाट बाजार में गुमटी/शंड निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	0.60	0.60	पूर्ण	-
5	2011-12	बड़े शहर के आस-पास, साग-सब्जी उत्पादन की योजना सब्जी बीज, मिनी कीट विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	10.02	10.02	पूर्ण	-
6	2011-12	बकरी पालन वि.खं. बागबाहरा के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	9.00	9.00	पूर्ण	-
7	2011-12	बैल जोड़ी वि.खं. बागबाहरा के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	9.00	9.00	पूर्ण	-
8	2011-12	दुधारू पशु वितरण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	10.50	10.50	पूर्ण	-
9	2011-12	मधुमक्खी पालन कार्यक्रम विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	4.80	0.00	-	अप्रारंभ
10	2011-12	हस्तशिल्पियों का प्रशिक्षण एवं शैजार अनुदान विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	0.00	-	अप्रारंभ
11	2011-12	लाख विकास योजना विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	0.00	-	अप्रारंभ

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	31.05.2015 तक कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
12	2011-12	पी.वी.सी. प्लास्टिक थैला निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	0.00	-	अप्रारंभ
13	2011-12	बड़ी पापड़ विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.00	0.00	-	अप्रारंभ
14	2011-12	रेडी टू ईट विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	10.54	0.00	-	अप्रारंभ
15	2011-12	वाशिंग पाउडर प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.00	0.00	-	अप्रारंभ
16	2011-12	मोटर ड्राइविंग/मेकेनिक प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	3.00	पूर्ण	-
17	2011-12	विद्युत वाइडिंग एवं मरम्मत विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	-
18	2011-12	हैण्डपंप मरम्मत एवं प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	8.00	8.00	पूर्ण	-
19	2011-12	स्वरोजगार हेतु स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता ईट निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता 05 के समूह में विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	7.50	7.50	पूर्ण	-
20	2011-12	सुरक्षा गार्ड विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	8.09	8.09	पूर्ण	-
21	2011-12	प्लंबर प्रशिक्षण विकास खण्डों के आदिवासी हितग्राहियों को	18.90	18.90	पूर्ण	-
		योग (वर्ष 2011-12)	184.95	129.61		
1	2012-13	वाटर हार्वेस्टिंग विकास खण्डों में संचालित छात्रावास/आश्रमों में	10.00	10.00	पूर्ण	-
2	2012-13	हाट बाजार में गुमटी/शेड निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	4.60	3.00	पूर्ण	-
3	2012-13	नलकूप खनन बिजली पंप सहित हैण्ड पंप सहित विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	12.00	12.00	पूर्ण	-
4	2012-13	स्टाप डेम निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्राम में	25.00	25.00	पूर्ण	-

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	31.05.2015 तक कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
5	2012-13	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	7.60	7.60	पूर्ण	-
6	2012-13	काशल प्रशिक्षण कार्यक्रम राज मिस्त्री प्रशिक्षण एवं औजार प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	4.80	4.80	पूर्ण	-
7	2012-13	मोटर साइकिल रिपेयरिंग (दो पहिया वाहन) प्रशिक्षण एवं सहायता विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	-
8	2012-13	मोटर ड्राईविंग/मेकेनिक प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	-
9	2012-13	विद्युत वाईडिंग एवं मरम्मत प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	-
10	2012-13	हैण्डपंप मरम्मत एवं प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	8.24	8.24	पूर्ण	-
11	2012-13	बड़ी पापड विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	7.00	0.00	-	अप्रारंभ
12	2012-13	सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण एवं गरवाही कला विकास विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	0.00	-	अप्रारंभ
13	2012-13	वाशिंग पाउडर प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	7.00	0.00	-	अप्रारंभ
14	2012-13	फुलझाड़ू निर्माण का प्रशिक्षण एवं मशीन प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	0.00	-	अप्रारंभ
15	2012-13	किराया भण्डार एवं लाउडरपीकर हेतु सहायता विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	-
16	2012-13	आटाचक्की मशीन का प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	-
17	2012-13	एकीकृत हाथ करघा प्रशिक्षण योजना (कम्बल, दरी वस्त्र बुनाई) विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	16.50	0.00	-	अप्रारंभ

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	31.05.2015 तक कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
18	2012-13	तरा साग-सब्जी उत्पादन की योजना (सब्जी, मिनी कीट, खाद पेट्रासाईट) सब्जी बिज मिनीकीट ईकाई विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	1.50	1.50	पूर्ण	-
19	2012-13	कंद मूल फसल आलू ई विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	3.00	पूर्ण	-
20	2012-13	अन्य (कोचई, शकरकंद, अदरक, लहसून) विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	3.00	पूर्ण	-
21	2012-13	बकरी पालन विकास विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	7.80	0.00	-	अपूर्ण
22	2012-13	कुकूट ईकाई विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.00	0.00	-	अपूर्ण
23	2012-13	हस्त शिल्पियों को प्रशिक्षण एवं औजार अनुदान विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	0.00	-	अप्रारंभ
24	2012-13	दोना पत्तल प्रशिक्षण मशीन प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	4.00	0.00	-	अप्रारंभ
		योग (वर्ष 2012-13)	172.04	108.14		
1	2013-14	नलकूप खनन बिजली पंप सहित, हैण्ड पंप सहित विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों में	18.00	18.00	पूर्ण	-
2	2013-14	हाट बाजार में गुमटी शेड निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	9.00	0.00	-	अपूर्ण
3	2013-14	कार्य शाला भवन का निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	25.00	10.00	01 पूर्ण	02 अपूर्ण
4	2013-14	मशाला प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	9.00	0.00	-	अप्रारंभ
5	2013-14	सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण एवं मारवाही कला विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	0.00	-	अप्रारंभ
6	2013-14	फुलझाड़ू निर्माण प्रशिक्षण एवं सहायता विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	0.00	-	अप्रारंभ

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	31.05.2015 तक कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
7	2013-14	आटा चक्की मशीन का प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	—
8	2013-14	इलेक्ट्रिकल उपकरण प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	19.70	19.70	पूर्ण	—
9	2013-14	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	10.00	10.00	पूर्ण	—
10	2013-14	मोटर सायकिल रिपेरिंग (दो पहिया वाहन प्रशिक्षण एवं सहायता) विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	—
11	2013-14	मोटर ड्राईविंग/मैकेनिक प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	10.00	10.00	पूर्ण	—
12	2013-14	विद्युत वाईडिंग एवं मरम्मत प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	—
13	2013-14	प्लंबर प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	8.15	8.145	पूर्ण	—
14	2013-14	राज्य मिस्त्री प्रशिक्षण एवं औजार प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	4.83	4.83	पूर्ण	—
15	2013-14	हस्त शिल्पियों का प्रशिक्षण एवं औजार अनुदान विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	0.00	—	अप्रारंभ
16	2013-14	कुकूट ईकाई विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	4.96	0.00	—	अपूर्ण
17	2013-14	बकरी पालन विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	7.80	0.00	—	अपूर्ण
18	2013-14	मशरूम प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	3.00	पूर्ण	—
19	2013-14	दाना पत्तल प्रशिक्षण मशीन प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	10.00	0.00	—	अप्रारंभ
		योग (वर्ष 2013-14)	172.44	101.68		
1	2014-15	सौर सामुदायिक सिंचाई योजना (ई)	13.60	0.00	—	अप्रारंभ

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	31.05.2015 तक कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
2	2014-15	स्प्रिगलर सेट (ई)	8.00	7.40	पूर्ण	-
3	2014-15	सब्जी बीज मिनीकीट (ई)	5.40	0.00	-	अप्रारंभ
4	2014-15	मसाला विकास (धनिया मिर्च)(ई)	4.40	0.00	-	अप्रारंभ
5	2014-15	कौशल विकास	38.94	0.00	-	अप्रारंभ
6	2014-15	माडा का सुदृढीकरण (ई)	18.97	0.00	-	अप्रारंभ
7	2014-15	माडा का सुदृढीकरण	2.942	0.00	-	अप्रारंभ
		योग (वर्ष 2014-15)	92.252	7.40		

माडा-02 (महासमुंद)

1	2011-12	नलकूप खनन बिजली पंप सहित हैण्ड पंप सहित विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	10.00	10.00	पूर्ण	-
2	2011-12	हाट बाजार में गुमटी/शेड निर्माण खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	0.60	0.00	-	अप्रारंभ
3	2011-12	स्टाप डेम निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्राम में	25.00	25.00	पूर्ण	-
4	2011-12	बड़ी पापड़ विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.00	0.00	-	अप्रारंभ
5	2011-12	रेडी टू ईट विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	4.00	0.00	-	अप्रारंभ
6	2011-12	वाशिंग पाउडर प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.00	0.00	-	अप्रारंभ
7	2011-12	पी.वी.सी. प्लास्टिक थैला निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.00	0.00	-	अप्रारंभ
8	2011-12	सुरक्षा गार्ड विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.17	5.170	पूर्ण	-
9	2011-12	मोटर ड्राइविंग/मेकेनिक प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	3.00	पूर्ण	-
10	2011-12	विद्युत वाइडिंग एवं मरम्मत विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	-

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	31.05.2015 तक कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
11	2011-12	हैण्डपंप मरम्मत एवं प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	-
12	2011-12	स्वरोजगार हेतु रथ सहायता समूह को वित्तीय सहायता ईट निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता OS के समूह में विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	7.50	7.50	पूर्ण	-
13	2011-12	बड़े शहर के आस-पास, राग-सब्जी उत्पादन की योजना सब्जी बीज, मिनी कीट विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.04	5.04	पूर्ण	-
14	2011-12	बकरी पालन विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.00	5.00	पूर्ण	-
15	2011-12	बैल जोड़ी विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.00	5.00	पूर्ण	-
16	2011-12	दुधारू पशु वितरण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	7.50	7.50	पूर्ण	-
17	2011-12	मधुमक्खी पालन कार्यक्रम विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	0.00	-	अप्रारंभ
18	2011-12	हस्तशिल्पियों का प्रशिक्षण एवं औजार अनुदान विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	0.00	-	अप्रारंभ
19	2011-12	लाख विकास योजना विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	2.00	0.00	-	अप्रारंभ
		योग (वर्ष 2011-12)	112.81	85.21		
1	2012-13	हाट बाजार में गुमटी/शेड निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.64	0.00	-	अप्रारंभ
2	2012-13	वाटर हार्वेस्टिंग विकास खण्डों में संचालित छात्रावास/आश्रमों में	15.00	15.00	पूर्ण	-
3	2012-13	वालों विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूप खनन बिजली पंप सहित हैण्ड पंप सहित विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	7.00	0.00	-	अपूर्ण
4	2012-13	स्टाप डैम निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्राम में	10.00	10.00	पूर्ण	-

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	31.05.2015 तक कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
5	2012-13	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	2.40	2.40	पूर्ण	-
6	2012-13	कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम राज मिस्त्री प्रशिक्षण एवं औजार प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	4.80	4.80	पूर्ण	-
7	2012-13	मोटर साइकिल रिपेयरिंग (दो पहिया वाहन) प्रशिक्षण एवं सहायता विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	3.00	पूर्ण	-
8	2012-13	मोटर ड्राइविंग/मेकेनिक प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	3.00	पूर्ण	-
9	2012-13	विद्युत वाईडिंग एवं मरम्मत प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	1.50	1.50	पूर्ण	-
10	2012-13	हैण्डपंप मरम्मत एवं प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	1.20	1.20	पूर्ण	-
11	2012-13	बड़ी पापड़ विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.00	0.00	-	अप्रारंभ
12	2012-13	सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण एवं मरजाही कला विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	0.00	-	अप्रारंभ
13	2012-13	वाशिंग पाउडर प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	5.90	0.00	-	अप्रारंभ
14	2012-13	फुलझाड़ू निर्माण का प्रशिक्षण एवं मशीन प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	1.50	0.00	-	अप्रारंभ
15	2012-13	किराया भण्डार एवं लाउडस्पीकर हेतु सहायता विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	-
16	2012-13	आटाचक्की मशीन का प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	4.50	1.00	-	अपूर्ण
17	2012-13	एकीकृत हाथ करघा प्रशिक्षण योजना (कम्बल, दरी वस्त्र बुनाई) विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	16.50	0.00	-	अप्रारंभ
18	2012-13	बड़े शहर के आस-पास साग- सब्जी उत्पादन की योजना (सब्जी, मिनी कीट, खाद पेट्रासाईट) सब्जी बिज मिनीकीट ईकाई विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	1.00	1.00	पूर्ण	-

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	31.05.2015 तक कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
19	2012-13	कंद मूल फसल आलू ई विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	3.00	पूर्ण	—
20	2012-13	अन्य (कोचई, शकरकंद, अदरक, लहसून) विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	3.00	पूर्ण	—
21	2012-13	कुकूट ईकाई विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	4.97	0.00	—	अपूर्ण
22	2012-13	बकरी पालन विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.90	0.00	—	अपूर्ण
23	2012-13	हस्त शिल्पियों को प्रशिक्षण एवं औजार अनुदान विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	0.00	—	अप्रारंभ
24	2012-13	दोना पत्तल प्रशिक्षण मशीन प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	0.00	—	अप्रारंभ
		योग (वर्ष 2012-13)	118.81	54.90		
1	2013-14	नलकूप खनन बिजली पंप सहित, हैण्ड पंप सहित विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों में	8.40	0.00	—	अपूर्ण
2	2013-14	हाट बाजार में गुमटी शेड निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	1.80	0.00	—	अप्रारंभ
3	2013-14	कार्य शाला भवन का निर्माण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	25.00	0.00	—	अप्रारंभ
4	2013-14	फुलझाड़ू निर्माण प्रशिक्षण एवं सहायता विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	3.00	0.00	—	अप्रारंभ
5	2013-14	आटा चक्की मशीन का प्रदाय विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	—
6	2013-14	इलेक्ट्रिकल उपकरण प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	20.00	20.00	पूर्ण	—
7	2013-14	मोटर सायकिल रिपेरिंग (दो पहिगा वाहन प्रशिक्षण एवं सहायता) विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	—
8	2013-14	मोटर ड्राईविंग/मैकेनिक प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित कलस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	12.00	12.00	पूर्ण	—

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	व्यय राशि	31.05.2015 तक कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
9	2013-14	विद्युत वाईडिंग एवं मरम्मत प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित क्लस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	6.00	6.00	पूर्ण	-
10	2013-14	प्लंबर प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित क्लस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	8.45	8.45	पूर्ण	-
11	2013-14	बकरी पालन विकास खण्डों के चयनित क्लस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	7.80	0.00	-	अपूर्ण
12	2013-14	मशरूम प्रशिक्षण विकास खण्डों के चयनित क्लस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	2.95	2.95	पूर्ण	-
13	2013-14	दोना पत्तल प्रशिक्षण मशीन प्रदाय विकास खण्डों के चयनित क्लस्टर के माडा ग्रामों के आदिवासी हितग्राहियों को	11.00	0.00	-	अप्रारंभ
		योग (वर्ष 2013-14)	118.40	61.40		
1	2014-15	सौर सामुदायिक सिंचाई योजना (ई)	13.60	0.00	-	अप्रारंभ
2	2014-15	सिप्रगलर सेट (ई)	5.00	4.63	पूर्ण	-
3	2014-15	सब्जी बीज मिनीकीट (ई)	3.70	0.00	-	अप्रारंभ
4	2014-15	मसाला विकास (धनिया मिर्च)(ई)	3.00	0.00	-	अप्रारंभ
5	2014-15	कौशल विकास	26.56	0.00	-	अप्रारंभ
6	2014-15	माडा का सुदृढीकरण (ई)	12.92	0.00	-	अप्रारंभ
7	2014-15	माडा का सुदृढीकरण	1.24	0.00	-	अप्रारंभ
		योग (वर्ष 2014-15)	66.02	4.63		

वर्ष 2015-16 में माडा पाकेट महासमुंद 1 एवं 2 अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति की कार्यवाही जारी है।

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 784) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

स्वीकृत वर्ष 2013

क्रमांक	कार्य का विवरण जिसके लिये स्वीकृति दी गई है	लागत राशि (लाखों में)
1	2	3
प्री.मै. छात्रावास -		
1	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास ग.हासमुन्द का भवन निर्माण	84.82
2	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास पटेवा का भवन निर्माण	84.82
3	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बोड़रोदाउर का भवन निर्माण	84.82
4	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बागबाहरा का भवन निर्माण	84.82
5	प्री0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भोरिंग का भवन निर्माण	84.82
6	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बम्हनी का भवन निर्माण	84.82
7	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास सावेत्रीपुर का भवन निर्माण	84.82
8	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास भूकेल का भवन निर्माण	84.82
9	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास गढ़फुलझर का भवन निर्माण	84.82
10	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास भंवरपुर का भवन निर्माण	84.82
11	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बसना का भवन निर्माण	84.82
12	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बिछिया का भवन निर्माण	84.82
13	प्री0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिछिया का भवन निर्माण	84.82
14	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास तंभगंज का भवन निर्माण	84.82
15	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास सरायपाली का भवन निर्माण	84.82
16	प्री0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बलौदा का भवन निर्माण	84.82
योग		1357.12

पो.मै. छात्रावास -

1	पो0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास पिथौरा का भवन निर्माण	105.48
2	पो0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास सरायपाली का भवन निर्माण	105.48
योग		210.96
महायोग		1568.08

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2013

क्र.	कार्य का नाम	भवन निर्माण हेतु टेण्डर दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास महासमुन्द का भवन निर्माण	17-06-2014	श्री आशीष गोलछा महासमुन्द	27-07-2014
2	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास पटेवा का भवन निर्माण	17-06-2014	वेनला स्टील भिलाई	26-07-2014
3	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बौरिदादर का भवन निर्माण	21-05-2014	स्वेतारक ट्रेडर्स महासमुन्द	28-07-2014
4	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बागबाहरा का भवन निर्माण	17-06-2014	श्री प्रवीण कुमार दक्षित	15-07-2014
5	प्री0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भोरिंग का भवन निर्माण	17-06-2014	विमला स्टील भिलाई	26-07-2014
6	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बम्हनी का भवन निर्माण	27-06-2014	रंजालानी करंजवशन रायपुर	28-08-2014
7	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास सादित्रीपुर का भवन निर्माण	27-02-2014	मो0 इमरान मेमन बसना	25-06-2014
8	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास भुकेल का भवन निर्माण	-	-	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर
9	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास गढ़फुलझर का भवन निर्माण	27-06-2014	श्री परमजीत सिंह बसना	20-08-2014
10	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास भंवरपुर का भवन निर्माण	-	-	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर
11	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बसना का भवन निर्माण	27-06-2014	श्री आनंद कुमार अग्रवाल बसना	20-08-2014
12	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बिछिया का भवन निर्माण	27-08-2014	श्री यूनिक इन्टरप्राइसेस रायपुर	01-11-2014
13	प्री0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिछिया का भवन निर्माण	27-08-2014	श्री यूनिक इन्टरप्राइसेस रायपुर	01-11-2014
14	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास तोषगांव का भवन निर्माण	20-02-2014	श्रीमती शारदा अग्रवाल	05-06-2014
15	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास सरायपाली का भवन निर्माण	20-02-2014	श्रीमती शारदा अग्रवाल	05-06-2014
16	प्री0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बलौदा का भवन निर्माण	20-02-2014	श्री प्रकाश जैन	27-10-2014
पो.मै. छात्रावास				
1	पो0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास पिथौरा का भवन निर्माण	27-02-2014	श्री वली मोहम्मद रजवानी	27-06-2014
2	पो0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास सरायपाली का भवन निर्माण	02-02-2014	श्री जसपाल सिंह सिदधु बसना	01-08-2014

प्रपत्र "स"

स्वीकृत वर्ष 2013

क्र.	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण करने हेतु दी गई समयावधि	भवन निर्माण की प्रगति
1	2	3	4
प्री.मै. छात्रावास -			
1	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास महासमुन्द का भवन निर्माण	10 माह	स्लैब कार्य प्रगति पर
2	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास पटेवा का भवन निर्माण	10 माह	स्लैब कार्य प्रगति पर
3	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बोड़रीदादर का भवन निर्माण	10 माह	स्लैब कार्य प्रगति पर
4	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बागबाहरा का भवन निर्माण	10 माह	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर
5	प्री0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भोरिंग का भवन निर्माण	10 माह	नींव कार्य प्रगति पर
6	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बम्हनी का भवन निर्माण	10 माह	लिटल कार्य प्रगति पर
7	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास सावेत्रीपुर का भवन निर्माण	10 माह	लिटल कार्य प्रगति पर
8	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास भूकेल का भवन निर्माण	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर	
9	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास गढ़फूलझर का भवन निर्माण	10 माह	स्लैब कार्य प्रगति पर
10	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास भंवरपुर का भवन निर्माण	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर	
11	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बसना का भवन निर्माण	10 माह	स्लैब कार्य प्रगति पर
12	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास बिछिया का भवन निर्माण	10 माह	लिटल कार्य प्रगति पर
13	प्री0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिछिया का भवन निर्माण	10 माह	लिटल कार्य प्रगति पर
14	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास तोषगांव का भवन निर्माण	12 माह	भवन का कार्य पूर्ण
15	प्री0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास सरायपाली का भवन निर्माण	12 माह	ढलाई कार्य प्रगति पर
16	प्री0मै0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बलौदा का भवन निर्माण	12 माह	ढलाई कार्य प्रगति पर
पो.मै. छात्रावास -			
1	पो0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास पिथौरा का भवन निर्माण	10 माह	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर
2	पो0मै0 आदिवासी कन्या छात्रावास सरायपाली का भवन निर्माण	12 माह	फ्लोरिंग कार्य प्रगति पर

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 815) के भाग (क) की जानकारी]

सं० क्र०	वर्ष	विकाराखण्ड	उन्नयित शाला का नाम
1	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला पाराघाटी
2	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला तरेकेला
3	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला सिथेरा
4	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला बेहराभार
5	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला न.वालो
6	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला बरतापाली
7	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला चाउहा
8	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला मारवाली
9	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला जंगला
10	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला लानी
11	2011-12	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला जारी
12	2011-12	लेलूगा	माध्यमिक शाला कानाजोरा
13	2011-12	लेलूगा	माध्यमिक शाला किलकिला
14	2011-12	खरसिया	माध्यमिक शाला बड़े बंवांग
15	2011-12	खरसिया	माध्यमिक शाला किरीतमाल
16	2011-12	खरसिया	माध्यमिक शाला छोटेमुडपार
17	2011-12	खरसिया	माध्यमिक शाला पामगढ़
18	2011-12	तमनार	माध्यमिक शाला समकेरा
19	2013-14	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला गेरसा
20	2013-14	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला रामकोबा
21	2013-14	धरमजयगढ़	माध्यमिक शाला छोटेमुडपार
22	2013-14	तमनार	माध्यमिक शाला दक्षिण रेगांव
23	2014-15	खरसिया	माध्यमिक शाला छोटे पंडरमुडा
24	2014-15	लेलूगा	माध्यमिक शाला गहनासरिया
25	2014-15	पुसाँर	माध्यमिक शाला मिडभिडा

परिशिष्ट "इक्कीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 873) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

पू.मा.शा. से हाईस्कूल का उन्नयन प्रस्ताव

स0 कं0	विकासखण्ड	उन्नयित की जाने वाली शाला का नाम	विभाग से शासन को भेजे जाने का कं.व दि.	शासन द्वारा की गई कार्य नहीं
1	नवागढ़	शा. पू.मा.वि. तुस्मा	कं0यो./ हाईस्कूल / 186 / 2015 दि. 23/2/2015	प्रस्तावों को स्वीकृती नहीं मिली।
2	बलौदा	शा. पू.मा.वि. कुलीपोटा	तथैव	तथैव
3	-	शा. पू.मा.वि. मेहंदा	कं.यो./ वि.स.या./ 2014/123 दि. 4/2/15	तथैव

हाईस्कूल से हायर सेकेंड्री स्कूल का उन्नयन प्रस्ताव

स0 कं0	विकासखण्ड	उन्नयित की जाने वाली शाला का नाम	विभाग से शासन को भेजे जाने का कं.व दि.	प्रस्तावों को स्वीकृती नहीं मिली।
1	नवागढ़	शा. हाईस्कूल पीथमपुर	कं0यो./ हा.से./ प्रशा.स्वी./ 364 / 2015 /62 दि. 15/1/2015	तथैव
2	बलौदा	शा. हाईस्कूल जावलपुर	तथैव	तथैव
3	बम्हनीडीह	शा. हाईस्कूल कडारी	तथैव	तथैव
4	बलौदा	शा. हाईस्कूल पचगंवा	तथैव	तथैव
5	पामगढ़	शा. हाईस्कूल भैंसो	तथैव	तथैव
6	नवागढ़	शा. हाईस्कूल मुडपार	तथैव	तथैव
7	नवागढ़	शा. हाईस्कूल धागसीव (रो)	कं0यो./ हा.से./ प्रशा.स्वी./ 304 / 2015 /62 दि. 15/1/2015 एवं 5/3/2015 दि. 5/3/2015	तथैव
8	सक्ती	शा. हाईस्कूल सकरेती	तथैव	तथैव
9	अकलतरा	शा. हाईस्कूल चंगोरी	तथैव	तथैव
10	नवागढ़	शा. हाईस्कूल मिसदा	तथैव	तथैव
11	अकलतरा	शा. हाईस्कूल कटनई	तथैव	तथैव
12	डभरा	शा. हाईस्कूल सिंधीतराई	तथैव	तथैव
13	जैजैपुर	शा. हाईस्कूल कैथा	तथैव	तथैव
14	जैजैपुर	शा. हाईस्कूल देवरघटा	तथैव	तथैव
15	-	शा. हाईस्कूल सिउंड	कं0यो./ या./ 191 / 2015 दि. 5/3/2015	तथैव

प्रपत्र "ब"

विधान सभा प्रश्न क्र. 873

(ख) भवन विहीन हाईस्कूल एवं हा0से0 स्कूल निम्नानुसार है।

1. शा0 हाईस्कूल बिरगहनी (च)
2. शा0 हायर सेकेण्ड्री स्कूल भडेसर

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत भवन विहीन शालाएं—

1. शा0 हाईस्कूल बसंतपुर
2. शा0 हाईस्कूल पिसौदा
3. शा0 हाईस्कूल बनारी
4. शा. हाईस्कूल घुठिया

प्रपत्र "स"

(स) जिला जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में 11301 एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2014-15 में 21431 गणवेश वितरण का लक्ष्य एवं पूर्ति की जा चुकी है।

विकासखण्ड का नाम	शिक्षा विभाग	एस0एस0ए0
नवागढ़	9157	17473
बलौदा	1458	2042
बम्हनीडीह	686	1916
कुल योग	11301	21431

वर्ष 2015-16 में वि0ख0शि0अ0 के मांगपत्र अनुसार शिक्षा विभाग अन्तर्गत 5698 तथा सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 25708 छात्र-छात्र को गणवेश वितरण दिये जाने का लक्ष्य है।

विकासखण्ड का नाम	शिक्षा विभाग	एस0एस0ए0
नवागढ़	4784	19698
बलौदा	553	3907
बम्हनीडीह	361	1103
कुल योग	5698	25708

प्रबंध संचालक छ0ग0 राज्य हाथकरपा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा गणवेश सिलाई हेतु संबंधित विकास खण्ड को कपड़ा प्रदाय किया जा चुका है, तथा वि.ख0 स्तरीय समिति द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों का निर्धारण कर लिया गया है।

प्रपत्र "द"

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रश्न "ग" अंतर्गत जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र में गणवेश वितरण की जानकारी

क्र.सं.	शा.सं. का नाम	वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		विवरण
		लक्ष्य	वितरण संख्या	लक्ष्य	वितरण संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1	प्राथ.शाला बरपाली चांपा	137	137	95	0	
2	प्राथ.शाला रेल्वे चांपा	124	124	72	0	
3	प्राथ.शाला जगदल्ला चांपा	111	111	81	0	
4	प्राथ.शाला धडोली चांपा	77	77	43	0	
5	प्राथ.शाला कोटाडबरी चांपा	152	152	169	0	
6	प्राथ.शाला सवरियाडेरा कोटाडबरी	67	67	41	0	
7	प्राथ.शाला, तिलक नगर चांपा	76	76	46	0	
8	प्राथ.शाला चरणनगर चांपा	69	69	42	0	
9	शा.पूर्वमा.शा.कोटाडबरी चांपा	108	108	120	0	
10	शा.पूर्वमा.शा.बरपाली चांपा	120	120	204	0	
11	प्राथ.शाला कुष्ठ बस्ती घोघरा.चांपा	68	68	85	0	
12	प्राथ.शाला टाउन चांपा	125	125	124	0	
13	प्राथ.शाला सदर चांपा	48	48	30	0	
14	प्राथ.शाला आरक्षी चांपा	208	208	125	0	
15	प्राथ.शाला भोजपुर चांपा	168	168	211	0	
16	प्राथ.शाला कन्या चांपा	44	44	35	0	
17	प्राथ.शाला मठ कन्या चांपा	64	64	68	0	
18	प्राथ.शाला घोघरा-नाला चांपा	111	111	79	0	
19	प्राथ.शाला पानीटकी नवापारा	69	69	42	0	
20	शा.पूर्वमा.शा.मठ कन्या चांपा	42	42	55	0	
21	शा.पूर्वमा.शा.भोजपुर चांपा	113	113	186	0	
22	शा.पूर्वमा.शा.टाउन चांपा	39	39	20	0	
23	शा.पूर्वमा.शा.बालक चांपा	106	106	43	0	
24	शा.पूर्वमा.शा.कन्या चांपा	127	127	176	0	
25	शा.पूर्वमा.शा.कन्या टाउन चांपा	59	59	34	0	
26	शा.पूर्वमा.शा.आरक्षी चांपा	50	50	75	0	
27	प्राथमिक मिशन चांपा	70	70	85	0	
28	पूर्व मा.शा.मिशन चांपा	50	50	78	0	
	कुल योग बम्हनीडीह	2602	2602	2464	0	
29	शा.बा.प्राथ.शा.सिवनी	134	134	126	0	
30	शा.क.प्राथ.शा.सिवनी	80	80	69	0	
31	शा.न.प्राथ.शा.देवरहापारा सिवनी	104	104	88	0	
32	शा.जन.प्राथ.शा.कन्हाईबंद	175	175	170	0	
33	शा.जन.प्राथ.शा.पाली	169	169	123	0	
34	शा.प्राथ.शा.मुरकाडीह	155	155	97	0	
35	शा.जन.प्राथ.शा.बोडसरा	185	185	216	0	
36	शा.प्राथ.शा.खैरवारपारा बोडसरा	92	92	50	0	
37	शा.न.प्राथ.शा.आदिवासी मोह.बोडसरा	155	155	116	0	
38	शा.जन.प्राथ.शा.सरखों	109	109	153	0	
39	शा.प्राथ.शा.कवरपारा सरखों	109	109	88	0	
40	शा.प्राथ.शा.बरहापारा सरखों	62	62	38	0	
41	शा.प्राथ.शा.तुटी सरखों	80	80	67	0	
42	शा.प्राथ.शा.नीशाला नैला	212	212	268	0	

43	शा.बा.प्राथ.शा.नैला				
44	शा.क.प्राथ.शा.नैला	148	148	52	0
45	शा.प्राथ.शा.भाटापारा.नैला	186	186	71	0
46	शा.प्राथ.शा.दरीपारा.नैला	125	125	65	0
47	शा.प्राथ.शा.खैरा.(नैला)	105	105	166	0
48	शा.जन.प्राथ.शा.तेन्दुभाठा	89	89	75	0
49	शा.प्राथ.शा.करमदी.(नैला)	174	174	191	0
50	शा.जन.प्राथ.शा.बनारी	170	170	148	0
51	शा.प्राथ.शा.डूमरपारा.बनारी	114	114	74	0
52	शा.प्राथ.शा.सबरियाडेरा.बनारी	70	70	45	0
53	शा.न.प्राथ.शा.डीहपारा.बनारी	73	73	48	0
54	शा.प्राथ.शा.हाथीटिकरा	147	147	136	0
55	शा.प्राथ.शा.सदर.जौजगीर	170	170	145	0
56	शा.क.प्राथ.शा.भीमापारा.जौजगीर	71	71	43	0
57	शा.प्राथ.शा.बोंगापारा.जौजगीर	157	157	65	0
58	शा.प्राथ.शा.बी.डी.मं.चंदनियापारा.जौजगीर	75	75	61	0
59	शा.प्राथ.शा.बी.टी.आई.जौजगीर	161	161	129	0
60	शा.न.प्राथ.शा.शांतिनगर.जौजगीर	88	88	46	0
61	शा.न.प्राथ.शा.वार्ड 12.जौजगीर	31	31	44	0
62	शा.प्राथ.शा.मिशन.जौजगीर	173	173	141	0
63	शा.प्राथ.शा.खोखरा	172	172	171	0
64	शा.प्राथ.शा.चौड़ीपारा.खोखरा	74	74	51	0
65	शा.न.प्राथ.शा.दरीपारा.खोखरा	88	88	72	0
66	शा.प्राथ.शा.जोबी	49	49	38	0
67	शा.जन.प्राथ.शा.खोखरा	101	101	81	0
68	शा.क.प्राथ.शा.खोखरा	118	118	66	0
69	शा.प्राथ.शा.चांदीपारा.खोखरा	95	95	59	0
70	शा.न.प्राथ.शा.दरीपारा.खोखरा	118	118	101	0
71	शा.न.प्राथ.शा.हरसागरपारा.खोखरा	141	141	131	0
72	शा.न.प्राथ.शा.भाठा.खोखरा	159	159	91	0
73	शा.जन.प्राथ.शा.मैहदा	127	127	95	0
74	शा.न.प्राथ.शा.भाठा.मैहदा	118	118	92	0
75	शा.प्राथ.शा.सेवई	108	108	56	0
76	शा.न.प्राथ.शा.सेवई	144	144	39	0
77	शा.बा.प्राथ.शा.धाराशिव	150	150	127	0
78	शा.क.प्राथ.शा.धाराशिव	128	128	117	0
79	शा.न.प्राथ.शा.मूंगाभाठा.धाराशिव	148	148	131	0
80	शा.जन.प्राथ.शा.पुटपुरा	198	198	176	0
81	शा.न.प्राथ.शा.विजयापारा.पुटपुरा	147	147	109	0
82	शा.जन.प्राथ.शा.पेण्डी	215	215	364	0
83	शा.प्राथ.शा.घनेली	142	142	118	0
84	शा.न.प्राथ.शा.गोंधीची.घनेली	76	76	50	0
85	शा.प्राथ.शा.मुनुन्द	199	199	285	0
86	शा.कनि.प्राथ.शा.मुनुन्द	132	132	116	0
87	शा.प्राथ.शा.भड़ेसर	153	153	126	0
88	शा.न.प्राथ.शा.आमानारा.भड़ेसर	74	74	48	0
89	शा.प्राथ.शा.दरई	151	151	110	0
90	शा.जन.प्राथ.शा.घुठिया	117	117	101	0
91	शा.न.प्राथ.शा.भाठा.घुठिया	133	133	115	0
92	शा.जन.प्राथ.शा.संदरी	178	178	192	0
93	शा.जन.प्राथ.शा.कुटरा	158	158	205	0
94	शा.न.प्राथ.शा.भाठा.कुटरा	169	169	128	0

97	शा.जन.प्राथ.शा.भूपुर	177	177	143	0	
98	शा.प्राथ.शा.खैरा	118	118	110	0	
99	शा.न.प्राथ.शा.नाला.खैरा	85	85	67	0	
100	शा.जन.प्राथ.शा.पुरकोट	130	130	81	0	
101	शा.न.प्राथ.शा.भीलपारा.पुरकोट	49	49	29	0	
102	शा.प्राथ.शा.भरकाडीह	145	145	141	0	
103	शा.जन.प्राथ.शा.कसौदी	58	58	47	0	
104	शा.जन.प्राथ.शा.पंचेडा	76	76	66	0	
105	शा.प्राथ.शा.भाडा.पंचेडा	137	137	74	0	
106	शा.न.प्राथ.शा.बाजलीपारा.पंचेडा	133	133	40	0	
107	शा.प्राथ.शा.कनई	69	69	108	0	
108	शा.न.प्राथ.शा.जगमहता	144	144	84	0	
109	शा.बा.प्राथ.शा.महत	147		93	0	
110	शा.क.प्राथ.शा.महत	95		11	0	
111	शा.न.प्राथ.शा.महत	75		5	0	
112	शा.प्राथ.शा.महत	104	104	132	0	
113	शा.न.प्राथ.शा.हरी.जगमहता	89	89	54	0	
114	शा.न.प्राथ.शा.कुटशबीर.जगमहता	85	85	59	0	
115	शा.प्राथ.शा.तेदुवा	171	171	140	0	
116	शा.प्राथ.शा.चौरमहटी	143	143	120	0	
117	शा.प्राथ.शा.गिधवा	164	164	141	0	
118	शा.प्राथ.शा.अकरोद	98	98	125	0	
119	शा.न.प्राथ.शा.नाला.अकरोद	93	93	115	0	
120	शा.न.प्राथ.शा.नहरक.लोनी.अकरोद	159	159	122	0	
121	शा.प्राथ.शा.बुडेना	157	157	188	0	
122	शा.न.प्राथ.शा.भाठा.बुडेना	98	98	33	0	
123	शा.प्राथ.शा.चौरभाठा	160	160	176	0	
124	शा.जन.प्राथ.शा.अमोरा	140	140	63	0	
125	शा.न.प्राथ.शा.गोडपारा.अमोरा	110	110	68	0	
126	शा.जन.प्राथ.शा.जगमहत	82	82	42	0	
127	शा.प्राथ.शा.भाठा.जगमहत	82	82	61	0	
128	शा.बा.प्राथ.शा.महत	157	157	138	0	
129	शा.क.प्राथ.शा.महत	124	124	85	0	
130	शा.न.प्राथ.शा.बगडबरी.महत	142	142	36	0	
131	शा.न.प्राथ.शा.पटारीपार.महत	84	84	231	0	
132	शा.प्राथ.शा.सिकंड	131	131	40	0	
133	शा.न.प्राथ.शा.सिकंड	71	71	42	0	
134	शा.प्राथ.शा.नैसमुडी	94	94	106	0	
135	शा.प्राथ.शा.दुरी	89	89	159	0	
136	शा.प्राथ.शा.हरदी	109	109	131	0	
137	शा.न.प्राथ.शा.आमानारा.हरदी	133	133	34	0	
138	शा.प्राथ.शा.हड्डा.हान	130	130	33	0	
139	शा.प्राथ.शा.करा	161	161	135	0	
140	शा.प्राथ.शा.बरबसपुर	95	95	140	0	
141	शा.जन.प्राथ.शा.दहिदा	69	69	142	0	
142	शा.जन.प्राथ.शा.धाराशिव.रोगदा	158	158	186	0	
143	शा.जन.प्राथ.शा.रोगदा	125	125	73	0	
144	शा.न.प्राथ.शा.गववापारा.रोगदा	127	127	34	0	
145	शा.बा.प्राथ.शा.अमोदा	85	85	71	0	
146	शा.क.प्राथ.शा.अमोदा	70	70	40	0	
147	शा.न.प्राथ.शा.अमोदा	91	91	49	0	
148	शा.प्राथ.शा.नवापारा	77	77	67	0	

	2	3	4	5	6	
147	शा. प्राथ. शा. केवा	87	87	70	0	
148	शा. प्राथ. शा. मादा	141	141	101	0	
149	शा. जन. प्राथ. शा. मैसदा	66	66	47	0	
150	शा. न. प्राथ. शा. मैसदा	95	95	47	0	
151	शा. प्राथ. शा. अकलतरी	145	145	134	0	
152	शा. प्राथ. शा. गाढ़ापाली	108	108	76	0	
153	शा. प्राथ. शा. गौंद	199	199	198	0	
154	शा. प्राथ. शा. मोहाडीह	160	160	173	0	
155	शा. जन. प्राथ. शा. पिथमपुर	116	116	101	0	
156	शा. न. प्राथ. शा. माता. पिथमपुर	122	122	110	0	
157	शा. जन. प्राथ. शा. पोड़ीराछा	103	103	75	0	
158	शा. न. प्रा. शा. लोहारपारा पोड़ी	80	80	74	0	
159	शा. प्राथ. शा. कांसा	181	181	175	0	
160	शा. प्राथ. शा. बरमाठा	144	144	77	0	
161	शा. न. प्राथ. शा. माता बरमाठा	108	108	54	0	
162	शा. जन. प्राथ. शा. किरौत	94	94	58	0	
163	शा. न. प्राथ. शा. देवनगर किरौत	71	71	43	0	
164	शा. प्राथ. शा. बरगाँव	20	20	21	0	
165	शा. न. प्राथ. शा. बरगाँव	78	78	59	0	
166	शा. प्राथ. शा. पथरौ	69	69	42	0	
167	शा. प्राथ. शा. खैरताल	77	77	72	0	
168	शा. न. प्राथ. शा. जवेडकरी कोड. खैरताल	33	33	23	0	
169	शा. जन. प्राथ. शा. नवागढ़	83	83	59	0	
170	शा. प्राथ. शा. जिनवा.पाल नवागढ़	140	140	75	0	
171	शा. न. प्राथ. शा. गौरहाफस नवागढ़	121	121	93	0	
172	शा. प्राथ. शा. राछामाछ	156	156	110	0	
173	शा. प्राथ. शा. पिपरा	75	75	58	0	
174	शा. प्राथ. शा. पेन्डी	179	179	162	0	
175	शा. प्राथ. शा. नेनुरकीठ	41	41	33	0	
176	शा. न. प्राथ. शा. माता नेनुरकीठ	69	69	49	0	
177	शा. प्राथ. शा. खेडिया	170	170	76	0	
178	शा. प्राथ. शा. ठकुर्दिया	33	33	36	0	
179	शा. न. प्राथ. शा. माता ठकुर्दिया	53	53	23	0	
180	शा. क. पू. मा. शा. सिवनी	111	111	103	0	
181	शा. क. पू. मा. शा. सिवनी	64	64	90	0	
182	शा. पू. मा. शा. कन्हाईबंद	129	129	130	0	
183	शा. पू. मा. शा. पाली	84	84	65	0	
184	शा. पू. मा. शा. भरकाडीड	68	68	68	0	
185	शा. पू. मा. शा. बोडसरा	149	149	240	0	
186	शा. पू. मा. शा. सरखौ	157	157	241	0	
187	शा. पू. मा. शा. गौराला नैला	152	152	169	0	
188	शा. पू. मा. शा. नैला	64	64	58	0	
189	शा. क. पू. मा. शा. नैला	68	68	101	0	
190	शा. पू. मा. शा. भाउपारा नैला	176	176	219	0	
191	शा. पू. मा. शा. तेंदुमावा	87	87	94	0	
192	शा. पू. मा. शा. करमदी (नैला)	122	122	124	0	
193	शा. पू. मा. शा. बनारी	144	144	171	0	
194	शा. पू. मा. शा. हाथीटिकरा	63	63	65	0	
195	शा. आर्दश. पू. मा. शा. जौजगीर	100	100	81	0	
196	शा. क. पू. मा. शा. जौजगीर	119	119	145	0	
197	शा. न. पू. मा. शा. सदर जौजगीर	153	153	156	0	
198	शा. न. पू. मा. शा. बोगाभार जौजगीर	124	124	114	0	

1	शा.पू.मा.शा.श्री.जी.भाई.जी.भाईर	122	122	98	0
	शा.पू.मा.शा.खोखरा	179	139	144	0
1	शा.पू.मा.शा.खोखरा	195	198	153	0
202	शा.क.पू.मा.शा.खोखरा	117	117	178	0
	शा.पू.मा.शा.महदा	157	157	137	0
204	शा.पू.मा.शा.भासाशिव (खोखरा)	164	164	153	0
205	शा.पू.मा.शा.पुटपुरा	155	155	203	0
206	शा.पू.मा.शा.पण्डी (खोखरा)	145	145	176	0
207	शा.पू.मा.शा.घनेली	117	117	107	0
208	शा.न.पू.मा.शा.मुनुन्द	169	169	205	0
209	शा.पू.मा.शा.गडेसर	148	148	161	0
210	शा.न.पू.मा.शा.दर्री	102	102	91	0
211	शा.पू.मा.शा.धुविया	109	109	116	0
212	शा.न.पू.मा.शा.सेदरी	138	138	115	0
213	शा.पू.मा.शा.कुटरा	172	172	248	0
214	शा.न.पू.मा.शा.कुथुर	161	161	201	0
215	शा.न.पू.मा.शा.खैरा	95	93	82	0
216	शा.पू.मा.शा.धुरकोट	147	147	170	0
217	शा.पू.मा.शा.पचेडा	72	72	91	0
218	शा.न.पू.मा.शा.भांजा.डबे.1	121	121	63	0
219	शा.न.पू.मा.शा.केनई	89	89	182	0
220	शा.पू.मा.शा.सुकली	93	93	129	0
221	शा.पू.मा.शा.सेमरा	155	155	179	0
222	शा.पू.मा.शा.तेदुवा	89	89	101	0
223	शा.पू.मा.शा.बोरमट्टी	92	92	79	0
224	शा.न.पू.मा.शा.पिघ्दा	123	123	131	0
225	शा.पू.मा.शा.अंबरीद	137	137	141	0
226	शा.पू.मा.शा.बुडेना	84	84	122	0
227	शा.पू.मा.शा.चौरभाठा	95	95	109	0
228	शा.पू.मा.शा.अगोरा	133	133	67	0
229	शा.न.पू.मा.शा.जगमहत	131	131	77	0
230	शा.पू.मा.शा.महत	148	148	274	0
231	शा.पू.मा.शा.सिकंड	94	94	74	0
232	शा.पू.मा.शा.भैसमुडी	63	63	93	0
233	शा.न.पू.मा.शा.दुरी	71	71	87	0
234	शा.पू.मा.शा.हरदी	110	110	115	0
235	शा.न.पू.मा.शा.दहिदा	103	103	142	0
236	शा.पू.मा.शा.घासाशिव (रोगदा)	144	144	186	0
237	शा.पू.मा.शा.रोगदा	113	113	69	0
238	शा.पू.मा.शा.अमोदा	143	143	143	0
239	शा.पू.मा.शा.नवापारा (अमोदा)	84	84	100	0
240	शा.पू.मा.शा.मादा	83	83	77	0
241	शा.पू.मा.शा.भैसदा	71	71	77	0
242	शा.पू.मा.शा.अकलतरी	73	73	78	0
243	शा.पू.मा.शा.भांद	152	152	148	0
244	शा.न.पू.मा.शा.मोहाडीह	83	83	84	0
245	शा.पू.मा.शा.पिथमपुर	180	180	205	0
246	शा.न.पू.मा.शा.पोड़ीराछा	71	71	66	0
247	शा.न.पू.मा.शा.कांसा	111	111	112	0
248	शा.पू.मा.शा.बरभाठा	111	111	111	0
249	शा.पू.मा.शा.किरीत	105	105	110	0
250	शा.पू.मा.शा.बरगांव	71	71	78	0

1	2	3	4	5	6	7
251	शा.पू.मा.शा.खैरगढ	100	100	82	0	
252	शा.पू.मा.शा.नवागढ	160	160	148	0	
253	शा.न.क.पू.मा.शा.नवागढ	68	68	108	0	
254	शा.पू.मा.शा.पेण्ड्री (नवागढ)	130	130	129	0	
255	शा.पू.मा.शा.नेपुरडीह	34	34	59	0	
	योग नवागढ	25630	26630	24482	0	
256	प्राथ.शाला लछनपुर	128	128	153	0	
257	प्राथ.शाला बसंतपुर	211	211	233	0	
258	प्राथ.शाला कुदरी	79	79	119	0	
259	प्राथ.शाला घुटिया	38	38	50	0	
260	प्राथ.शाला पराऊंडरा लछनपुर	71	71	89	0	
261	प्राथ.शाला बराईनपारा घुटिया	57	57	90	0	
262	प्राथ.शाला बिरगहनी च	242	242	278	0	
263	प्राथ.शाला देवरहा	81	81	96	0	
264	प्राथ.शाला जन.पिसौद	155	155	201	0	
265	प्राथ.शाला पिसौद शास.	73	73	87	0	
266	प्राथ.शाला उदयबंद	156	156	177	0	
267	प्राथ.शाला जन.जर्वे च	146	146	163	0	
268	प्राथ.शाला जर्वे शास.आदि.	134	134	67	0	
269	प्राथ.शाला मडवा	214	214	260	0	
270	प्राथ.शाला कुलीपोटा	148	148	184	0	
271	प्राथ.शाला दरीभाठा	43	43	70	0	
272	प्राथ.शाला कबीरधाम	110	110	124	0	
273	प्राथ.शाला न.जर्वे च.(कुर्मी)	56	56	143	0	
274	प्राथ.शाला डिपरीपारा बिरगहनी च	69	69	87	0	
275	पूर्व माध्य.शाला बिरगहनी च	187	187	232	0	
276	पूर्व माध्य.शाला कबीरधाम	49	49	130	0	
277	पूर्व माध्य.शाला मडवा	125	123	125	0	
278	पूर्व माध्य.शाला कुलीपोटा	105	105	114	0	
279	पूर्व माध्य.शाला शास.जर्वे च	219	219	227	0	
280	पूर्व माध्य.शाला पिसौद	163	163	268	0	
281	पूर्व माध्य.शाला उदयबंद	123	123	129	0	
282	पूर्व माध्य.शाला लछनपुर	123	123	262	0	
283	पूर्व माध्य.शाला बसंतपुर	110	110	205	0	
284	पूर्व माध्य.शाला कुदरी	87	87	97	0	
	योग बजौदा	3500	3500	4460	0	
	महायोग	32732	32732	31406	0	

टीप:-

वर्ष 2015-16 हेतु प्रदत्त रंचालक छत्तीसगढ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित रायपुर से शिक्षा विभाग अंतर्गत गणवेश सिलाई हेतु गणवेश का कपड़ा दिनांक 03 जुलाई से 08 जुलाई 2015 के बीच विकासखण्ड कार्यालय को प्राप्त हुई है। विकासखण्डस्तरीय समिति द्वारा महिला स्व सहायता समूहों का निर्धारण कर लिया गया है।

परिशिष्ट "बाईस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 876) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रधानपाट बैराज निर्माण हेतु निविदा कार्य एवं अन्य व्यय की जानकारी

सं. क्र.	अनुबंधित कार्य का नाम	निविदा की राशि (रु. लाख में)	निविदा आमंत्रण की तिथि	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति / पूर्ण होने की तिथि	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य नहर का निर्माण एवं पक्के कार्यों का निर्माण कार्य	337.33	दिनांक 26.08.08	दिनांक 13.10.08	कार्य पूर्ण दिनांक 21.06.11	
2	वितरिका नहर एवं पक्के कार्यों का निर्माण कार्य	237.97	दिनांक 22.12.10	दिनांक 04.03.11	कार्य पूर्ण दिनांक 14.06.12	
3	बैराज का शीर्ष कार्य का निर्माण गेट सहित	1843.15	दिनांक 16.12.10	दिनांक 24.10.11	कार्य प्रगति पर है।	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि द्वितीय समय वृद्धि के अनुसार दि. 31.08.2015
	प्रधानपाट बैराज की हाई लेवल पुल का निर्माण	148.22	दिनांक 05.11.12	दिनांक 04.01.13	कार्य पूर्ण दिनांक 30.06.15	
	योग	2566.67	-	-	-	

परिशिष्ट "तेडंस"

[परिवर्तित अतारोक्त प्रश्न संख्या 30 क्र. 882 के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा के विधानसभा क्षेत्र जौजेपुर में चल रहे नहर में लाईनिंग कार्य की जानकारी

सं. क्र.	अनुसूचित कार्य का विवरण	नहर / माइनर नहर का नाम जिसमें लाईनिंग कार्य किया जा रहा है	दिनांक 29.06.2015 तक व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	कार्य पूर्ण करने का संभावित तिथि	रिमाण
1	2	3	4	5	6
1	चांपा शाखा नहर प्रणाली के अंतर्गत सोनादह माइनर 1 आर.डी. 0 से 1185 मी., सोनादह माइनर 2 आर.डी. 0 से 1990 मी., डोमाडीह माइनर आर.डी. 0 से 1030 मी., धिवरा माइनर आर.डी. 0 से 2400 मी., जमड़ी माइनर नं. 1 आर.डी. 0 से 750 मी., जमड़ी माइनर 2 आर.डी. 0 से 2000 मी., मलदाकला माइनर आर.डी. 0 से 2000 मी. एवं गुडरुकला माइनर आर.डी. 0 से 1920 मी. में सी.सी. लाईनिंग का कार्य।	सोनादह माइनर 1, 2 डोमाडीह माइनर धिवरा माइनर जमड़ी माइनर नं. 1, 2 मलदाकला माइनर गुडरुकला माइनर	149.68	31.03.2016	
2	हसौद वितरक नहर के हसौद माइनर के आर.डी. 0 कि.मी. से 2800 मी. तक, गरघट्टी उप वितरक नहर के आर.डी. 1085 मी. से 1110 मी. तक, आर.डी. 2230 मी. से 2310, आर.डी. 3270 मी. से 4050 मी. तक, गरघट्टी माइनर 1 के आर.डी. 0 मी. से 1480 मी. एवं गरघट्टी माइनर 2 के आर.डी. 0 मी. से 1950 मी. में लाईनिंग कार्य।	हसौद माइनर, गरघट्टी उपवितरक नहर, गरघट्टी माइनर 1, 2	76.33	31.03.2016.	
3	चांपा शाखा नहर प्रणाली के अंतर्गत किकिरदा माइनर 1 आर.डी. 0 से 2760 मी., किकिरदा माइनर 2 आर.डी. 0 से 2460 मी., किकिरदा माइनर 3 आर.डी. 0 से 1860 मी., करही माइनर आर.डी. 0 से 3000 मी., चिरदा माइनर आर.डी. 0 से 630 मी., बिरा उप वितरक नहर 6120 मी. से 9592 मी. में कार्य।	किकिरदा माइनर 1, 2, 3 करही माइनर, चिरदा माइनर, बिरा उप वितरक नहर	112.45	31.03.2016.	
4	चांपा शाखा नहर प्रणाली के अंतर्गत झरप माइनर आर.डी. 0 से 1620 मी., पेण्डी माइनर नं. 1 आर.डी. 0 से 1260 मी., पेण्डी माइनर 2 आर.डी. 0 से 1230 मी., चिरदा माइनर 1 आर.डी. 0 से 720 मी., चिरदा माइनर 3 आर.डी. 0 से 1260 मी., चिरदा माइनर नं. 4 आर.डी. 0 से 1350 मी., परसदा माइनर आर.डी. 0 से 1410 मी., नक्टीकला माइनर आर.डी. 0 से 3100 मी., अमोदा माइनर आर.डी. 0 से 2100 मी. में सी.सी. लाईनिंग का कार्य।	झरप माइनर पेण्डी माइनर 1, 2, चिरदा माइनर 1, 3, 4, परसदा माइनर नक्टीकला माइनर, अमोदा माइनर	167.38	31.03.2016	

क्र.	अनुबन्धित कार्य का विवरण	नहर / माइनर नहर का नाम जिसमें लाईनिंग कार्य किया जा रहा है	दिनांक 29.06.2015 तक व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	कार्य पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि	रिमाण
1	2	3	4	5	6
5	चांपा शाखा नहर प्रणाली के अंतर्गत माइनर नं. 1 0 से 750 मी., माइनर 2 आर.डी. 0 से 1200 मी., बंसुला माइनर आर.डी 0 से 2670 मी., बिरा माइनर आर.डी. 0 से 2880 मी., माइनर नं. 5 आर.डी. 0 से 1140 मी., बसंतपुर माइनर आर.डी. 0 से 2730 मी., बिरा वितरक नहर आर.डी. 4185 मी. से 7200 मी. एवं माइनर नं. 4 आर.डी. 3000 से 6000 मी. इत्यादि में सी.सी. लाईनिंग कार्य।	माइनर नं. 1, 2, 4, 5 बंसुला माइनर, बिरा माइनर, बसंतपुर माइनर बिरा वितरक नहर	201.71	31.03.2016.	
6	चांपा शाखा नहर प्रणाली के अंतर्गत भदरा माइनर 01 आर.डी. 0 से 1740 मी., बरगड़ी माइनर आर.डी. 0 से 1620 मी., पोडीशकर माइनर आर.डी. 0 से 4050 मी. गोविंदा माइनर 1 आर.डी. 0 से 1810 मी. एवं गोविंदा माइनर C2 आर.डी. 0 से 1710 मी. में सी. लाईनिंग का कार्य।	भदरा माइनर, बरगड़ी माइनर, पोडीशकर माइनर, गोविंदा माइनर 1, 2	155.37	मार्च 2015 में पूर्ण।	
7	सक्ती शाखा नहर के अंतर्गत माइनर एवं सबमाइनरों में सी.सी. लाईनिंग एवं कोलाबा फिक्सिंग का कार्य।	भाटापारा माइनर, गाड़ाभोर माइनर जैजैपुर माइनर 2 महुआडीह माइनर महुआडीह सब माइनर चोरभट्टी माइनर जैजैपुर माइनर-3 अरसिया माइनर 1 अरसिया माइनर 2 सैंदरी माइनर परसाडीह सब माइनर परसाडीह माइनर घोराडीपा माइनर आमगांव माइनर बेलकरी सब माइनर 1 बेलकरी सब माइनर 2 अचानकपुर सब माइनर काशीगढ़ सब माइनर	198.78	31.03.2016.	

क्र.	अनुबधित कार्य का विवरण	नहर / माइनर नहर का नाम जिसमें लाईनिंग कार्य किया जा रहा है	दिनांक 29.06.2015 तक व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	कार्य पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि	रिमाक
1	2	3	4	5	6
8	सक्ती शाखा नहर के अंतर्गत बरदुली वितरक नहर के माइनर में सी.सी. लाईनिंग एवं कोलाबा फिक्सिंग का कार्य।	गलम्लाडोह माइनर जैजैपुर माइनर तुषार माइनर गाड़ागोर माइनर	136.25	31.03.2016.	
9	सक्ती शाखा नहर के बरदुली वितरक नहर के अंतर्गत उपवितरक नहर, माइनर एवं सब माइनर में सी.सी. लाईनिंग एवं कोलाबा फिक्सिंग का कार्य।	आमाकोनी माइनर का 1 एल ब्रांच माइनर एवं 2 एल ब्रांच माइनर हरेटीकला माइनर 1 के 1 आर ब्रांच माइनर, 2 आर ब्रांच माइनर एवं 3 एल ब्रांच माइनर हरेटीकला माइनर 2 बोईरडीह माइनर के 1 एल ब्रांच माइनर, 2 एल ब्रांच माइनर एवं 3 आर ब्रांच माइनर बरदुली माइनर 1 बरदुली माइनर 2 देवरघटा माइनर बरेकेल माइनर के 1 आर ब्रांच माइनर भनेतरा माइनर के 1 आर ब्रांच माइनर, 2 आर ब्रांच माइनर, 3 एल ब्रांच माइनर एवं 4 आर ब्रांच माइनर कचंदा उप वितरक नहर कचंदा उप वितरक नहर के 1 एल ब्रांच माइनर, 2 आर ब्रांच माइनर, 3 एल ब्रांच माइनर, 4 एल ब्रांच माइनर, 5 एल ब्रांच माइनर, 6 एल ब्रांच माइनर एवं 7 आर ब्रांच माइनर कचंदा उप वितरक नहर के 2 आर उप वितरक नहर के अंतर्गत 1 एल ब्रांच माइनर एवं 2 एल ब्रांच माइनर	218.27	31.03.2016.	

क्र.	अनुबाधत कार्य का विवरण	नहर / माईनर नहर का नाम जिसमें लाईनिंग कार्य किया जा रहा है	दिनांक 29.06.2015 तक व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	कार्य पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि	रिमांक
1	2	3	4	5	6
10	सक्ती शाखा नहर के अंतर्गत मादर एवं सदमाइनर में सी.सी. लाईनिंग एवं कोलाबा फिक्सिंग का कार्य ;	अकलतरा माईनर 1 वूठी सब माईनर सोनसरी-सब माईनर सोनसरी माईनर वूठी माईनर ठठारी माईनर ठठारी सब माईनर खैरागढ़ सब माईनर कारीभंवर सब माईनर पथर्रा सब माईनर सलनी माईनर सलनी सब माईनर 1 सलनी सब माईनर 2 भोथिया माईनर खम्हरिया माईनर 2 खम्हरिया माईनर 3 खम्हरिया माईनर 4 भोथीडीह माईनर 1 भोथीडीह माईनर 2 भोथीडीह माईनर 3 केकराभाट सब माईनर खंजुरानी माईनर जादा माईनर मलनी माईनर मुरलीडीह माईनर ।	347.61	31.05.2016.	
11	सक्ती शाखा नहर के अंतर्गत परसाडीह वितरक नहर मुक्ता एवं सेदरी उपवितरक नहर में सी.सी. लाईनिंग का कार्य।	परसाडीह वितरक नहर सेदरी उप वितरक नहर मुक्ता उप वितरक नहर	221.13	31.03.2016.	
योग :-			1984.96		

परिशिष्ट "चौबीस"

[परिवर्तित अतागकित प्रश्न संख्या 32 (क्र 204) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

उद्योगों को पानी देने के लिए बैराजों का निर्माण

स.क्र.	नदी का नाम	बैराज का नाम/निर्माण वर्ष/स्थल का नाम	जल संग्रहण क्षमता (मि.घ.मी.)	उद्योगों के नाम जिन्हें पानी आबंटित है।	वर्तमान में प्रदाय किये जा रहे जल की मात्रा (मि.घ.मी.)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
निर्मित						
1	हरादेव नदी	हरादेव बैराज (निर्मित) मिनीमाता बांध में संग्रहित उपयोगी कुल जल 2894.331 मि.घ.मी. में से औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित 418.95 मि.घ.मी. में से संरक्षणों को बैराज के माध्यम से जल देने हेतु शासन द्वारा जल आबंटन किया गया है/ वर्ष 1967/दर्रा	13.17	1 छ.ग.रा.वि.म. कोरबा (पूर्व) (440 मेगावाट) 2 छ.ग.रा.वि.म. कोरबा (पश्चिम) (840 मेगावाट) 3 एन.टी.पी.सी., कोरबा एवं बी.सी.पी.पी. (2100, 500 मेगावाट विस्तारीकरण) 4 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह छ.ग.वि.म.कोरबा (पूर्व) 5 बाल्को कोरबा 6 बाल्को विस्तारीकरण परियोजना हेतु 7 आई.बी.पी. गोपालपुर 8 एस.ई.सी.एल. कोरबा 9 एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा 10 एस.ई.सी.एल. गोवरा 11 एस.ई.सी.एल. सीपत 2980 मेगावाट 12 न्यू धर्मल पावर प्रोजेक्ट छ.ग.वि.म.कोरबा (पश्चिम)	21.000 23.000 110.000 21.000 6.600 16.500 0.078 0.963 1.490 1.260 120.000 26.000	स्थायी रूप से जल प्रदाय
योग :-			13.170	12	347.891	

सं.क्र.	नदी का नाम	बैराज का नाम/निर्माण वर्ष/स्थल का नाम	जल संग्रहण क्षमता (मि.घ.मी.)	उद्योगों के नाम जिन्हें पानी आबंटित है।	वर्तमान में प्रदाय किये जा रहे जल की मात्रा (मि.घ.मी.)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
निर्माणाधीन						
1	महानदी	समोदा बैराज/ग्राम समोदा	27.79	1 मेसर्स जी.एम.आर. एनर्जी लिमिटेड, बैंगलोर	0.00	
योग :-			27.79	1	0.00	
2	महानदी	शिवरीनारायण बैराज/ग्राम शिवरीनारायण	37.00	1 जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़ (9.45 मि.घ.मी.)	0.00	
				2 कर्नाटका पावर लिमिटेड, गोधना (17.55 मि.घ.मी.)	0.00	
				3 के.एस.के. महानदी पावर लिमिटेड, नरियरा (10.00 मि.घ.मी.)	0.00	
योग :-			37.00	3	0.00	
3	महानदी	बसंतपुर बैराज/ग्राम बसंतपुर	50.62	1 सोना पावर लिमिटेड 600 मे.वा. (अ) ग्राम सलखन	0.00	
				अतिरिक्त मात्रा (ब)	0.00	
				2 जिंदल इण्डिया लिमि. 1320 मे.वा. लोहाखान रायगढ़	0.00	
				3 मे. के.एस.के. महानदी पावर कं. लि. (वर्धा पावर कं.लि.) 3600 मे.वा. नरियरा जांजगीर चांपा	17.52	अस्थायी रूप से जल प्रदाय
				4 एन.टी.पी.सी. लारा रायगढ़ (विडियोकॉन इन्ड. लिमि. के निरस्तीकरण के फलस्वरूप)	0.00	
				5 जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. रायगढ़	0.00	
योग :-			50.62	6	17.52	
				6		

स.क्र.	नदी का नाम	बैराज का नाम/निर्माण वर्ष/स्थल का नाम	जल संग्रहण क्षमता (मि.घ.मी.)	उद्योगों के नाम जिन्हें पानी आबंटित है।	वर्तमान में प्रदाय किये जा रहे जल की मात्रा (मि.घ.मी.)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
4	महानदी	मिरोनी बैराज/ग्राम मिरोनी	52.65	1 अथेना छ.ग. लिमि. (अ) 600 मे.वा. सिंधीतराई रायगढ़ अथेना छ.ग. लिमि. (अ) 600 मे.वा.	0.00	
				2 एन.टी.पी.स. लारा रायगढ़ (भूषण पॉवर स्टील लिमि. के निरस्तीकरण के फलस्वरूप)	0.00	
				3 टॉपवर्थ लिमि.	0.00	
				4 डी.बी. पॉवर लिमिटेड बड़ेदरहा जांजगीर-चांपा	0.00	
				5 जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लि. रायगढ़ (श्याम सेंचुरी लि. के निरस्तीकरण के फलस्वरूप)	0.00	
				6 मे. नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमि. तराईमाल रायगढ़	0.00	
		योग :-	52.65	6	0.00	
5	महानदी	साराडीह बैराज/ग्राम साराडीह	54.24	1 इण्ड भारत एनर्जी लि. हैदराबाद (4.50 मि.घ.मी.)	0.00	
				2 वीसा पॉवर लि., कोलकाता (7.87 मि.घ.मी.)	0.00	
				3 बी.ई.सी. पॉवर प्रा.लि. मुम्बई (3.26 मि.घ.मी.)	0.00	
				4 (अ) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लि. रायपुर (5.40 मि.घ.मी.) (ब) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लि. रायपुर (अति.) (2.47 मि.घ.मी.)	0.00	
				5 (अ) आर.के.एम. पॉवरजेन प्रा.लि. चैन्नई (7.88 मि.घ.मी.) (ब) आर.के.एम. पॉवरजेन प्रा.लि. चैन्नई (अति.) (2.21 मि.घ.मी.)	0.00	
				6 (अ) एन.टी.पी.सी., लारा (15.18 मि.घ.मी.) (ब) एन.टी.पी.सी., लारा (अति.) (3.81 मि.घ.मी.)	0.00	
				7 जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लि., रायगढ़ (1.66 मि.घ.मी.)	0.00	
		योग :-	54.24	7	0.00	

सं.क्र.	नदी का नाम	बैराज का नाम/निर्माण वर्ष/स्थल का नाम	जल संग्रहण क्षमता (मि.घ.मी.)	उद्योगों के नाम जिन्हें पानी आबंटित है।	वर्तमान में प्रदाय किये जा रहे जल की मात्रा (मि.घ.मी.)	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	
6	महानदी	कलमा बैराज/ग्राम कलमा	50.39	1 मोनेट इस्पात लिमि. 240 मे.वा.	0.00		
				2 जे.एस.डब्ल्यू लिमिटेड 1200 मे.वा.	0.00		
				3 टॉपवर्थ लिमि. 600 मे.वा.	0.00		
				4 जिन्दल पॉवर लिमिटेड 2640 मे.वा.	0.00		
				5	जी.बी. पॉवर लिमिटेड "अ"	0.00	
				डी.बी. पॉवर लिमिटेड "ब"	0.00		
				6	कोरबा वेस्ट पॉवर लिमिटेड "अ"	0.00	
				कोरबा वेस्ट पॉवर लिमिटेड "ब"	0.00		
		योग :-	50.39	7	0.00		
7	हसदेव	कुदरी बैराज/ग्राम कुदरी	15.60	1 छ.ग. राज्य पॉवर जनरेशन कम्पनी मड़वा	0.00		
				2 छ.ग. स्टील पॉवर अमझर	0.00		
				3 प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि0 चापा.	0.00		
		योग :-	15.60	3	0.00		
		महायोग :-	301.46		365.41		

औद्योगिक बैराजों के भू-अर्जन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति

राशि रु. लाख में/रकबा हेक्टेयर में

23 जनवरी, 2015

124

बैराज का नाम	जिले का नाम	ग्राम की संख्या	प्रकरण की संख्या	दूबान हेतु अर्जित रकबा		पहुंच मार्ग हेतु अर्जित रकबा		योग		भू-अर्जन अधिकारी को प्रदत्त राशि	अद्यतन स्थिति/अभियुक्ति
				प्रभावित रकबा	कृषकों की संख्या	प्रभावित रकबा	कृषकों की संख्या	कुल रकबा	कृषकों की कुल संख्या		
2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
सुख बैराज (निर्मित)	कोरबा	18	-	877.930	-	-	-	877.930	-	-	बैराज के दूबान क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का मुआवजा प्रभावितों को दिया जा चुका है। पुर्नवास प्रभावित नहीं है।
योग		18	0	877.930	0	0	0	877.930	0	0	
प्रक्रियाधीन											
महासमुंद बैराज	महासमुंद	3	3	96.810	403	1.660	20	98.470	423	1587.720	1 ग्राम के 1 प्रकरण का अवाई पारित। 6 ग्रामों के 6 प्रकरणों में नये अधिनियम के तहत धारा-19 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुर्नवास प्रभावित नहीं है।
	रायपुर	4	4	61.090	151	0.000	0	61.090	151	0.000	
योग		7	7	157.900	554	1.660	20	159.560	574	1587.720	
शिवनारायण बैराज	बलौदाबाजार	8	8	92.212	520	0.388	7	92.588	527	1046.443	2 ग्राम के 2 प्रकरणों में अवाई पारित। शेष 13 ग्रामों के 13 प्रकरणों में अवाई हेतु एवं 1 ग्राम के 1 प्रकरण का नये अधिनियम के तहत धारा 11 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुर्नवास प्रभावित नहीं है।
	जाजगीर-चांपा	8	8	21.911	305	0.230	3	22.141	308	406.901	
योग		16	16	114.123	825	0.618	10	114.729	835	1453.344	
जमनापुर बैराज	जाजगीर-चांपा	2	3	0.988	24	3.615	33	4.603	57	122.190	7 ग्रामों के 7 प्रकरणों का अवाई पारित एवं 2 ग्रामों के 2 प्रकरण एवं अन्य 3 पूरक प्रकरणों में नये अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुर्नवास प्रभावित नहीं है।
	बलौदाबाजार	7	9	57.236	444	0.000	0	57.236	444	565.160	
योग		9	12	58.224	468	3.615	33	61.839	501	687.350	
मिर्सीनी बैराज	जाजगीर-चांपा	4	5	47.095	304	1.551	28	48.646	332	502.379	2 ग्रामों के 2 प्रकरणों में अवाई पारित एवं शेष 9 ग्रामों के 9 प्रकरण एवं 2 पूरक प्रकरण में धारा-19 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुर्नवास प्रभावित नहीं है।
	रायगढ़	2	3	12.020	97	0.920	22	12.940	119	186.311	
	बलौदाबाजार	5	5	7.446	210	0.000	0	7.446	210	24.824	
योग		11	13	66.561	611	2.471	50	69.032	661	713.514	
मोहा बैराज	रायगढ़	9	9	444.357	1471	1.695	30	446.052	1501	1311.000	1 ग्राम के 1 प्रकरण का अवाई पारित। 15 ग्रामों के 15 प्रकरणों में नये अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुर्नवास प्रभावित नहीं है।
	जाजगीर-चांपा	7	7	190.506	471	1.853	39	192.159	510	2000.000	
योग		16	16	634.863	1942	3.548	69	638.211	2011	3311.000	

ग्राम का नाम	जिले का नाम	ग्राम की संख्या	प्रकरण की संख्या	डूबान हेतु अर्जित रकबा		पहुंच मार्ग हेतु अर्जित रकबा		योग		शू-अर्जन अधिकारी को प्रदत्त राशि	अद्यतन स्थिति/अभियुक्ति
				प्रभावित रकबा	कृषकों की संख्या	प्रभावित रकबा	कृषकों की संख्या	कुल रकबा	कृषकों की कुल संख्या		
2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
कलमा बैराज	जांजगीर-चांपा	13	13	90.460	422	1.799	29	92.259	451	34.200	2 ग्रामों के 2 प्रकरणों का अवाई पारित। 25 ग्रामों के 25 प्रकरणों में नये अभिनियम के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुर्नवास प्रभावित नहीं है।
	रायगढ़	14	14	56.181	273	4.424	37	60.605	310	29.810	
योग		27	27	146.641	695	6.223	66	152.864	761	64.010	
हदरी बैराज	जांजगीर-चांपा	1	1	-	-	3.030	10	3.030	10	54.491	1 ग्राम के पहुंच मार्ग के प्रकरण का अवाई पारित। वर्तमान में डूबान क्षेत्र के ग्रामों के पुनरीक्षित शू-अर्जन प्रकरण तैयार करने हेतु आंकलन किया जाना प्रक्रियाधीन है। पुर्नवास प्रभावित नहीं है।
योग		1	1	0.000	0	3.030	10	3.030	10	54.491	
महायोग		105	92	2056.042	5095	21.165	258	2077.195	5353	7871.429	

परिशिष्ट "पच्चीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 913) के भाग (क) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2015-16 में दिनांक 30-06-2015 की स्थिति में विकासखण्डों में भण्डारित किये गये संकर धान एवं संकर मक्का बीज की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	संकर धान बीज (मात्रा कि.ग्रा. में)								संकर मक्का बीज (कि.ग्रा. में)
		व्ही. एन. आर. 2215	अराईज 6444	अराईज तेज	अंकुर 7434	के-171 (कावेरी)	डी. आर. एच. 775	यू. एस. 382	योग	प्रबल(एम 01)
1	राजनांदगांव	0	1980	480	1000	0	0	501	3961	640
2	डोंगरगांव	1000	1770	480	500	699	500	501	5450	340
3	छुरिया	700	480	990	100	198	1000	498	3966	320
4	खैरागढ़	500	1500	480	1500	0	0	0	3980	320
5	डोंगरगढ़	500	960	990	500	498	0	0	3448	320
6	छुईखदान	500	780	480	1000	198	500	501	3959	840
7	चौकी	500	1800	480	200	498	500	999	4977	900
8	मोहला	500	2490	480	1500	1500	500	501	7471	1560
9	मानपुर	1500	1500	480	0	198	1000	498	5176	2760
योग:		5700	13260	5340	6300	3789	4000	3999	42388	8000

परिशिष्ट "छब्बीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 922) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

(ख) वर्ष 2004 से दिनांक 30/06/2015 तक राजनांदगांव जिले में खोली गई नवीन शालाओं की जानकारी :-

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	प्राथमिक शाला	पूर्व माध्यमिक शाला	हाईस्कूल
1	खैरागढ़	15	34	44
2	डोंगरगढ़	8	41	13
3	डोंगरगांव	11	26	23
4	राजनांदगांव	4	8	19
5	खुज्जी	14	41	34
6	मोहला-मानपुर	95	60	34
	योग	147	210	167

प्रपत्र "ब"

प्रश्नांश 'क' में से दिनांक 30/06/2015 तक 02 प्राथमिक शालाएं एवं 06 पूर्व माध्यमिक शालाओं को युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत बन्द करने संबंधी विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी :-

क.	शाला खोलने का वर्ष	विकासखण्ड	विधानसभा क्षेत्र	शाला का नाम
----	--------------------	-----------	------------------	-------------

प्राथमिक शाला

1	2004-05	डोंगरगढ़	डोंगरगांव	नवीन प्राथ० शाला पुजारी टोला
2	2006-07	मोहला	मेहला-मानपुर	नवीन प्राथ० शाला गोंदाटोला

माध्यमिक शाला

1	2004-05	डोंगरगढ़	डोंगरगांव	पूर्व माध्य.शाला कन्या बोरतलाव
2	2005-06	छुरिया	खुज्जी	पूर्व माध्य.शाला कन्या गैंदाटोला
3	2005-06	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	पूर्व माध्य. शाला कन्या बेतगांव
4	2006-07	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	पूर्व माध्य. शाला कन्या बिल्हारी
5	2009-10	मोहला	मोहला-मानपुर	पूर्व माध्य. शाला कन्या डुमरटोला
6	2009-10	मोहला	मोहला-मानपुर	पूर्व माध्य. शाला कन्या सोमाटोला

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 959) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जल संसाधन विभाग द्वारा आबंटित राशि की जानकारी

नेमंतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 से जून 2015 तक सिंचाई योजनाओं हेतु आबंटित राशि तथा रखरखाव / मरम्मत पर व्यय की गई राशि

क्र.	सिंचाई योजना का नाम	गांव का नाम	सिंचाई योजना हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)				सिंचाई योजनाओं के रखरखाव / मरम्मत कार्य पर व्यय की गई राशि (रु. लाख में)				प्राप्त अनियमितता की शिकायत का निवर्ण	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही	रिमांड
			वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 तक	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 तक			
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
1	वेरला गाईनर लाईनिंग एवं रिमाडलिंग	बेरला	60.00	9.00	-	-	-	-	-	-	कोई अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	-	-
2	सोढ डिस्ट्री. लाईनिंग एवं रिमाडलिंग	सोढ	-	1.00	405.10	146.00	-	-	-	-		-	-
योग :-			60.00	10.00	405.10	146.00	-	-	-	-		-	-
1	बहेरघाट-लावातरा एनीकट / काजवे	बहेरघाट-लावातरा	22.00	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2	अमोरा एनीकट / काजवे	अमोरा	250.00	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3	ताकम एनीकट / काजवे	ताकम-सल्हा	-	120.00	350.00	240.00	-	-	-	-		-	-
4	रजकुडी एनीकट / काजवे	रजकुडी	-	10.00	100.00	60.00	-	-	-	-		-	-
5	बहिगा एनीकट / काजवे	बहिगा	-	-	5.00	175.00	-	-	-	-		-	-
6	सुरहोली एनीकट	सुरहोली	77.00	42.00	-	-	-	-	-	-		-	-
7	वेरला एनीकट	बेरला	275.00	-	-	-	-	-	-	-		-	-
8	मुडपार (बेरला) एनीकट	मुडपार	-	226.00	160.00	-	-	-	-	-	-	-	
9	ताकम स्टापडेम	ताकम	-	54.00	20.80	7.00	-	-	-	-	-	-	
10	सिवार स्टापडेम	सिवार	-	-	17.10	42.00	-	-	-	-	-	-	
योग :-			624.00	452.00	652.90	524.00	-	-	-	-	-	-	
कुल योग			684.00	462.00	1,058.00	670.00	-	-	-	-	-	-	

प्रपत्र "ब"

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आबंटित राशि की जानकारी-

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 से जून 2015 तक सिंचाई योजनाओं हेतु आबंटित राशि तथा रखरखाव / मरम्मत पर व्यय की गई राशि

क्र. सं.	सिंचाई योजनाओं का नाम	ग्राम का नाम	सिंचाई योजना हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)				सिंचाई योजनाओं के रखरखाव / मरम्मत कार्य पर व्यय की गई राशि (रु. लाख में)				प्राप्त अनियमितता की शिकायत का विवरण	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही	शिमांक
			वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 तक	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 तक			
	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
1	बहेरा जलाशय मजबूतीकरण कार्य	बहेरा	12.00	17.10	-	-	11.80	17.08	-	-	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।		
2	शिया व्यपवर्तन शीर्ष एव नहर कार्य का मजबूतीकरण	ढोकला	3.00	-	-	-	2.88	-	-	-			
3	गोहमट्टा व्यप. शीर्ष एवं नहर मजबूतीकरण कार्य	चोरमट्टी	5.50	-	-	-	5.24	-	-	-			
4	कमलेश जलाशय मजबूतीकरण कार्य	बैजी	6.00	6.00	17.00	-	5.79	5.73	9.00	-			
5	सिरवाबाधा जलाशय मजबूतीकरण कार्य	सिरवाबाधा	10.00	11.00	1.40	-	9.86	10.48	1.20	-			
6	कुसमी जलाशय क. 2 मजबूतीकरण कार्य	कुसमी	3.50	0.10	7.00	-	3.40	0.07	6.77	-			
7	भोईनाभाटा जलाशय मजबूतीकरण कार्य	भोईनाभाटा	3.30	5.00	3.50	-	3.21	4.86	3.44	-			
8	भीमपुरी जलाशय मजबूतीकरण कार्य	भीमपुरी	2.00	3.00	-	-	2.02	2.83	-	-			
9	सण्डी जलाशय मजबूतीकरण कार्य	सण्डी	1.00	-	4.00	-	0.71	-	3.99	-			
10	मुरपार जलाशय रिपल चैनल का खुदाई तथा रजस का विस्तारीकरण	मुडपार	-	2.50	1.10	-	-	2.48	1.04	-			
11	शिवनाथ ज.सि.यो. मुख्य नहर चैन क. 0 में 40 तक मजबूतीकरण कार्य	जौंग	-	1.00	6.00	-	-	0.72	7.48	-			
12	हरा जलाशय मजबूतीकरण कार्य	फरी	-	2.50	1.50	-	-	2.33	1.45	-			
13	गुधली गाँव नहर जीर्णोद्धार	गुधली	0.13	-	-	-	0.13	-	-	-			
14	लावातरा नहर मरम्मत	भाड	0.73	-	-	-	0.73	-	-	-			

सं क्र	सिंचाई योजनाओं का नाम	ग्राम का नाम	सिंचाई योजना हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)				सिंचाई योजनाओं के रखरखाव / मरम्मत कार्य पर व्यय की गई राशि (रु. लाख में)				प्राप्त अनियमितता की शिकायत का विवरण	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही	रिमाक
			वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 तक	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 तक			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	अकोली नाला व्यपवर्तन जीर्णोद्धार	अकोली	0.90	-	-	-	0.90	-	-	-	-	-	-
16	आनंदगांव माईनर जीर्णोद्धार	आनंदगांव	8.37	1.33	-	-	8.37	1.33	-	-	-	-	-
17	तरकोरी बोरिया जलाशय नहर जीर्णोद्धार	बोरिया-तरकोरी	3.20	0.88	-	-	3.20	0.88	-	-	-	-	-
18	सुरहोली माईनर नहर जीर्णोद्धार	सुरहोली	0.80	-	-	-	0.80	-	-	-	-	-	-
19	सोरा गितरक नहर मरम्मत कार्य 0 से 7 कि मी	पेण्डीतराई	6.72	7.18	-	-	6.72	7.18	-	-	-	-	-
योग :-			67.15	57.59	36.50	-	65.76	55.97	34.37	-	-	-	-

प्रपत्र "स"

जल उपभोक्ता संस्था को आबंटित राशि की जानकारी

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 से जून 2015 तक सिंचाई योजनाओं हेतु आबंटित राशि तथा रखरखाव / मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण

सं. क्र.	सिंचाई योजनाओं का नाम	ग्राम का नाम	सिंचाई योजना हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)				सिंचाई योजनाओं के रखरखाव / मरम्मत कार्य पर व्यय की गई राशि (रु. लाख में)				प्राप्त अनियमितता की शिकायत का विवरण	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही	टिप्पणियाँ
			वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 तक	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 तक			
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
1	ज.उ.स.पिरदा	पिरदा	0.32	0.60	0.35	0.00	0.32	0.60	0.35	0.00			
2	ज.उ.स.मिम्भोरी	मिम्भोरी	0.53	0.47	0.43	0.00	0.53	0.47	0.43	0.00			
3	ज.उ.स.सोढ	सोढ	0.75	0.79	0.45	0.00	0.75	0.79	0.45	0.00			
4	ज.उ.स.चंडी	चंडी	0.27	0.21	0.38	0.00	0.27	0.21	0.38	0.00			
5	ज.उ.स.खुडमुडा	खुडमुडा	0.34	0.70	0.48	0.00	0.34	0.70	0.48	0.00			
6	ज.उ.स.तेलगगा	तेलगगा	0.54	0.40	0.34	0.00	0.54	0.40	0.34	0.00			
7	ज.उ.स.खर्सा	खर्सा	0.24	0.25	0.20	0.00	0.24	0.25	0.20	0.00			
8	ज.उ.स.बेरला	बेरला	0.26	0.29	0.34	0.00	0.26	0.29	0.34	0.00			
9	ज.उ.स.बेमेतरा	मुड़पार, बेमेतरा, राण्डी, भीमपुरी, खिलोसा, फर्री, करही, झलमला	2.44	0.28	0.10	0.00	2.44	0.28	0.10	0.00	निरंक	निरंक	
10	ज.उ.स.कटोली	कटोली, आटेबल, हथमुडी, पिकरी, लोलेसरा, बेरला, सिरवावाणा, भुरली	0.25	0.42	0.17	0.00	0.25	0.42	0.17	0.00	निरंक	निरंक	
		तिलकमुडा, जेवर, अमोशा, बीजाण्ड	0.00	0.11	0.00	0.00	-	0.11	-	0.00	निरंक	निरंक	

क्र.सं.	सिंचाई योजनाओं का नाम	ग्राम का नाम	सिंचाई योजना हेतु प्राप्त आबंटन (रु. लाख में)				सिंचाई योजनाओं के रखरखाव / मरम्मत कार्य पर व्यय की गई राशि (रु. लाख में)				पारदर्शिता अभियमितता की शिकायत का विवरण	प्रति शिकायत पर की गई कार्यवाही	सिगक
			वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 तक	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 में माह जून 2015 तक			
02		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
12	ज.उ.स कोठला	कोदवा, चिखला, बुड़ेरा, नारधी, साल्हेपुर, डगानिया	0.13	0.20	0.04	0.00	0.13	0.20	0.04	0.00	निरंक	निरंक	
13	ज.उ.स रोक्का	जौंग, रौंका	0.11	0.18	0.10	0.00	0.11	0.18	0.10	0.00	निरंक	निरंक	
14	ज.उ.स टनार बीजा	सरसा, बोदका, मनियारी, मोहभट्टा	0.22	0.40	0.12	0.00	0.22	0.40	0.12	0.00	निरंक	निरंक	
योग :-			6.40	5.30	3.50	0.00	6.40	5.30	3.50	0.00			

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 972) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

राजिम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 25 जून 2015 तक स्वीकृत कार्यों की जानकारी

स. क्र.	योजना का नाम	कार्य का प्रकार	प्रशासकीय स्वीकृत की राशि / दिनांक	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	एजेंसी का नाम	अनुबंध की राशि / दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण) / पूर्णता तिथि/अपूर्ण कार्य पूर्ण करने की तिथि	निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने से एजेंसी पर की गई कार्यवाही	टोप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	टेंगनईडोंगर जलाशय	जलाशय	रु. 213.33 लाख / दिनांक 30.03.2013	टेंगनईडोंगर जलाशय के मुख्य नहर आर.डी. 0 मी. से 330 मी. एवं आर.डी. 60 मी. पर एक्वाडक्ट का निर्माण	बोरियाझर	श्री गौरव वासुदेव, 'अ-4' श्रेणी ठेकेदार, रायपुर	रु. 21.97 लाख / दिनांक 08.01.2013	पूर्ण / दिनांक 07.09.2013	-	
				टेंगनईडोंगर जलाशय के मुख्य नहर एवं शाखा नहर एवं स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य	पिपराही	श्री गौरव वासुदेव 'अ-4' श्रेणी ठेकेदार रायपुर	रु. 76.97 लाख / दिनांक 24.09.2013	पूर्ण / दिनांक 08.05.2014	कडिका 4.3.5.3 (दाण्डिक) के तहत दिनांक 08.05.2014 तक समयावधि प्रदत्त एवं राशि रु. 1350/- शास्ति अधिरोपित किया गया	
				टेंगनईडोंगर जलाशय के बोरियाझर माइनर नहर एवं स्ट्रक्चर्स कार्य	बोरियाझर	श्री घनश्याम कश्यप, 'बी' श्रेणी ठेकेदार, धमतरी	रु. 25.15 लाख / दिनांक 09.03.2015	पूर्ण / दिनांक 08.06.2015	-	
2	रानीडोंगरी जलाशय	जलाशय	रु. 575.76 लाख / दिनांक 27.04.2013	रानीडोंगरी जलाशय के मुख्य नहर एवं टेल माइनर का निर्माण	तालेसर	मेसर्स पवार कन्स्ट्रक्शन, 'अ-5' श्रेणी ठेकेदार, कुरुद	रु. 19.50 लाख / दिनांक 09.01.2014	पूर्ण / दिनांक 07.01.2015	कडिका 4.3.5.3 (दाण्डिक) के तहत दिनांक 07.01.2015 तक समयावधि प्रदत्त एवं राशि रु. 3000/- शास्ति अधिरोपित किया गया	
				रानीडोंगरी जलाशय के बांध एवं स्पिन्डल चैनल एवं रलूस का निर्माण कार्य	तालेसर	मेसर्स पवार कन्स्ट्रक्शन, 'अ-5' श्रेणी ठेकेदार, कुरुद	रु. 120.98 लाख / दिनांक 03.10.2013	पूर्ण / दिनांक 31.03.2015	कडिका 4.3.5.3 (दाण्डिक) के तहत दिनांक 31.03.2015 तक समयावधि प्रदत्त एवं राशि रु. 1000/- शास्ति अधिरोपित किया गया	
योग जलाशय -			789.09				264.57			

स. क्र.	योजना का नाम	कार्य का प्रकार	प्रशासकीय स्वीकृत की राशि / दिनांक	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	एजेसी का नाम	अनुबंध की राशि / दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण) / पूर्णता तिथि, अपूर्ण कार्य पूर्ण करने की तिथि	निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने से एजेसी पर की गई कार्यवाही	टीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	सरगीनाला एनीकट	एनीकट	रु. 359.34 लाख / दिनांक 15.02.2012	सरगीनाला एनीकट निर्माण (गाड़ाघाट)	गाड़ाघाट	श्री गौरव वासुदेव, 'अ-4' श्रेणी ठेकेदार, रायपुर	रु. 284.15 लाख / दिनांक 08.01.2013	पूर्ण / दिनांक 30.06.2014	कंडिका 3.5.3 (दाण्डक) के तहत दिनांक 30.06.2014 तक समयावधि प्रदत्त एवं राशि रु. 23500/- शास्ति अधिरोपित किया गया	
4	छुरा एनीकट	एनीकट	रु. 922.91 लाख / दिनांक 24.09.2013	छुरा एनीकट निर्माण (सूखानाला)	छुरा	मेसर्स आर्या कन्स्ट्रक्शन, 'अ-5' श्रेणी ठेकेदार, रायगढ़	रु. 969.44 लाख / दिनांक 11.09.2014	पूर्ण / दिनांक 10.06.2015	-	
	योग एनीकट -		1282.25				1253.59			
5	परसदा डिस्ट्रीब्यूटरी का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य	नहर कार्य	रु. 900.04 लाख / दिनांक 23.08.2014	परसदा डिस्ट्रीब्यूटरी के चैन 0.338 तक का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग	परसदा	मेसर्स माला मोहन बिल्डर्स, 'ए' श्रेणी ठेकेदार, दुर्ग	रु. 969.00 लाख / दिनांक 09.06.2015	अपूर्ण (निर्माणाधीन) / दिनांक 08.12.2016	-	
	योग नहर कार्य -		900.04				969.00			

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट "उनतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 108) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]
प्रपत्र "अ"

विकासखण्डवार/फसलवार (दलहन/तिलहन) का रकबा वर्ष 2014-15

(ईकाई हे० में)

क्र०	फसल का नाम	जगदलपुर	बस्तर	बकावण्ड	लोहण्डीगुडा	तोकापाल	दरभा	बास्तानार	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
खरीफ दलहन									
1	अरहर	77	125	50	550	150	300	590	1842
2	उड़द	265.00	1500.00	275	2304.00	510.00	520.00	3050.00	8424
3	मूँग	39	85	20	62	35	130	115	486
4	कुल्थी	25	23	40	851	50	-	450	1439
5	अन्य दलहन	-	50	-	208	-	-	250	508
	योग दलहन	406	1783	385	3975	745	950	4455	12699
रबी दलहन									
1	चना	80	373	185	495	319	100	120	1672
2	मटर	155	265	295	250	51	50	12	978
3	मसूर	14	20	8	52	11	-	1	106
4	मूँग	14	20	12	15	1	-	-	62
5	उड़द	1	10	4	25	6	-	-	46
6	तिल	20	5	-	25	-	-	-	50
	योग दलहन	284	693	404	862	388	150	130	2914
	कुल योग दलहन	690	2476	789	4837	1133	1100	4588	15613
खरीफ तिलहन									
1	मूँगफली	1	2	10	75	1	1	110	200
2	तिल	65	55	40	175	100	100	146	681
3	रामतिल	251	350	100	1402	800	850	2710	6463
	योग तिलहन	317	407	150	1652	901	951	2966	7344
रबी तिलहन									
1	तोरिया/सरसो	628	340	325	3500	175	3800	4030	12798
2	अलसी	20	86	43	205	2	8	15	379
3	कुसुम	1	-	-	-	-	-	-	1
	योग तिलहन	649	426	368	3705	177	3808	4045	13178
	कुल योग तिलहन	966	833	518	5357	1078	4759	7011	20522

स्रोत : अधीक्षक भू-अभिलेख जिला - बस्तर :

कुल दलहन का रकबा = 15613 हे.

कुल तिलहन का रकबा = 20522 हे.

कुल दलहन एवं तिलहन का रकबा = 36135 हे.

प्रपत्र "ब"

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना दलहन वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15
कार्यक्रमवार/विकासखण्डवार व्यय की गई राशि

वित्तीय लाख रु० में

क्र.सं.	कार्यक्रम/घटक जिस पर व्यय किया गया	ईकाई	जगदलपुर						बरतार					
			2012-13		2013-14		2014-15		2012-13		2013-14		2014-15	
			किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कलस्टर डिमास्ट्रेशन	हे०	0.00	0.00	100.00	4.08	0.00	0.00	50.00	0.919	200.00	8.17	0.00	0.00
2	क्राफिंग बेसड डिमास्ट्रेशन	हे०	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7.106	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.109
3	प्रमाणित बीज वितरण	क्वि०	46.80	0.562	16.80	0.201	0.000	0.00	58.20	0.971	46.54	0.558	0.00	0.000
4	सुक्ष्म तत्व वितरण	हे०	25.00	0.125	80.00	0.400	150.000	0.75	30.00	0.150	100.00	0.501	200.00	1.000
5	राईजोबियम/पी.एस.बी. कल्चर वितरण	हे०	80.00	0.080	150.00	0.150	150.000	0.15	180.00	0.180	262.00	0.262	200.00	0.200
6	आई.पी.एम. प्रदर्शन	हे०	50.00	0.375	10.00	0.050	0.000	0.000	50.00	0.375	50.00	0.250	0.00	0.000
7	पौधसंरक्षण औषधि वितरण	हे०	40.00	0.200	80.00	0.384	50.000	0.250	60.00	0.300	100.00	0.480	100.00	0.500
8	नीदानाशक दवा वितरण	हे०	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	100.00	0.500
9	एन.पी.व्ही. हेली वितरण	हे०	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	20.00	0.042	0.00	0.000	0.00	0.000
10	हस्तचलित नेपसेक स्प्रेयर वितरण	संख्या	50	0.40	30	0.216	0	0.000	100	0.800	40	0.289	0	0.000
11	पाईपलाईन विस्तार	संख्या	0	0.00	12	1.366	1	0.147	0	0.000	8	1.085	1	0.090
12	रोटावेटर कृषि यंत्र वितरण	संख्या	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.30	0	0.00	0	0.00
13	मल्टीक्राप थ्रेसर वितरण	संख्या	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.40
14	कृषक प्रशिक्षण	संख्या	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.14	1	0.14
15	गोदाम निर्माण	संख्या	0	0.00	0	0.00	1	1.50	0	0.00	0	0.00	1	1.50
योग :-				1.88		6.85		9.90		4.14		11.74		15.44

टीप:- वर्ष 2015-16 (30 जून 2015) तक व्यय निरंक है।

क्र.	कार्यक्रम/प्रकार जिस पर व्यय किया गया	ईकाई	बकावण्ड						लोहणडीगुडा						तोकापाल					
			2012-13		2013-14		2014-15		2012-13		2013-14		2014-15		2012-13		2013-14		2014-15	
			किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि
2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	कलस्टर डिमास्ट्रेशन	हे०	0.00	0.00	100.00	4.09	0.00	0.00	50.00	0.91	0.00	0.00	100.00	4.619	100.00	1.829	0.00	0.00	0.00	0.00
2	मापक बैरड डिमास्ट्रेशन	हे०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.115
3	पारदर्शिता बीज वितरण	वि०	32.90	0.395	18.40	0.220	0.00	0.000	63.20	0.833	28.80	0.346	0.00	0.000	47.80	0.574	14.50	0.174	0.00	0.000
4	सुम तत्त्व वितरण	हे०	25.00	0.125	100.00	0.501	200.00	1.000	40.00	0.200	80.00	0.400	297.00	1.487	30.00	0.150	60.00	0.301	100.00	0.500
5	आवायम/पी एस.बी कल्चर वितरण	हे०	90.00	0.090	200.00	0.200	100.00	0.100	187.00	0.187	150.00	0.150	250.00	0.250	90.00	0.090	100.00	0.100	200.00	0.200
6	आई पी एम. प्रदर्शन	हे०	50.00	0.375	10.00	0.050	0.00	0.000	200.00	1.498	30.00	0.150	0.00	0.000	100.00	0.750	20.00	0.101	0.00	0.000
7	सुरक्षा और आधि वितरण	हे०	50.00	0.250	80.00	0.484	50.00	0.250	80.00	0.400	50.00	0.240	50.00	0.250	80.00	0.400	40.00	0.190	50.00	0.250
8	मोबाइल टैक वितरण	हे०	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	100.00	0.500	0.00	0.000	0.00	0.000	50.00	0.250
9	सिमेंट की हली वितरण	हे०	20.00	0.042	0.00	0.000	0.00	0.000	80.00	0.168	0.00	0.00	0.00	0.000	50.00	0.105	0.00	0.000	0.00	0.000
10	संचालित मापक स्प्रेयर वितरण	संख्या	62	0.496	30	0.216	0	0.000	13	0.104	10	0.072	0	0.000	40	0.320	14	0.103	0	0.000
11	पाईपलाइन विस्तार	संख्या	2	0.177	0	0.000	4	0.483	0	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	9	1.158	1	0.081
12	रोटारिटर कृषि यंत्र वितरण	संख्या	0	0.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	मल्टीक्राफ शेयर वितरण	संख्या	0	0.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
14	कृषक प्रशिक्षण	संख्या	0	0.00	1	0.140	0	0.00	1	0.14	0	0.00	1	0.140	1	0.140	0	0.000	0	0.000
15	नादाम निर्माण	संख्या	0	0.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	योग :-			1.95		5.80		1.83		4.44		1.36		18.37		4.36		2.13		12.40

नोट: वर्ष 2015-16 (30 जून 2015) तक व्यय निरंक है

क्र०	कार्यक्रम/घटक जिस पर व्यय किया गया	ईकाई	दरमा						बास्तानगर						योग					
			2012-13		2013-14		2014-15		2012-13		2013-14		2014-15		2012-13		2013-14		2014-15	
			किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	कलरट डिमांस्ट्रेशन	हे०	100.00	1.829	100.00	4.09	100.00	3.97	100.00	1.829	100.00	4.09	200.00	9.423	400.00	7.316	600.00	24.52	400.00	18.00
2	क्रॉपिंग वेस्ट डिमांस्ट्रेशन	हे०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
3	प्रमाणित बीज वितरण	कि०	28.60	0.343	9.90	0.120	0.00	0.000	28.54	0.342	12.60	0.151	0.00	0.000	306.0	4.023	147.5	1.77	0.00	0.00
4	सुक्ष्म तत्व वितरण	हे०	30.00	0.150	50.00	0.260	50.00	0.250	20.00	0.100	30.00	0.151	50.00	0.250	200.0	1.00	500.0	2.514	1017.00	5.20
5	साईजोवियम/पी.एस.बी. कल्चर वितरण	हे०	60.00	0.060	100.00	0.100	50.00	0.050	80.00	0.080	100.00	0.100	57.00	0.057	767.0	0.767	1062.0	1.062	1307.00	1.307
6	आई.पी.एम. प्रदर्शन	हे०	250.00	1.873	40.00	0.200	0.00	0.000	300.00	2.247	40.00	0.200	0.00	0.000	1000.0	7.493	200.0	1.001	0.00	0.00
7	पीघसंरक्षण औषधि वितरण	हे०	50.00	0.250	30.00	0.144	27.00	0.137	40.00	0.200	20.00	0.096	0.00	0.000	400.0	2.00	400.0	1.918	327.00	1.60
8	नीवोनाशाक दवा वितरण	हे०	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.00	0.156	0.0	0.00	0.0	0.00	281.00	0.281
9	एन.पी.व्ही. हेल्थी वितरण	हे०	20.00	0.042	0.00	0.000	0.00	0.000	10.00	0.021	0.00	0.000	0.00	0.000	200	0.42	0.0	0.000	0.00	0.00
10	हरतचलित नेपसेक स्प्रेयर वितरण	संख्या	0	0.000	0	0.000	0	0.000	15	0.120	0	0.000	0	0.000	280	2.24	124	0.896	0.00	0.00
11	पाईपलाईन विस्तार	संख्या	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.177	29	3.609	7	803
12	रोटायेटर कृषि यंत्र वितरण	संख्या	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.30	0	0.00	0	0.00
13	मल्टीक्राप थेसर वितरण	संख्या	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	1	0.40
14	कृषक प्रशिक्षण	संख्या	1	0.140	1	0.140	0	0.000	1	0.140	1	0.140	1	0.140	5	0.70	4	0.56	3	0.42
15	गोदाम निर्माण	संख्या	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
	योग :-			4.69		5.05		4.41		5.08		4.93		10.03		26.44		37.85		72.33

टीपे:- वर्ष 2015-16 (30 जून 2015) तक व्यय निरंक है

प्रपत्र "स"

आईसोपॉम तिलहन विकास योजना वर्ष 2012-13 एवं 2013-14

राशि रु. लाख में

क्र०	कार्यक्रम/घटक जिस पर व्यय किया गया	ईकाई	जगतलपुर				बस्तर				बकावण्ड				लोहाडीगूना			
			2012-13		2013-14		2012-13		2013-14		2012-13		2013-14		2012-13		2013-14	
			किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	प्रमाणित बीज वितरण	क्वि०	3.60	0.043	1.60	0.019	5.10	0.061	2.40	0.029	16.60	0.199	2.80	0.034	14.30	0.172	4.00	0.048
2	प्रमाणित बीज उत्पादन	क्वि०	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	0.050	0.00	0.000	0.00	0.000	2.00	0.020	17.28	0.173	60.00	0.600
3	पौध संरक्षण औषधि वितरण	हे०	0.00	0.000	22.00	0.108	0.00	0.000	54.00	0.270	0.00	0.000	17.00	0.087	0.00	0.000	0.00	0.000
4	राईजोबियम/पी.एस.बी. कल्चर वितरण	हे०	106.00	0.106	120.00	0.120	115.0	0.115	100.00	0.100	165.00	0.165	78.00	0.078	89.00	0.089	0.00	0.000
5	पौध संरक्षण यंत्र वितरण	संख्या	93	0.627	30	0.217	102	0.687	35	0.253	163	3.694	30	0.217	15	0.101	15	0.108
6	बीजोपचार दवा वितरण	हे०	200.00	0.200	0.00	0.000	200.0	0.200	0.00	0.000	300.00	0.300	0.00	0.000	300.00	0.300	0.00	0.000
	योग :-			0.976		0.464		1.113		0.652		1.358		0.436		0.835		0.756

क्र०	कार्यक्रम/घटक जिस पर व्यय किया गया	ईकाई	ताऊपाल				दरमा				बास्तानार				योग जिला			
			2012-13		2013-14		2012-13		2013-14		2012-13		2013-14		2012-13		2013-14	
			किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	प्रमाणित बीज वितरण	क्वि०	3.80	0.046	2.80	0.034	2.20	0.026	2.80	0.034	6.70	0.080	3.60	0.042	52.300	0.627	20.00	0.24
2	प्रमाणित बीज उत्पादन	क्वि०	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	207.03	0.220	120.00	1.200	229.390	0.443	182.00	1.820
3	पौध संरक्षण औषधि वितरण	हे०	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	93.00	0.930
4	राईजोबियम/पी.एस.बी. कल्चर वितरण	हे०	98	0.098	0.00	0.000	106.00	0.106	0.00	0.000	10.00	0.010	0.00	0.000	689.000	0.689	298.00	0.298
5	पौध संरक्षण यंत्र वितरण	संख्या	43	0.289	20	0.144	0	0.000	15	0.108	0	0.000	10	0.073	356	2.398	155.00	1.550
6	बीजोपचार दवा वितरण	हे०	200.00	0.200	0.00	0.000	200.00	0.200	0.00	0.000	100.00	0.100	0.00	0.000	1500	1.500	0.00	0.000
	योग :-			0.633		0.178		0.332		0.142		0.410		1.315		5.657		3.943

प्रपत्र "द"

राष्ट्रीय मिशन आन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपॉम मिनिमिशन - 1 (आयलसीड)

वित्तीय लाख रुपये में

क्र०	कार्यक्रम/घटक जिस पर व्यय किया गया	ईकाई	जगदलपुर		बस्तर		बकावण्ड		लोहण्डीगुडा		तोकापाल		दरमा		बास्तानार		योग	
			2014-15		2014-15		2014-15		2014-15		2014-15		2014-15		2014-15		2014-15	
			किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि	किया गया कार्य	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आई.पी.एम. प्रदर्शन	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20	1	0.20
2	साईजोकियम/पी.एस.बी.कल्चर वितरण	हे०	20.00	0.06	30.00	0.09	40.00	0.12	35.00	0.105	20.00	0.06	20.00	0.06	35.00	0.104	200	0.599
3	पौध संरक्षण यंत्र वितरण	संख्या	0	0	50	0.361	0	0.00	0	0	20	0.144	0	0	0	0.000	70	0.505
4	हस्तचलित कृषि यंत्र वितरण	संख्या	16	0.108	15	0.102	15	0.102	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	46	0.312
5	पौध संरक्षण औषधि वितरण	हे०	54.00	0.27	50.00	0.25	0.00	0.00	22.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126	0.63
योग:-				0.438		0.803		0.222		0.215		0.204		0.060		0.304		2.246

टीप:- उक्त योजना के तहत वर्ष 2015-16 में (30 जून 2015) तक व्यय निरंक है।

परिशिष्ट "तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 165) के भाग (क) की जानकारी]

प्राथमिक शाला एवं उच्च प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी

स.क्र.	जिला का नाम	प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला			प्रधान पाठक, उच्च प्राथमिक शाला (पूर्व मा0शा0)		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	796	453	343	434	248	186
2	धमतरी	921	403	518	447	346	101
3	महासमुन्द	1258	376	940	488	261	249
4	गरियाबंद	1067	268	799	434	237	197
5	बलौदाबाजार	1190	777	413	638	463	175
6	दुर्ग	637	421	216	346	239	107
7	बालोद	218	142	76	84	68	16
8	बेमेतरा	743	210	533	384	271	112
9	कबीरघाट	928	195	733	481	297	164
10	राजनादगांव	1878	1173	705	767	513	254
11	बिलासपुर	1785	735	1050	769	587	182
12	मुंगेली	734	159	569	284	201	81
13	कोरबा	1570	675	895	540	312	228
14	जांजगीर चांपा	1628	597	1031	793	513	260
15	रायगढ़	1995	1254	741	920	528	392
16	जशपुर	1760	1205	55	477	347	130
17	सरगुजा	1272	711	561	568	497	71
18	सूरजपुर	1424	535	889	559	376	183
19	बलरामपुर	1350	336	1014	544	423	121
20	कोरिया	919	260	659	305	230	75
21	कांकेर	1581	970	611	609	413	196
22	बस्तर	1574	472	1102	651	396	255
23	कोण्डागांव	1346	417	929	648	453	195
24	नारायणपुर	360	93	267	131	81	50
25	दंतेवाड़ा	645	225	420	168	211	-43
26	सुकमा	346	191	455	184	145	19
27	बोजापुर	741	183	558	178	170	08

परिशिष्ट "इकतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 177) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत स्टाप डेम, एनीकट निर्माण की जानकारी

वर्ष	स.क्र.	स्टाप डेम / एनीकट का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	निविदा आमंत्रण का दिनांक	निर्धारित एजेंसी का नाम	एजेंसी को कार्यादेश जारी करने का दिनांक	अभियुक्ति
1.	2	3	4	5	6	7	8
2011-12	1	सोनसरी एनीकट कम काजवे	05.01.2012.	24.03.2012.	श्री सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	09.07.2012.	
	2	देवरघटा एनीकट	30.03.2012.	09.05.2012.	मेसर्स डी.डी. बिल्डर्स लिमिटेड, रायपुर	24.09.2012.	
2012-13	1	सेन्दरी एनीकट	6६5९2012	1९8९2013	मे. बालाजी कॉन्सट्रक्शन अ-5 वर्ग बाराहार	५-31९2013	
	2	तालदेवरी एनीकट	26.07.2012.	13.09.2012.	मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, बाराहार	19.09.2013.	
	3	केनाभाठा एनीकट	14.08.2012.	05.01.2013.	मेसर्स गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी, सक्ती	01.05.2013.	
	4	काशीभंवर एनीकट	22.08.2012.	04.01.2013.	मेसर्स गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी, सक्ती	01.05.2013.	
	5	गुजियाबोर एनीकट	22.08.2012.	I) 04.01.2013. II) 10.07.2013.	मेसर्स जैन इंजीनियर वर्क, इंदौर	24.12.2013.	
	6	पथर्रा एनीकट	3९29९2012	2६18९2013	मे. बालाजी कॉन्सट्रक्शन अ-5 वर्ग बाराहार	2९21९2013	
	7	बेलकरी एनीकट	06.10.2012.	28.01.2013.	महामाया डेवलपर्स एण्ड डिजिटर्स, बिलासपुर	1९.04.2013.	
	8	भरीकोना एनीकट	04.01.2013.	I) 17.09.2013. II) 31.12.2013.	मेसर्स गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी, सक्ती	24.02.2014.	
	9	कामता एनीकट	12.02.2013.	15.04.2013.	श्री अच्छेलाल अग्रवाल, बिलासपुर	16.08.2013.	

वर्ष	स.क्र.	स्टाप डेम / एनीकट का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	निविदा आमंत्रण का दिनांक	निर्धारित एजेंसी का नाम	एजेंसी को कार्यदेश जारी करने का दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2013--14	1	देवगांव एनीकट	20.05.2013.	I) 12.09.2013. II) 04.07.2014. II) 21.11.2014.	-	-	चतुर्थ निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
	2	सिंघनसरा एनीकट	05.06.2013.	06.09.2013.	मेसर्स आर.के. ट्रांसपोर्ट का.प्रा.लिमि., कोरबा	01.08.2014.	
	3	दुण्डी एनीकट सह पुलिया	01.07.2013.	12.09.2013.	मेसर्स संतोष कुमार अग्रवाल एण्ड कंपनी, अ-4 वर्ग ठेकेदार नैला / जांजगीर	28.02.2014.	
	4	तुसमा एनीकट	20.08.2013.	30.12.2013.	मेसर्स आर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी, रायगढ़	04.03.2014.	
	5	लिमगांव एनीकट	23.08.2013	23.01.2014	मे. गंगा कान्सट्रक्शन कं. अ-5 वर्ग सक्ती	01.02.2014	
	6	बोहानालाघाट एनीकट	03.09.2013.	10.01.2014.	मेसर्स आर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी, रायगढ़	04.03.2014.	
	7	डोगिया एनीकट	03.10.2013	25.02.2014	डी.ए. इन्टरप्राइजेस कोरबा	26.02.2014	
	8	पीपरसल्ली एनीकट	03.10.2013	25.02.2014	मे. महामाया डेव्लपर्स एवं बिल्डर्स बिलासपुर	26.02.2014	
	9	करुवाडीह एनीकट	03.10.2013	17.04.2015	-	-	निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन

परिशिष्ट "वत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 187) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	मद	रेकीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
1	2012-13	विशेष केन्द्रीय सहायता	लघु सिंचाई योजना-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों के खेतों में सिंचाई ट्रेनु नलकूप स्थापना प्रति 1.00 लाख कुल 12	12.00		अपूर्ण
2			हाथ करघा का शाला भवन निर्माण ग्राम भीमकन्दार,संजारी,प्रति 6.50 लाख कुल 4	26.00	पूर्ण	
3			लघु नल-जल योजना पेयजल हेतु पम्प स्थापना एवं पाईप लाईन विस्तार कार्य कुल 4	24.50	पूर्ण	
4			सिंचाई सुविधा हेतु चैक डैम निर्माण कार्य जवकसा काकडकसा खेस्ता मुजालापोदी कुल 4	20.00	पूर्ण	
5			आइसोकाम योजना - बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों को भवका बीज प्रदाय 540 कृषक	5.40	पूर्ण	
6			लघुसिंचाई योजना- बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों को डीजल पंप प्रदाय	7.20	पूर्ण	
7			लघुसिंचाई योजना- बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों को विद्युत पंप प्रदाय	4.80	पूर्ण	
8			नमीकम्पोस्ट-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों को जैविक खाद पिष्ट निर्माण हेतु	4.00	पूर्ण	
9			मिनी राईसमिल एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों को उडवनी पन्ना प्रदाय	3.26	पूर्ण	
10			मिनी राईसमिल एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों को स्पेयर पंप प्रदाय	1.20	पूर्ण	
11			कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों को कृषि यंत्र प्रदाय 15 (मैती,फावडा,हंसिया,कुरपी,धमेला, एवं अन्य सामग्री प्रदाय)	1.80	पूर्ण	
12			बड़े शहरों के आसपास साग सब्जी की योजना-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों को सब्जी बीज मिनीकीट प्रदाय	6.00	पूर्ण	
13			मसाला की योजना-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों को मसाला बीज प्रदाय	1.50	पूर्ण	
14			घरेलू बागवानी की आदर्श योजना- बाड़ी विकास-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषकों को बाड़ी सुझा हेतु बारबेट घरा हेतु	15.00	पूर्ण	
15			कुक्कुट पालन - बी.पी.एल.अ.ज.जा. हितग्राहियों को मुर्गी पालन हेतु	1.47	पूर्ण	
16			पशु पालन विकास-बी.पी.एल.अ.ज.जा.हितग्रा.को दुग्ध उत्पादन हेतु दुधारु पशु प्रदाय	22.50		अपूर्ण
17			अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग - बी.पी.एल.अ.ज.जा.मछुवा सहकारी समितियों को जाल बीज,खाद एवं लाज हेतु सहायता	13.70	पूर्ण	
18			वस्त्र बुनाई हेतु प्रशिक्षण एवं लूम प्रदाय कर टाथकरघा यूनिट स्थापना 4 यूनिट प्रति 5.50	22.00	पूर्ण	
19			बी.पी.एल.अ.ज.जा. बारहवीं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को एक वर्षीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण	8.00	पूर्ण	
20			बी.पी.एल.अ.ज.जा. हितग्राहियों को वाहन चालक सहमैकेनिक प्रशिक्षण	6.00	पूर्ण	
21			बी.पी.एल.अ.ज.जा. हितग्राहियों को विद्युत वाईडिंग मरम्मत प्रशिक्षण 3	4.00	पूर्ण	
22			स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता- राजमिस्त्री प्रशिक्षित बी.पी.एल.अ.ज.जा.समिति को सेन्टरिंग प्लेट प्रदाय 10 समिति 4	10.00	पूर्ण	
23			किराया भंडार हेतु बी.पी.एल.अ.ज.जा.महिला समिति को किराया भंडार संचालन हेतु टेंट एवं लाउड रपीकर सामग्री प्रदाय 4	3.00	पूर्ण	
24			BPL.अ.ज.जा.महिला समिति को आटाचक्की संचालन हेतु मशीन प्रदाय 4	3.00	पूर्ण	
25			बी.पी.एल.अ.ज.जा. के महिला समिति को मोमबत्ती निर्माण हेतु प्रशिक्षण 4	3.00	पूर्ण	
26			बी.पी.एल.अ.ज.जा. महिला समिति को रेडी टु ईट निर्माण हेतु अनुदान 4	5.00	पूर्ण	
27			बी.पी.एल.अ.ज.जा. महिला समिति को बडी,नापड,आचार,निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं किरायासीन पूजी हेतु सामग्री प्रदाय 4	5.00	पूर्ण	
28			बी.पी.एल.अ.ज.जा. को मधुमक्खी पालन एवं शहद निर्माण हेतु प्रशिक्षण 2	4.00	पूर्ण	
29			बी.पी.एल.अ.ज.जा. को लाख उत्पादन हेतु प्रशिक्षण 2	3.00	पूर्ण	
30			राजमिस्त्री प्रशिक्षण-बी.पी.एल.अ.ज.जा. हितग्रा. को राजमिस्त्री प्रशिक्षण एवं कीट प्रदाय 4	10.00	पूर्ण	
31			जेसीबी, ऑपरटर प्रशिक्षण 10 हितग्राही 1	3.00		अपूर्ण
32			बी.पी.एल.अ.ज.जा. को काष्ठ कला एवं कला कृति विक्रय हेतु प्रशिक्षण 120 हित. 1	6.00	पूर्ण	
33			बी.पी.एल.अ.ज.जा. को हैंड पम्प मरम्मत प्रशिक्षण एवं कीट प्रदाय 70 हितग्राही	5.20	पूर्ण	

क.	वर्ष	म.	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
34			अ.ज.जा.हितग्राहियों को हास बर्तन/बास शिल्प निर्माण प्रशिक्षण 30 हितग्राही	3.00	पूर्ण	
35			बी.पी.एल.अ.ज.जा. को लघुवनीफज संग्रहण एवं विकच हतु प्रशिक्षण 15 हितग्राही 1	1.50	पूर्ण	
			विशेष केन्द्रीय सहायता का योग	275.030		
1	2012-13	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य	1.50	पूर्ण	
2			आदि कन्या छात्रावास डी.लोहास में अति कक्ष निर्माण	5.00	पूर्ण	
3			आदि बालक आश्रम लुरकाझर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	5.00	पूर्ण	
4			आदि बालक छा बिटाग में अतिरिक्त कक्ष, किचन शोड निर्माण एवं अन्य लघु निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
5			आदि बालक छा. मैसबोड का अतिरिक्त कक्ष, लघु निर्माण एवं अन्य कनेक्शन विद्युतीकरण	3.00	पूर्ण	
6			आदिवासी बालक छात्रावास सुरेगाव का प्रहाता एवं गट निर्माण	5.00	पूर्ण	
7			आदिवासी बालक छात्रावास भीमकन्हार में अहाता निर्माण	5.00	पूर्ण	
8			आदिवासी कन्या छात्रा, खैरवाहाड र अहाता निर्माण को पूर्ण करने हेतु एवं अन्य कार्य	3.00	पूर्ण	
9			कन्या छात्रावास मवन धिखलाकसा अहाता निर्माण को पूर्ण करने हेतु एवं अन्य लघु निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
10			आदिवासी बालक छात्रावास पिखलाकसा में अहाता निर्माण	5.00	पूर्ण	
11			आदिवासी बालक छात्रावास कोटागाव में अहाता निर्माण	5.00	पूर्ण	
12			आदिवासी बालक छात्रावास हितापदार में अहाता निर्माण	5.00	पूर्ण	
13			आदिवासी कन्या छात्रावास बडूम में अहाता निर्माण	5.00	पूर्ण	
14			आदिवासी बालक आश्रम जगतरा में अहाता निर्माण	5.00	पूर्ण	
15			आदिवासी बालक छात्रावास घानापुरी में अहाता निर्माण	5.00	पूर्ण	
16			आदिवासी छात्रा.भीमकन्हार का सैटिक टैंक एवं अन्य लघु निर्माण कार्य/शौचालय नि. कार्य	5.00	पूर्ण	
17			आदिवासी छात्रा.मंगलतराई में शौचालय एवं अन्य लघु नि. कार्य	5.00	पूर्ण	
18			बालक छात्रा.पेजोदा में शौचालय,स्नानगार,किचनशोड निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
19			बालक आश्रम जगतरा में शौचालय निर्माण,पेयजल एवं अन्य लघु निर्माण कार्य,शौचालय निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
20			उ.मा.शा.मवन खलारी का मवन लघु निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
21			उ.मा.शा.मवन धिखली का मवन लघु निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
22			आदि बालक आश्रम लुरकाझर में विद्युतीकरण एवं अन्य लघु निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
23			हाई स्कूल मवन बोरगाव में पेयजल व्यवस्था एवं अन्य लघु निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
24			उ.मा.शा.धिखलाकसा में पेयजल व्यवस्था एवं अन्य लघु निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
25			उ.मा.शा.भरीटोला में पेयजल व्यवस्था एवं विद्युतीकरण व अन्य लघु निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
26			कन्या आश्रम घोठिया में पेयजल व्यवस्था एवं विद्युतीकरण व अन्य लघु निर्माण कार्य	5.00	पूर्ण	
27			बालक छात्रा.बेलोदा में पेयजल व्यवस्था एवं अन्य लघु निर्माण कार्य	3.00	पूर्ण	
28			खैरवाही में स्टाप डेम निर्माण	5.00	पूर्ण	
29			साहू में स्टाप डेम निर्माण	5.00	पूर्ण	
30			ग्राम/वि.ख.में आदि.हितग्राहियों के लिये विभिन्न योजनाओं के प्रशिक्षण हेतु मवन निर्माण	10.00		पूर्ण
31			हाई स्कूल मवन बोरगाव में पहुँच मार्ग में पाईप पुलिया निर्माण	2.00	पूर्ण	
32			घोरदा से टेमाबुजुर्ग मार्ग में 5 स्थानों पर पाईप पुलिया निर्माण	5.00	पूर्ण	

क्र.	वर्ष	मद	स्वीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3		5	6	7
33			पिनकापार से नहराजपुर मार्ग में पुलिया निर्माण	9.00		अपूर्ण
34			नरा से नरगाव पहुँच मार्ग में पुलिया निर्माण	3.00	पूर्ण	
35			काडे पारा पहुँच मार्ग में पुलिया निर्माण	3.00	पूर्ण	
36			भेडिया नवागांव में पदीनदयाल अत्यायुध के सामने नाला में पुलिया निर्माण	3.00		
			(वर्ष 2012-13 में) सविधान के अनुच्छेद 275(1) का योग	170.50		
1	2013-14	विशेष केन्द्रीय सहायता (पूर्वी)	बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको के खेतों में सिंचाई हेतु नलकूप खनन, पंप स्थापना/विद्युतप्रति 1.20 लाख कुल 15	15.60	9 पूर्ण	4 अपूर्ण
2			बी.पी.एल.अ.ज.जा.हित.को हथकरघा वस्त्र बुनाई हेतु कार्यशाला सह विकी केन्द्र मयन निर्माण इकाई लागत 5.00लाख कुल 4	40.00	पूर्ण	
3			भजजा, कृषको के खेतों में सिंचाई हेतु चैक डैम निर्माण प्रति 5.00 लाख (मगलतराई, सुवरबोड, बोरगांव, टेमाबुजुर्ग एवं ओडअर)	25.00	पूर्ण	
4			आइसोफाम योजना - बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को मक्का बीज प्रदाय 4	6.00	पूर्ण	
5			लघुसिंचाई योजना- बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को डीजल पंप प्रदाय 15 कृषक	7.19	पूर्ण	
6			लघुसिंचाई योजना- बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को विद्युत पंप प्रदाय 12 कृषक	5.00	पूर्ण	
7			वर्मीकम्पोस्ट - बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को जैविक खाद पिष्ट निर्माण हेतु 23 कृ.	4.00	पूर्ण	
8			मिनी साईसमिल एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को उड़यनी पंखा प्रदाय 40	3.29	पूर्ण	
9			मिनी साईसमिल एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को स्पेयर पंप प्रदाय 28	1.36	पूर्ण	
10			बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को कृषि यंत्र प्रदाय 80 (गैली,फावडा,हलिया,कुरपी,घमेली एवं अन्य सामग्री प्रदाय)	2.10	पूर्ण	
11			बड़े शहरों के आसपास साम सब्जी की योजना-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को सब्जी बीज मिनीकीट प्रदाय 80	4.00	पूर्ण	
12			मसाला की योजना-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को मसाला बीज प्रदाय 15 कृषक	1.80	पूर्ण	
13			घरेलू बागवानी की आदर्श योजना-बाटी विकास-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को बाड़ी सुरक्षा हेतु बारबेट धरा	8.50	पूर्ण	
14			उद्यमिकी विकास-बी.पी.एल.अ.ज.जा.कृषको को शकरकंद,कोचई,अदरक लहसून,हल्दी,प्याज आदि प्रदाय कुल 25	3.30	पूर्ण	
15			(मत्स्य उत्पादन, विस्तार, प्रारंभिक, -बी.पी.एल.अ.ज.जा. मछुआ समिति को मत्स्य पालन कार्य हेतु जाल, बीज, खाद प्रदाय कुल 3	13.00	पूर्ण	
16			कृषक पालन विकास-बी.पी.एल.अ.ज.जा. हितग्राहियों को मुर्गी पालन कार्य हेतु उन्नत नशर के चूड़े प्रदाय	4.50	पूर्ण	
17			बी.पी.एल. अनु.ज.जा. हितग्राहियों को कंबल, दरी, वस्त्र बुनाई प्रशिक्षण	25.00	पूर्ण	
18			कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम- बी.पी.एल.अ.ज.जा.12वीं, उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण 4	15.00	पूर्ण	
19			मोटर ड्राइविंग/मैकेनिक- बी.पी.एल.अ.ज.जा.को मोटर ड्राइविंग/मैकेनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	6.00	पूर्ण	
20			विद्युत वाइडिंग एवं मरम्मत प्रशिक्षण-बी.पी.एल.अ.ज.जा.को विद्युत वाइडिंग एवं मरम्मत प्रशिक्षण	10.00	पूर्ण	
21			बी.पी.एल. अनु.ज.जा. हितग्राहियों को यनोपज संग्रहण एवं विक्रय हेतु अनुदान 4	9.90	पूर्ण	
22			बी.पी.एल. अनु.ज.जा. हितग्राहियों को मधुमक्खी पालन हेतु सहायता 2	10.00	पूर्ण	
23			बी.पी.एल. अनु.ज.जा. हितग्राहियों को बांस बर्तन निर्माण/बांस शिल्प प्रशिक्षण एवं औजार प्रदाय	9.90	पूर्ण	
24			बी.पी.एल. अनु.ज.जा. हितग्राहियों को राजभित्ती प्रशिक्षण एवं औजार प्रदाय हेतु सहायता 2	10.005	पूर्ण	
25			बी.पी.एल. अनु.ज.जा. हितग्राहियों को सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण एवं मरवाही कला विकास 4	12.50		अपूर्ण
26			बी.पी.एल. अनु.ज.जा. हितग्राहियों को कास्ट कला प्रशिक्षण एवं सहायता 2	7.98	पूर्ण	
27			बी.पी.एल. अनु.ज.जा. हितग्राहियों को मोटर साइकिल रिपैरिंग (टोपहिया वाहन प्रशिक्षण एवं सहायता)	5.00	पूर्ण	
28			बी.पी.एल.अ.ज.जा.हित. को जे.सी.बी. मशीन/मैकेनिक प्रशिक्षण 5हितग्राही	3.50		अपूर्ण
			विशेष केन्द्रीय सहायता का योग	269.425		
1	2013-14	सविधान के अनुच्छेद 275(1)	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य	4.25		अपूर्ण
2			ग्राम परसदा में 83 नम पुलिया निर्माण	27.30		अपूर्ण
3			ग्राम डेगुरापर में स्टेब कलवर्ट निर्माण नम	8.70		अपूर्ण
4			प्री मेकन्या कान्हावास अमलगाव में रसाइ कक्ष/शौचालय/दो अंगाराल कक्ष निर्माण	13.14		अपूर्ण
5			ग्राम परकालकसा में स्लाप योजना निर्माण	35.00	पूर्ण	
6			ग्राम खुर्सीटिकुर में स्टाप डैम निर्माण	37.00	पूर्ण	

क्र.	वर्ष	मद	रपीकृत कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
7			पूरा पाठ्यक्रम में स्थापित होना निर्माण	36.00	पूर्ण	
			योग :-	61.39		
1	2014-15	विशेष केन्द्रीय सहायता	परियोजनाओं का सुदृढीकरण :- परिोजनाओं के सुदृढीकरण एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अधोसंरचनाओं की सुदृढीकरण हेतु कार्ययोजना में दक्षिण राशि के साथ हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जाने का लक्ष्य है	2.942		अपूर्ण
2	सीर सामुदायिक सिंचाई योजना :- सी.पी.एल.अनु.प.अ.कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु सीर सिंचाई सुविधा अंतर्गत सी.पी.एल.अनु.प.अ.कृषकों को प्रति हेक्टेयर 12.60 लाख		27.20		अपूर्ण	
3	सहायता :- सी.पी.एल.अनु.प.अ.कृषकों को सक्की बीज मिनीकीट प्रदाय		10.00	पूर्ण		
4	मसाला की योजनाएं :- सी.पी.एल.अनु.प.अ.कृषकों को मसाला की खेती हेतु मसाला बीज (मिर्च, धनिया, लहसुन, पाज, इत्यादि) प्रदाय		5.15	पूर्ण		
5	बाड़ी विकास कार्यक्रम अंतर्गत-सी.पी.एल.अनु.प.अ.कृषकों को बाड़ी-सुरक्षा हेतु बारवेटघेरा हेतु डीण्टीलोहरा		5.00	पूर्ण		
6	कृषि विभाग की कौशल विकास योजना अंतर्गत सी.पी.एल.अनु.प.अ.कृषकों को कृषि संबंधी प्रशिक्षण		12.90	अपूर्ण		
7	उद्यम विभाग की कौशल विकास योजना अंतर्गत सी.पी.एल.अनु.प.अ.कृषकों को प्रशिक्षण		4.00	अपूर्ण		
8	मत्स्य विभाग की कौशल विकास योजना अंतर्गत सी.पी.एल.अनु.प.अ.कृषकों को मत्स्य पालन प्रशिक्षण		12.32	अपूर्ण		
9	पशुपालन विभाग की कौशल विकास योजना अंतर्गत सी.पी.एल.अनु.प.अ.कृषकों को कुक्कुट पालन प्रशिक्षण		8.00	अपूर्ण		
10	सी.पी.एल.अनु.प.अ.कृषकों को 12 उत्तीर्ण छात्रों का कंप्यूटर प्रशिक्षण		15.00	अपूर्ण		
11	परियोजनाओं का सुदृढीकरण :- परिोजनाओं के सुदृढीकरण एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अधोसंरचनाओं की सुदृढीकरण हेतु		26.673	अपूर्ण		
विशेष केन्द्रीय सहायता का योग :-				128.290		
1	2014-15	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	आदि.कन्या आश्रम कुसुमकसा में अधीक्षक आवास गृह नि.	10.000		अपूर्ण
2	आदि.कन्या आश्रम आमाडुला में अधीक्षक आवास गृह नि.		10.000		अपूर्ण	
3	प्री.मे.अनु.प.अ.कृषकों को छात्रा.डीण्टी में अहाला निर्माण		5.000		अपूर्ण	
4	प्री.मे.अनु.प.अ.कृषकों को छात्रा.बडगूम में अहाला निर्माण		3.460		अपूर्ण	
5	आदि.कन्या आश्रम घोटिया में शौचालय /स्नानागार नि.		2.100		अपूर्ण	
6	आदि.कन्या आश्रम डीण्टी में शौचालय /स्नानागार निर्माण		2.100		अपूर्ण	
7	प्री.मे.आदि.कन्या छात्रा.डी.लोहरा में शौचालय /स्नानागार निर्माण		2.051		अपूर्ण	
8	प्री.मे.आदि.कन्या छात्रा.डीण्टी में पेयजल व्यवस्था एवं अन्य कार्य		3.000		अपूर्ण	
9	छात्रावास /अश्रमों में सोलर लाइट एवं सोलर पंप हेतु संयंत्र की स्थापना प्रति युनिट 11.15 लाख		11.150		अपूर्ण	
10	रपटा / पुलिया निर्माण		15.000		अपूर्ण	
संविधान के अनुच्छेद 275(1) का योग :-				63.861		

परिशिष्ट "तेतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 212) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

मरवाही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बीज भण्डारण एवं वितरण की जानकारी खरीफ 2015 दिनांक 07-07-2015 की स्थिति में

(रकम में)

क.	वि.ख.	समिति का नाम	धान													
			एम.टी.यू. 1010		एम.टी.यू. 1001		आई.आर. 64		स्वर्णा		महामाया		राजेश्वरी		योग	
			भंडारण	वितरण	भंडारण	वितरण	भंडारण	वितरण	भंडारण	वितरण	भंडारण	वितरण	भंडारण	वितरण	भंडारण	वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	मरवाही	मरवाही	379.10	359.10	30.00	30.00	18.00	18.00	15.00	15.00	30.00	16.50	106.80	106.80	578.90	545.40
		सिवनी	341.40	311.40	30.00	30.00	81.60	81.60	15.00	15.00	30.00	30.00	0.00	0.00	498.00	468.00
		लरकेनी	270.00	240.00	30.00	30.00	90.00	90.00	10.50	10.50	30.00	30.00	93.30	93.30	523.80	493.80
		भरीडाड	397.80	367.80	30.00	30.00	90.00	90.00	10.50	10.50	30.00	30.00	0.00	0.00	558.30	528.30
		योग	1388.30	1278.30	120.00	120.00	279.60	279.60	51.00	51.00	120.00	106.50	200.10	200.10	2159.00	2035.50
2	पेण्ड्रा	पेण्ड्रा	92.10	92.10	10.00	7.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	126.10	123.10
		नवागाव	315.00	315.00	30.00	30.00	39.90	39.90	15.00	13.50	23.10	17.40	120.00	120.00	540.00	535.80
		देवरीकला	525.30	515.40	30.00	30.00	104.10	92.70	10.50	10.50	21.00	4.20	0.00	0.00	690.90	652.80
		कोडगार	210.00	197.10	0.00	0.00	104.10	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.10	245.10
		योग	1142.40	1119.60	70.00	67.00	266.10	198.60	28.50	27.00	44.10	24.60	120.00	120.00	1671.10	1556.80
3	गौरेला	लालपुर	652.80	600.30	40.20	40.20	274.80	274.80	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	987.90	935.40
		गौरेला	76.00	76.00	4.80	4.80	18.00	18.00	8.40	8.40	0.00	0.00	27.90	27.90	135.10	135.10
		खोडरी	165.00	128.00	0.00	0.00	60.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	180.00
		योग	893.80	804.30	45.00	45.00	352.80	344.80	28.50	28.50	0.00	0.00	27.90	27.90	1348.00	1250.50
महायोग			3424.50	3202.20	235.00	232.00	898.50	823.00	108.00	106.50	164.10	131.10	348.00	348.00	5178.10	4842.80

मरवाही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उर्वरक भण्डारण एवं वितरण की जानकारी खरीफ 2015 दिनांक 07-07-2015 की स्थिति में

(इकाई में टन में)

क.	विकास खण्ड	समिति का नाम	भण्डारण						वितरण					
			यूरिया	सुपर फॉस्फेट	डी.ए.पी.	12:32:16	पोटाश	योग	यूरिया	सुपर फॉस्फेट	डी.ए.पी.	12:32:16	पोटाश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मरवाही	मरवाही	50.000	7.200	17.450	26.900	7.200	108.750	50.300	0.200	14.650	22.650	0.800	88.300
		सिवनी	42.000	2.650	46.500	31.200	2.300	124.650	30.700	1.800	13.950	22.200	2.250	70.900
		लरकेनी	100.650	13.000	40.000	60.000	6.450	220.100	37.000	13.000	40.000	57.250	5.800	213.050
		भरीडाड	35.000	1.250	0.000	21.750	3.650	61.650	20.700	0.650	0.000	20.950	0.300	42.600
		योग	227.650	24.100	103.950	139.850	19.600	515.150	198.400	15.650	68.600	123.050	9.150	414.850
2	पेण्ड्रा	पेण्ड्रा	117.850	25.000	47.000	12.000	12.000	213.850	61.000	8.050	12.000	5.300	2.500	88.850
		नधागांव	100.000	25.000	39.000	12.000	4.000	180.000	83.850	16.600	23.750	12.000	4.000	140.200
		देवरीकला	63.530	17.950	51.500	12.000	13.250	158.230	47.300	13.200	17.700	12.000	8.600	98.800
		कोडगार	25.000	0.000	0.000	25.000	3.000	53.000	13.450	0.000	0.000	13.050	2.450	28.950
		योग	306.380	67.950	137.500	61.000	32.250	605.080	205.600	37.850	53.450	42.350	17.550	356.800
3	गौरैला	लालपुर	170.000	55.650	94.800	57.000	17.850	395.300	170.000	45.200	80.700	29.800	24.000	349.700
		गौरैला	64.600	3.000	6.000	15.000	3.650	92.250	34.400	6.950	3.000	11.650	4.450	60.450
		खोडरी	35.400	6.000	5.200	12.500	4.500	63.600	35.400	2.050	3.000	1.800	1.600	43.850
		योग	270.000	64.650	106.000	84.500	26.000	551.150	239.800	54.200	86.700	43.250	30.050	454.000
महायोग			804.030	156.700	347.450	285.350	77.850	1671.380	643.800	107.700	208.750	208.650	56.750	1225.650

परिशिष्ट "चौतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 257) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	लामान्वित कृषक संख्या	वितरित अनुदान राशि (लाख में)
1	2013-14	कोण्डागांव	34	28.35
		माकड़ी	18	12.32
		फरसगांव	24	17.25
		केशकाल	13	13.60
		बड़े राजपुर	7	5.58
		योग	96	77.10
2	2014-15	कोण्डागांव	21	16.03
		माकड़ी	1	0.48
		फरसगांव	3	21.06
		केशकाल	3	2.98
		बड़े राजपुर	6	4.55
		योग	37	45.10
3	2015-16 (दिनांक 29.06.2015 तक)	कोण्डागांव	-	-
		माकड़ी	-	-
		फरसगांव	-	-
		केशकाल	-	-
		बड़े राजपुर	-	-
		योग	-	-
महायोग			163.00	122.20

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 278) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोण्डागांव जिले में संचालित पशु औषधालय निम्नलिखित ग्रामों में संचालित है :-

स. क्र.	ग्राम का नाम
1.	वडेकनेरा
2.	दहिकोंगा,
3.	चिपावंड,
4.	बयानार
5.	गोलावंड,
6.	लखापुरी
7.	मोहलई,
8.	अडेगा
9.	धनोरा,
10.	ईरागांव
11.	बहीगांव,
12.	मुरवेंग,
13.	लजोडा
14.	बडेडोंगर
15.	भूमका,
16.	बोरगांव,
17.	परोदा,
18.	बीजापुर,
19.	हीरापुर,
20.	रांधना,
21.	शामपुर,
22.	बाँसकोट,
23.	रालना,
24.	बडेराजपुर
25.	लिहागांव
26.	तितरवंड

प्रपत्र "ब"

क्रं	वर्ष	ग्राम का नाम	दिनांक
1	2012-13	कोहकामेटा	09-03-2013
		सिंगनपुर	13-03-2013
		रांधना	07-07-2012
		केरावाही	26-12-2012
		हाड़ीगांव	07-02-2013
		मड़ानार	08-01-2013
		बड़ेकनेरा	27-02-2013
		लिहागांव	15-03-2013
		जुगानी	15-11-2013
		पश्चिम बोरगांव	02-12-2013
		बरकई	29-01-2013
		करण्डी	09-02-2013
		मडानार	08-01-2013
		जोबा	10-01-2013
		खल्लारी	01-11-2012
		हिरी	10-12-2013
		घीपरा	20-03-2013
2	2013-14	इंगरा	09-07-2014
		घोड़ागांव	26-06-2014
		तोरण्डी	22-02-2014
		बफना	15-01-2013
		बड़ेकनेरा	27-02-2013
		मोहलई	06-03-2013
3	2014-15	सोनाबेड़ा	28-05-2015
		मसोरा	12-04-2015

परिशिष्ट "छत्तीस"
[अतारंकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 363) के भाग (क) की जानकारी]
वर्ष - 2013-14, 2014-15, 2015-16 माह- गर्ई / 2015 तक

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	ग्राम	तालाब/ जलाशय का नाम	खसरा नं.	जलक्षेत्र है में	समिति/समूह/व्यक्ति का नाम एवं पता	वर्ग	अवधि		प्रारंभिक लीज राशि	लीज की वर्तमान स्थिति
									कब से	कब तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2013-14	बलौदाबजार	लटुवा	नया ता.	1051/03	0.809	श्री संजय नायक/स्व.श्री सियाराम	अ.जा.	01.03.2014	30.06.2024	1000.00	बकाया निरक
2	2013-14	बलौदाबजार	लटुवा	तुटिया ता.	2050	1.590	श्री कुजबिहारी/श्री श्यामरतन	अ.जा.	01.03.2014	30.06.2024	2000.00	-----
3	2013-14	बलौदाबजार	लटुवा	बंधवा ता.	2520	4.006	श्री सुमित्रा कन्नौजे/सुवेन्द्र सरस्वती स्व सहा. समूह	पि.व.	01.03.2014	30.06.2024	5000.00	-----
4	2013-14	बलौदाबजार	लटुवा	इंदिरा सागर	584	2.300	श्री फत्तेलाल निषाद/श्री जीवराखन	मछुवा	01.03.2014	30.06.2024	8800.00	-----
5	2013-14	बलौदाबजार	लटुवा	डबरा तालाब	766	0.600	श्री नरेन्द्रकुमार/श्री गौकरण पाठक	सामान्य	01.03.2014	30.06.2024	10000.00	-----
6	2013-14	बलौदाबजार	सकरी	छपरी	352	2.670	श्री कामता फेकर, निषादराज स्व सहायता समूह, सकरी	सामान्य	04.03.2014	30.06.2024	12900.00	-----
7	2013-14	बलौदाबजार	सकरी	नकट्टी	276	2.150	-----	सामान्य				
8	2013-14	बलौदाबजार	सकरी	सोल्हा	1229	1.200	-----	सामान्य				
9	2013-14	बलौदाबजार	सकरी	श्यामू बधानी	376	1.930	-----	सामान्य				
				योग		17.255					39700.00	
1	2014-15	बलौदाबजार	रिसदा	बंधवा	3028	2.153	श्रीमती संतोषी/कमलेश फेकर,भाग्य लक्ष्मी समूह	मछुवा	12.11.2014	30.06.2024	6000.00	-----
2	2014-15	बलौदाबजार		सण्डी	2023	1.356	-----		23.12.2014	30.06.2024	3000.00	-----

क्र	वर्ष	विकासखण्ड	ग्राम	तालाब, जलाशय का नाम	प्लॉट नं	जमीन का क्षेत्रफल में	सामिति/समूह/व्यक्ति का नाम एवं पता	वर्ग	अवधि		प्रारम्भिक लीज राशि	लीज की वर्तमान स्थिति
									कब से	कब तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	2014-15	बलौदाबाजार	बरदा	डबरा ता.	947	1.995	श्री लोकनाथ वर्मा/श्री बाबूलाल, जगदम्बा मछुआ समूह	पि.व	23.12.2014	30.06.2024	6000.00	---
4	2014-15	बलौदाबाजार	बरदा	बाधा ता.	111/5	2.836	श्री कामता वर्मा/श्रीह सुरजबली मछुआरा समूह	पि.व.	23.12.2014	30.06.2024	4300.00	---
5	2014-15	बलौदाबाजार	बरदा	अम्हा ता.	2033	1.627	श्री छननू जांगड़े/श्री रामलाल, जय हो मछुआरा स्व सहा.समूह	अ.जा.	23.12.2014	30.06.2024	4900.00	---
6	2014-15	बलौदाबाजार	दनढनी	पनखत्ती ता.	296	2.003	श्रीमती गीताबाई/श्री ऐमलाल सतनामी, जागृति स्व सहा.समूह	अ.जा.	23.12.2014	30.06.2024	6000.00	---
				योग		11.970					30200.00	
				महायोग		29.225					69900.00	

परिशिष्ट "सैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 408) के भाग (क) की जानकारी]

शालावार एवं विकासखण्डवार सूची

क्र.	विकास खण्ड का नाम	शाला का नाम	व्याख्याता पदों के रिक्त पद		
			गणित	विज्ञान	अंग्रेजी
1	बलौदाबाजार	शा हाई स्कूल खजूरी	0	1	1
2	बलौदाबाजार	शा.हाई स्कूल रावन	0	0	1
3	बलौदाबाजार	शा.हाई स्कूल संकरी	0	0	0
4	बलौदाबाजार	शा.हाई स्कूल रसेडा	1	0	0
5	बलौदाबाजार	शा.उ.मा.वि.अर्जुनी	0	1	0
6	बलौदाबाजार	शा.उ.मा.वि.रिसदा	0	1	0
7	बलौदाबाजार	शा.उ.मा.वि. करमदा	1	1	1
8	बलौदाबाजार	पं.चक्रपाणी शा.बा.उ.मा.वि.बलौदाबाजार	0	1	0
9	बलौदाबाजार	पं. लक्ष्मी प्रसाद तिवारी शा.क.उ.मा.वि. बलौदाबाजार	0	1	0
10	बलौदाबाजार	मनोहर दास वेष्वाव शा.उ.मा.वि.बजरंग चौक बलौदाबाजार	2	3	0
11	बलौदाबाजार	शा.ब.हई स्कूल बलौदाबाजार	1	1	1
12	सिमगा	शा.उ.मा.वि.मोहभट्टा	0	1	0
13	सिमगा	शा.उ.मा.वि.हथबद	0	3	0
14	सिमगा	शा.उ.मा.वि.नवापारा	0	1	0
15	सिमगा	शा.उ.मा.वि.भटभेरा	0	0	0
16	सिमगा	शा.उ.मा.वि.सुहेला	0	1	0
17	सिमगा	शा.उ.मा.वि.हिर्मी	0	1	0
18	सिमगा	शा.उ.मा.वि.रावन	1	1	0
19	सिमगा	शा.उ.मा.वि.मोहरा	0	2	0
20	सिमगा	शा.उ.मा.वि.नेवारी	0	2	2
21	सिमगा	शा.हाई स्कूल जरौद	0	0	0
22	सिमगा	शा.हाई स्कूल शिकारी कसली	1	1	1
23	सिमगा	शा.हाई स्कूल झीपन	0	1	0
24	सिमगा	शा.हाई स्कूल जागडा	1	1	0

	सिमगा	शा.हाई स्कूल वरडीह	1	1	1
	सिमगा	शा.हाई स्कूल फरहदा	1	1	1
27	सिमगा	शा.हाई स्कूल आनाकोनी	1	1	1
28	तिल्दा	शा.हाई स्कूल खैरखुट	1	1	1
29	तिल्दा	शा.हाई स्कूल रातभावा	1	1	1
30	तिल्दा	शा.हाई स्कूल सहसाहोली	1	0	0
31	तिल्दा	शा.बी.एन.बी.उ.भा.वि.नेवरा	1	1	0
32	तिल्दा	शा.उ.मा.वि.तरपोंगी	0	2	0
33	तिल्दा	शा.उ.मा.वि.कन्या नेवरा	1	2	0
34	तिल्दा	शा.उ.मा.वि.टोहड़ा	1	0	0
35	तिल्दा	शा.उ.मा.वि.टंडवा	0	1	0
36	तिल्दा	शा.उ.मा.वि.किरना	0	0	0
37	तिल्दा	शा.उ.मा.वि.देवरी	0	0	0
38	तिल्दा	शा.उ.मा.वि.सरोरा	0	0	0
39	तिल्दा	शा.उ.मा.वि.भूमिया	0	0	0
40	तिल्दा	शा.उ.मा.वि.खपरीकला	0	2	0
41	तिल्दा	शा.उ.मा.वि.अल्दा	0	2	0
योग			17	40	12

परिशिष्ट "अड़तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 499) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर

क्रमांक एक 274/2015/बीस-दो
प्रति.

रायपुर, दिनांक 17/03, 2015

1. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़
 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़
 3. समस्त सहायक आयुक्त
छत्तीसगढ़
- विषय :- राज्य में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला से उच्चतर माध्यमिक शाला का दर्ज संख्या एवं दर्ज के मान से युक्तियुक्तकरण।

प्रदेश में वर्तमान में 61454 विद्यालय संचालित है। शैक्षिक आंकड़ों के विश्लेषण से ये तथ्य स्पष्ट में आया है कि प्रदेश में अनेक स्थानों पर संचालित शालाओं में उपयुक्त दर्ज संख्या उपलब्ध नहीं है अथवा अत्यंत न्यून है साथ ही कई स्थानों पर एक स्तर की अधिक शालाएं आवश्यकता से अधिक संचालित हैं। राज्य में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के शासकीय एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित इन विद्यालयों के विनियमन हेतु कार्यवाही की जानी है जिससे कि समस्त छात्रों को उनकी पहुँच के भीतर शालाएं उपलब्ध हों। इस हेतु राज्य शासन विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण हेतु निम्न नार्मस प्रक्रिया एवं समय का निर्धारण करती है अतः निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अनुषांगिक कार्यवाही निर्देशों के क्रम में पूर्ण कर ली जावे।

1. युक्तियुक्तकरण के संबंध में विशेष शाला मापदण्ड, बाघाएँ इत्यादि निम्नानुसार परिभाषित है :
 - (क) शासन से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;
 - (ख) स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय;
 - (ग) समिति से अभिप्रेत है, प्रक्रिया अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति;
 - (घ) शाला से अभिप्रेत है, शासकीय एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल;
 - (ङ) युक्तियुक्तकरण से आशय है, मापदण्ड अन्तर्गत शाला का स्थानांतरण करना अथवा एक अनुपयुक्त शाला को उपयोगी स्थान पर ले जाना अथवा अनुपयुक्त शाला का बंद करना;
 - (च) विशेष शाला से अभिप्रेत है, विशेष प्रकार की शालाओं में विकलांग शिक्षा की शालाएँ, उर्दू विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, संगीत विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल स्कूल, कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य विद्यालय, गुरुकुल विद्यालय आदि आते हैं। जो सामान्य शिक्षा के अलावा विशेष प्रकार की शिक्षा अथवा विशेष प्रकार के बच्चों हेतु अथवा एक विशेष प्रकार की उद्देश्य हेतु संचालित शालायें हैं;
 - (छ) मापदण्ड से अभिप्रेत है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पहुँच के 01 कि.मी. की परिधि में प्राथमिक शाला, 03 कि.मी. की परिधि में पूर्व माध्यमिक शाला एवं 05 से 07 कि.मी. की परिधि में हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का मापदण्ड माना जाये। किन्तु शहरी क्षेत्र में बच्चों के पहुँच के आधे कि.मी. की परिधि में प्राथमिक शाला, 01 कि.मी. की परिधि में पूर्व माध्यमिक शाला एवं 02 कि.मी. की परिधि में हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल होने का मापदण्ड माना गया है;
 - (ज) ऐतिहासिक शाला से अभिप्रेत है, ऐसी शाला जो किसी महापुरुष के जीवन से संबंधित है महापुरुष के जन्म स्थान रहा हो, उस शाला में पढ़े हों, अथवा उसमें किसी दिवस में आगमन को लेकर नामकरण किया गया हो, ऐतिहासिक शाला मानी जायेगी;

(v) निर्धारित परिधि में संचालित विशेष शाला/शालाएँ उपयुक्त शाला मानी जायेगी।

(2.2) शहरी क्षेत्र:-

शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों जैसी ही एक मुख्य शाला होगी एवं बाधा होने पर दो या दो से अधिक शालाएँ मान्य शाला के रूप में संचालित हो सकती हैं। शहर में मुख्यतः प्राथमिक शाला आधे कि.मी. में, पूर्व माध्यमिक शाला 01 कि.मी. एवं हाई/हायर सेकेण्डरी 02 कि.मी. में मान्य होगी, इसी आधार पर शालाएँ मुख्य शाला एवं मान्य उपयुक्त शाला घोषित होगी।

उपयुक्त प्राथमिक शाला निम्न माने जायेंगे :-

- बच्चों के आधे कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र प्राथमिक शाला।
- बच्चों के आधे कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक प्राथमिक शाला संचालित होने पर वह प्राथमिक शाला उपयुक्त शाला मानी जायेगी जो अन्य शालाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- बच्चों के आधे कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाला उपयुक्त शाला होगी जिसे मुख्य शाला कहा जाएगा, इस मुख्य शाला को छोड़कर दूसरे शालाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाला के बच्चों को मुख्य शाला में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाला को यथावत रखना पड़ेगा इसे भी मान्य उपयुक्त शाला कहेंगे।
- वह प्राथमिक शाला जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाला घोषित किया गया हो।
- परिधि में संचालित विशेष शाला/शालाएँ उपयुक्त शाला मानी जायेगी।

पूर्व माध्यमिक शाला:-

उपयुक्त पूर्व माध्यमिक शाला निम्न माने जायेंगे :-

(2.3) ग्रामीण क्षेत्र

- बच्चों के 03 कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र पूर्व माध्यमिक शाला।
- बच्चों के 03 कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक पूर्व माध्यमिक शाला संचालित होने पर वह पूर्व माध्यमिक शाला उपयुक्त शाला मानी जायेगी जो अन्य शालाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- बच्चों के 03 कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाला उपयुक्त शाला होगी जिसे मुख्य शाला कहा जाएगा, इस मुख्य शाला को छोड़कर दूसरे शालाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाला के बच्चों को मुख्य शाला में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाला को यथावत रखना पड़ेगा इसे ही मान्य उपयुक्त शाला कहेंगे।
- वह पूर्व माध्यमिक शाला जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाला घोषित किया गया हो।
- परिधि में संचालित विशेष शाला/शालाएँ उपयुक्त शाला मानी जायेगी।

(2.4) शहरी क्षेत्र:-

शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों जैसी ही एक मुख्य शाला होगी एवं बाधा होने पर दो या दो से अधिक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। शहर में मुख्यतः प्राथमिक शाला आधे कि.मी. में, पूर्व माध्यमिक शाला 01 कि.मी. एवं हाई/हायर सेकेण्डरी 02 कि.मी. में होना चाहिए। इसी आधार पर शालाएँ मुख्य शाला एवं मान्य उपयुक्त शाला घोषित होगी।

उपयुक्त पूर्व माध्यमिक शाला निम्न माने जायेंगे :-

- बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र पूर्व माध्यमिक शाला।
- बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक पूर्व माध्यमिक शाला संचालित होने पर वह पूर्व माध्यमिक शाला उपयुक्त शाला मानी जायेगी जो अन्य शालाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाला उपयुक्त शाला होगी जिसे मुख्य शाला कहा जाएगा, इस मुख्य शाला को छोड़कर दूसरे शालाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाला के बच्चों को मुख्य शाला में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाला को यथावत रखना पड़ेगा इसे भी मान्य उपयुक्त शाला कहेंगे।
- वह पूर्व माध्यमिक शाला जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाला घोषित किया गया हो।
- परिधि में संचालित विशेष शाला/शालाएँ उपयुक्त शाला मानी जायेगी।

- (डा) बाधा से अभिप्रेत है, बच्चों का मुख्य शाला जान में पर्याप्त न हो अथवा असाध्य बाधा के कारण रास्ता/रल मार्ग/ राष्ट्रीय मार्ग/राजकीय मार्ग या अन्यप्रकार के मार्ग से निकलने वाली पथ पर जा पा रहे हों,
- (ज) न्यून दर्ज संख्या से आशय है, न्यून दर्ज संख्या का अर्थ 100 या 100 से कम पढ़ने का शाला में दर्ज होना है,
- (ट) एक ही परिसर से आशय है, एक ही अहाता के अंदर अथवा एक ही शाला का अहाता दूसरी शाला की अहाता से लगा हो अथवा मुख्य शाला से अधिकतम 300 मीटर में या 300 मीटर से कम दूरी पर संचालित हो,
- (ठ) सक्षम अधिकारी से आशय है, जिस कार्य को करने हेतु शासन द्वारा सक्षम बताया गया हो,
- (ड) मुख्य शाला से आशय है, जो निर्धारित मापदण्ड अनुसार (दूरी में) सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर संचालित हो अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा मुख्य शाला घोषित किया गया हो। मिश्रित शालाओं के प्रकरण में परिसर में स्थित कोई विद्यालय, आश्रम शाला एवं 26 जनवरी 1950 के पूर्व स्थापित शालाएँ मुख्य शाला होगी,
- (ढ) मान्य उपयुक्त शाला से आशय है, जिसका संचालन बच्चों के मुख्य शाला में जाने में बाधा होने के कारण किया जा रहा हो। अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा बच्चों के हित में मान्य उपयुक्त शाला मान्य कर लिया गया है,

2. समिति का गठन-

- (1) राज्य सरकार, शासकीय एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण के प्रयोजन के लिए निम्नानुसार एक समिति गठित करती है।
- (2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् -
- | | | | |
|-----|--|---|---------------------|
| (क) | जिला कलेक्टर | - | अध्यक्ष |
| (ख) | अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर | - | पदेन सदस्य |
| (ग) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | - | पदेन सदस्य |
| (घ) | सहा.आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग | - | पदेन सदस्य |
| (च) | प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | - | पदेन सदस्य |
| (छ) | जिला पंचायत के शिक्षा समिति के सभापति | - | पदेन सदस्य |
| (ज) | शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले (दो सदस्य, कार्यकाल 01 वर्ष) | - | नामांकित सदस्य |
| (झ) | जिला शिक्षा अधिकारी | - | पदेन सदस्य एवं सचिव |

समिति, शासकीय एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यालयों के दर्ज संख्या के आधार पर (यू-डाईस डाटा) युक्तियुक्तकरण के लिए सक्षम समिति होगी;

समिति, जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त द्वारा उपयुक्त शालाओं के चिन्हांकन उपरान्त प्रस्तुत सूची के आधार पर उपयुक्त शाला का चयन करेंगे एवं उसका आधार निम्नानुसार होगा -

(2.1) प्राथमिक ग्रामीण क्षेत्र

- (i) बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र प्राथमिक शाला।
- (ii) बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक प्राथमिक शाला संचालित होने पर वह प्राथमिक शाला उपयुक्त शाला मानी जायेगी जो अन्य शालाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- (iii) बच्चों के 01 कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाला उपयुक्त शाला होगी जो मुख्य शाला होगी, इस मुख्य शाला को छोड़कर दूसरे शालाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाला के बच्चों को मुख्य शाला में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाला को यथावत रखना पड़ेगा इसे भी मान्य उपयुक्त शाला माना जाएगा।
- (iv) वह प्राथमिक शाला जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाला घोषित किया गया हो।

हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल-

उपयुक्त हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल निम्न माने जायेंगे :-

(2.5) ग्रामीण क्षेत्र

- बच्चों के 05 से 07 कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल।
- बच्चों के 05 से 07 कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होने पर वह हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल उपयुक्त शाला मानी जायेगी जो अन्य शालाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- बच्चों के 05 से 07 कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाला उपयुक्त शाला होगी जिसे मुख्य शाला कहा जाएगा, इस मुख्य शाला को छोड़कर दूसरे शालाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाला के बच्चों को मुख्य शाला में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाला को यथावत रखना पड़ेगा इसे भी मान्य उपयुक्त शाला कहेंगे।
- वह हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाला घोषित किया गया हो।
- परिधि में संचालित विशेष शाला/शालाएँ उपयुक्त शाला मानी जायेगी।

(2.6) शहरी क्षेत्र

शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों जैसी ही एक मुख्य शाला होगी एवं बाधा होने पर दो या दो से अधिक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। शहर में मुख्यतः प्राथमिक शालाएँ आधे कि.मी. में, पूर्व माध्यमिक शाला 01 कि.मी. एवं हाई/हायर सेकेण्डरी 02 कि.मी. में होना चाहिए। इसी आधार पर शालाएँ मुख्य शाला एवं मान्य उपयुक्त शाला घोषित होगी। बच्चों के 02 कि.मी. की पहुँच में संचालित एक मात्र हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल।

उपयुक्त हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल निम्न माने जायेंगे :-

- बच्चों के 02 कि.मी. की पहुँच में एक से अधिक हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होने पर वह हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल उपयुक्त शाला मानी जायेगी जो अन्य शालाओं की अपेक्षा सर्वाधिक बच्चों के लिए सहज पहुँच में हो।
- बच्चों के 02 कि.मी. की पहुँच में एक दूसरे से दूर-दूर अनेक शालाएँ संचालित हो सकती हैं। इनमें से कोई एक शाला उपयुक्त शाला होगी जिसे मुख्य शाला कहा जाएगा, इस मुख्य शाला को छोड़कर दूसरे शालाओं को बंद करने या स्थानांतरित करने में ऐसे शाला के बच्चों को मुख्य शाला में पढ़ने में बाधा हो, बाधा होने के कारण दूसरी शाला को यथावत रखना पड़ेगा इसे भी मान्य उपयुक्त शाला कहेंगे।
- वह हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त शाला घोषित किया गया हो।
- परिधि में संचालित विशेष शाला/शालाएँ उपयुक्त शाला मानी जायेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त द्वारा घोषित उपयुक्त शाला के चिन्हांकन के उपरांत शेष शालाएँ स्थान विशेष के लिए अनुपयुक्त शालाएँ मान्य होंगी एवं इसके तत्काल बाद इन शालाओं, शिक्षक एवं विद्यालयीन भण्डारों का युक्तियुक्तकरण समिति द्वारा किया जाएगा।

युक्तियुक्तकरण उपरांत समिति द्वारा विद्यालयों को बंद/स्थानांतरण किये जाने के संबंध में दावा आपत्ति समिति स्टेक होल्डर से आमंत्रित करेगी एवं दावा आपत्ति का निराकरण अंतिम सूची के प्रकाशन के पूर्व कर ली जाने।

युक्तियुक्तकरण के परिणामस्वरूप न तो नवीन पदों का सृजन किया जाएगा और न ही स्वीकृत पदों में कमी की जाएगी इस कार्य के लिए सम्पूर्ण जिला एक इकाई के रूप में मान्य होगा। भण्डार के युक्तियुक्तकरण हेतु वेभाग द्वारा पृथक से मार्गदर्शन एवं निर्देश जारी किए जाएंगे।

3. शालाओं के युक्तियुक्तकरण के मापदण्ड

शालाओं के युक्तियुक्तकरण में दर्ज संख्या, पहुँच, उपयुक्त शाला, मान्य उपयुक्त शाला, विशेष शाला एवं राज्य शासन द्वारा घोषित शालाओं का ध्यान रखा जाएगा।

3.1 प्रायमरी - एक ही परिसर में दो या दो से अधिक प्राथमिक शालाएँ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, तो मान्य शालाओं को छोड़कर अन्य सभी शालाएँ अनुपयुक्त मान्य कर इनका स्थानांतरण जिले/विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जाएगा।

क प्रस्ताव के आधार पर शालाएं अन्य स्थानों पर खोली जाएंगी। इससे अन्यथा स्थिति होने पर शालाओं को बंद करने की घोषणा शासन द्वारा की जाएगी।

3.2 **पूर्व माध्यमिक शाला** — एक ही परिसर में दो या दो से अधिक पूर्व माध्यमिक शालाएं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, तो मान्य शालाओं को छोड़कर अन्य सभी शालाएं अनुपयुक्त मान्य कर इनका स्थानांतरण जिले/विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित उक्त सूची के प्रस्ताव के आधार पर शालाएं अन्य स्थानों पर खोली जाएगी, इससे अन्यथा स्थिति होने पर शालाओं को बंद करने की घोषणा शासन द्वारा की जाएगी।

3.3 **हाईस्कूल** — एक ही परिसर में दो या दो से अधिक हाईस्कूल शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, तो मान्य शालाओं को छोड़कर अन्य सभी शालाएं अनुपयुक्त मान्य कर इनका स्थानांतरण जिले/विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित उक्त सूची के प्रस्ताव के आधार पर शालाएं अन्य स्थानों पर खोली जाएगी, इससे अन्यथा स्थिति होने पर शालाओं को बंद करने की घोषणा शासन द्वारा की जाएगी।

3.4 **हायर सेकेण्डरी** — एक ही परिसर में दो या दो से अधिक हायर सेकेण्डरी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, तो मान्य शालाओं को छोड़कर अन्य सभी शालाएं अनुपयुक्त मान्य कर इनका स्थानांतरण जिले/विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। समिति द्वारा अनुमोदित उक्त सूची के प्रस्ताव के आधार पर शालाएं अन्य स्थानों पर खोली जाएगी, इससे अन्यथा स्थिति होने पर शालाओं को बंद करने की घोषणा शासन द्वारा की जाएगी।

3.5 **मिश्रित शाला** — एक ही परिसर में दो या दो से अधिक प्राथमिक एवं हाईस्कूल, दो पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल, प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शाला शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं, तो प्रथम स्थिति में एक प्राथमिक शाला एवं एक हाईस्कूल, द्वितीय स्थिति में एक पूर्व माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूल एवं तृतीय स्थिति में एक प्राथमिक शाला एवं एक हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित होंगे। परिसर में संचालित शालाओं में से एक शाला मुख्य शाला होगी।

परन्तु एक ही परिसर में दो या दो से अधिक शालाएं जो विभिन्न माध्यमों की हैं, की दशा में समान माध्यम की शालाओं का एक शाला में युक्तियुक्तकरण होगा एवं दो अलग-अलग माध्यम की शालाएं संचालित रहेंगी।

दर्ज संख्या के मान से अगर लिंग विशेष के लिए शाला स्थापित है, तो इन्हे सह-शिक्षा वाली शाला में परिवर्तित किया जाए। 26 जनवरी 1950 से पूर्व स्थापित शालाओं को अनिवार्यतः मुख्य शाला मानी जावे।

4. शिक्षकों का समायोजन एवं मण्डार का निष्पादन

4.1 **शिक्षकीय पदों को स्थानांतरित करने के मापदण्ड** — अनुपयुक्त एवं युक्तियुक्तकरण हेतु चयनित शालाओं में कार्यरत शिक्षकीय एवं कार्यालयीन कर्मचारियों के अमले को एक ही प्रबंधन अन्तर्गत संचालित अन्य शालाओं में आवश्यकता एवं स्टॉफ पैटर्न के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक शाला के अमले को प्राथमिक शाला में, पूर्व माध्यमिक शाला के अमले को माध्यमिक शाला में, हाईस्कूल के अमले को हाईस्कूल में तथा हायर सेकेण्डरी के अमले को हायर सेकेण्डरी शालाओं में विषय अनुसार पदस्थ किया जाएगा।

4.2 उक्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को समेकित शाला में अथवा अन्य पहुंच वाली शालाओं में प्रवेश को कार्यवाही जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी पृथक री. निर्देश जारी करेंगे एवं इस संबंध में आवश्यक समस्त अभिलेखों को संधारित रखेंगे।

4.3 समेकित शालाओं में अतिशेष हो रहे शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी एवं सूची में कनिष्ठतम शिक्षक जो अतिशेष घोषित हो रहे हों, को अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाएगा। यदि वरिष्ठतम शिक्षक शाला छोड़ने के लिए उद्यत हों तो वरिष्ठतम शिक्षक को हटाया जाएगा।

4.4 शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के प्रकरण में रिक्तियों की सूची तैयार की जाएगी एवं काउंसिलिंग के माध्यम से शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी इस हेतु शिक्षक विहिन विद्यालय एवं वे शालाएं जहां पर विषयमान से शिक्षक उपलब्ध नहीं है सर्वप्रथम भरे जाएंगे एवं यह प्रक्रिया अतिशेष घोषित शिक्षकों की वरिष्ठता सूची से किया जाएगा।

5. शाला के युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप बंद होने वाले विद्यालयों के भण्डार एवं अभिलेखों का रिकार्ड तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी नार्मस के अनुरार अथवा नवीन स्थान पर स्थानांतरित विद्यालयों में उपलब्ध करायेंगे एवं अभिलेखों को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संधारित रखा जाएगा। अभिलेख स्वमेव हस्तांतरित होंगे। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी जारी द्वारा किया जाएगा।

5. नवीन शाला का खोलो जाना

युक्तियुक्तकरण के प्रक्रिया के लागू होने के उपरांत खोले जाने वाली समस्त शासकीय नवीन शालाएं शर्तों के उल्लंघन न होने की दशा में खोली जा सकेंगी तथा शासकीय अनुदान प्राप्त निजी शालाएं भी मापदण्ड के अन्तर्गत रखी जाएंगी, परन्तु इन शालाओं को बंद नहीं किया जाएगा।

6. समय सीमा :- युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित करती है समयावधि में समग्र कार्य पूर्ण किया जाना है जिससे कि नवीन सत्र प्रारंभ होते ही विद्यालयों का संचालन किया जा सके :-

- | | |
|---|-------------|
| (1) विद्यालय का चिन्हांकन - | मार्च 2015 |
| (2) समिति की बैठक एवं अनुगोदन संबंधी कार्यवाही - | अप्रैल 2015 |
| (3) युक्तियुक्तकरण किये गये विद्यालयों की सूची का प्रकाशन एवं दावा आपत्ति - | 15 मई 2015 |
| (4) अंतिम सूची का प्रकाशन - | 30 मई 2015 |
| (5) विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन - | 16 जून 2015 |

राज्य शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के क्रम में समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे एवं की गई कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जावे।

[Handwritten Signature]
17/3/15
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 17.3.2015

पृ. क्रमांक एफ 2-4/2015/20-ये
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
4. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
5. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
7. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
8. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
9. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
10. सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
11. सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
12. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
13. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़।
15. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
16. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

संख्या 2-4/2015/20-2

नया रायपुर, दिनांक 17/05/2015

- (1) समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़
- (2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

अ.सं.

राज्य में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला से उच्चतर माध्यमिक शाला तक दर्ज संख्या एवं दूरी के मान से युक्तियुक्तकरण।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 2-4/2015 720-2 नया रायपुर, दिनांक 17/03/2015

---00---


राज्य शासन के द्वारा शालाओं के युक्तियुक्तकरण के संबंध में पूर्व में किये गये निर्देश के अनुक्रम में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है-

दायाँ ओर प्राप्त होने के पश्चात, निराकरण के उपरान्त अनुपयुक्त घोषित किये जाने वाले विद्यालयों का पुनः दर्ज संख्या के क्रम में सूक्ष्म परीक्षण समिति द्वारा किया जावे। इस हेतु संदर्भित पत्र के कंडिका 1(अ) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- एक ही परिसर अथवा लगे हुए परिसर में स्थित पृथक शालाओं का युक्तियुक्तकरण संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार किया जाये। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगर युक्तियुक्त होने वाले शाला से मान्य शाला के मध्य सुविधाजनक दूरी हो (अधिकतम 300 मीटर), तो अनुपयुक्त शाला को बंद कर मान्य शाला के नाम से दोनों भवनों का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात् शाला एक ही होगी पर सुविधा की दृष्टि से स्थानीय तौर पर कक्षाओं के लगने के लिए बैठक व्यवस्था दोनों भवनों में किया जा सकता है।
- अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दूरी के पैमाने के आधार पर शाला बंद होनी चाहिए परंतु बंद होने वाली शाला में बच्चों की संख्या इतनी है कि मान्य शाला में उतने बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है, तो उक्त शाला को यथावत संचालित रखा जाये।
- दूरी की गणना, छात्रों के विद्यालय पहुँचने के न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से विद्यालय तक पहुँच के आधार पर की जाये।
- एक ही परिसर की शालाओं में युक्तियुक्तकरण, पूर्व जारी निर्देश के अनुसार ही कार्यवाही किया जावे।

6. अंतिम रूप से तैयार सूची को शासन के अनुमोदन हेतु विकासखण्डवार तैयार कर प्रेषित किया जाये।
7. जिले स्तर पर आदेश प्रसारित न किया जावे एवं न ही विद्यालयों का अन्यत्र स्थानांतरित किया जाये।

पूर्व में जारी निर्देश के अनुसार युक्तियुक्तकरण का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाये एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।



सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2-4/2015/20-2
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 22/05/2015


1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
 2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
 3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
 4. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
 5. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
 6. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
 7. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
 8. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
 10. सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
 11. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
 12. महालेखाकार, छत्तीसगढ़।
 13. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 14. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
 15. प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, छ.ग. रायपुर।
 16. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर।
 17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग



अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 15/06/2015

क्रमांक एफ 2-4/2015/20-दो:: राज्य शासन एतद् द्वारा जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य करते हुए 2918 शालाओं के युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लेता है।

2/ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(सुरेन्द्र सिंह बाघे)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक एफ 2-4/2015/20-दो
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 15/06/2015

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्रबंध संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर।
4. मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान, रायपुर।
5. समस्त कलेक्टर, (छत्तीसगढ़)
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़।
7. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छ.ग.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अवेषित।
8. स्टॉक फाईल।



अवर सचिव

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट "उनचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 529) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

शिष्टाण सत्र 2013-14 में मुद्रण कार्य करने वाले कागज खरीदी की जानकारी

1. सत्र 2013-14 में एल-1 दर पर मुद्रण कार्य सम्पादन करने वाले फर्मों, आबंटित कार्य एवं कार्य की राशि का विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	मुद्रकों के नाम	आबंटित कार्य मी0टन में	आबंटित कार्य की राशि रूपये में
1	मेसर्स शारदा ऑफसेट, रायपुर	638.121	12330618.00
2	नेशनल प्रिंटर्स, रांची	402.093	11128330.00
3	श्रीराम प्रिंटर्स, एण्ड स्टेशनर्स, रायपुर	9.770	566430.00
4	आदर्श प्रा0लि0 भोपाल	99.855	1467871.00
5	राजधानी प्रिंटर्स, रायपुर	413.327	7068024.00
6	डिसेन्ट प्रिंटिंग प्रेस, रायपुर	381.553	6913686.00
7	क्रिएटिव प्रिंटिंग प्रेस, रायपुर	692.951	12402416.00
8	मिशन मीडिया प्रा0लि0, रायपुर	558.690	9424958.00
9	एप्पल इंटरप्राइजेस, रायपुर	634.774	11292060.00
10	सरस्वती ऑफसेट, प्रिंटर्स, रायपुर	415.346	6751589.00
11	कैथूमी प्रिंटर्स, रायपुर	24.619	2860346.00
12	मोहिनी प्रिंटर्स, पब्लिशर्स, रायपुर	437.241	8307268.00
13	जनरल ऑफसेट, प्रिंटिंग प्रेस प्रा0लि0, इलाहाबाद	289.207	4849345.00
14	शगुन ऑफसेट, नोएडा	247.874	12149872.00
15	टेक्नो प्रिंटर्स, रायपुर	1071.220	13827708.00
16	रामराजा प्रिंटर्स एण्ड पब्लि0 रायपुर	584.164	12508316.00
17	अजय ऑफसेट, रायपुर	638.121	12388086.00
18	अंकित प्रकाशन, रायपुर	718.191	12464721.00
19	सुप्रीम ऑफसेट, प्रेस न्यू दिल्ली	185.224	3262527.00
20	श्री साई ऑफसेट, रायपुर	676.694	12627454.00
21	बी0के0ऑफसेट, रायपुर	700.109	18444308.00
22	पारसमणि पब्लिकेशन, नागपुर	158.891	2844082.00
23	युगबोध ऑफसेट, प्रा0लि0, रायपुर	254.777	2148467.00
24	विश्वपरिवार, रायपुर	434.160	7707289.00
25	वीरांगना प्रिंटर्स, झांसी	317.535	5336054.00
26	श्रीराम प्रिंटर्स, विशाखापटनम्/रायपुर	236.800	3952398.00
27	कर्षक आर्ट प्रिंटर्स, हैदराबाद	121.058	1775523.00
28	देशमुख प्रिंटर्स, रायपुर	191.075	3417808.00
29	गणेश वेब ऑफसेट, हैदराबाद	100.030	1467871.00
30	शिवाजी वेब ऑफसेट, हैदराबाद	84.460	1238749.00
31	जे0एस0गुप्ता, हैदराबाद	84.460	1238749.00
32	रुची प्रिंटर्स, भोपाल	78.656	1156249.00

शिक्षा सत्र 2013-14 हेतु एल-1 दर पर कय किये गये कागज व भुगतान किये गये राशि का विवरण:-

Sr. No.	Name of Firms	Type of Paper	Qty Supplied (In M.T.)	Payment
1	2	3	4	5
1	मेसर्स शाह पेपर मिल्स लिमिटेड	70 जीएसएम मैपलिथो	9702.473	472798832.64
2	मेसर्स श्रेयांश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	70 जीएसएम मैपलिथो	1502.037	72608350.00
3	मेसर्स डेल्टा पेपर मिल लिमिटेड	70 जीएसएम मैपलिथो	1017.986	49642256.00
4	सेतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	70 जीएसएम मैपलिथो	999.793	48769902.20
5	मेसर्स भारत सेल्स सिंडिकेट	230 जीएसएम मशीन ग्लेज्ड (विरजिन पल्प)	399.5992	18787990.82
6	मेसर्स अदिति इंटरप्राइजेस	कक्कर कागज	706.7393	44168067.26

- ** सत्र 2013-14 में आमंत्रित किये गये मुद्रण की निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर एल-1 पर मुद्रकों के द्वारा मुद्रण कार्य संपादित किया गया था ।
- ** सत्र 2013-14 में कागज क्रय खुली निविदा के माध्यम से किया गया था । निविदा में 70 जीएसएम हेतु एल-1 दर रुपये-48780.00 प्राप्त हुई थी तथा 230 जीएसएम कक्कर हेतु एल-1 दर रुपये-62640.00 प्राप्त हुआ था ।

प्रपत्र "ब"

शिक्षण सत्र 2014-15 में मुद्रण कार्य करने तथा कागज खरीदी की जानकारी

2 सत्र 2014-15 में एल-1 दर पर मुद्रण कार्य सम्पादन करने वाले फर्मों, आबंटित कार्य एवं कार्य की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	मुद्रकों के नाम	आबंटित कार्य मी0टन में	आबंटित कार्य की राशि रूपये में
1	मेसर्स शारदा ऑफसेट, रायपुर	773.7195	1,06,11,490.00
2	नेशनल प्रिंटर्स, रांची	183.230	25,12,870.00
3	पीताम्बरा बुक्स प्रा0लि0 झांसी	398.976	43,31,744.00
4	आदर्श प्रा0लि0 भोपाल	103.708	14,22,276.00
5	राजधानी प्रिंटर्स, रायपुर	526.593	72,21,843.00
6	डिसेन्ट प्रिंटिंग प्रेस, रायपुर	441.012	71,91,549.00
7	क्रिएटिव प्रिंटिंग प्रेस, रायपुर	590.713	77,86,686.00
8	मिशन मीडिया प्रा0लि0, रायपुर	421.285	60,72,393.00
9	एप्पल इंटरप्राइजेस, रायपुर	642.577	84,17,487.00
10	सरस्वती ऑफसेट, प्रिंटर्स, रायपुर	409.851	56,20,819.00
11	छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स, रायपुर	392.104	54,77,331.00
12	मोहिनी प्रिंटर्स, पब्लिशर्स, रायपुर	376.154	51,58,684.00
13	श्री कृष्णा प्रिंटर्स, नागपुर	92.657	10,05,988.00
14	जनरल ऑफसेट, प्रिंटिंग प्रेस प्रा0लि0, इलाहाबाद	234.675	32,18,395.00
15	शगुन ऑफसेट, नोएडा	63.4622	9,18,188.00
16	टेक्नो प्रिंटर्स, रायपुर	1146.908	1,57,29,022.00
17	रामराजा प्रिंटर्स एण्ड पब्लि0 रायपुर	564.040	74,13,131.00
18	अजय ऑफसेट, रायपुर	616.346	87,10,945.00
19	अंकित प्रकाशन, रायपुर	525.428	72,05,871.00
20	सुप्रीम ऑफसेट, प्रेस न्यू दिल्ली	103.320	14,16,960.00
21	श्री साई ऑफसेट, रायपुर	531.801	74,56,144.00
22	बी0के0ऑफसेट, रायपुर	546.737	71,99,603.00
23	पारसमणि पब्लिकेशन, नागपुर	238.494	32,70,771.00
24	युगबोध ऑफसेट, प्रा0लि0, रायपुर	275.555	37,79,038.00
25	विश्वपरिवार, रायपुर	607.321	85,02,293.00
26	वी.रांगना प्रिंटर्स, झांसी	353.550	44,71,765.00
27	श्रीराम प्रिंटर्स, विशाखापटनम्/रायपुर	544.504	71,91,035.00

शिक्षा सत्र 2014-15 हेतु एल-1 दर पर क्य किये गये कागज व भुगतान किये गये राशि का विवरण:-

Sr. No.	Name of Firms	Type of Paper	Qty Supplied (In M.T.)	Payment
1	2	3	4	5
1	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन, कोलकाता	70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	10869.0344 M.T.	529875112.61
2	मेसर्स बिल्ट ग्राफिक्स, पेपर लिमिटेड, कोलकाता	230 जीएसएम कोटेड बोर्ड (वर्जिन पल्प ऑफ बुड) कक्कर कागज	400.4178 M.T.	25983111.22

3	मेसर्स जे०के०पेपर मिल्स, कोलकाता	230 जीएसएम कोटेड बोर्ड (वर्जिन पल्प ऑफ वुड) कव्हर कागज	499.8510 M.T.	31786625.00
---	-------------------------------------	--	------------------	-------------

- ** सत्र 2014-15 के लिए पुस्तकों के आन्तरिक पृष्ठ हेतु 70 जीएसएम मैपलिथो डीजोएसएण्डडी की दर पर हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन जो कि भारत सरकार का उपक्रम है से सभी व्यय को जोड़ते हुए 49570.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से कागज क्रय किया गया ।
- ** सत्र 2014-15 में पाठ्यपुस्तकों के कवर पृष्ठ हेतु 900 मीटन 230 जीएसएम कोटेड बोर्ड वर्जिन पल्प कव्हर कागज के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें एल-1 दर राशि रू. 64890.00 प्रति मीट्रिक टन दर जे के पेपर मिल कोलकाता से प्राप्त हुई थी। जे के पेपर मिल के द्वारा केवल 500 मीट्रिक टन 230 जीएसएम कव्हर कागज प्रदाय करने हेतु सहमति दी गयी ; चूंकि निगम को 900 मीट्रिक टन कागज क्रय किया जाना था, अतः अन्य मिल बिल्ट ग्राफिक्स कोलकाता जिनकी दर राशि रू. 64980.00 प्रति मीट्रिक टन थी जो कि एल1 दर से अधिक थी, से एल-1 दर राशि रू. 64890.00 प्रति मीट्रिक टन पर सहमति प्राप्त कर 400 मीट्रिक टन 230 जीएसएम कोटेड बोर्ड कव्हर कागज क्रय किया गया ।

प्रपत्र "स"

शिक्षण सत्र 2015-16 में मुद्रण कार्य करने तथा कागज खरीदी की जानकारी

3. सत्र 2015-16 के लिए एल-1 दर पर पाठ्यपुस्तकों के लिए मुद्रण का कार्य संपादित करने वाले फर्मों एवं कार्य की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	मुद्रकों के नाम	आबंटित कार्य मीट्रिक टन में	आबंटित कार्य की राशि रुपये में
1	मेसर्स शारदा ऑफसेट, रायपुर	1068.061	14861035.00
2	राजधानी प्रिंटर्स, रायपुर	362.086	4965064.00
3	डिसेन्ट प्रिंटिंग प्रेस, रायपुर	263.915	3299764.00
4	क्रिएटिव प्रिंटिंग प्रेस, रायपुर	842.101	11105278.00
5	मिशन मीडिया प्रा0लि0, रायपुर	739.520	10098293.00
6	एप्पल इंटरप्राइजेस, रायपुर	489.385	4804423.00
7	सरस्वती ऑफसेट, प्रिंटर्स, रायपुर	380.152	5090706.00
8	छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स, रायपुर	358.36	4658370.00
9	मोहिनी प्रिंटर्स, पब्लिशर्स, रायपुर	346.543	4939766.00
10	श्री कृष्णा प्रिंटर्स, नागपुर	97.246	1335554.00
11	जनरल ऑफसेट, प्रिंटिंग प्रेस प्रा0लि0, इलाहाबाद	207.896	3158598.00
12	टेक्नो प्रिंटर्स, रायपुर	1300.494	17311143.00
13	रामराजा प्रिंटर्स एण्ड पब्लि0 रायपुर	414.217	6076461.00
14	अजय ऑफसेट, रायपुर	805.261	11824880.00
15	अंकित प्रकाशन, रायपुर	389.910	5783888.00
16	श्री साई ऑफसेट, पटना	111.627	1582694.00
17	बी0के0ऑफसेट, रायपुर	719.527	10251086.00
18	विश्वपरिवार, रायपुर	494.298	6266300.00
19	वीरांगना प्रिंटर्स, झांसी	286.679	3876362.00
20	श्रीराम प्रिंटर्स, विशाखापटनम्/रायपुर	390.344	5181572.00
21	ज्ञान ऑफसेट पटना	57.373	648801.00
22	ओरा इनकॉर्पोरेशन रायपुर	150.686	2094467.00
23	प्रगति प्रिंटर्स रायपुर	162.542	2634177.00
24	भारती प्रिंटर्स, कुम्हारी, दुर्ग	170.102	2342724.00
25	पारसमणी पब्लिकेशन, नागपुर	108.978	1525769.00
26	शगुन ऑफसेट, नोएडा	115.493	1581164.00
27	सुप्रीम ऑफसेट, नई दिल्ली	146.009	2027297.00

प्रपत्र "द"

शिक्षण सत्र 2015-16 में कागज खरीदी के भुगतान की जानकारी

शिक्षा सत्र 2015-16 हेतु एल-1 दर पर कय किये गये कागज की जानकारी एवं अब तक भुगतान किये गये राशि का विवरण :-

Sr. No.	Name of Firms	Type of Paper	Qty Supplied (In M.T.)	Payment
1	2	3	4	5
1	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन, कोलकाता	70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज	8835.9788	381551702.15
2	रेनबो पेपर मिल, अहमदाबाद	220 जीएसएम कोटेड बोर्ड (वर्जिन पल्प ऑफ वुड) कव्हर कागज	389.8760	22405852.00
3	मेसर्स बिल्ट ग्राफिक्स, पेपर लिमिटेड, कोलकाता	220 जीएसएम कोटेड बोर्ड (वर्जिन पल्प ऑफ वुड) कव्हर कागज	249.0100	1,43,20,565.00
4	मेसर्स जे0के0पेपर मिल्स, कोलकाता	220 जीएसएम कोटेड बोर्ड (वर्जिन पल्प ऑफ वुड) कव्हर कागज	246.244	1,41,61,492.00

** सत्र 2015-16 में किताबों के आंतरिक पृष्ठों में 70 जीएसएम मैपलिथो रील कागज भारत सरकार की संस्था HPC से डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दर राशि रु. 53977.00 प्रति मीट्रिक टन दर से कागज क्रय किया जा रहा है ।

** पाठ्यपुस्तकों के कवर पृष्ठ हेतु लगभग 900 मीट्रिक टन 220 जीएसएम आर्ट कार्ड कव्हर कागज के लिए शासन के निर्देशानुसार खुली ई-निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें तीन निविदाएँ रेनबो पेपर मिल अहमदाबाद, बिल्ट ग्राफिक्स कोलकाता एवं जे के पेपर मिल कोलकाता से प्राप्त हुई थी । निविदा में एल-1 दर राशि रु. 63900.00 प्रति मीट्रिक टन दर पर रेनबो पेपर मिल अहमदाबाद, से प्राप्त हुई थी एवं बिल्ट ग्राफिक्स कोलकाता एवं जे0के0 पेपर मिल कोलकाता से एल-1 की सहमति के आधार पर 250-250 मीट्रिक टन कव्हर कागज क्रय किया गया ।

प्रश्नांश "क" में वर्णित पुस्तकों में उपयोग किये गये कागज का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	शिक्षा सत्र	आंतरिक पृष्ठ कागज	कव्हर पृष्ठ कागज
1.	सत्र 2013-14	70 जीएसएम मैपलिथो रील	230 जीएसएम आर्ट कार्ड मशीन ग्लैज्ड
2.	सत्र 2014-15	70 जीएसएम मैपलिथो रील	230 जीएसएम कोटेड बोर्ड
3.	सत्र 2015-16	70 जीएसएम मैपलिथो रील	220 जीएसएम आर्ट कार्ड कोटेड बोर्ड

प्रश्नांश "क" में वर्णित अग्रिम राशि के संबंध में विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	शिक्षा सत्र	मुद्रण के लिए अग्रिम की जानकारी	कागज के लिए अग्रिम की जानकारी
1.	सत्र 2013-14	अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।	अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।
2.	सत्र 2014-15	अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन, कोलकाता को अग्रिम राशि रुपये 20,00,00,000.00 एवं 24,61,30,000.00 का भुगतान किया गया था ।
3.	सत्र 2015-16	अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।	अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

परिशिष्ट "चालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 669) की जानकारी]

शालावार एवं विकासखंडवार सूची

क.	विकास खंड का नाम	शाला का नाम	व्याख्याता पंचायत के रिक्त पद :		
			विज्ञान	भाषण	अंग्रेजी
1	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.बिलाईगढ़	0	0	0
2	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.बालक भटगाव	2	1	0
3	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.कन्या भटगाव	5	1	0
4	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.परसपाली	3	0	0
5	बिलाईगढ़	शा.बालक.उ.मा.वि.पावनी	1	0	0
6	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.टुण्डरी	-1	0	0
7	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.परसाडीह	0	1	1
8	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.नगरदा	2	1	0
9	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.सलौनीकैला	0	1	0
10	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.धोबनी	3	2	1
11	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.बालक सरसीवा	1	1	0
12	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.कन्या सरसीवा	0	1	0
13	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.पेण्ड्रावन	5	0	1
14	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.गाताडीह	0	0	0
15	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.रायकोना	4	1	1
16	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.जोरा	3	1	0
17	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.सुतीउरकुली	2	0	1
18	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.बम्हनपुरी	3	1	0
19	बिलाईगढ़	शा.कन्या.उ.मा.वि.पावनी	2	1	1
20	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.पुरगांव	3	0	0
21	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.बालपुर	3	2	1
22	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.खम्हरिया	4	2	1
23	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.धनसीर	3	1	0
24	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.खुरसुला	3	1	1
25	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.बेलटिकरी	3	0	0
26	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.दुरुग	2	1	0
27	बिलाईगढ़	शा.उ.मा.वि.गंधाईभाटा	2	1	0
28	बिलाईगढ़	हाई स्कूल कन्या बिलाईगढ़	0	1	1
29	बिलाईगढ़	हाई स्कूल सलिहा	2	1	0
30	बिलाईगढ़	हाई स्कूल कैथा	0	1	1
31	बिलाईगढ़	हाई स्कूल जमगहन	1	0	0

32	बिलाईगढ़	हाई स्कूल गणेशपाली	1	1	1
33	बिलाईगढ़	हाई स्कूल सेठपुरा	1	2	0
34	बिलाईगढ़	हाई स्कूल कालिंडारी	1	1	1
35	बिलाईगढ़	हाई स्कूल पिरदा	1	1	1
36	बिलाईगढ़	हाई स्कूल गेडापाली	1	1	0
37	बिलाईगढ़	हाई स्कूल मनपरार	1	1	1
38	बिलाईगढ़	हाई स्कूल बलौदी	1	1	1
39	बिलाईगढ़	हाई स्कूल उडकाकन	0	1	1
40	बिलाईगढ़	हाई स्कूल झुमका	1	1	0
41	बिलाईगढ़	हाई स्कूल भिनोदी	1	1	0
42	बिलाईगढ़	हाई स्कूल घरजरा	1	1	0
43	बिलाईगढ़	हाई स्कूल अमोदी	1	1	1
44	बिलाईगढ़	हाई स्कूल रामपुर	1	1	1
45	बिलाईगढ़	हाई स्कूल गोरबा	1	1	1
46	बिलाईगढ़	हाई स्कूल बोडा	1	1	1
47	बिलाईगढ़	हाई स्कूल गिरसा	1	1	0
48	कसडोल	शा.उ.मा.वि.बलौदा	1	0	0
49	कसडोल	शा.उ.मा.वि.सोनाखान	3	0	0
50	कसडोल	शा.उ.मा.वि.गिरौदपुरी	1	0	0
51	कसडोल	शा.उ.मा.वि.चाँदन	1	0	0
52	कसडोल	शा.उ.मा.वि.बारनवापारा	4	2	1
53	कसडोल	शा.उ.मा.वि.बरपानी	2	0	0
54	कसडोल	शा.उ.मा.वि.बया	4	1	0
55	कसडोल	शा.उ.मा.वि.हसुवा	4	2	0
56	कसडोल	शा.उ.मा.वि.टुण्डरा(न.प.)	4	1	0
57	कसडोल	शा.उ.मा.वि.गिधौरी	1	2	0
58	कसडोल	शा.उ.मा.वि.मटिया	4	2	0
59	कसडोल	शा.उ.मा.वि.चिखली	4	2	1
60	कसडोल	शा.हाई स्कूल कोटियाडीह	0	1	0
61	कसडोल	शा.हाई स्कूल कुशमाटा	1	1	0
62	कसडोल	शा.हा.स्कूल बरेली	1	1	1
63	कसडोल	शा.हा.स्कूल थरगांव	1	1	1
64	कसडोल	शा.हा.स्कूल मानदीप	1	1	1
65	कसडोल	शा.हा.स्कूल रिपोकला	1	1	1
66	कसडोल	शा.हा.स्कूल मानाकोनी	1	1	1
67	कसडोल	शा.हा.स्कूल नवागांव	1	1	1
योग			116	61	1

परिशिष्ट "इकचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 749) के भाग (क) की जानकारी]

(वर्षवार कृषकों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण आयोजन स्थान का विवरण)

क्र.	जिला का नाम	निर्धारित लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या	स्थानों का विवरण
वर्ष 2011-12				
1	रायपुर	445	445	आरंग, खमतराई, अभनपुर, परसदा, तामासिवनी, अमेरा, लाहोट, मुंडा, बलार डेम, सोनाखान, पलारी।
2	धमतरी	185	168	महासमुन्द, (महाराष्ट्र), जलगांव, कामठी, बालोद।
3	दुर्ग	415	474	उड़िसा, महाराष्ट्र, कसारीडीह।
4	महासमुन्द	138	137	खैरझिटी, कटक सम्बलपुर।
योग महानदी आयाकट		1183	1224	
5	जाजगीर-चापा	2993	2993	उड़िसा
6	रायगढ़	275	275	उड़िसा
योग हसदेव आयाकट		3268	3268	
वर्ष 2012-13				
1	रायपुर	215	215	शहीद बीर नारायण सिंह बहुउद्देशीय केन्द्र अभनपुर, कुरुद, भाटागांव, छाती, संडी, तिल्दा।
2	धमतरी	185	370	धमतरी, रावनगुडा, चर्रा, कोडापार।
3	ब.बाजार	290	290	अमेठी, सेमरियाघाट, सिंगारपुर, सोनाखान, बलार डेम।
4	महासमुन्द	125	125	कचनबाड़ी, औरंगाबाद, सोरिद।
5	दुर्ग	190	200	उड़िसा, तमस्कार महाविद्यालय दुर्ग।
6	बेमतरा	40	121	हेमपडायवर्सन, बारगांव।
7	बालोद	185	185	गुण्डरदेही, गुरुर, नागपुर, जलगांव, राहोरी।
योग महानदी आयाकट		1230	1506	
8	जाजगीर-चापा	3438	3438	उड़िसा
9	रायगढ़	275	275	उड़िसा
योग हसदेव आयाकट		3713	3713	
वर्ष 2013-14				
1	रायपुर	300	300	अभनपुर (कृषक सेवा केन्द्र) बेरला (सभा कक्ष) रायपुर।
2	धमतरी	300	300	नगरी, बालोद, महासमुन्द, कुरुद, धमतरी।
3	ब.बाजार	344	344	अमेठी, धमनी, बालसमुन्द, सेमरिया, खुटाघाट, सिंगारपुर।
4	महासमुन्द	400	400	भोरिंग, जोबा, बरीडाबाजार, सम्बलपुर, कटक (वाल्मी)।
5	बेमतरा	100	100	बालोद, सोड़ पहंदा।
6	बालोद	320	320	हैदराबाद, अंगूर, अमोरा, गुरुर सकरोद।
योग महानदी आयाकट		1764	1764	
8	जाजगीर-चापा	3400	3400	उड़िसा
9	रायगढ़	275	275	उड़िसा
योग हसदेव आयाकट		3675	3675	

कं.	जिला का नाम	निर्धारित लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या	स्थानों का विवरण
वर्ष 2014-15				
1	रायपुर	400	400	अभनपुर, भाटागांव, राखी, मांढर, बालोद, आरग, बरौड़ा।
2	धमतरी	400	404	कुरा, धौराभाठा, चटाद, झिरिया, साकरा, रामपुर, भाटागांव, कातलबोड़।
3	ब.बाजार	300	377	बलार डेम, सोनाखान, सेनरियाघाट, अमेठी, धमनी।
4	महासमुन्द	250	250	गुडरुडीह, बरौडाबाजार, बिरकोनी, बेलसोड़ा, परसवानी, (उड़िसा) सम्बलपुर कटक।
5	बेमेतरा	300	300	सोड़, पतौरा, आनंदगांव, बहेरा, करली।
6	बालोद	750	750	बोड़की, संकरी, मोखा, धमतरी।
योग महानदी आयाकट		2400	2481	
7	जाजगीर-चांपा	3300	3300	उड़िसा
8	रायगढ़	0	0	
योग हसदेव आयाकट		3300	3300	

परिशिष्ट "बयालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 773) की जानकारी]

जिला सुकमा के कोटा विकासखण्ड में छात्र-छात्राओं को प्रदाय छात्रवृत्ति की जानकारी

वर्ष	क्र.	योजना का नाम	लाभांवित छात्र-छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति वितरण का माध्यम
2011-12	1	राज्य छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 3री से कक्षा 10 वीं तक)	4263	प्राथमिक स्तर कक्षा 3री से 5वी तक मण्डल संयोजक के द्वारा, संस्था प्रमुख एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष छात्रों को एवं कक्षा 6वी से 10वी तक के छात्र/छात्राओं को बैंक खातों के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
	2	राज्य छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 3री से कक्षा 10 वीं तक)	428	
	3	राज्य छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 6वीं से कक्षा 10 वीं तक)	344	
	4	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	233	संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्र-छात्राओं को उनके बैंक खाते में छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
	5	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन (कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कन्याओं को)	227	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि का वितरण संस्था प्रमुख द्वारा छात्राओं को पालकों एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रदान किया जाता है।
2012-13	1	राज्य छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 3री से कक्षा 10 वीं तक)	4336	प्राथमिक स्तर कक्षा 3री से 5वी तक संकुल केन्द्र समन्वयकों के माध्यम से एवं कक्षा 6वी से 10वी तक संस्था प्रभारी के द्वारा छात्र/छात्राओं को बैंक खातों के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
	2	राज्य छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 3री से कक्षा 10 वीं तक)	487	
	3	राज्य छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 6वीं से कक्षा 10 वीं तक)	618	
	4	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	296	मुख्यालय स्तर से ऑन-लाईन के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की गई है।

वर्ष	क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति वितरण का माध्यम
2012-13	5	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन (कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कन्याओं को)	261	प्रधान पाठको द्वारा राशि चेक के माध्यम से प्रदान की गई है।
2013-14	1	राज्य छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 3री से कक्षा 10 वीं तक)	5411	प्राथमिक स्तर कक्षा 3री से 5वीं तक के छात्राओं को प्रथम किशत की राशि मण्डल संयोजक के माध्यम से तथा द्वितीय किशत की राशि प्रधान पाठकों के बैंक खाता के माध्यम से एवं कक्षा 6वीं से 10वीं तक संस्था प्रभारी के द्वारा छात्र/छात्राओं को बैंक खातों के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
	2	राज्य छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 3री से कक्षा 10 वीं तक)	538	
	3	राज्य छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 6वीं से कक्षा 10 वीं तक)	459	
	4	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	364	
	5	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन (कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कन्याओं को)	390	प्रधान पाठको द्वारा राशि चेक के माध्यम से प्रदान की गई है।
2014-15	1	राज्य छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 3री से कक्षा 10 वीं तक)	3120	प्राथमिक स्तर कक्षा 3री से 5वीं तक के छात्राओं को प्रधान पाठको के बैंक खाते के माध्यम से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा एवं कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्र-छात्राओं को प्रधान पाठको के बैंक खाते के माध्यम से तथा कक्षा 9 वीं एवं 10वीं हेतु मुख्यालय स्तर से ऑन-लाईन के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की गई है।
	2	राज्य छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 3री से कक्षा 10 वीं तक)	68	
	3	राज्य छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 6वीं से कक्षा 10 वीं तक)	137	
	4	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	402	मुख्यालय स्तर से ऑन-लाईन के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं को शिक्षा संगी कार्ड द्वारा छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की गई है।
	5	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन (कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कन्याओं को)	332	प्रधान पाठको द्वारा राशि चेक के माध्यम से प्रदान की गई है।

परिशिष्ट "तिरालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 774) के भाग (क) की जानकारी]

जिला सुकमा में संचालित शिक्षा संस्थान, आश्रम एवं छात्रावासों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण के संबंध में जानकारी (कस्तूरबा गांधी कन्या आश्रम)

क्र.	आश्रम शाला का नाम	सौर उर्जा से विद्युतिकरण किये जाने की तिथि	सौर उर्जा की स्थिति		
			कार्यशील	बंद	बंद होने की तिथि
1	कस्तूरबा गांधी कन्या आश्रम सुकमा	27-7-2012	कार्यशील है		
2	कस्तूरबा गांधी कन्या आश्रम रानीबहाल	30-04-2012	कार्यशील है		
3	कस्तूरबा गांधी आश्रम कोटा	21-4-2012	कार्यशील है		

(पोटाकेबिन)

1	पोटा केबिन मरईगुड़ा	2010	—	बंद है	वर्ष 2012 से
2	पोटा केबिन पोलमपलली	2010	—	बंद है	वर्ष 2012 से
3	पोटा केबिन कोन्टा	18-4-2010	—	बंद है	वर्ष 2012 से
4	पोटा केबिन एरबोर	23-4-2010	—	बंद है	वर्ष 2012 से

(आश्रम शाला)

1	बालक आश्रम नीलावरम	28-4-2009	कार्यशील है		
2	बालक आश्रम कुडमेलपारा	30-4-2009	कार्यशील है		
3	बालक आश्रम मिरीवाड़ा	9-5-2009	कार्यशील है		
4	बालक आश्रम रामाराम	15-10-2009	कार्यशील है		
5	बालक आश्रम मुनगा	15-10-2009	कार्यशील है		
6	कन्या आश्रम सोनाकुकानार	15-10-2009	कार्यशील है		
7	कन्या आश्रम कोर्सा	14-2-2010	कार्यशील है		
8	बालक आश्रम गिरदालपारा	15-7-2010	कार्यशील है		
9	बालक आश्रम नागारास	20-3-2011	कार्यशील है		
10	कन्या आश्रम चिंगावरम	10-10-2011	कार्यशील है		

क्र.	आश्रम शाला का नाम	सौर उर्जा से विद्युतिकरण किये जाने की तिथि	सौर उर्जा की स्थिति		
			कार्यशील	बंद	बंद होने की तिथि
11	कन्या आश्रम तेलावर्ती	15-11-2014	कार्यशील है		
12	बालक आश्रम राजामुण्डा	14-9-2009	कार्यशील है		
13	बालक आश्रम उरमापाल	16-9-2009	कार्यशील है		
14	कन्या आश्रम पुसपाल	19-9-2009	कार्यशील है		
15	बालक आश्रम तोंगपाल	19-9-2009	कार्यशील है		
16	बालक आश्रम पाकेला	15-10-2009	कार्यशील है		
17	कन्या आश्रम कुन्दनपाल	15-7-2010	कार्यशील है		
18	बालक आश्रम गोरली	9-3-2011	कार्यशील है		
19	बालक आश्रम पुसपाल	11-3-2011	कार्यशील है		
20	कन्या आश्रम उदलातरई	13-3-2011	कार्यशील है		
21	बालक आश्रम किकिरपाल	31-3-2014	कार्यशील है		
22	बालक आश्रम ओलेर	31-3-2014	कार्यशील है		
23	कन्या आश्रम कुमाकोलेंग	7-10-2014	कार्यशील है		
24	बालक आश्रम गुम्मा	14-11-2014	कार्यशील है		
25	कन्या आश्रम दोरनापाल	10-5-2009	कार्यशील है		
26	बालक आश्रम बण्डा/मेहता	30-3-2011	कार्यशील है		
27	कन्या आश्रम दुब्बाटोटा	27-9-2011	कार्यशील है		

(छात्रावास)

1	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास सुकमा	20-7-2009	कार्यशील है		
2	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास छिन्दगढ़	11-3-2011	कार्यशील है		
3	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास एर्राबोर	2010	कार्यशील है		

परिशिष्ट "चवालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 785) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में 2012 से 31.05.2015 तक स्वीकृत जलाशय, एनीकट एवं स्टाप डेम निर्माण कार्य की जानकारी

दिनांक 01.07.2012 से 31.05.2015 तक स्वीकृत योजना का नाम	योजना का प्रकार (जलाशय / एनीकट / स्टापडेम)	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	कार्य की वर्तमान स्थिति (अप्रारंभ / प्रगति पर / पूर्ण)	यदि निर्माण कार्य अपूर्ण है तो कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	रिभार्क
2	3	4	5	6	7	8	9	10
पुरऊ जलाशय	जलाशय	सरायपाली	गुठानीपाली	30.12.2012	706.83	प्रगति पर	31.03.2016	
योग :- (1 जलाशय)					706.83			
मनकी एनीकट	एनीकट	सरायपाली	मनकी	01.06.2013	599.55	पूर्ण		
तोरेसिंहा एनीकट	एनीकट	सरायपाली	तोरेसिंहा	27.06.2013	629.72	प्रगति पर	31.03.2016	
बड़े साजापाली एनीकट	एनीकट	बसना	बड़े साजापाली	29.06.2013	227.03	पूर्ण		
योग :- (3 एनीकट)					1456.30			
योग :- (4 योजना)					2163.13			

परिशिष्ट "पैतालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 786) के भाग (क) की जानकारी]

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में लघु सिंचाई नहरों का पक्कीकरण

स.क्र.	सिंचाई परियोजना का नाम	निर्मित/ निर्माणाधीन	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
I	मध्यम सिंचाई परियोजना			
1	निरंक			
II	लघु सिंचाई परियोजना			
1	चनाट जलाशय	निर्मित	बसना	लोटाखोलिया
2	पलसाभाड़ी जलाशय	निर्मित	बसना	संतपाली
3	उमरीया जलाशय	निर्मित	बसना	उमरिया
4	उडेला जलाशय	निर्मित	बसना	उडेला
5	बंदलीमाल जलाशय	निर्मित	सरायपाली	बंदलीमाल
6	घोरघाटी जलाशय	निर्मित	सरायपाली	समदरहा
7	कोसमपाली जलाशय	निर्मित	सरायपाली	कोसमपाली
8	कालीदरहा जलाशय	निर्मित	सरायपाली	कालीदरहा
9	लमकेनी सरायपाली जलाशय	निर्मित	सरायपाली	गिधामुडा
10	महल जलाशय	निर्मित	सरायपाली	सरायपाली
11	मोखापुटका जलाशय	निर्मित	सरायपाली	मोखापुटका
12	पैकिन जलाशय	निर्मित	सरायपाली	पैकिन
13	पुटका जलाशय	निर्मित	सरायपाली	पुटका
14	राजाडीह जलाशय	निर्मित	सरायपाली	राजाडीह
15	सिंधोडा जलाशय	निर्मित	सरायपाली	सिंधोडा
16	सुखापाली जलाशय	निर्मित	सरायपाली	सुखापाली
17	थीपाफ़नी जलाशय	निर्मित	सरायपाली	आवलाचक्का
18	छिरापाली जलाशय	निर्मित	सरायपाली	छिरापाली
19	खम्हारपाली व्यप. योजना	निर्मित	सरायपाली	खम्हारपाली
20	कुटनी व्यप. योजना	निर्मित	सरायपाली	छिबरा
21	लाथनाला व्यप. योजना	निर्मित	सरायपाली	दुर्गीपाली
22	पण्डापारा व्यप. योजना	निर्मित	सरायपाली	पण्डापारा
23	सिंगबहाल जलाशय	निर्माणाधीन	सरायपाली	सिंगबहाल
24	अमरकोट व्यपवर्तन	निर्माणाधीन	सरायपाली	अमरकोट
25	धुरउ जलाशय	निर्माणाधीन	सरायपाली	गुठानीपाली
26	सिरपुर व्यपवर्तन	निर्माणाधीन	सरायपाली	पालीडीह (कन्पला)
27	बोईरमाल व्यपवर्तन	निर्माणाधीन	सरायपाली	बोईरमाल
28	दौगुडी व्यपवर्तन	निर्माणाधीन	सरायपाली	दौगुडी
29	अर्जुन्दा (अर्तुण्डा) बानूभाठा व्यपवर्तन	निर्माणाधीन	सरायपाली	बानूभाठा

परिशिष्ट "छियालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 866) के भाग (ख) की जानकारी]

स्टापडेम एनीकट निर्माण की जानकारी

कबीरधाम जिले में 2012-13 से 2014-15 तथा मई 2015 तक एनीकट / स्टापडेम निर्माण कार्य

वर्ष	सं. क्र.	निर्मित एनीकट / स्टापडेम का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	नदी का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	निर्माण कार्य की लागत (वास्तविक व्यय) (रु. लाख में)	टिप्पणियाँ
2012-13	1	सकरी नदी पर स्टापडेम	कवर्धा	कवर्धा	सकरी नदी	326.91	271.00	
	2	राजानादागाव विखली एनीकट कम काजर्वे	बोड़ला	राजानादागाव	सकरी नदी	197.31	215.27	
योग						524.22	486.27	
2013-14	1	खेली तारनकट्टा एनीकट	कवर्धा	खेली, तारनकट्टा	फोक नदी	417.60	350.10	
	2	बकेला पचराही स्टापडेम कम काजर्वे।	बोड़ला	बकेला	हाफ नदी	359.52	344.41	
योग						777.12	694.51	
2014-15	1	दरगवों एनीकट कम काजर्वे	कवर्धा	दरगवों	सकरी नदी	304.69	257.14	
	2	तमरुवा एनीकट	कवर्धा	तमरुवा	सकरी नदी	209.43	190.13	
	3	सेवई कछार एनीकट	बोड़ला	सेवई कछार	सकरी नदी	260.10	246.62	
योग						774.22	693.89	
2015-16 में माह मई 2015 तक				निरंक				
योग								
महायोग						2075.56	1874.67	

परिशिष्ट "सैंतालीस"

[अतारोक्त प्रश्न संख्या 41 (क्र. 887) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत खोले गये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	प्राथमिक शालाओं की संख्या	पूर्व माध्यमिक शालाओं की संख्या
1	बालोद	55	157
2	बलोदाबाजार	246	407
3	बलरामपुर	662	420
4	बस्तर	660	477
5	बेमेतरा	81	199
6	बीजापुर	331	112
7	बिलासपुर	435	371
8	दन्तेवाड़ा	365	160
9	धमतरी	244	225
10	दुर्ग	52	119
11	गरियाबंद	367	309
12	जांजगीर-चांपा	449	439
13	जशपुर	728	260
14	कांकेर	636	342
15	कवर्धा	343	384
16	कोण्डागांव	561	466
17	कोरबा	552	259
18	कोरिया	337	264
19	महासमुन्द	149	278
20	मुंगेली	144	156
21	नारायणपुर	202	92
22	शयगढ़	462	489
23	रायपुर	115	208
24	राजनांदगांव	304	341
25	सुकमा	298	149
26	सूरजपुर	585	388
27	सरगुजा	479	344
योग		9842	7815

रा.मा. शि. अभियान के तहत प्रदेश में संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की जानकारी

क.	जिला	स्वीकृत हाई स्कूलों की संख्या	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद	
			प्राचार्य	व्या० / व्या०पंचायत	प्राचार्य	व्या० / व्या०पंचायत	प्राचार्य	व्या० / व्या०पंचायत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बलौदाबाजार	63	63	349	0	159	63	190
2	दत्तरामपुर	47	47	256	0	90	47	166
3	बमतरा	57	57	342	2	257	55	85
4	बालोद	36	36	203	11	186	25	17
5	बस्तर	51	51	278	1	133	50	145
6	बीजापुर	8	8	52	0	34	8	18
7	बिलासपुर	111	111	594	102	415	9	179
8	दत्तेवाड़ा	10	10	55	2	35	8	20
9	धमतरी	25	25	149	5	131	20	18
10	दुर्ग	25	25	146	25	121	0	25
11	गरियाबन्द	47	47	256	10	73	37	183
12	जांजगीर-चांपा	108	108	602	12	486	96	116
13	जशपुर	20	20	177	1	71	19	106
14	कोरिया	65	65	354	3	157	62	197
15	कोरबा	68	68	367	53	192	15	175
16	कोण्डागांव	41	41	223	1	73	40	150
17	कबीरधाम	53	53	284	0	225	53	59
18	कांकेर	87	87	484	21	282	66	202
19	नारायणपुर	4	4	23	0	17	4	6
20	महारुमुन्द	48	48	277	1	196	47	81
21	मुंगेली	64	64	339	1	110	63	229
22	रायगढ़	57	57	326	13	199	44	127
23	रायपुर	43	43	246	12	194	31	52
24	राजनांदगांव	83	83	468	19	303	64	165
25	सूकमा	14	14	80	0	23	14	57
26	सूरजपुर	47	47	261	2	146	45	115
27	सरगुजा	56	56	301	18	229	38	72
महायोग:-		1338	1338	7492	315	4537	1023	2955

नोट:- राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत कोई भी प्राथमिक शाला/पूर्व मा. शाला/हायर सेकेंडरी खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

प्रपत्र "स"

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत		कार्यरत		रिक्त पद	
		सहा. शिक्षक (प)	शिक्षक (प)	सहा. शिक्षक (प)	शिक्षक (प)	सहा. शिक्षक (प)	शिक्षक (प)
1	पालोद	341	715	339	703	2	12
2	बलोदाबाजार	1979	1675	1888	1630	91	45
3	बलरामपुर	1116	1338	1112	1338	4	0
4	बस्तर	759	1483	759	1483	0	0
5	बेमेतरा	687	778	673	754	14	24
6	बीजापुर	346	491	346	481	0	10
7	बिलासपुर	2025	1367	1997	1325	28	42
8	दन्तेवाड़ा	488	628	488	617	0	11
9	धमतरी	681	886	647	862	34	24
10	दुर्ग	539	460	529	442	10	18
11	गरियाबंद	1181	1173	1104	1089	77	84
12	जांजगीर-चांपा	1493	2160	1489	2148	4	12
13	जशपुर	1247	840	1247	834	0	6
14	कांकेर	1052	1048	1022	953	30	95
15	कवर्धा	827	1236	801	1227	26	9
16	कोण्डागांव	1009	1673	1009	1673	0	0
17	कोरबा	1165	1086	1139	1086	26	0
18	कोरिया	551	939	543	939	8	0
19	महासमुन्द	668	1034	654	1001	14	33
20	मुंगेली	1075	414	1063	411	12	3
21	नारायणपुर	344	277	228	184	116	93
22	रायगढ़	841	1667	841	1646	0	21
23	रायपुर	1366	926	1234	867	132	59
24	राजनांदगांव	648	1086	620	1062	28	24
25	सुकमा	465	594	465	543	0	51
26	सूरजपुर	1023	1165	1007	1162	16	3
27	सरगुजा	821	1070	809	1064	12	6
योग		24737	28209	24053	27524	684	685

परिशिष्ट "अड़तालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 899) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

(क) वर्ष 2008 से 2015 तक सिंचित एवं असिंचित रकबा

वर्ष	सिंचित रकबा (हेक्टेयर में)	असिंचित रकबा (हेक्टेयर में)
2007-08	1521967	4225769
2008-09	1537050	4146125
2009-10	1457079	4074374
2010-11	1604607	4066972
2011-12	1647649	4016027
2012-13	1724998	3965857
2013-14	1751068	3946639

(ख) वर्ष 2008 से 2015 तक असिंचित से सिंचित भूमि का रकबा

वर्ष	सिंचित की गई भूमि (हेक्टेयर में)
2007-08	51680
2008-09	56928
2009-10	40507
2010-11	73046
2011-12	132243
2012-13	166590
2013-14	180162

(ग) वर्ष 2008 से 2015 तक फसल आच्छादन

वर्ष	खरीफ (हेक्टेयर में)	रबी (हेक्टेयर में)
2007-08	4581237	1168489
2008-09	4582787	1100389
2009-10	4536154	1025299
2010-11	4580533	1091046
2011-12	4570180	1093496
2012-13	4574175	1116680
2013-14	4577833	1119874

परिशिष्ट "उनचास"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 905) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में संचालित आश्रम, छात्रावास तथा विशेष विद्यालय की संख्या, स्वीकृत सीट्स एवं प्रवेशित सीट्स की जिलेवार जानकारी

क	जिला	आश्रम,			छात्रावास			विशेष विद्यालय		
		संख्या	स्वीकृत सीट	प्रवेशित	संख्या	स्वीकृत सीट	प्रवेशित	संख्या	स्वीकृत सीट	प्रवेशित
1	सरगुजा	48	2600	2464	80	4190	3565	4	1015	835
2	सूरजपुर	33	2040	2040	74	3775	3454	1	105	88
3	बलरामपुर	66	3670	3672	80	3870	3671	2	355	350
4	कोरिया	33	1690	1678	77	3650	3295	3	525	478
5	बिलासपुर	36	2250	1910	127	6320	5621	4	530	326
6	मुर्गेली	6	300	300	27	1620	1512	0	0	0
7	कोरबा	59	3290	2446	123	5220	4757	1	420	120
8	जांजगीर	18	1170	1018	92	4170	3499	0	0	0
9	रायगढ़	47	2820	2610	138	6425	6092	2	620	507
10	जशपुर	81	4280	3945	115	6150	4393	4	923	843
11	राजनांदगांव	34	1850	1525	116	5401	4174	3	345	345
12	कबीरघाम	40	2385	2385	57	3040	3040	2	525	525
13	दुर्ग	0	0	0	23	1201	953	2	750	443
14	बेमेतरा	1	100	100	20	850	706	0	0	0
15	बालोद	17	1400	810	65	4005	2680	2	345	340
16	रायपुर	6	650	337	47	2800	2239	2	500	479
17	बलोदबाजार	10	680	647	96	4775	4813	0	0	0
18	गरियाबंद	31	2250	1714	48	2445	2097	1	100	100
19	महासमुन्द	24	1820	1373	89	4080	3860	0	0	0
20	धमतरी	13	680	494	44	1970	1394	1	240	239
21	बस्तर	108	7539	7292	125	6880	6673	6	1410	1010
22	कोडागांव	54	3550	3514	76	3915	3591	2	741	476
23	कांकेर	76	4795	4366	110	5740	4766	3	520	489
24	दंतेवाडा	70	5905	6177	49	3805	3048	4	1670	1025
25	सुकमा	90	7720	7196	33	1790	1770	1	450	141
26	बीजापुर	137	11600	10554	46	3235	2724	2	745	262
27	नारायणपुर	88	5670	5670	28	1900	1670	3	1100	350
	योग	1226	82704	76237	2005	103222	90057	55	13934	9771

प्रपत्र "ब"

अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रमों में दवाईयां हेतु व्यय राशि की जिलेवार जानकारी

क	जिला	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1	सरगुजा	2.28	20.00
2	सूरजपुर	2.03	10.86
3	बलरामपुर	2.97	20.78
4	कोरिया	1.00	2.82
5	बिलासपुर	1.74	18.39
6	मुर्गेली	0.00	0.00
7	कोरबा	3.59	21.16
8	जांजगीर	0.00	0.00
9	रायगढ़	1.93	11.51
10	जशपुर	1.85	15.70
11	राजनांदगांव	1.51	4.84
12	कबीरधाम	0.57	0.70
13	दुर्ग	0.44	1.25
14	बेमेतरा	0.00	0.00
15	बालोद	0.55	4.34
16	रायपुर	0.28	13.79
17	बलौदाबाजार	0.87	15.81
18	गरियाबद	1.53	7.04
19	महासमुन्द	0.71	0.00
20	धमतरी	1.31	1.30
21	बस्तर	3.07	17.49
22	कोडगांव	0.13	16.60
23	कांकेर	2.28	12.50
24	दंतेवाड़ा	0.76	13.52
25	सुकमा	1.60	7.00
26	बीजापुर	1.68	25.32
27	नारायणपुर	2.52	13.40
योग		37.20	276.13

अनुभाग
आ. ज. तथा
मन्त्रालय

परिशिष्ट "पचास"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 912) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिलेवार संचालित शालाएं

स० क्र०	जिले का नाम	संचालित शाला का स्तर				योग
		प्राथमिक	पू. माध्य.	हाईस्कूल	हा.सं.स्कूल	
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	766	462	52	120	1400
2	बलौदा बाजार	1190	638	85	118	2031
3	गरियाबन्द	1090	470	74	62	1696
4	धमतरी	880	440	54	94	1468
5	महासमुन्द	1280	490	62	91	1923
6	दुर्ग	585	341	35	120	1081
7	बैमतरा	743	388	69	82	1282
8	बालोद	817	409	46	125	1397
9	कबीरधाम	969	489	74	60	1592
10	राजनांदगांव	1891	786	118	178	2973
11	बिलासपुर	1810	789	144	121	2864
12	मुंगेली	734	284	74	45	1137
13	कोरबा	1476	524	91	70	2161
14	जांजगीर चांपा	1531	775	123	152	2581
15	रायगढ़	2092	926	102	141	3261
16	जरापुर	1651	467	72	66	2256
17	सूरजपुर	1424	559	66	85	2144
18	सरगुजा	1327	562	73	65	2027
19	बलरामपुर	1350	544	60	62	2016
20	कोरिया	1004	305	14	57	1380
21	कांकेर	1540	578	119	106	2343
22	सुकमा	549	172	21	13	755
23	बीजापुर	512	138	11	27	688
24	बस्तर	1581	646	60	91	2378
25	कोण्डागांव	1227	601	68	72	1968
26	दन्तेवाड़ा	720	237	21	26	1004
27	नारायणपुर	441	136	12	22	611
	योग	31180	13156	1800	2271	48407

भवन विहीन/निर्माणाधीन शालाएं

स.क्र	जिले का नाम	प्राथमिक		पू. माध्य.		हाईस्कूल		हा.से.स्कूल	
		भवन विहित	निर्माणाधीन	भवन विहित	निर्माणाधीन	भवन विहित	निर्माणाधीन	भवन विहित	निर्माणाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	0	5	0	4	14	2	43	11
2	बलौदा बाजार	0	0	0	0	43	25	29	26
3	गरियाबन्द	19	12	17	17	32	12	20	17
4	धमतरी	7	7	1	1	13	13	14	14
5	महासमुन्द	0	0	0	0	8	0	35	28
6	दुर्ग	0	0	0	0	5	4	27	25
7	बेमेतरा	0	0	0	0	34	34	0	0
8	बालोद	0	0	0	0	11	11	0	0
9	कबीरधाम	0	0	0	0	56	56	23	13
10	राजनांदगांव	3	0	0	0	60	36	47	13
11	बिलासपुर	20	15	5	3	63	54	15	8
12	मुंगेली	2	0	0	0	8	0	14	3
13	कोरबा	20	20	4	4	0	8	0	0
14	जांजगीर चांपा	11	11	0	6	36	36	20	4
15	रायगढ़	21	21	21	21	31	3	31	16
16	जशपुर	0	0	0	0	38	5	7	3
17	सूरजपुर	51	0	26	0	16	0	19	0
18	सरगुजा	20	16	29	22	46	42	2	0
19	बलरामपुर	0	19	27	27	11	11	0	0
20	कोरिया	0	0	0	0	3	1	6	5
21	कांकर	64	0	16	0	42	38	8	2
22	सुकमा	195	22	33	12	8	7	2	0
23	बीजापुर	154	154	0	19	7	7	0	0
24	बस्तर	26	26	21	19	45	39	0	0
25	कोण्डागांव	43	13	122	90	0	0	0	0
26	दन्तेवाड़ा	83	1	59	0	12	1	1	0
27	नारायणपुर	43	53	25	24	4	3	3	1
	योग	782	395	406	269	646	448	366	189

परिशिष्ट "इनक्यावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 930) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति के लिये पात्र छात्र-छात्राओं की विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी

प्रश्नांश - "क" से संबंधित जानकारी

कं.	विधान सभा	छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र
1	राजनांदगांव	40656
2.	डोंगरगांव	19147
3	खुज्जी	34764
4	मोहला-मानपुर	31891
5	डोंगरगढ़	36513
6.	खैरागढ़	45303
योग		208274

प्रश्नांश - "ख" से संबंधित भुगतान की जानकारी

क.	विधान सभा	भुगतान प्राप्त छात्र संख्या
1	राजनांदगांव	29098
2.	डोंगरगांव	12771
3	खुज्जी	24964
4	मोहला-मानपुर	22694
5	डोंगरगढ़	28259
6.	खैरागढ़	32247
राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9 वी 10 वी (★)		38068
योग		188101

(★)-छात्रवृत्ति का भुगतान ऑन लाईन किये जाने एवं तकनीकी कारण से विधान सभावार भुगतान की (राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9 वी 10 वी) जानकारी प्रस्तुत नहीं है।

परिशिष्ट "बावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 942) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विधानसभा क्षेत्र तखतपुर में संचालित शालाएं विकास खण्डवार						
स.क.	वि.खण्ड	प्राथ.शाला	पू.माध्य. शाला	हाई स्कूल	हा.से.के. स्कूल	योग
1	तखतपुर	241	121	30	13	405
	योग	241	121	30	13	405

प्रपत्र "ब"

विधानसभा क्षेत्र तखतपुर में संचालित शालाएं जिनमें बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।				
स.क.	शाला का स्तर	बिजली	शुद्ध पेयजल	शौचालय
1	प्राथ.शाला	149	06	00
2	पूर्व. माध्य.शाला	35	00	00
3	हाई स्कूल	00	00	00
4	हायर सेकेण्डरी स्कूल	00	00	00
	योग	184	06	00

प्रपत्र "स"

विधानसभा क्षेत्र तखतपुर में संचालित शालाएं जिनमें अहाता उपलब्ध नहीं है।		
स.क.	शाला का स्तर	अहाता
1	प्राथ.शाला	177
2	पूर्व. माध्य.शाला	67
3	हाई स्कूल	29
4	हायर सेकेण्डरी स्कूल	09
	योग	282

परिशिष्ट "तिरपन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 960) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतगत वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में दिनांक 30.06.2015 तक वितरित किये गये बीज एवं मिनिकिट की विकासखण्डवार जानकारी

पृष्ठ संख्या

क्र.	वर्ष	बीज वितरण (कि. मी.)										मिनिकिट वितरण (संख्या में)									
		फसल का नाम	बेमेतरा		बरला		घग्घा		योग		फसल का नाम	बेमेतरा		बरला		घग्घा		योग			
			मात्रा (कि.)	कृषक संख्या	मात्रा (कि.)	कृषक संख्या	मात्रा (कि.)	कृषक संख्या	मात्रा (कि.)	कृषक संख्या		पैकेट (संख्या)	मात्रा (कि.)	कृषक संख्या	पैकेट (संख्या)	मात्रा (कि.)	कृषक संख्या	पैकेट (संख्या)	मात्रा (कि.)	कृषक संख्या	
1	2012-13	सोयाबीन	2080.80	961	3729.00	1960	4766.00	3452	10595.80	5473	सोयाबीन	12	600	48.00	600	48.00	600	48.00	1800	1440	
		धान	1126.20	982	2954.90	1482	3562.60	3828	7643.70	6292	तिल	31	0.31	31	20	0.20	20	30	0.30	30	
		चना	492.40	425	1185.85	1371	1802.80	1290	3481.05	3086	मूंगफली	10	2.00	10	30	6.00	30	15	3.00	15	
		गेहूँ	772.80	524	350.80	455	416.40	279	1540.00	1258	सुर्यमुखी	60	1.20	60	0	0.00	0	20	0.40	20	
		अरहर	11.82	311	19.09	110	100.00	310	130.91	731	अरहर	200	2.00	200	200	2.00	200	200	2.00	200	
		उड़द	1.07	8	0.40	8	0.00	0	1.47	16	सरसो	306	6.12	306	250	5.00	250	398	7.96	398	
		सरसो	0.00	0	1.50	90	0.00	0	1.50	90	मक्का	0	0.00	0	5	0.10	5	238	16.76	238	
		मूंग	0.20	2	0.00	0	0.00	0	0.20	2	-	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
		तिल	0.05	1	0.00	0	0.00	0	0.05	1	-	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
		योग	4485.34	3214	8241.54	4576	10667.80	9159	23394.68	16949	योग	1207	59.63	1207	1105	61.30	1105	1501	78.42	1501	
1	2013-14	सोयाबीन	1944.70	1397	3067.70	1020	4968.00	3541	9980.40	5958	सोयाबीन	753	60.24	753	730	58.40	730	616	49.28	616	
		धान	1373.00	1071	3448.70	1577	5321.30	4522	10143.00	7170	उड़द	43	1.72	43	39	1.56	39	100	4.00	100	
		चना	872.00	489	487.75	633	2117.40	1535	3477.15	2657	मूंगफली	16	3.20	16	9	1.80	9	0	0.00	0	
		गेहूँ	339.20	232	589.20	555	322.20	268	1250.60	1055	मक्का	27	2.16	27	25	2.00	25	150	12.00	150	
		अरहर	19.84	426	42.86	1262	105.82	332	168.52	2020	अरहर	521	20.84	521	580	23.20	580	1045	41.80	1045	
		उड़द	0.05	1	0.68	12	0.00	0	0.73	13	सरसो	375	7.50	375	150	3.00	150	610	12.20	610	
		सरसो	6.50	187	0.00	0	0.00	0	6.50	187	मूंग	25	1.00	25	25	1.00	25	50	2.00	50	
		योग	4555.29	3803	7636.89	5059	12834.72	10198	25026.90	19060	योग	1760	96.66	1760	1558	90.96	1558	2571	121.28	2571	
1	2014-15	सोयाबीन	4156.10	3196	2070.10	2651	1525.50	1130	7751.70	6977	सोयाबीन	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
		धान	2473.70	2358	3576.60	4649	5818.49	3700	11868.79	10707	तिल	75	0.75	75	75	0.75	75	105	1.05	105	
		चना	854.20	568	1447.42	1881	1143.60	630	3445.22	3079	मूंगफली	11	2.20	11	10	2.00	10	0	0.00	0	
		गेहूँ	903.20	736	595.20	765	1079.20	740	2577.60	2241	मक्का	295	11.80	295	295	11.80	295	570	22.80	570	
		अरहर	0.00	0	2.74	43	85.88	124	88.62	167	अरहर	629	25.16	629	619	24.76	619	785	31.40	785	
		उड़द	2.98	87	0.02	2	0.60	116	3.60	205	उड़द	150	6.00	150	150	6.00	150	600	24.00	600	
		सरसो	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	मूंग	51	2.04	51	51	2.04	51	115	4.60	115	
		योग	8390.18	6945	7692.08	9991	9653.27	6440	25735.53	23376	योग	1488	83.45	1488	1405	51.45	1405	3075	101.85	3075	
1	2015-16 (दिनांक 30.06.15 तक)	सोयाबीन	2838.30	2398	1373.40	1755	1126.00	655	5337.70	4808	सोयाबीन	728	58.24	728	750	60.00	750	750	60.00	750	
		धान	2787.60	2354	3273.60	4255	5432.70	3980	11493.90	10589	तिल	29	0.25	25	25	0.25	25	80	0.80	80	
		चना	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	मक्का	56	1.96	56	56	1.96	56	370	14.80	370	
		गेहूँ	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	अरहर	250	10.00	250	250	10.00	250	1000	40.00	1000	
		अरहर	26.00	298	1.90	32	42.96	140	70.86	470	उड़द	75	3.00	75	75	3.00	75	190	7.60	190	
		उड़द	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	मूंग	50	2.00	50	50	2.00	50	100	4.00	100	
		योग	5651.90	5050	4648.90	6042	6601.66	4775	16902.46	15867	योग	1184	75.45	1184	1206	77.21	1206	2490	127.20	2490	
महायोग	23082.71	19012	28219.41	25668	39757.45	30572	91069.57	75252	महायोग	5637	285.19	5637	5274	280.92	5274	9637	428.75	9637			

195

[23 जुलाई, 2015]

प्रपत्र "ब"

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा कय की गई बीज की संस्था/फर्म की जानकारी

क्र.	वर्ष	फसल का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	रिमांक
1	2	3	4	5
1	2012-13	सोयाबीन	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, राष्ट्रीय बीज निगम, नाफेड इंदौर, महाबीज, एस.एफ.सी.आई. दिल्ली, एवं बीज महासंघ की समितियाँ	
		धान	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक एवं नाफेड हैदराबाद	
		चना	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, नाफेड इंदौर, एस.एफ.सी.आई. दिल्ली, एच.आई.एल. एवं बीज महासंघ की समितियाँ	
		गेहूँ	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक	
		अरहर	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, महाबीज, एस.एफ.सी.आई. दिल्ली	
		उड़द	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, नाफेड इंदौर, महाबीज, एस.एफ.सी.आई. दिल्ली	
		सरसो	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, एस.एफ.सी.आई. नई दिल्ली	
2	2013-14	सोयाबीन	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, राष्ट्रीय बीज निगम एवं बीज महासंघ की समितियाँ	
		धान	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक	
		चना	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, एस.एफ.सी.आई. दिल्ली, महाबीज एवं बीज महासंघ की समितियाँ	
		गेहूँ	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक एवं बीज महासंघ की समितियाँ	
		अरहर	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, महाबीज एवं एस.एफ.सी.आई.	
		उड़द	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, महाबीज एवं एस.एफ.सी.आई. दिल्ली	
		सरसो	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक एवं एस.एफ.सी.आई. दिल्ली	
3	2014-15	सोयाबीन	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, राष्ट्रीय बीज निगम, बीज महासंघ एवं छ.ग. बीज उत्पादक सहकारी समितियाँ	
		धान	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक एवं राष्ट्रीय बीज निगम	
		चना	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, राष्ट्रीय बीज निगम, नाफेड एवं बीज महासंघ की समितियाँ	
		गेहूँ	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, राष्ट्रीय बीज निगम, महाबीज एवं बीज महासंघ की समितियाँ	
		अरहर	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, राष्ट्रीय बीज निगम एवं महाबीज	
		उड़द	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, राष्ट्रीय बीज निगम एवं महाबीज	
		सरसो	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक एवं राष्ट्रीय बीज निगम, रायपुर,	
4	2015-16 (दि. 30.06.15)	सोयाबीन	राष्ट्रीय बीज निगम, महाबीज, नाफेड, बीज महासंघ एवं छ.ग. बीज उत्पादक सहकारी समितियाँ	
		धान	छ.ग. राज्य बीज निगम, द्वारा बीज उत्पादक कृषक, राष्ट्रीय बीज निगम, महाबीज, तेलगांवा, बीज महासंघ एवं छ.ग. की सहकारी समिति	
		अरहर	छ.ग. राज्य बीज निगम, रायपुर, महाराष्ट्र बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम एवं नाफेड इन्दौर	
		उड़द	छ.ग. राज्य बीज निगम, रायपुर, महाराष्ट्र बीज निगम, एवं राष्ट्रीय बीज निगम	

प्रपत्र "स"
बीज मिनिफिट प्रदायक संस्था की जानकारी

क्र.	वर्ष	फसल का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	2012-13	सोयाबीन	राष्ट्रीय बीज निगम, रायपुर, एस.एफ.सी.आई. भोपाल	भारत सरकार द्वारा मिनिफिट निःशुल्क प्रदत्त
		तिल	राष्ट्रीय बीज निगम, रायपुर	
		सरसों	एस.एफ.सी.आई. भोपाल	
		मूंगफली	एस.एफ.सी.आई., हैदराबाद	
		सूर्यमुखी	एस.एफ.सी.आई., बैंगलोर	
		मक्का	राष्ट्रीय बीज निगम, रायपुर	
		अरहर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
2	2013-14	सोयाबीन	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्वा रायपुर	भारत सरकार द्वारा मिनिफिट निःशुल्क प्रदत्त
		मूंगफली	एस.एफ.सी.आई., हैदराबाद	
		सरसों	राष्ट्रीय बीज निगम, रायपुर	
		उड़द	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		मक्का	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		अरहर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		मूंग	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
3	2014-15	सरसों	राष्ट्रीय बीज निगम, रायपुर	भारत सरकार द्वारा मिनिफिट निःशुल्क प्रदत्त
		मूंगफली	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्वा, रायपुर, हिन्दुस्तान इसेक्टोसाईड लिमि. महाराष्ट्र	
		तिल	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		मक्का	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		अरहर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		उड़द	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		मूंग	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
4	2015-16 (दि 30.06.15)	सोयाबीन	राष्ट्रीय बीज निगम, रायपुर	भारत सरकार द्वारा मिनिफिट निःशुल्क प्रदत्त
		तिल	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		मक्का	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		अरहर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		उड़द	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	
		मूंग	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	

परिशिष्ट "चौवन"

[अतारोक्त प्रश्न संख्या 55 (क्र. 969) के भाग (ख) की जानकारी]

30 जून, 2015 की स्थिति में योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों की जानकारी

क्र	जिला	लाभान्वित कृषक संख्या														
		वर्ष 2012-13			वर्ष 2013-14			वर्ष 2014-15			वर्ष 2015-16 (30 जून, 2015 की स्थिति में)			योग		
		नलकूप खनन		पम्प प्रतिस्थापन	नलकूप खनन		पम्प प्रतिस्थापन	नलकूप खनन		पम्प प्रतिस्थापन	नलकूप खनन		पम्प प्रतिस्थापन	नलकूप खनन		पम्प प्रतिस्थापन
		सफल	असफल		सफल	असफल		सफल	असफल		सफल	असफल		सफल	असफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	रायपुर	46	20	46	30	10	30	3	7	3	0	0	0	79	37	79
2	बसौदाबाजार	106	29	190	169	22	151	64	11	62	0	0	0	339	62	403
3	गरियाबंद	501	0	314	1125	0	1037	620	2	716	0	0	0	2246	2	2067
	योग	653	49	550	1324	32	1218	687	20	781	0	0	0	2664	101	2549

परिशिष्ट "पचपन"

[अतागंकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 984) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कांकेर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से 25 जून, 2015 तक पशुओं का टीकाकरण की जानकारी

क्र.	वर्ष	पशु प्रजाति	टीकाद्रव का नाम	टीकाकृत पशु संख्या
1	2013-14	गौवंशीय-भैंसवंशीय	एफ.एम.डी.	92,520
			एच.एस.	61,880
			बी.क्यू.	8,572
		बकरी-भेंड	पी.पी.आर.	45,952
			एन्ट्रोटाक्सिमियां	21,146
		श्वान	एन्टीरेबीज	192
		योग		2,30,262
2	2014-15	गौवंशीय-भैंसवंशीय	एफ.एम.डी.	55,376
			एच.एस.	58,699
			बी.क्यू.	22,341
			एन्टीरेबीज	4,299
		बकरी-भेंड	पी.पी.आर.	36,962
			एन्ट्रोटाक्सिमियां	17,002
		श्वान	एन्टीरेबीज	128
योग		1,94,807		
3	2015-16 (दिनांक 25 जून, 2015 तक)	गौवंशीय-भैंसवंशीय	एफ.एम.डी.	94
			एच.एस.	15,088
			बी.क्यू.	141
		बकरी-भेंड	एन्ट्रोटाक्सिमियां	2,779
		श्वान	एन्टीरेबीज	63
		योग		18,165
		महायोग		4,43,234

प्रपत्र "ब"

पशुओं के टीकाकरण में राशि व्यय की जानकारी

क्र.	वर्ष	टीकाद्रव	व्यय राशि	टीकाकरण मानदेय एवं माण्डरिंग व्यय राशि	कुल व्यय राशि (रुपय)
1	2013-14	एफ.एम.डी.	18,02,311	2,96,925	
		एच.एस.	3,87,838		
		बी.क्यू.	81,690		
		एन्टीरेबीज	90,300		
		पी.पी.आर.	1,04,370		
		एन्ट्रोटाक्सिमियां	44,573		
		योग	25,11,082		
2	2014-15	एफ.एम.डी.	6,59,259	1,60,192	
		एच.एस.	1,95,789		
		बी.क्यू.	92,400		
		एन्टीरेबीज	22,575		
		पी.पी.आर.	84,788		
		एन्ट्रोटाक्सिमियां	31,501		
		योग	10,86,312		
3	2015-16 (दिनांक 25 जून, 2015 तक)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		महायोग	35,97,394	4,57,117	40,54,511

परिशिष्ट "छप्पन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 985) के भाग (ख) की जानकारी]

कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं स्टाफ की जानकारी

विधानसभा क्षेत्र का नाम	पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय/केन्द्र	पशु चिकित्सा सहायक शाल्यज्ञ			सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी			पट्टीबंधक			परिचारक			स्वच्छकर्ता/ परिचारक सह चौकीदार		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कांकेर	पशु चिकित्सालय कांकेर	2	1	1	3	3	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-
	पशु औषधालय पीढ़ापल	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
	पशु औषधालय धनेलीकन्हार	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कांकेर	1	1	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र खूना माकड़ी	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र देवरी	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र आतुरगांव	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र बागोडार	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र अर्जुनी	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र कोदागांव	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र पटौद	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र डंवरखार	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
नरहरपुर	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र सरंगपाल	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	पशु चिकित्सालय नरहरपुर	1	-	1	2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
	पशु चिकित्सालय सरोना	1	-	1	2	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	
	पशु औषधालय चंवड़	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
	पशु औषधालय अमोड़ा	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
पशु औषधालय बुंदेली	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
नरहर	पशु औषधालय मानिकपुर	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
	पशु औषधालय अमनपुर	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
	पशु औषधालय दुधावा	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-
	पशु औषधालय ठेमा	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
	पशु औषधालय लारगांव-मरकाटोला	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
	पशु औषधालय जामगांव	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
योग		5	2	3	29	24	5	3	2	1	25	23	2	15	13	2

परिशिष्ट "सनतावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 988) के भाग (ख) की जानकारी]

अनुदान प्राप्त मछुआ समूहों का विवरण वर्ष 2013-14

क्र.	विकासखण्ड	समूह का नाम
1	4	2
1	सूरजपुर	श्री भज्जू सिंह अध्यक्ष मां भगवती स्व सहायता समूह द्वारिकानगर
2	सूरजपुर	श्री गुरुदयाल अध्यक्ष आदिवासी स्व सहायता समूह बेलटिकरी
3	सूरजपुर	श्री शिवनाथ रजवार अध्यक्ष गंगोत्री स्व सहायता समूह गंगापुर
4	सूरजपुर	श्री उदय सिंह अध्यक्ष जय अम्बे स्व सहायता समूह देवीपुर
5	रामानुजनगर	श्रीमती प्रमिला सिंह अध्यक्ष महिला जागृति स्व सहायता समूह पटना
6	रामानुजनगर	श्री मदन राम अध्यक्ष मां माहामाया स्व सहायता समूह पटना
7	प्रतापपुर	श्री जयमंगल अध्यक्ष स्व सहायता समूह बरपटिया
8	ओड़गी	श्री विन्देश्वर चेरवा अध्यक्ष स्व सहायता समूह ओड़गी
9	प्रेमनगर	श्रीमती कयासो बाई अध्यक्ष महिला स्व सहायता समूह सारसताल
10	प्रेमनगर	श्री इन्दर सिंह सिंह अध्यक्ष महिला स्व सहायता समूह कनकपुर
11	सूरजपुर	श्री हुकुम सिंह अध्यक्ष स्व सहायता समूह कनकपुर
12	सूरजपुर	श्री कामता सिंह अध्यक्ष आदिवासी मछुआ समूह लांची
13	सूरजपुर	श्री नौरंग सिंह अध्यक्ष मछुआ समूह पोड़िमा
14	सूरजपुर	श्रीमती लालमेन अध्यक्ष महिला स्व सहायता समूह हरिपुर

15	रामानुजनगर	श्रीमती बुधियारो बाई अध्यक्ष चमेली स्व सहायता समूह गोपीपुर
16	रामानुजनगर	श्रीमती हलिमा खातुन अध्यक्ष गुलशन स्व सहायता समूह शिवपुर
17	रामानुजनगर	श्री नरेन्द्र सिंह अध्यक्ष माही स्व सहायता समूह जगतपुर
18	रामानुजनगर	श्रीमती बुधियारो बाई अध्यक्ष सीता म0 स्व सहा0 समूह नारायणपुर
19	रामानुजनगर	श्री चंदन सिंह अध्यक्ष आदर्श स्व सहायता समूह कल्याणपुर
20	रामानुजनगर	श्री अदल सिंह अध्यक्ष जागृति स्व सहायता समूह कौशिकपुर
21	रामानुजनगर	श्रीमती गीता देवी अध्यक्ष शिखर स्व सहायता समूह कृष्णपुर
22	भैयाथान	श्री लक्षनधारी अध्यक्ष संग्राम स्व सहायता समूह बैजनाथपुर 'ल'
23	भैयाथान	श्री धनेश्वर अध्यक्ष दुर्गा स्व सहायता समूह बैजनाथपुर 'ब'
24	ओड़गी	श्री भाष्कर सिंह अध्यक्ष मछुआ समूह पाल दनौली
25	भैयाथान	श्रीमती मनियारो बाई अध्यक्ष महिला स्व सहायता समूह केवरा
26	ओड़गी	श्री पारस अध्यक्ष गोल्डन मछुआ समूह ओड़गी
27	प्रेमनगर	श्री जगदेव अध्यक्ष स्व सहायता समूह परसाढोढ़ा
28	सूरजपुर	श्रीमती फुलबसिया अध्यक्ष स्व सहायता समूह देवीपुर
29	सूरजपुर	श्री धनुषधारी अध्यक्ष आदिवासी मछुआ समूह रामनगर
30	सूरजपुर	श्री बसंत अध्यक्ष मछुआ समूह रामनगर
31	सूरजपुर	श्री जीतन अध्यक्ष मछुआ समूह कसकैला
32	सूरजपुर	श्री पुन्नी सिंह अध्यक्ष मछुआ समूह कुम्दा
33	भैयाथान	श्री जिरोधन अध्यक्ष मछुआ समूह सांवारावा

अनुदान प्राप्त मछुआ समूहों का विवरण वर्ष 2014-15

क्र.	विकासखण्ड	समूह का नाम
1	4	2
1	सूरजपुर	श्री भज्जू सिंह अध्यक्ष मां भगवती स्व सहायता समूह द्वारिकानगर
2	सूरजपुर	श्री गुरुदयाल अध्यक्ष आदिवासी स्व सहायता समूह बेलटिकरी
3	सूरजपुर	श्री शिवनाथ रजवार अध्यक्ष गंगोत्री स्व सहायता समूह गंगापुर
4	सूरजपुर	श्री उदय सिंह अध्यक्ष जय अम्बे स्व सहायता समूह देवीपुर
5	रामानुजनगर	श्रीमती प्रमिला सिंह अध्यक्ष महिला जागृति स्व सहायता समूह पटना
6	सूरजपुर	श्रीमती उमापति अध्यक्ष महिला बचत समूह पचिरा
7	सूरजपुर	श्रीमती सुमित्रा अध्यक्ष ज्योति स्व सहायता समूह पचिरा
8	सूरजपुर	श्रीमती फुलझरिया अध्यक्ष अम्बिका स्व सहायता समूह पचिरा
9	प्रतापपुर	श्रीमती कैलासो अध्यक्ष मछुआ समूह बोंगा
10	रामानुजनगर	श्री नरेन्द्र सिंह अध्यक्ष माही स्व सहायता समूह जगतपुर
11	ओड़गी	श्री पारस अध्यक्ष गोल्डन स्व सहायता समूह ओड़गी
12	प्रतापपुर	श्री कुंवर साय अध्यक्ष आदिवासी मछुआ समूह घुई